35वीं वार्षिक रिपोर्ट
35th ANNUAL REPORT
2023-24

नेशनल शेड्यूलड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन
भारत सरकार का उपक्रम

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
A Government of India Undertaking

14वीं मंजिल, कोर-1 और 2, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, दिल्ली-110092
14th Floor, Core-1 & 2, SCOPE Minar, Laxmi Nagar, District Centre, Delhi-110092
फ़ोन/Phone: 011-22054392, 22054394, 22054396 फ़ैक्स/Fax: 011-22054395
ईमेल/Email: support-nsfdc@nic.in वेबसाइट/Website: www.nsfdc.nic.in

(आई एस ओ 9001:2015 प्रमाणित कंपनी)
(An ISO 9001:2015 Certified company)

35वीं वार्षिक रिपोर्ट

35th ANNUAL REPORT

2023-24

नेशनल शेड्यूलड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन

भारत सरकार का उपक्रम

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

A Government of India Undertaking

(आई एस ओ 9001 :2015 प्रमाणित कंपनी)
(An ISO 9001:2015 Certified company)

14वीं मंजिल, कोर-1 और 2, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, दिल्ली-110092
14th Floor, Core-1 & 2, SCOPE Minar, Laxmi Nagar, District Centre, Delhi-110092
फ़ोन/Phone: 011-22054392, 22054394, 22054396 फ़ैक्स/Fax: 011-22054395
ईमेल/Email: support-nsfdc@nic.in वेबसाइट/Website: www.nsfdc.nic.in

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	कंपनी सूचना	1
2	नोटिस	2
3	अध्यक्षीय संदेश	3
4	निदेशक मंडल की रिपोर्ट	8
5	तुलन–पत्र	85
6	आय और व्यय लेखा का विवरण	86
7	नकद प्रवाह विवरण	87
8	स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	135
9	स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंध समिति का उत्तर	153
10	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	154
11	पंजीकृत कार्यालय और संपर्क केंद्र	155

कंपनी सूचना

निदेशक मंडल (2023–24)

श्री राजन सहगल
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
(01.09.2024 से)

श्री रजनीश कुमार जैनव
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
(01.01.2021 से 31.08.2024 तक)

श्री एस.एम. आवले
(04.06.2015 से प्रभावी)

श्री संजय पाण्डेय
(18.07.2019 से 01.04.2024 तक)

श्रीमती अंजुला सिंह माहुर
(स्वतंत्र निदेशक)
(06.12.2021 से प्रभावी)

श्री दुर्गा प्रसाद राय,
स्वतंत्र निदेशक
(29.12.2021 से प्रभावी)

श्री धम्मज्योति रामदास गजभिये
(18.12.2023 से प्रभावी)

श्री मशार वेलापुरथ
(18.12.2023 से प्रभावी)

श्रीमती सुधा केशरी
(18.12.2023 से प्रभावी)

श्रीमती गीता भारती
(18.12.2023 से प्रभावी)

श्री गुरदीप सिंह मनकटहला
(22.01.2024 से प्रभावी)

श्री बिस्वरंजन सस्मल
(09.02.2024 से प्रभावी)

श्रीमती कल्याणी चड्ढा
(27.04.2022 से 04.08.2023 तक)

सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स दविंदर पाल सिंह एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट,
एस–53, औद्योगिक एस्टेट,
फेज–2, ओखला ,
नई दिल्ली – 110020.

बैंकर्स

केनरा बैंक, दिल्ली/मुंबई/बेंगलुरु
एसबीआई, नई दिल्ली/कोलकाता
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
पंजाब नेशनल बैंक
आईडीबीआई
बैंक ऑफ बड़ौदा
पंजाब एंड सिंध बैंक
कोटक महिंद्रा बैंक
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक
बंधन बैंक
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड.
इंडसइंड बैंक
आईसीआईसीआई बैंक
इक्विटास स्मॉल फाइनेंशियल बैंक
एक्सिस बैंक

पंजीकृत कार्यालय

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
(भारत सरकार का उपक्रम)
14वीं मंजिल, स्कोप मीनार, कोर 1 और 2,
लक्ष्मी नगर जिला केंद्र,
लक्ष्मी नगर, दिल्ली–1100092.

कंपनी सचिव

सीए अन्नु भोगल
उप महाप्रबंधक

नेशनल शेड्यूलड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन

भारत सरकार का उपक्रम

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

A Government of India Undertaking

एनएसएफडीसी / सचि / 35वीं वाआबै / 306 / 4763–4774 — 24 सितंबर, 2024

नोटिस

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की 35वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) दिनांक 30.09.2024 (सोमवार) को अपराह्न 3.00 बजे पुराना सम्मेलन कक्ष, सं. 603, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, 6वीं मंजिल (ए विंग), शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110 001 में निम्नलिखित कार्यों को संपन्न करने के लिए होगीः

सामान्य कार्यः

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशक मंडल की रिपोर्ट, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, प्रबंध समिति के उत्तर और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ कंपनी की लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणिका प्राप्त करना, विचार करना, अपनाना और निम्नलिखित संकल्पों को संशोधन सहित अथवा बिना संशोधन (संशोधनों) के साधारण संकल्प के रूप में पारित करनाः

संकल्प किया जाता है कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशक मंडल की रिपोर्ट, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, उस पर प्रबंध समिति के उत्तर और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ कंपनी की लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणिका को प्राप्त किया, विचार किया और अपनाया।

कृते निदेशक मंडल के आदेशानुसार
ह०

(अन्नु भोगल)
महाप्रबंधक (कॉरपोरेट सेवाएं, सी एस आर, लेखापरीक्षा और सी पी आई ओ)

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 24 सितंबर, 2024

टिप्पणीः
बैठक में भाग लेने एवं वोट देने के लिए अधिकृत सदस्य को अपने स्थान पर किसी प्रतिनिधि को बैठक में भाग लेने के लिए एवं अपने स्थान पर परोक्षी नियुक्त करने का अधिकार है। परोक्षी को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है (परोक्षी फार्म संलग्न है)।

14वीं मंजिल, कोर-1 और 2, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, दिल्ली-110092
14th Floor, Core-1 & 2, SCOPE Minar, Laxmi Nagar, District Centre, Delhi-110092
फ़ोन/Phone: 011-22054392, 22054394, 22054396 फ़ैक्स/Fax: 011-22054395
ईमेल/Email: support-nsfdc@nic.in वेबसाइट/Website: www.nsfdc.nic.in

दिनांक 30 सितंबर, 2024 को आयोजित एनएसएफडीसी की 35वीं वार्षिक आम बैठक में अध्यक्षीय संदेश

प्रिय सदस्यगण ,

निदेशक मंडल की ओर से, मैं आपको निगम की 35वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं इस विशिष्ट अवसर पर अपना बहुमूल्य समय देने हेतु आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

आप सभी सदस्यों को दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ निदेशक मंडल की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे को पहले ही परिचालित कर दिया गया है और आपकी अनुमति से, मैं इसे पढ़ा हुआ समझूँगा।

दिनांक 31 मार्च, 2024 तक, आपके निगम की प्राधिकृत अंश पूंजी रु.1800.00 करोड़ और प्रदत्त पूंजी रु.1515.00 करोड़ थी।

प्रमुख उपलब्धियाँ

1. **ऋण योजनाएँ:**

   वर्ष के दौरान, आपके निगम ने योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी/चैनलाइजिंग एजेंसी को रु.850.12 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी दी। वर्ष के दौरान, आपके निगम ने 85,372 लाभार्थियों को लाभांवित करने के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी/ चैनलाइजिंग एजेंसी को 100% (समझौता–ज्ञापन के तहत 'उत्कृष्ट' लक्ष्य) के लक्ष्य की तुलना में रु.714.45 करोड़ अर्थात् उपलब्ध कुल निधियों का 97.56% वितरित किया।

2. **राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी/चैनलाइजिंग एजेंसी द्वारा कवर नहीं किए गए राज्यों में सा–धन के माध्यम से अग्रगामी योजना:**

   वर्ष के दौरान, बिहार, झारखंड और ओडिशा के अलावा अग्रगामी परियोजना हेतु कुछ और राज्यों की पहचान की गई। बोर्ड की मंजूरी के बाद एनबीएफसी–एमएफआई के माध्यम से वित्तपोषणार्थ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, असम, त्रिपुरा और गुजरात को शामिल किया गया। सूचीबद्ध किए गए चार एनबीएफसी–एमएफआई को रु.40.00 करोड़ की राशि आवंटित की गई। तीन एनबीएफसी–एमएफआई को रु.34.18 करोड़ वितरित किए गए, जिनमें से 6903 लाभार्थियों के लिए रु.28.97 करोड़ का उपयोग होने की सूचना दी गई।

3. **कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम**

   वर्ष के दौरान, आपके निगम ने पीएम दक्ष योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के 30,660 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए रु.111.83 करोड़ की अनुमानित लागत से कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वीकृत और कार्यान्वित किए हैं।

दिनांक 31.03.2024 तक 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 30,660 व्यक्तियों में से कुल 7,807 व्यक्तियों ने अपने कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे कर लिए हैं। इसके अलावा, वर्ष 2022–23 के दौरान शुरू किया गया 1,816 व्यक्तियों का प्रशिक्षण, इस वर्ष के दौरान पूरा हो गया है।

4. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एनएफएससी)

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एनएफएससी) योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे वित्तीय वर्ष 2005–06 के दौरान शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालयोंध्संस्थानों/कॉलेजों में विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान में एम.फिल/पीएचडी की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में फेलोशिप प्रदान करना है।

यह योजना ऐसे अनुसूचित जाति के छात्रों, जिन्होंने यूजीसी नेट (1,500) और संयुक्त सीएसआईआर यूजीसी नेट (500) परीक्षा उत्तीर्ण की है, को प्रति वर्ष 2,000 नई फेलोशिप प्रदान करती है। ये संख्या (स्लॉट) यूजीसी और सीएसआईआर फेलोशिप के लिए सरकार की सामान्य आरक्षण नीति के तहत चुने गए अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या से अलग है।

यह योजना शोधार्थियों (स्कोलर्स) को उनके उच्च अध्ययन को जारी रखने के लिए अध्येतावृत्ति, आकस्मिक व्यय, एस्कॉर्ट/रीडर सहायता और मकान किराया भत्ता (एचआरए) के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

केनरा बैंक के छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति प्रबंधन संबंधी पोर्टल (एसएफएमपी) के माध्यम से पात्र शोधार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड में अध्येतावृत्ति और अन्य वित्तीय घटक जारी किए जाते हैं।

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएफडीसी) को दिनांक 01.10.2022 से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के रूप में नियुक्त किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, आपके निगम ने 4,169 शोधार्थियों को एनएफएससी योजना के तहत रु.199.82 करोड़ जारी किए हैं।

5. विमुक्त जनजातियों के आर्थिक सशक्तीकरण की योजना (सीड योजना)रू

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, अखिल भारतीय स्तर पर कार्यान्वित की जाने वाली विमुक्त जनजातियों के आर्थिक सशक्तीकरण की योजना (सीड योजना) के आजीविका घटक के लिए एनएसएफडीसी को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इस योजना के लिए रु.6.00 करोड़ की राशि जारी की गई है। वर्ष 2024–25 में कार्यान्वित की जाने वाली योजना के हिस्से के रूप में, सामाजिक लामबंदी के माध्यम से विमुक्त जनजातियों के स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाएगा।

6. समझौता–ज्ञापन के लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियाँ (वर्ष 2023–24)

इस वर्ष, लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए समझौता–ज्ञापन स्कोर 72.29 है, जो सार्वजनिक उद्यम विभाग के मूल्यांकन ढांचे के तहत 'बहुत अच्छा' श्रेणी के अनुरूप है।

7. विशेष पहलें

आपके निगम ने अपनी गतिविधियों को और व्यापक तथा सुदृढ़ बनाने के लिए वर्ष 2023–24 के दौरान विशेष पहलें शुरू की हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:–

7.1 पीएम सूरज कार्यक्रमः

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 13.03.2024 को हाइब्रिड मोड में वंचित वर्गों के लिए एक राष्ट्रव्यापी आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने वर्चुअल मोड में कार्यक्रम में भाग लिया और इस पोर्टल के माध्यम से ऋण के लिए आवेदन करने वाले लक्षित समूह को संपूर्ण समाधान प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जनकल्याण (पीएम–सूरज) पोर्टल का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का समन्वय आपके निगम द्वारा किया गया।

7.2 अन्य मंत्रालयों के साथ अभिसरण की पहलः

वर्ष के दौरान एनएसएफडीसी ने ग्रामीण विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, विकास आयुक्त (हथकरघा), वस्त्र मंत्रालय आदि जैसे अन्य मंत्रालयों की योजनाओं के साथ अपनी ऋण योजनाओं के अभिसरण की प्रक्रिया शुरू की। इस प्रयास से हमारी लक्षित आबादी के लिए विभिन्न मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्ध विभिन्न सब्सिडी के साथ रियायती ऋण को समन्वित करने की अपेक्षा है।

7.3 कार्यशाला सह एमडीपीः

निगम ने दिनांक 27 और 28 जुलाई 2023 को टैगोर ऑडिटोरियम, स्कोप कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में अपने राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी और चैनलाइजिंग एजेंसी के अधिकारियों के लिए एक कार्यशाला सह प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) का आयोजन किया गया। एनएसएफडीसी नीति के सरलीकरण, लाभार्थियों को प्रोत्साहन और वित्तीय वर्ष के अंत के बजाय पूरे वर्ष के दौरान निधि बहिर्प्रवाह (फंड आउटफ्लो) के लिए प्रस्ताव प्राप्त करने के विषय पर राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी/चैनलाइजिंग एजेंसी के प्रतिनिधियों के साथ उपयोगी चर्चा हुई।

7.4 राज्यों में प्रदर्शनियाँ/समग्र जागरूकता शिविरः

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने प्रमुख प्रदर्शनियों, जैसे आईआईटीएफ, प्रगति मैदान, नई दिल्लीय सूरज. कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला, फरीदाबाद, हरियाणाय शिल्प समागम मेला (ग्वालियर, लखनऊ, दिल्ली, बंगलुरु, अमृतसर, जोधपुर), आत्मनिर्भर भारत मेला, भारत मंडपम, आईटीपीओ, दिल्ली और कारीगर हाट, कोलकाता में भाग लिया। निगम ने लखनऊ (उत्तर प्रदेश), खलीलाबाद (उत्तर प्रदेश), दिल्ली और अगरतला (त्रिपुरा) में बुनियादी स्तर पर मंत्रालय और राष्ट्रीय निगम योजना का प्रचार करने के लिए चार समग्र/जागरूकता शिविरों में भी भाग लिया।

7.5 महिला लाभार्थियों का कवरेजः

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 56,835 महिला लाभार्थियों को रु.358.91 करोड़ की रियायती वित्तीय सहायता प्रदान की है, जो 40% के मानदंड के एवज में वित्तीय और भौतिक दोनों दृष्टि से क्रमशः वर्ष के कुल संवितरण का 50.23% और कुल कवरेज का 66.57% है।

8 कॉर्पोरेट गवर्नेंस:

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों के अनुपालन के आधार पर आपके निगम को सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा 'उत्कृष्ट' श्रेणी दी गई थी। कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानकों को बनाए रखने और कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

9 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन लाइसेंस (आईएसओ 9001:2015):

आपका निगम एक आईएसओ प्रमाणित संगठन है और आईएसओ 9001:2015 के अनुसार गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) प्रमाणन की सभी आवश्यकताओं के अनुरूप है।

वर्ष 2007–08 से 29.11.2022 तक, एनएसएफडीसी को बीआईएस द्वारा गुणवत्ता प्रबंधन प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। इसके पश्चात, दिनांक 24.01.2023 को रॉयल इम्पैक्ट सर्टिफिकेशन लिमिटेड (आरआईसीएल) द्वारा आईएसओ 9001:2015 के अनुसार एनएसएफडीसी को गुणवत्ता प्रबंधन प्रमाणन प्रदान किया गया। उक्त प्रमाणन वार्षिक निगरानी संपरीक्षा के अधीन दिनांक 23.01.2026 तक वैध है।

10 सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली का सुदृढीकरण:

- आपका निगम परियोजनाओं, वित्त, कौशल प्रशिक्षण और अन्य विभागों से संबंधित फाइलों के डिजिटल प्रसंस्करण के लिए ई–ऑफिस का उपयोग कर रहा है। प्रधान कार्यालय और संपर्क केंद्रों पर तैनात सभी अधिकारी कार्यालयी कार्यों के लिए ई–ऑफिस का उपयोग कर रहे हैं। अधिकारी एनआईसी वेब वीपीएन के माध्यम से बाहरी नेटवर्क और दूरस्थ स्थानों से भी ई–ऑफिस का उपयोग कर रहे हैं।
- आपका निगम अपने विभिन्न विभागों जैसे वित्त, परियोजनाएं, मानव संसाधन, प्रशासन, कौशल प्रशिक्षण और अन्य विभागों के कार्यकलापों के लिए एक ईआरपी सॉफ्टवेयर विकसित करने की प्रक्रिया में है। सॉफ्टवेयर का उपयोग चैनल भागीदारों को भेजे जाने वाली स्वचालित मांग उत्पन्न करने, विभिन्न विभागों के लिए एमआईएस रिपोर्ट तैयार करने आदि के लिए किया जाएगा।
- आपका निगम एक गतिशील, दिव्यांग अनुकूल, द्विभाषी वेबसाइट का भी अनुरक्षण कर रहा है जो भारत सरकार की वेबसाइट (जीआईजीडब्ल्यू) के लिए दिशानिर्देशों के अनुरूप है। वेबसाइट एनआईसी क्लाउड सर्वर पर होस्ट की गई है जो सिक्योर सॉकेट लेयर (एसएसएल) प्रमाण–पत्र और नियमित सुरक्षा ऑडिट द्वारा सुरक्षित है।
- आपका निगम विभिन्न रिपोर्ट तैयार करने के लिए परियोजना से संबंधित डेटा हेतु इन–हाउस तैयार मॉड्यूल में डेटाबेस का अनुरक्षण करता है। विभिन्न वायरस, स्पाइवेयर, एडवेयर और अन्य दुर्भावनापूर्ण प्रोग्रामों के खिलाफ डेटा, हार्डवेयर और नेटवर्क की व्यापक सुरक्षा के लिए, आपके निगम ने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, जिसे समय–समय पर अद्यतन किया जाता है। रिपोर्ट वर्ष के दौरान आईटी उपकरणों के सुदृढ़ीकरण के लिए, पीसी, सहायक उपकरण खरीदे गए।

11 भावी योजना

आपका निगम आर्थिक विकास में तेजी लाने और आय बढ़ाने के लिए लक्ष्य समूह की सहायता करने के लिए ऋण प्रदान करने में चुनौतियों का सामना करने के लिए अभिनव दृष्टिकोण का उपयोग करेगा। लक्ष्य समूह को सहायता प्रदान करने के लिए आर्थिक गतिविधियों, व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास पर अधिक ध्यान दिया जाएगा, जिससे रोजगारपरकता बढ़ेगी। भौगोलिक दृष्टि से, मुख्य रूप से उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जहां लक्ष्य समूह की बाहुल्यता है, विशेष रूप से देश

के आकांक्षी जिलों में। आपका निगम चैनलाइजिंग एजेंसियों और अन्य विकास भागीदारों के साथ मौजूदा सहयोगात्मक संबंधों को बनाए रखेगा और इसके साथ अनुसूचित जातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बहु–आयामी रणनीति का पालन करेगा और साथ ही अन्य मंत्रालयों की योजनाओं के साथ अभिसरण करेगा।

आभार

कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से, मैं आपकी सतत सहायता और बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को उनके निरंतर सहायता और सहयोग के आभार व्यक्त करता हूँ। मैं निदेशक मंडल का उनके निरंतर परामर्श और उत्साहवर्धन के लिए उनकी सहायता की सराहना और आभार व्यक्त करता हूँ। मैं भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, लोक उद्यम विभाग, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से प्राप्त सहायता के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं विभिन्न राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों, चौनल भागीदारों जिसमें विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी–सूक्ष्म वित्त संस्थानों, कौशल प्रशिक्षण संस्थानों आदि शामिल हैं से प्राप्त सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं निगम के सभी कर्मचारियों के निष्ठापूर्वक प्रयासों के लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिनकी वजह से हम उच्च लक्ष्य प्राप्त कर सके। मैं इस यात्रा में सभी हितधारकों (स्टेकहोल्डरों) के सतत् सहयोग की आशा करता हूँ।

ह.

(राजन सहगल)

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

स्थान : दिल्ली

दिनांक : 30.09.2024

निदेशक मंडल की रिपोर्ट (2023–24)

आपके निगम की 35वीं वार्षिक आम बैठक में, मैं आपका स्वागत करता हूँ। वार्षिक आम बैठकें, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षकों की अभ्युक्तियों के साथ आपके निगम की प्रगति पर चर्चा करने के लिए एक अवसर है।

1. निगम की रूपरेखा

आपका निगम, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के रूप में भारत सरकार द्वारा दिनांक 08 फरवरी, 1989 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा–25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन धारा–8) के अंतर्गत 'लाभ–निरपेक्ष कंपनी' के रूप में स्थापित किया गया था। इसने दिनांक 09.04.2001 तक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति दोनों लक्ष्य समूहों की आवश्यकताओं को पूरा किया है। निगम का, दिनांक 10.04.2001 को, जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति लक्ष्य समूह के लिए नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सृजन के कारण द्विभाजन हुआ। इस द्विभाजन के परिणामस्वरूप, आपका निगम अब पूर्णतः अनुसूचित जाति के लक्ष्य समूह की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

1.1 दृष्टि

अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों के सामाजिक–आर्थिक विकास के माध्यम से व्यवस्थित प्रकार से गरीबी को कम करने के लिए चैनलाइजिंग एजेंसियों और अन्य विकास भागीदारों के साथ प्रभावी, उत्तरदायी और सहयोगात्मक तरीके से प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना।

1.2 लक्ष्य

वित्तीय सहायता के प्रवाह में सुधार और कौशल विकास एवं अन्य नवीन पहलों के माध्यम से अनुसूचित जातियों की समृद्धि को बढ़ावा देना।

1.3 उद्देश्य

आपके निगम के संस्था के ज्ञापन–पत्र (मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन) में, प्राप्त किए जाने वाले निम्नलिखित मुख्य उद्देश्यों की सूची दी गई है :

(i) अनुसूचित जाति की आबादी के लिए ट्रेडों और अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलापों की पहचान करना।

(ii) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के कौशल और उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रियाओं को उन्नत बनाना।

(iii) छोटे, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना।

(iv) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के उत्थान और आर्थिक कल्याण के लिए विशेष कार्यक्रमों को वित्त पोषित करना।

(v) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के आर्थिक कल्याण के लिए उनके वित्तीय सहायता के प्रवाह में सुधार करना।

(vi) लक्ष्य समूह को अपनी परियोजना स्थापित करने के लिए परियोजना तैयार करने, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता के लिए सहयोग प्रदान करना।

(vii) भारत और विदेश में पूर्णकालिक व्यावसायिक/ तकनीकी पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति के पात्र छात्रों को ऋण प्रदान करना।

(viii) पात्र युवाओं को भारत में वोकशनल (व्यावसायिक) शिक्षा और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अध्ययन करने के बाद कौशल और नियोजनीयता में वृद्धि करने के लिए ऋण प्रदान करना।

उपर्युक्त उद्देश्यों के अनुसरण में, आपका निगम राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की चैनलाइजिंग एजेंसियों और अन्य चैनल भागीदारों के माध्यम से अनुसूचित जातियों के लाभार्थियों को विभिन्न ऋण–आधारित योजनाओं के अंतर्गत रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करने और लक्षित समूहों को सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न ऋणेतर आधारित योजनाओं को भी कार्यान्वित कर रहा है।

1.4 प्राधिकृत और प्रदत्त अंश पूँजी

वर्ष के दौरान आपके निगम की अधिकृत अंश पूंजी में रु.300.00 करोड़ की वृद्धि की गई है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के अंत में, अधिकृत अंश पूंजी रु.1800.00 करोड़ है। भारत सरकार ने इक्विटी समर्थन के लिए वर्ष के दौरान रु.15.00 करोड़ जारी किए। वित्तीय वर्ष के अंत में संचयी प्रदत्त अंश पूंजी रु.1515.00 करोड़ है।

1.5 संगठन की संरचना

आपके निगम के कार्यालयाध्यक्ष अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक हैं, जिन्हे दो मुख्य महाप्रबंधक, तीन महाप्रबंधक तथा वरिष्ठ कार्यपालकों की टीम द्वारा सहायता मिलती है। दिनांक 31.03.2024 के अनुसार, आपके निगम में 79 कर्मचारी हैं। परियोजना, वित्त, मानव संसाधन, प्रशासन विभाग के अलावा निगमित सेवाएं, आंतरिक लेखापरीक्षा, समन्वय, सतर्कता, विधि, एमआईएस, कौशल प्रशिक्षण, निगमित सामाजिक दायित्व, आरटीआई, आईएसओ, रिकार्ड प्रबंधन और राजभाषा कक्ष जैसे अन्य विभाग/कक्ष हैं। जहां तक आपके निगम के संचालन का संबंध है, परियोजना विभाग में तैनात डेस्क–प्रभारियों को विशिष्ट राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का कार्यभार सौंपा गया है जहां वे राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), सहकारी बैंकों, सहकारी समितियों, अन्य संस्थान और लास्ट माइल फाइनेंसर यानी पिछड़े क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे एनबीएफसी–एमएफआई के माध्यम से एनएसएफडीसी योजनाओं का कुशल कार्यान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करते हैं। परियोजना विभाग के अलावा, विशेष रूप से प्रशिक्षण विभाग को लक्ष्य समूह के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित कार्य सौंपा गया है।

संगठन चार्ट **अनुलग्नक–I** में दर्शाया गया है।

1.6 संपर्क केंद्र

आपके निगम के चार संपर्क केंद्र हैं, जो संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों और अन्य चैनल पार्टनरों से संपर्क रखते हैं और संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करते हैं। संपर्क केंद्रों के स्थल और उनके क्षेत्राधिकार नीचे दिए जा रहे हैं :

क्रम सं.	संपर्क केंद्र	क्षेत्राधिकार
(i)	बैंगलूरू	तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पुद्दुचेरी
(i)	मुंबई	महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, गोवा, दमन और दीव, दादरा नगर हवेली
(iii)	कोलकाता	ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर,मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम
(iv)	लखनऊ	मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड

दिल्ली और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्रों की निगरानी सीधे प्रधान कार्यालय से की जा रही है।

1.7 चैनल वित्त प्रणाली

(i) आपका निगम संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामित पूरे देश के 38 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की चैनलाइजिंग एजेंसियों के नेटवर्क के माध्यम से लक्ष्य समूह को विभिन्न ऋण और ऋणेत्तर सुविधाएं देता है, जिन्हें संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा नामित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, आपके निगम ने योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, गैर–बैंकिंग वित्त कंपनियों – सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी–एमएफआई) और अन्य संस्थाओ को वैकल्पिक चैनल के रूप में स्थापित किया है। वर्तमान में दिनांक 31.03.2024 को आपके निगम के पास 63 **(पीएसबी और आरआरबी के एकीकरण के बाद)** वैकल्पिक चैनलाइजिंग एजेंसियां हैं।

(ii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों की सूची **अनुलग्नक–II (क) और (ख)** पर दी गई है।

(iii) स्थानीय आवश्यकताओं, पात्र आवेदकों की पहचान और लाभार्थियों के चयन, ऋणी के साथ प्रलेखन, योजनाओं का कार्यान्वयन तथा लाभार्थियों से ऋण की वसूली पर आधारित परियोजना प्रस्तावों की तैयारी एवं प्रायोजन, राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र में है।

1.8 निधियों का नोशनल आबंटन

आपका निगम, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को निधियाँ नोशनल रूप से आबंटित करता है।

1.9 निधियों के संवितरण के लिए मानक (नॉर्म्स)

1.9.1 राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के मानक

राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को निधियों की निर्मुक्ति करने से पहले, निम्नलिखित मानकों पर विचार किया जाता है:

- **गारंटी:**

  राज्य सरकार की गारंटी/बैंक गारंटी/राज्य सरकार के आदेशों/राज्य सरकार के आश्वासनों की पर्याप्त उपलब्धता।

- **उपयोगिता स्तर:**

  फरवरी माह के अंत तक, संवितरण के लिए पूर्ववर्ती माह के अंत तक पहले से संवितरित निधियों का कम से कम 80% संचयी उपयोग स्तर होना चाहिए तथा मार्च माह में निधियों के संवितरण के लिए पूर्ववर्ती दिन के अंत में संचयी निधियों का उपयोग स्तर 80% होना चाहिए।

- **देयों की चुकौती:**

  एक वर्ष से अधिक कोई अतिदेय राशि नहीं होनी चाहिए।

उक्त मानदंडों का ऋण योजनाओं में संवितरण के मामले में पालन किया जाता है। जहां तक 01.12.2009 से आरंभ शिक्षा ऋण योजना का संबंध है, शिक्षा ऋण की मंजूरी के समय राज्य सरकार गारंटी की उपलब्धता और एक वर्ष से अधिक पुराना अतिदेय का न होना सुनिश्चित किया जाता है।

1.9.2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी)/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) के लिए मानक

एनएसएफडीसी की ऋण नीति के अनुसार, पीएसबी और आरआरबी (चैनलाइजिंग एजेंसियों) को एनएसएफडीसी से निधियों के संवितरण हेतु पात्र बनने के लिए कुछ मानक पूरे करने होते हैं। ये मानक नीचे दिए गए हैं :

- मांग के भुगतान के समय पूर्व संवितरण की कोई अतिदेय राशियाँ नहीं होनी चाहिए।
- फरवरी माह के अंत तक, संवितरण के लिए पूर्ववर्ती माह के अंत तक पहले से संवितरित निधियों का कम से कम 80% संचयी उपयोग स्तर होना चाहिए तथा मार्च माह में निधियों के संवितरण के लिए पूर्ववर्ती दिन के अंत में संचयी निधियों का उपयोग स्तर 80% होना चाहिए।
- उपर्युक्त के अलावा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अपने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखों के आधार पर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा :

  (क) संवितरण के वर्ष से पिछले 6 वर्षों में से कम–से–कम 3 वर्षों के दौरान निवल गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) 15% से कम होनी चाहिए।

  (ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) संवितरण के वर्ष से पिछले 6 वित्तीय वर्षों में से कम से कम 3 वर्षों के दौरान लाभ (निवल लाभा) में होना चाहिए।

  (ग) किसी विनियामक निकाय का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।

  (घ) समामेलित/विलय वाली संस्थाओं के मामले में, संबंधित प्रायोजक बैंक के पास आरआरबी के प्रमुख भागीदार के पिछले वर्षों के एनपीए मानदंडों पर विचार किया जाएगा।

1.9.3 अन्य संगठनों के लिए मानक

सार्वजनिक क्षेत्र बैंक (पीएसबी) द्वारा एनएसएफडीसी के पक्ष में जारी एनएसएफडीसी के लिए सावधि जमा/बैंक गारंटी/उत्तर दिनांकित बहु–शहरीय (मल्टीसिटी पोस्ट डेटेड) चेक।

1.9.4 एनबीएफसी–एमएफआई के लिए मानक

एनएसएफडीसी की ऋण नीति के अनुसार एनबीएफसी–एमएफआई (चैनलाइजिंग एजेंसियों) को एनएसएफडीसी से निधियों के संवितरण हेतु पात्र बनने के लिए कुछ मानक पूरे करने होते हैं। ये

मानक नीचे दिए गए हैं:

- पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत में एक वर्ष से अधिक के लिए एनएसएफडीसी निधियों का उपयोग लंबित नहीं होना चाहिए।
- फरवरी माह के अंत तक, संवितरण के लिए पूर्ववर्ती माह के अंत तक पहले से संवितरित निधियों का कम से कम 80% संचयी उपयोग स्तर होना चाहिए तथा मार्च माह में निधियों के संवितरण के लिए पूर्ववर्ती दिन के अंत में संचयी निधियों का उपयोग स्तर 80% होना चाहिए।
- संवितरण के समय एनएसएफडीसी को अतिदेय राशि देय नहीं होनी चाहिए।
- एनबीएफसी–एमएफआई को संवितरण प्रतिभूति की निम्नांकित शर्तों के अधीन होगाः–
    - क्लस्टर मोड के अंतर्गत, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) से गारंटी संवितरित की जाने वाली धनराशि के समतुल्य या उत्तर दिनांकित चेकों (पीडीसी) के रूप में 50% और पीएसबी से 50% सावधि जमा के रूप में हो। संवितरित की जाने वाली धनराशि के 50% के समतुल्य एक पीडीसी अदिनांकित चेक हो।
    - गैर–क्लस्टर मोड के अंतर्गत, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से संवितरित की जाने वाली धनराशि के समतुल्य गारंटी/सावधि जमा या 50% तक संबंधित संपत्ति मालिक (मालि. कों) की व्यक्तिगत/कॉरपोरेट गारंटी के साथ–साथ आवासीय/वाणिज्यिक संपत्ति के बंधक के रूप में और शेष पीएसबी से गारंटी/सावधि जमा के रूप में होनी चाहिए।

1.9.5 सहकारी बैंकों के लिए मानक

एनएसएफडीसी की ऋण नीति के अनुसार सहकारी बैंकों (चैनलाइजिंग एजेंसियों) को एनएसएफडीसी से निधियों के संवितरण हेतु पात्र बनने के लिए कुछ मानक पूरे करने होते हैं। ये मानक निम्नानुसार हैं :

- संवितरण के समय एनएसएफडीसी को अदायगी योग्य कोई अतिदेय नहीं होना चाहिए।
- परियोजना आधारित योजनाओं के अंतर्गत फरवरी माह के अंत तक, संवितरण के लिए पूर्ववर्ती माह के अंत तक पहले से संवितरित निधियों का कम से कम 80% संचयी उपयोग स्तर होना चाहिए तथा मार्च माह में निधियों के संवितरण के लिए पूर्ववर्ती दिन के अंत में संचयी निधियों का उपयोग स्तर 80% होना चाहिए।

उपर्युक्त के अलावा, सहकारी बैंकों द्वारा अपने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखों के आधार पर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा :

- चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) की पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की निवल गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) 5% से कम होनी चाहिए।

  अथवा

  पिछले 05 वित्तीय वर्षों का औसत निवल गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) 5% से कम होनी चाहिए। इसके अलावा, चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) का निवल एनपीए इन 05 वर्षों में से, कम से कम 03 वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष 5% से कम होना चाहिए।

  चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) का पिछले तीन वर्षों में लगातार लाभ होने का ट्रैक रिकार्ड होना चाहिए।

अथवा

चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) को पिछले 05 वित्तीय वर्षों में से कम से कम किसी भी 03 वित्तीय वर्षों में लाभ में होना चाहिए।

- चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) को किसी भी विनियामक निकाय का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।
- सहकारी बैंक के संबंध में वित्त पोषण संगठन की संतोषजनक साख राय (क्रेडिट ओपिनियन) रिपोर्ट।

1.9.6 सहकारी समितियों के लिए मानक

एनएसएफडीसी की ऋण नीति के अनुसार सहकारी समितियों (चैनलाइजिंग एजेंसियों) को एनएसएफडीसी से निधियों के संवितरण हेतु पात्र बनने के लिए कुछ मानक पूरे करने होते हैं। ये मानक नीचे दिए गए हैं:

- ◈ संवितरण के समय एनएसएफडीसी को अदायगी योग्य कोई अतिदेय नहीं होना चाहिए।
- ◈ परियोजना आधारित योजनाओं के अंतर्गत फरवरी माह के अंत तक, संवितरण के लिए पूर्ववर्ती माह के अंत तक पहले से संवितरित निधियों का कम से कम 80% संचयी उपयोग स्तर होना चाहिए तथा मार्च माह में निधियों के संवितरण के लिए पूर्ववर्ती दिन के अंत में संचयी निधियों का उपयोग स्तर 80% होना चाहिए।
- ◈ उपरोक्त के अलावा, सहकारी समितियों द्वारा अपने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखों के आधार पर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

- सहकारी समिति की शेयर पूंजी में केंद्र/राज्य सरकार को हित धारक होना चाहिए।
- केंद्र/राज्य सरकार को सहकारी समिति के निदेशक मंडल/शासकीय निकाय में सदस्यों का नामित करना चाहिए।
- चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) की पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की निवल गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) 5% से कम होनी चाहिए।

अथवा

पिछले 05 वित्तीय वर्षों का औसत निवल गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) 5% से कम होनी चाहिए। इसके अलावा, चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) की निवल गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) इन 05 वर्षों में से, कम से कम 03 वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष 5% से कम होनी चाहिए।

- चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) का पिछले तीन वर्षों में लगातार लाभ होने का ट्रैक रिकार्ड होना चाहिए।

अथवा

चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) को पिछले 05 वित्तीय वर्षों में से कम से कम किसी भी 03 वित्तीय वर्षों में लाभ में होना चाहिए।

- चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) की क्रिसिल के 'ए' के समकक्ष पर्याप्त सुरक्षा के साख की रेटिंग होनी चाहिए।
- चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) को किसी भी विनियामक निकाय का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।
- चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) को पिछले तीन वर्षों में किसी बाह्य ऋण के पुनर्भुगतान का

चूककर्ता या किसी कॉर्पोरेट ऋण का पुनर्गठन नहीं करना चाहिए।

- सहकारी समिति के संबंध में वित्त पोषण संगठन की संतोषजनक साख राय (क्रेडिट ओपिनियन) रिपोर्ट होनी चाहिए।

1.10 आवेदकों का पात्रता मानदंड

एनएसएफडीसी की योजनाओं के अंतर्गत शामिल होने के लिए आवेदकों के पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं :

(i) आवेदक अनुसूचित जाति समुदाय का होना चाहिए।

(ii) ऋण आधारित योजनाओं के अंतर्गत आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय रु.3.00 लाख तक (दिनांक 08.03.2018 से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए) होनी चाहिए।

वार्षिक पारिवारिक आय मानदंड, कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए लागू नहीं होगा। कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत राशि को भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

1.11 महिला लाभार्थियों के समावेशन के लिए मानदंड

आपका निगम अपनी योजनाओं के अंतर्गत अधिक से अधिक महिला लाभार्थियों को शामिल करने पर बल देता है। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए सरकारी कार्यक्रमों/योजनाओं के अभिमुखीकरण और समन्वय पर टास्क फोर्स की अनुशंसा के परिणामस्वरूप, आपके निगम में वित्तीय और प्रत्यक्ष दोनों रूप से 40% महिला लाभार्थियों को शामिल करने के लिए मानदंड तैयार किए हैं।

1.12 निगम की योजनाएं

आपके निगम की लाभार्थियों को वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न ऋण आधारित और गैर–ऋण आधारित योजनाएं हैं। लाभार्थियों को कृषि और समवर्गी क्षेत्र, लघु उद्योगों और परिवहन क्षेत्रों सहित सेवाओं के अंतर्गत विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। आपका निगम उच्च शिक्षा लेने और व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण लेने के लिए भी ऋण प्रदान करता है।

आपके निगम द्वारा राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों और चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से लक्ष्य समूह के लिए वित्तपोषित योजनाओं के विवरण निम्नानुसार है :

1.12.1 ऋण आधारित योजनाएं

आपके निगम ने पिछले कुछ वर्षों में अपने लक्षित समूह के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए विभिन्न योजनाएं तैयार की हैं जिनमें महिला समृद्धि योजना, लघु ऋण वित्त (माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस), सुविधा ऋण, उत्कर्ष ऋण, शिक्षा ऋण योजना, आजीविका माइक्रोफाइनेंस योजना और उद्यम निधि योजना शामिल हैं। इन योजनाओं के तहत, 2% से 5% प्रति वर्ष तक की रियायती ब्याज दरों पर ऋण प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा, एससीए/सीए को विभिन्न योजनाओं के तहत उपरोक्त ब्याज दरों में 4% (आजीविका माइक्रोफाइनेंस योजना के मामले में 10% और उद्यम निधि योजना के मामले में 8% को छोड़कर) जोड़ने और लाभार्थियों से ब्याज प्रभारित करने की अनुमति है।

श्रीमती एम.के.लझर, चित्तौड, आंध्र प्रदेश ने सप्तगिरी ग्रामीण बैंक के माध्यम से एनएसएफडीसी की लघु व्यवसाय योजना के अंतर्गत टेलरिंग और कपड़े की दुकान के लिए ऋण लिया है

1.12.1(क) यूनिट लागत, एनएसएफडीसी का अंश और ब्याज दरें

क्र.सं.	योजना	परियोजना की लागत	अधिकतम ऋण सीमा परियोजना लागत का 90% तक	प्रति वर्ष ब्याज दर	
				सीए	लाभार्थी
एससीए/पीएसबी/आरआरबी के माध्यम से क्रियान्वित की जाने वाली योजनाएं					
(i)	महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई)	रु.1.40 लाख तक	रु.1.25 लाख	2%	6%
(ii)	माइक्रो–क्रेडिट फाइनेंस (एमसीएफ)	रु.1.40 लाख तक	रु.1.25 लाख	2.5%	6.5%
(iii)	सुविधा ऋण	रु.10.00 लाख तक	रु.09.00 लाख	4%	8%
(iv)	उत्कर्ष ऋण	रु.10.00 लाख से अधिक और रु.50.00 लाखे तक	रु.45.00 लाख	5%	9%
शिक्षा ऋण					
(v)	शिक्षा ऋण योजना (ईएलएस)	भारत में अध्ययन के लिए, रु.30.00 लाख तक या पाठ्यक्रम शुल्क का 90%, जो भी कम हो		2% (पुरुष) 1.5% (महिला)	6% (पुरुष) 5.5% (महिला)
		विदेश में अध्ययन के लिए रु.40.00 लाख तक या पाठ्यक्रम शुल्क का 90%, जो भी कम हो		3% (पुरुष) 2.5% (महिला)	7% (पुरुष) 6.5% (महिला)
एनबीएफसी–एमएफआई के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली योजना					
(vi)	आजीविका माइक्रोफा. इनेंस योजना (एएमवाई)	रु.1.40 लाख तक	रु.1.25 लाख	5%	15%
सहकारी समितियों/सहकारी बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली योजना					
(vii)	उद्यम निधि योजना (यूएनवाई)	रु.5.00 लाख तक	रु.4.50 लाख	5%	13%

नोटः एनएसएफडीसी बोर्ड ने दिनांक 25.08.2023 को आयोजित अपनी 165वीं बोर्ड बैठक में एससीए/सीए के लिए एनएसएफडीसी की ऋण नीति में संशोधन, अर्थात योजनाओं का युक्तिकरण, ब्याज दरों में बदलाव, उपयोग अवधि और स्थगन अवधि में कमी को मंजूरी दे दी है।

1.12.1(ख) वित्त के साधन

आपके निगम की ऋण नीति के अनुसार, निगम (एनएसएफडीसी) इकाई लागत का 90% तक ऋण प्रदान करता है। चैनलाइजिंग एजेंसियाँ और/या प्रमोटर परियोजना की लागत की शेष राशि प्रदान करते हैं।

श्रीमती राधा जॉय, एर्नाकुलम, केरल ने ड्राइविंग स्कूल के लिए दिनांक 12.04.2024 को केरल राज्य महिला विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से एनएसएफडीसी की लघु व्यवसाय योजना के अंतर्गत ऋण लिया।

1.12.1(ग) प्रवर्तक का अंशदान

परियोजना में प्रवर्तक (प्रमोटर) की हिस्सेदारी और योगदान के लिए प्रति इकाई रु. 1.00 लाख से अधिक लागत की मियादी ऋण परियोजनाओं के अंतर्गत प्रवर्तक (प्रमोटर) को अंशदान नीचे दिए विवरण के अनुसार बल दिया जाता है :

क्र. सं.	परियोजना/प्रति इकाई लागत	परियोजना लागत के प्रतिशत के रूप में प्रवर्तक का कम से कम अंशदान
(i)	रु.1.00 लाख तक की परियोजना लागत के लिए	बल नहीं दिया जाता
(ii)	रु.1.00 लाख से अधिक तथा रु.5.00 लाख तक की परियोजना लागत के लिए	2%
(iii)	रु.5.00 लाख से अधिक तथा रु.10.00 लाख तक की परियोजना लागत के लिए	3%
(iv)	रु.10.00 लाख से अधिक तथा रु.50.00 लाख तक की परियोजना लागत के लिए	5%

1.12.1(घ) लाभार्थियों को आर्थिक सहायता (सब्सिडी)

शिक्षा ऋण योजना को छोड़कर, सभी योजनाओं में राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को जारी की गई अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) के लिए विशेष केंद्रीय सहायता से रु.50,000/– की दर से अथवा इकाई लागत का 50%, जो भी कम हो, की आर्थिक सहायता (सब्सिडी) गरीबी रेखा से नीचे आय वाले (बीपीएल) लाभार्थियों के लिए उपलब्ध कराई जाती है। शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकित लाभार्थी (12वीं कक्षा के बाद) मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज सब्सिडी के भी पात्र हैं, जोकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए

केंद्रीय ब्याज सब्सिडी की योजना के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

1.12.1(ङ) विलंबन काल (मोरेटोरियम)

लाभार्थियों को ऋण संवितरण के बाद मूलधन की अदायगी के लिए विलंबन काल (अदायगी अवधि छूट) दिया जाता है ताकि लाभार्थी अपने व्यवसाय क्रियाकलापों में मजबूती से खड़े हो सकें। तथापि, ब्याज राशि के भुगतान के लिए विलंबन काल नहीं दिया जाता है। योजना–वार विलंबन अवधि नीचे दी जा रही है :

योजना	विलंबन काल (मोरेटोरियम)
➢ महिला समृद्धि योजना	3 महीने
➢ माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस	3 महीने
➢ सुविधा ऋण	वृक्षारोपण और निर्माण गतिविधियों को छोड़कर 6 महीने, जिसके लिए 12 महीने का समय होगा
➢ उत्कर्ष ऋण	वृक्षारोपण और निर्माण गतिविधियों को छोड़कर 6 महीने, जिसके लिए 12 महीने का समय होगा
➢ शिक्षा ऋण योजना (ईएलएस)	पाठ्यक्रम पूरा होने या रोजगार मिलने के 6 महीने बाद, जो भी पहले हो
➢ आजीविका माइक्रोफाइनेंस योजना (एएमवाई)	3 महीने
➢ उद्यम निधि योजना (यूएनवाई)	3 महीने

1.12.1(च) ऋण अदायगी अवधि

ऋण अदायगी अवधि मोटे तौर पर नकदी प्रवाह अर्जन के मूल्यांकन, परियोजना परिसंपत्ति का जीवन–काल एवं परियोजना की गेस्टेशन (परिपक्वता) अवधि के आधार पर निश्चित की जाती है। विभिन्न योजनाओं और क्रियाकलापों के अंतर्गत ऋण अदायगी अवधियां नीचे दी जा रही हैं :

योजनाएं	ऋण अदायगी अवधि
महिला समृद्धि योजना	3 वर्ष के भीतर
माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस	3 वर्ष के भीतर
सुविधा ऋण	5 वर्ष के भीतर
उत्कर्ष ऋण	7 वर्ष के भीतर
शिक्षा ऋण योजना (ईएलएस)	रु.10.00 लाख तक के ऋण के लिए 10 वर्ष के भीतर रु.10.00 लाख से अधिक के ऋण के लिए 12 वर्ष के भीतर
आजीविका माइक्रोफाइनेंस योजना (एएमवाई)	3 साल के भीतर
उद्यम निधि योजना (यूएनवाई)	5 साल के भीतर

1.12.1(छ) दूसरी बार ऋण सुविधा

लाभार्थी, यदि उन्होंने एनएसएफडीसी की किसी भी योजना के अंतर्गत पहली बार ऋण लिया है, तो निर्धारित अवधि में पूरी ऋण राशि की अदायगी करने के पश्चात, आपके निगम की किसी भी योजना के अंतर्गत निम्नलिखित दो शर्तों के अधीन ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र हैं:

(क) पहले लिए गए ऋण की समय पर पूरी अदायगी हो और (ख) वास्तव में सृजित परिसंपत्ति तथा व्यापार के सफलतापूर्वक चलने की फील्ड रिपोर्ट प्रस्तुत की हो।

1.12.1(ज) वित्तपोषित परियोजनाओं की क्षेत्र–वार निदर्शी सूची

विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत वित्तपोषित परियोजनाओं को चार मुख्य क्षेत्रों नामतः कृषि और समवर्गी, उद्योग, सेवा एवं परिवहन तथा शिक्षा ऋण योजना में वर्गीकृत किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत परियोजनाओं की निदर्शी सूची नीचे दी जा रही है :

कृषि एवं समवर्गी क्षेत्र	
➢ कृषि भूमि खरीद	➢ ट्रैक्टर ट्रॉली
➢ पॉली हाऊस	➢ ट्रॉली के साथ पॉवर टिल्लर
उद्योग क्षेत्र	
➢ आटा चक्की और मिर्च पिसाई चक्की	➢ फ्लाई ऐश ईंट निर्माण
सर्विस एवं परिवहन क्षेत्र	
➢ लघु उद्यम	➢ टेंट हाऊस
➢ किराना और शीतल पेय	➢ सेंटरिंग मैटीरियल
➢ मिनी होटल	➢ दवाई की दुकान
➢ मिनी सुपर बाजार	➢ चमड़े की चप्पल उत्पादन इकाई
➢ कंक्रीट मिश्रण	➢ लेजर और स्क्रीन के साथ डीटीपी
➢ इंटरनेट के साथ जीरॉक्स मशीन	➢ वकील कार्यालय
➢ मशरूम प्रसंस्करण	➢ फास्ट फूड
➢ हरित व्यवसाय (ई–रिक्शा)	➢ गेस्ट हाऊस सह–लॉज
➢ पिकअप वैन	➢ ऑटो टैक्सी
➢ सामान वाहक ऑटो ट्रॉली	➢ जीप टैक्सी
➢ टैक्सी कार	➢ लघु व्यवसाय
➢ लघु व्यवसाय (कृषि एवं समवर्गी)	➢ सामान वाहक ऑटो
	➢ सवारी ऑटो

शिक्षा ऋण योजना	
➢ इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिकल, मेकेनिकल इंजीयिरिंग, प्लास्टिक प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा, बी.ई., बी.टेक, एम टेक इत्यादि)	➢ नर्सिंग (बी.एससी.)
➢ परिवहन डिजाइन में पी.जी. डिप्लोमा	➢ सूचना प्रौद्योगिकी (बीसीए/एमसीए)
➢ वास्तुकला (बी.आर्क)	➢ प्रबंधन (बीबीए/एमबीए)
➢ चिकित्सा (बीएएमएस/ बीएचएमएस/एमबीबीएस/एमडी)	➢ विधि (एलएलबी/एलएलएम)
➢ फार्मेसी (बी.फार्मा/एम.फार्मा)	➢ डेंटल (बीडीएस)
➢ हॉस्पिटलिटी और होटल प्रबंधन (बी.एससी.)	➢ शिक्षा (पीटीसी/बी.एड.)
➢ स्नातकोत्तर समुद्री जीव विज्ञान और जलीय कृषि	➢ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन
➢ इंफ्रास्ट्रक्चर की सस्टेनेबल इंजीनियरिंग में मास्टर्स	➢ स्नातक प्रमाणपत्र परियोजना प्रबंधन कार्यक्रम
➢ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में परास्नातक	

1.12.2 गैर–ऋण आधारित योजनाएं

एनएसएफडीसी दिनांक 11.12.2023 को हरियाणा में प्रायोजित 'सीएनसी टर्निंग प्रशिक्षण में प्रमाण–पत्र' पाठ्यक्रम।

1.12.2(क) कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

- आपका निगम परिधान, इलेक्ट्रानिक्स, फर्नीचर व फिटिंग्स, चर्मोद्योग, रबड़ और पेट्रो–रसायनों, वस्त्र, टेलीकॉम, पूंजीगत वस्तु, लॉजिस्टिक्स, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और कारपेट, यंत्रीकरण तथा स्वचालन, घरेलू सहायक, ब्यूटी एवं वैलनेस, जीव विज्ञान, ऊर्जा, खेल–कूद और शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, निर्माण, पर्यटन और आतिथ्य सेवा, मीडिया और मनोरंजन, अवसंरचना इत्यादि नियोजन योग्य क्षेत्रों में लक्ष्य समूह के व्यक्तियों हेतु कौशल विकास कार्यक्रम प्रायोजित करता है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में तकनीकी कौशल के अलावा सॉफ्ट कौशल का भी प्रशिक्षण दिया जाता है।

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2020–21 से अपने लक्षित समूह के लिए अन्य बातों के साथ–साथ, 18–45 वर्ष की आयु के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को बिना किसी आय मानदंड के कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री–दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही (पीएम–दक्ष) योजना, केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की है। एनएसएफडीसी पीएम–दक्ष योजना के तहत कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक है और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसडीटीपी) प्रायोजित करता है। एसडीटीपी को साल–दर–साल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चुने गए प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से लागू किया जा रहा है। पीएम–दक्ष योजना के अंतर्गत चार प्रकार के एसडीटीपी हैं : अर्थात् (i) अप–स्किलिंग/री–स्किलिंग जिसकी अवधि सामान्यतः 35–60 घंटे/5 से 35 दिन होती है, (ii) उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) जिसकी अवधि सामान्यतः 90 घंटे/15 दिन होती है, (iii) अल्पकालिक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसटीटी) जिसकी अवधि सामान्यतः 300 घंटे और अधिकतम 3 महीने होती है, और (iv) दीर्घकालिक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (एलटीटी) जिसकी अवधि सामान्यतः 650 घंटे या 7 महीने होती है।

एनएसएफडीसी द्वारा दिनांक 22.12.2023 को प्रायोजित 'स्व–नियोजित टेलर' प्रशिक्षण कार्यक्रम।

- पीएम–दक्ष योजना के तहत, प्रशिक्षुओं को (i) एसटीटी और एलटीटी कार्यक्रमों के मामले में गैर–आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए आने–जाने के खर्च हेतु रु.1,500/– प्रति माह, (ii) अप–स्किलिंग/री–स्किलिंग के मामले में प्रशिक्षण अवधि के लिए वेतन हानि के लिए रु.2,500/– और (iii) ईडीपी के मामले में जलपान और आने–जाने के खर्च के लिए रु.100/– प्रतिदिन की दर से निःशुल्क प्रशिक्षण और वजीफा प्रदान किया जाता है। आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई), भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए सामान्य लागत मानदंडों (सीसीएन) के अनुसार भोजन और आवास शुल्क प्रदान किए जाते हैं।

- प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पूरा होने और प्रशिक्षुओं के मूल्यांकन और प्रमाणन के बाद, प्रशिक्षुओं को राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनल भागीदारों के माध्यम से आपके निगम से वित्तीय सहायता के साथ अपने स्वयं के उद्यम शुरू करने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों और/या उद्यमशीलता मार्गदर्शन के माध्यम से प्लेसमेंट सहायता भी प्रदान की जाती है।

- वित्तीय वर्ष 2021–22 से पीएम–दक्ष योजना के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधी एक पीएम–दक्ष पोर्टल (www.pmdaksh.dosje.gov.in) के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

1.12.2(ख) लाभार्थियों को विपणन सहायता

आपका निगम लाभार्थियों को बिक्री योग्य उत्पाद बनाने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के चयनित प्रदर्शनियों और मेलों में अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए अवसर प्रदान करता है।

1.12.2(ग) मेले और प्रदर्शनी में लाभार्थियों को निःशुल्क स्टाल

(i) आपका निगम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों एवं मेलों में भाग लेता है एवं लाभार्थियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन व बिक्री हेतु निःशुल्क स्टाल उपलब्ध कराता है।

(ii) इन प्रदर्शनियों में सहभागिता से लाभार्थियों को न केवल अपने उत्पाद को बेचने बल्कि ग्राहकों, डीलरों और निर्यातकों से बातचीत करने एवं नए उत्पादों के विकास के लिए जरूरतों/आवश्यकताओं को जानने का भी अवसर मिलता है।

1.12.2(घ) लाभार्थियों को विपणन प्रशिक्षण

ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार, कारीगरों के उत्पादों के विपणन और विकास/पुनः डिजाइनिंग संबंधित विभिन्न प्रकार के आदानों को उपलब्ध कराने के लिए लाभार्थियों को विपणन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में काउंटर पर अच्छी विक्रय कला के कार्य–निवेश के साथ ग्राहकों की जरूरतों के अनुकूल उत्पादों में रूपांतर कैसे किया जाए, इस पर जोर दिया जाता है।

1.12.2(ङ) जागरूकता शिविर

आपके निगम की योजनाओं के बारे में लक्ष्य समूह के बीच जन–जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न राज्यों में जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते हैं। इन शिविरों के दौरान योजनाओं के संबंध में प्रस्तुतीकरण किया जाता है और आगंतुकों को निगम की योजनाओं की जानकारी संबंधी ब्रोशर और पैम्फलेट बांटे जाते हैं। सफल लाभार्थियों को निगम की योजनाओं और व्यापार संबंधी अन्य क्रियाकलापों के अंतर्गत ऋण लेने के अपने अनुभवों के बारे में जनसमूह को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

2. प्रबंधन चर्चाएं और विश्लेषण रिपोर्ट

2.1 वर्ष के दौरान उपलब्धियां

2.1.1 प्रस्तावों की स्वीकृति

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों को रु.850.12 करोड़ के प्रस्ताव स्वीकृत किए।

2.1.2 निधियों का संवितरण

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने, 85,372 लाभार्थियों को लाभांवित करने हेतु योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों को 100% के लक्ष्य (समझौता–ज्ञापन के अंतर्गत 'उत्कृष्ट' लक्ष्य) की तुलना में रु.714.45 करोड़ अर्थात् 100% उपलब्ध कुल निधियों को संवितरित किया।

2.1.2(क) योजना–वार संवितरण और शामिल लाभार्थियों के ब्योरे

वर्ष 2023–24 और उससे पूर्व वर्ष के लिए योजना–वार संवितरण और शामिल लाभार्थियों के ब्योरे नीचे दिए जा रहे हैं :

क्र.सं.	योजना	राशि (रुपए करोड़ में)		लाभार्थी (संख्या)	
		2022–23	2023–24	2022–23	2023–24
क.	**मियादी ऋण योजनाएं**				
(i)	मियादी ऋण	85.67	7.60	2760	34
(ii)	हरित व्यवसाय योजना	9.02	0.00	220	0
(iii)	उद्यम निधि योजना	50.00	70.00	5556	11482
(iv)	महिला अधिकारिता योजना	5.05	18.75	187	685
(v)	लघु व्यवसाय योजना	370.89	261.23	24270	14720
(vi)	शिक्षा ऋण योजना	5.83	9.42	139	128
(vii)	उत्कर्ष ऋण	0.00	0.73	0.00	5
(viii)	सुविधा ऋण	0.00	260.98	0.00	24533
	उप–योग (क)	526.46	628.71	33132	51587
ख.	**लघु ऋण योजना**				
(i)	लघु ऋण वित्त योजना	34.54	14.72	8186	2227
(ii)	महिला समृद्धि योजना	50.47	36.84	34630	23185
(iii)	आजीविका माइक्रोफाइनेंस योजना	24.48	34.18	8040	8373
	उप–योग (ख)	**109.49**	**85.74**	**50856**	**33785**
	सकल योग ख(क). **(ख)**,	**635.95**	**714.45**	**83988**	**85372**

* उपर्युक्त के अलावा, शिक्षा ऋण योजना (ईएलएस) को छोड़कर अन्य योजनाओं के तहत आपके निगम ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की दिनांक 8 नवंबर, 2019 की अधिसूचना संख्या आरबी. आई/2019–20/95 के अनुसार रु.1.25 लाख प्रति यूनिट तक की संवितरित निधि को सूक्ष्म वित्त ऋण के रूप में माना है। तद्नुसार, 68,810 लाभार्थियों के लिए रु.384.76 करोड़ की संवितरित निधियों को भी सूक्ष्म वित्त ऋण के रूप में माना गया है।

2.1.2(ख) संवितरण और शामिल लाभार्थियों के क्षेत्र–वार ब्योरे:

क्र.सं.	योजना	राशि (रुपए करोड़ में)		लाभार्थी (संख्या)	
		2022–23	2023–24	2022–23	2023–24
(i)	मियादी ऋण				
(क)	प्राथमिक क्षेत्र (भूमि, खरीद, सिंचाई और अन्य संबद्ध क्रियाकलाप)	9.58	0.12	289	01
(ख)	द्वितीय क्षेत्र (उद्योग)	0.00	0.00	0	0.00
(ग)	तृतीयक क्षेत्र (सर्विस व परिवहन)	76.09	7.48	2471	33
	जोड़ (क) + (ख) + (ग)	85.67	7.60	2760	34

क्र.सं.	योजना	राशि (रुपए करोड़ में)		लाभार्थी (संख्या)	
		2022–23	2023–24	2022–23	2023–24
(ii)	हरित व्यवसाय योजना	9.02	0.00	220	0.00
(iii)	उद्यम निधि योजना	50.00	70.00	5556	11482
(iv)	लघु व्यवसाय योजना	370.89	261.23	24270	14720
(v)	लघु ऋण वित्त योजना	34.54	14.72	8186	2227
(vi)	महिला समृद्धि योजना	50.47	36.84	34630	23185
(vii)	आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना	24.48	34.18	8040	8373
(viii)	शिक्षा ऋण योजना	5.83	9.42	139	128
(ix)	महिला अधिकारिता योजना	5.05	18.75	187	685
(x)	उत्कर्ष ऋण	0.00	0.73	0	5
(xi)	सुविधा ऋण	0.00	260.98	0	24533
	सकल जोड़ (i से ix)	**635.95**	**714.45**	**83988**	**85372**

2.1.2(ग) समझौता–ज्ञापन लक्ष्य की तुलना में उपलब्धियां (2023–24) (अनंतिम)

वित्त वर्ष 2023–24 के लिए समझौता ज्ञापन के समेकित लक्ष्य और उपलब्धियां अनुलग्नक–III में दी गई हैं। उपलब्धियों के अनुसार और लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कुल समग्र स्कोर 72.29 (अनतिम) है जो 'बहुत अच्छा' श्रेणी के अनुरूप है।

(i) प्रचालनों से राजस्व (करों का निवल)

वर्ष के दौरान, आपके निगम का प्रचालन से राजस्व (निवल) रु. 68.65 करोड़ रुपए है।

(ii) नए लाभार्थियों की कुल संख्या

वर्ष के दौरान, ऋण आधारित योजनाओं के अंतर्गत शामिल नए लाभार्थियों की कुल संख्या 85372 है।

(iii) पीएम–दक्ष (मंत्रालय योजना) के तहत प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या

वर्ष के दौरान, पीएम–दक्ष योजना के तहत प्रशिक्षित व्यक्तियों की कुल संख्या 30,660 (आरंभिक) है

(iv) राजस्व के प्रतिशत के रूप में ईबीटीडीए

वर्ष के दौरान, आपके निगम के राजस्व (निवल) के प्रतिशत के रूप में ईबीटीडीए 61.67% है।

(v) निवल परिसपंत्ति (नेट वर्थ) पर रिटर्न

वर्ष के दौरान, निवल परिसंपत्ति पर रिटर्न 2.08% है।

(vi) परिसंपत्ति कारोबार अनुपात

वर्ष के दौरान, परिसंपत्ति कारोबार अनुपात 3.23% है।

(vii) कुल उपलब्ध निधियों के लिए संवितरित ऋण

वर्ष के दौरान, आपके निगम की कुल उपलब्ध निधियों के लिए वितरित ऋण 97.56% है।

(viii) सूक्ष्म वित्त लाभार्थियों को संवितरित ऋण

वर्ष के दौरान, कुल संवितरण में सूक्ष्म वित्त लाभार्थियों को संवितरित ऋण का प्रतिशत 53. 85% है।

(xi) कुल ऋणों के लिए अतिदेय ऋण (निवल)

वर्ष के दौरान, कुल ऋण (निवल) में अतिदेय ऋण 17.84% है।

(x) कुल ऋण (निवल) का एनपीए

वर्ष के दौरान, कुल ऋण (निवल) में एनपीए 0.73% है।

(xi) भौगोलिक कवरेज (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या)

वर्ष के दौरान, भौगोलिक कवरेज (राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की संख्या) 90.62% है।

(xii) अंतिम लाभार्थियों को लास्ट माइल तक संवितरण

वर्ष के दौरान, दिनांक 31.03.2024 तक अंतिम लाभार्थी को लास्ट माइल संवितरण कुल संवितरण का 77.30% है।

(xiii) टीआरईडीएस पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की स्वीकृति/अस्वीकृति।

वर्ष के दौरान, टीआरईडीएस पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की स्वीकृति/अस्वीकृति 'शून्य' रही।

(ix) अनुमोदित खरीद योजना के अनुसार जैम (गवर्मेंट ई–मार्केट) के माध्यम से खरीद।

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने अनुमोदित खरी योजना के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद में से जेम पोर्टल के माध्यम से 92.30% से अधिक वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की गई है।

2.1.2 (घ) योजनावार/क्षेत्रवार संवितरण

वर्ष 2023–24 के दौरान निष्पादन निम्नलिखित ग्राफ में दर्शाया गया है :

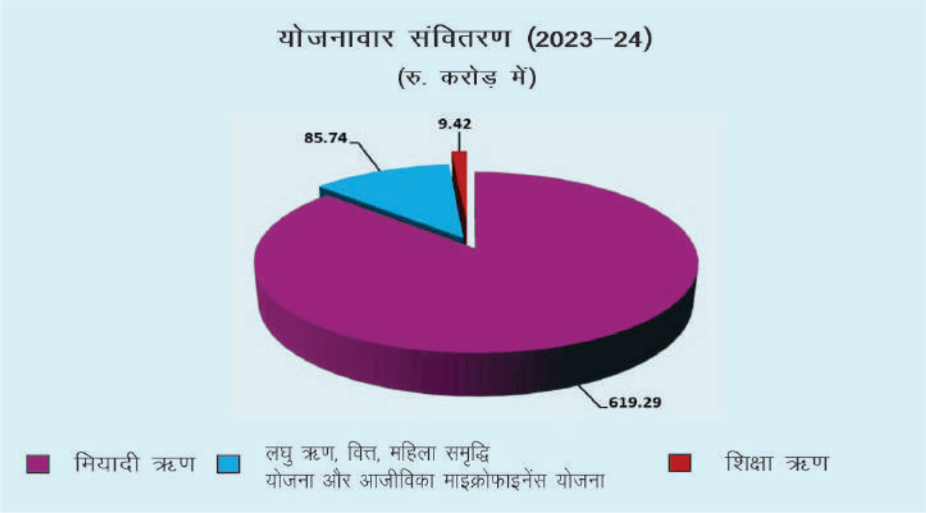

(i) मियादी ऋण योजना में लघु व्यवसाय योजना (एलवीवाई), उत्कर्ष ऋण, सुविधा ऋण, उद्यम निधि योजना (यूएनवाई), महिला अधिकारिता योजना (एमएवाई) शामिल हैं।

(ii) माइक्रो क्रेडिट में माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस (एमसीएफ), महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई) और आजीविका माइक्रोफाइनेंस योजना (एएमवाई) शामिल हैं।

(iii) शिक्षा ऋण योजना (ईएलएस)।

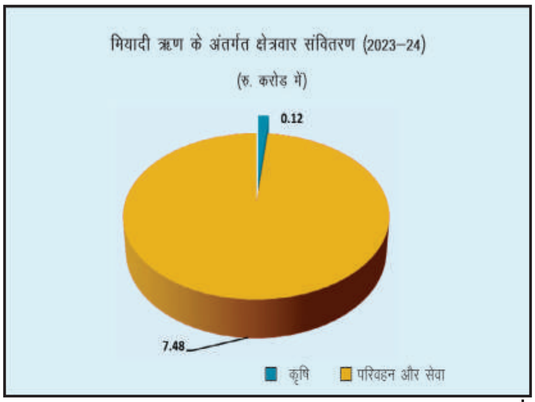

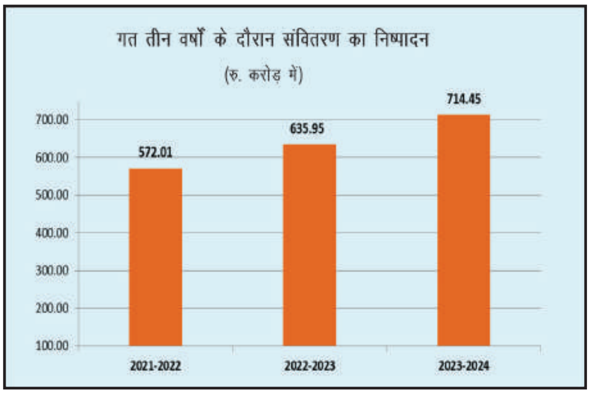

2.1.3 महिला लाभार्थियों का कवरेज

- वर्ष के दौरान, आपके निगम ने अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 56,835 महिला लाभार्थियों को रियायती वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी है, जो कि महिला लाभार्थियों को लाभांवित करने के 40% मानदंड की प्रत्यक्ष शर्तों की तुलना में कुल कवरेज का 66.57% है।

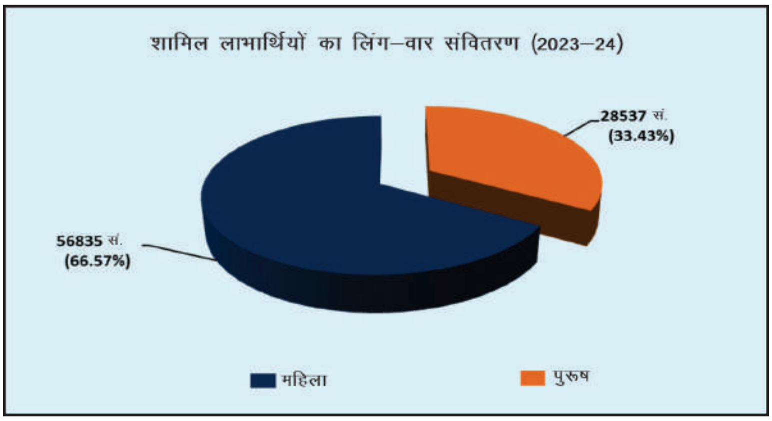

- इसी प्रकार, वर्ष के दौरान, आपके निगम ने महिला लाभार्थियों के लिए रु. 358.91 करोड़ संवितरित किए हैं, जो 40% के वित्तीय मानदंड की तुलना में वर्ष के कुल संवितरण का 50.23% है।

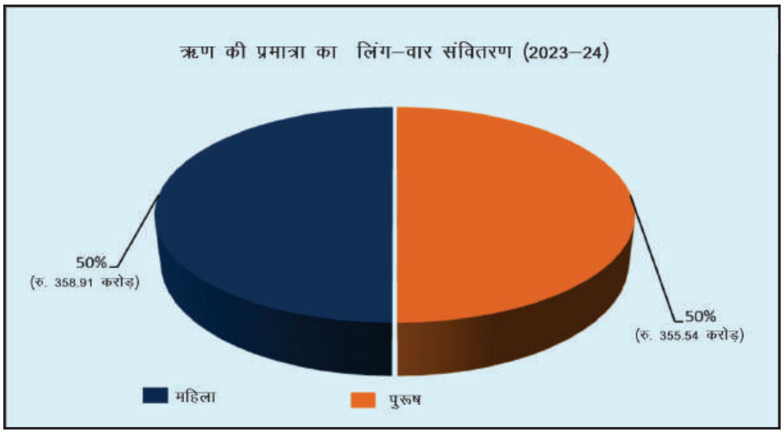

- गत तीन वर्षों के दौरान महिला लाभार्थियों को संवितरण।

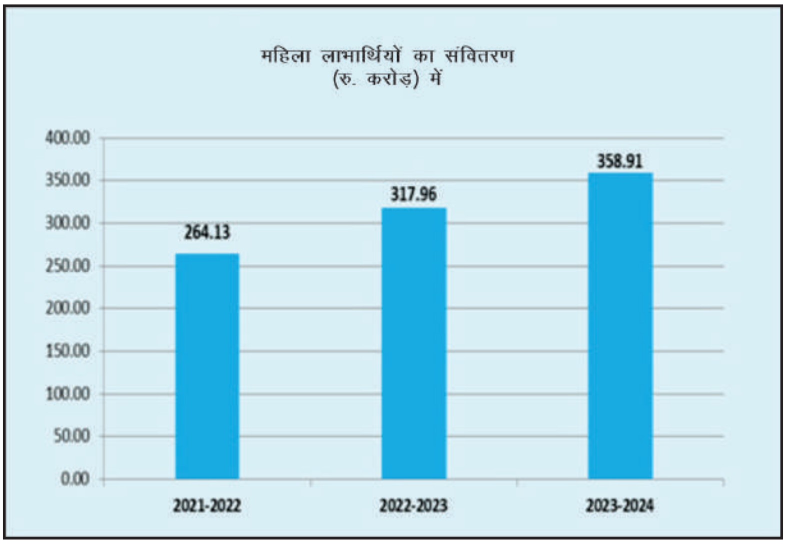

2.1.4 ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में लाभार्थियों का कवरेज:

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने ग्रामीण क्षेत्रों से 57.43% और शहरी क्षेत्रों से 42.57% लाभार्थियों को कवर किया है।

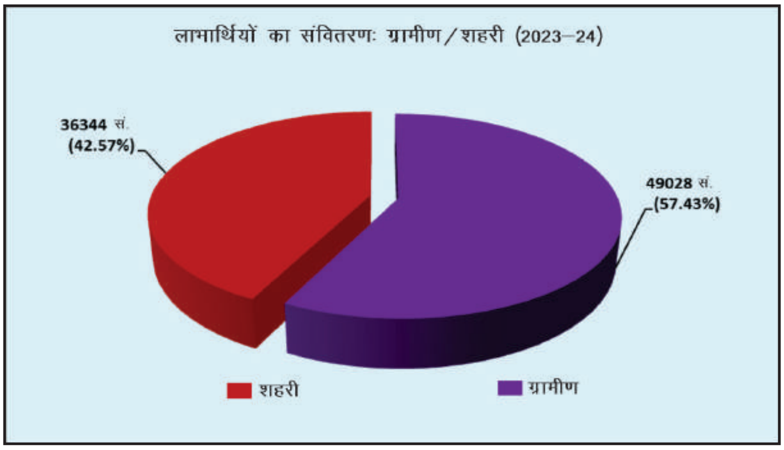

2.1.5 निधियों का उपयोग

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए संवितरित की गई निधियों के उपयोग में सुधार लाने के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों के साथ गहन अभियान चलाया है। इसके परिणामस्वरूप दिनांक 31.03.2024 को संचयी उपयोग स्तर 92.93% प्राप्त किया गया।

2.1.6 लाभार्थियों का कवरेज–संशोधित वार्षिक पारिवारिक आय सीमा के अनुसार

वर्ष के दौरान, चैनलाइजिंग एजेंसियों से प्राप्त उपयोगिता रिपोर्ट के अनुसार, आपकी निगम की योजनाओं के अंतर्गत कवर किए गए 59.20% लाभार्थी रु. 1.50 लाख तक की वार्षिक पारिवारिक आय की श्रेणी में और 40.80% लाभार्थी रु. 1.50 लाख से अधिक और रु. 3.00 लाख तक की वार्षिक पारिवारिक आय श्रेणी आते हैं।

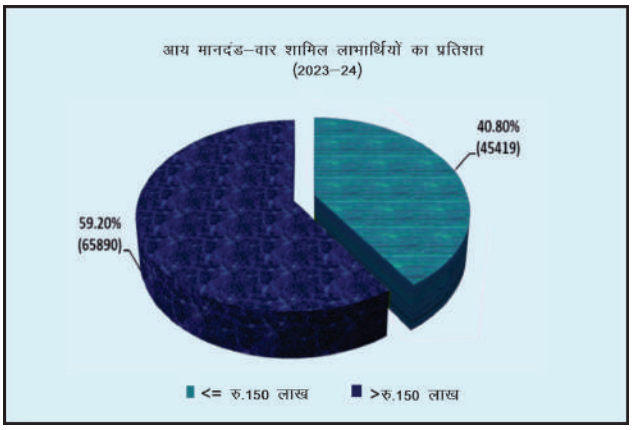

2.1.7 संचयी संवितरण की तुलना में इक्विटी सहायता

- वर्ष के दौरान, आपके निगम रु. 714.45 करोड़ संवितरित किए गए।
- दिनांक 31.03.2024 को संचयी इक्विटी सहायता रु.1515.00 करोड़ रही है, जिसकी तुलना में आपके निगम ने रु. 8302.03 करोड़ का संचयी संवितरण किया, जिसमें 16.11 लाख लाभार्थी कवर किए गए, जिनमें से महिला लाभार्थी 9.71 लाख (60.27%) थीं।
- अब तक का संवितरण भारत सरकार से प्राप्त इक्विटी सहायता का 5.48 गुना है।

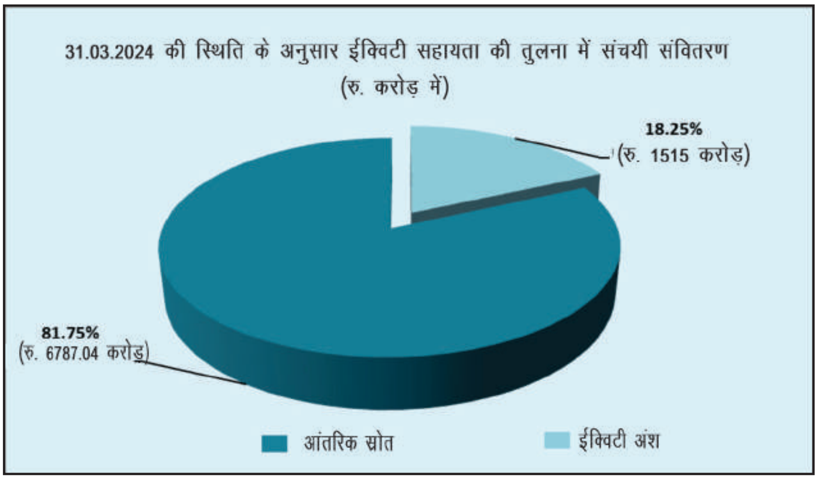

2.1.8 राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी/चैनलाइजिंग एजेंसी से ऋण की वसूली

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/ चैनलाइजिंग एजेंसियों से रु. 596.18 करोड़ की वसूली प्राप्त की।

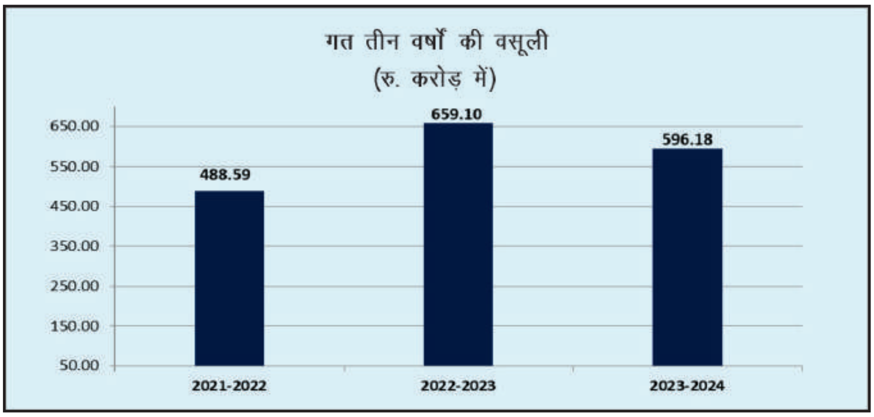

2.1.9 एससीए/सीए की कार्यप्रणाली

आपका निगम चैनल वित्त प्रणाली को अपनाता है जिसमें एससीए/सीए के माध्यम से लाभार्थियों को निधियां दी जाती हैं। वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, सामान्य चैनल में 38 एससीए और वैकल्पिक चैनल में 59 सीए थे। वित्तीय वर्ष के दौरान, आपके निगम ने नई चैनलाइजिंग एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और इस प्रकार एनएसएफडीसी के साथ वैकल्पिक चैनल में 38 एससीए और 63 अन्य चैनलाइजिंग एजेंसियां हैं। वर्ष के दौरान, 2011 की जनगणना के अनुसार जहां अनुसूचित जाति की आबादी है उन 28 राज्यों और 8 संघ राज्य क्षेत्रों में से, 25 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों ने निधि का लाभ उठाया है।

2.1.10 भागीदारी

2.1.10(क) निगम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकारी विभागों/स्थापित संस्थानों के साथ भागीदारी

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित संस्थानों के साथ साझेदारी स्थापित की:

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ दिनांक 12.04.2023 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।

क्रम सं.	संस्थान	उद्देश्य
(i)	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	विभिन्न राज्यों में एनएसएफडीसी ऋण योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए।
(ii)	उत्तर बंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित),	
(iii)	स्त्रीनिधि, आंध्र प्रदेश	
(iv)	सिडबी	
(v)	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमि. टेड (एनएसआईसी)	एनएसएफडीसी योजना के संभावित अनुसूचित जाति लाभार्थियों के लिए नेतृत्व सृजन, मार्गदर्शन, सहायता और बाजार संपर्क का निर्माण
(vi)	सीएससी ई–गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड	

दिनांक 14–29 नवंबर, 2023 आईआईटीएफ, दिल्ली में माननीय मंत्री श्री वीरेंद्र कुमार के साथ अप्रनि, एनएसएफडीसी

2.1.10(ख) एनएसएफडीसी ने 24 से 28 जनवरी, 2024 को गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के लिए हमारे प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के विशेष अतिथियों (250) के लिए लॉजिस्टिक की व्यवस्था भी की थी।

2.1.10(ग) प्रदर्शनियों / मेलों में भागीदारी (2023–24)

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने लाभार्थियों के उत्पादों के लिए विपणन मंच प्रदान करने के लिए निम्नलिखित प्रदर्शनियों/मेलों में भाग लिया। कार्यक्रमों में प्रदर्शित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और शिल्प वस्तुओं का विवरण नीचे दिया गया है:–

क्र.सं.	प्रदर्शनियां	तारीख	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व	प्रदर्शित की गईं एवं विक्रय की गईं शिल्प वस्तुएं
(i)	शिल्प समागम मेला, ग्वालियर	22 से 30 सितंबर, 2023	दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, पुद्दुचेरी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड	हथकरघा कपड़ा कार्य, साड़ी और सूट, लकड़ी के खिलौने, रेडीमेड वस्त्र, लकड़ी के जड़ाऊ शिल्प/पेंटिंग, रेशम सामग्री, अचार, ड्रेस सामग्री, कढ़ाई, चादरें, ब्लॉक प्रिंटिंग, ऊन, पीतल की वस्तुएं, चमड़े के उत्पाद, कृत्रिम आभूषण आदि
(ii)	शिल्प समागम मेला, लखनऊ	07 से 15 अक्टूबर, 2023	हरियाणा, गुजरात, रा. जस्थान, पुद्दुचेरी, दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल	हथकरघा कपड़ा कार्य, रेडीमेड वस्त्र, साड़ी और सूट, लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के जड़ाऊ शिल्प/पेंटिंग, रेशम सामग्री, अचार, ड्रेस सामग्री, कढ़ाई, चादरें, ब्लॉक प्रिंटिंग, ऊन, पीतल की वस्तुएं, चमड़े के उत्पाद, कृत्रिम आभूषण आदि।
(iii)	आईआईटीएफ, 2023, भारत मंडपम, दिल्ली	14 से 27 नवंबर, 2023	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पुद्दुचेरी, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड	रेडीमेड वस्त्र, हथकरघा कपड़ा कार्य, साड़ी और सूट, लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के जड़ाऊ शिल्प/पेंटिंग, रेशम सामग्री, अचार, ड्रेस सामग्री, कढ़ाई, चादरें, ब्लॉक प्रिंटिंग, ऊनी जैकेट आदि।
(iv)	आत्मनिर्भर भारत मेला, भारत मंडपम, आईटीपीओ, दिल्ली	03 से 10 जनवरी, 2024	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पुद्दुचेरी, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू–कश्मीर, उत्तर प्रदेश	पीतल की वस्तुएं, साड़ियां और सूट, लकड़ी के खिलौने, लकड़ी की जड़ाई शिल्प/पेंटिंग, रेडीमेड वस्त्र, हथकरघा कपड़ा कार्य, रेशम सामग्री, अचार, ड्रेस सामग्री, कढ़ाई, चादरें, चमड़े के जूते, ब्लॉक प्रिंटिंग, ऊनी जैकेट आदि
(v)	सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला, फरीदाबाद	03 से 18 फरवरी 2024	चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, पुद्दुचेरी, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल	पीतल की वस्तुएं, लकड़ी के खिलौने, साड़ियां और सूट, लकड़ी की जड़ाई शिल्प/पेंटिंग, रेडीमेड वस्त्र, हथकरघा कपड़ा कार्य, रेशम सामग्री, अचार, ड्रेस सामग्री, कढ़ाई, चादरें, चमड़े के जूते, ब्लॉक प्रिंटिंग, ऊनी जैकेट आदि

क्र.सं.	प्रदर्शनियां	तारीख	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व	प्रदर्शित की गई एवं विक्रय की गई शिल्प वस्तुएं
(vi)	शिल्प समागम मेला, बेंगलुरु	14 से 24 जनवरी, 2024	बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पुद्दुचेरी, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल	हथकरघा कपड़ा कार्य, रेडीमेड वस्त्र, साड़ी और सूट, लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के जड़ाऊ शिल्प/पेंटिंग, रेशम सामग्री, अचार, ड्रेस सामग्री, कढ़ाई, चादरें, ब्लॉक प्रिंटिंग, ऊन, पीतल की वस्तुएं, चमड़े के उत्पाद, कृत्रिम आभूषण आदि
(vii)	शिल्प समागम मेला, अमृतसर	12 से 21 जनवरी, 2024	दिल्ली, गुजरात, हिमा. चल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, पुद्दुचेरी, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल	पीतल की वस्तुएं, लकड़ी के खिलौने, साड़ियां और सूट, लकड़ी की जड़ाऊ शिल्प/पेंटिंग, रेडीमेड वस्त्र, हथकरघा कपड़ा कार्य, रेशम सामग्री, अचार, ड्रेस सामग्री, कढ़ाई, चादरें, चमड़े के जूते, ब्लॉक प्रिंटिंग, ऊनी जैकेट आदि
(viii)	शिल्प समागम मेला, जोधपुर	29 फरवरी, 2024 से 8 मार्च, 2024 तक	दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पुद्दुचेरी, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल	पीतल की वस्तुएं, साड़ियां और सूट, लकड़ी के खिलौने, लकड़ी की जड़ाऊ शिल्प/पेंटिंग, रेडीमेड वस्त्र, हथकरघा कपड़ा कार्य, रेशम सामग्री, अचार, ड्रेस सामग्री, कढ़ाई, चादरें, चमड़े के जूते, ब्लॉक प्रिंटिंग, ऊनी जैकेट आदि
(ix)	कारीगर हाट, कोलकाता	20 से 26 दिसंबर, 2023	पश्चिम बंगाल	ग्रामीण कारीगर उत्पाद जैसे विशिष्ट संस्कृति से संबंधित वस्त्र, जूट उत्पाद, धातु शिल्प, पर्स और महिलाओं के हैंड बैग और हाथ कढ़ाई उत्पादों का निर्माण

वर्ष के दौरान, 08 प्रमुख प्रदर्शनियों/मेलों में हमारे लाभार्थियों (एनएसएफडीसी) की कुल बिक्री के आंकड़े निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	प्रदर्शनियों का नाम एवं स्थान	तारीख	बिक्री (राशि रु. में)
(i)	शिल्प समागम मेला, ग्वालियर	22 से 30 सितंबर, 2023	29,06,000/–
(ii)	शिल्प समागम मेला, लखनऊ	07 से 15 अक्टूबर, 2023	65,28,260/–
(iii)	आईआईटीएफ, 2023, भारत मंडपम, दिल्ली	14 से 27 नवंबर, 2023	150,02,800/–
(iv)	आत्मनिर्भर भारत मेला, भारत मंडपम, आईटीपीओ, दिल्ली	03 से 10 जनवरी, 2024	5,38,498/–
(v)	सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, फरीदाबाद	03 से 18 फरवरी, 2024	54,36,296/–

क्र.सं.	प्रदर्शनियों का नाम एवं स्थान	तारीख	बिक्री (राशि रु. में)
(vi)	शिल्प समागम मेला, बेंगलुरु	14 से 24 जनवरी, 2024	7,66,210/–
(vii)	शिल्प समागम मेला, अमृतसर	12 से 21 जनवरी, 2024	801840/–
(viii)	शिल्प समागम मेला, जोधपुर	29 फरवरी, 2024 से 08 मार्च, 2024	53,400/–
(ix)	कारीगर हाट, कोलकाता	20 से 26 दिसंबर, 2023	70,000/–

2.1.11 राज्यों में समग्र जागरूकता शिविर

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने मंत्रालय और राष्ट्रीय निगम योजना को क्षेत्रीय स्तर पर प्रचारित करने के लिए विभिन्न समग्र जागरुकता शिवरों में भाग लिया। ब्योरा निम्नानुसार है :

एनएसएफडीसी की दिनांक 27.09.2023 को झाबुआ मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय अजा/अजजा के अंतर्गत एमएसएमई मंत्रालय के सहयोग से आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में में भागीदारी।

क्र. सं.	राज्य/जिला	कार्यक्रम का विवरण	प्रतिभागी	तारीख
(i)	गोमती नगर, लखनऊ	अमृत महोत्सव के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के अभियान का शुभारंभ'	150	25 मई, 2023
(ii)	बघरिया प्राथमिक विद्यालय, कलीलाबाद, उत्तर प्रदेश	ऋण मेला–सह–जागरूकता कार्यक्रम	200	22 जून, 2023
(iii)	प्रगति मैदान, नई दिल्ली	शिल्प बाजार	भारत के माननीय प्रधानमंत्री के साथ विदेशी प्रतिनिधिगण	09 और 10 सितंबर, 2023
(iv)	दिव्य कला मेला, अगरतला, त्रिपुरा	ऋण मेला–सह–जागरूकता कार्यक्रम	150	06 से 11 फरवरी, 2024

2.1.12 विशेष पहलें

◈ विकास आयुक्त (हथकरघा), वस्त्र मंत्रालय की योजनाओं के साथ अभिसरण

पिछले वर्ष, एनएसएफडीसी की टीम ने मध्य प्रदेश, अशोक नगर जिलों के ब्लॉक: चंदेरी के गाँव, नयापुरा, जुग्यानापुरा, बसियापुर और प्राणपुर गाँवों में चंदेरी साड़ियाँ बनाने वाले अनुसूचित जाति के बुनकरों का आधारभूत सर्वेक्षण किया। कुल 676 अनुसूचित जाति के बुनकरों की पहचान की गई। सर्वेक्षण के परिणामों/निष्कर्षों के अनुसार, एनएचडीपी योजना के तहत विकास आयुक्त (हथकरघा), वस्त्र मंत्रालय के कार्यालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। विकास आयुक्त (हथकरघा) ने दिनांक 19 फरवरी, 2024 के स्वीकृति आदेश संख्या 1/5/4/2023–डीसीएच/एनएचडीपी/एमपी/सीडीपी–II के माध्यम से आधारभूत (बेसलाइन) सर्वेक्षण, उत्पाद विकास, एक्सपोजर दौरे, प्रदर्शनी/बीएसएम/प्रचार में भागीदारी, क्लस्टर गतिविधियों का दस्तावेजीकरण, टेक्सटाइल डिजाइनर की नियुक्ति और एनएसएफडीसी को परियोजना प्रबंधन लागत तथा हथकरघा निदेशालय, मध्य प्रदेश सरकार को एचएसएस वस्तुओं की खरीद के लिए 189.65 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है।

◈ एनएसएफडीसी की कौशल/प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना के अंतर्गत बांस शिल्प में 50 अनुसूचित जाति महिला कारीगरों का क्षमता निर्माण।

प्रशिक्षण–सह–क्षमता निर्माण कार्यक्रम 30.04.2023 से 29.05.2023 और 30.05.2023 से 28.06.2023 तक क्रमशः कांगड़ा जिले (हि.प्र.) के भरांता और बछवाई गांव में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन एनएसएफडीसी के अध्यक्ष–सह प्रबंध निदेशक ने किया। 50 अनुसूचित जाति कारीगरों को दो बैचों में बांस शिल्प में प्रशिक्षित किया गया। हिमाचल प्रदेश के एससीए के माध्यम से प्रशिक्षण के बाद 06 अनुसूचित जाति कारीगरों को ऋण सुविधा प्रदान की गई। हिमाचल प्रदेश के उद्योग निदेशालय, एससीए के गणमान्य व्यक्तियों और कांगड़ा जिले के पूर्व विधायक श्री राकेश ठाकुर ने एनएसएफडीसी के अधिकारियों के साथ समापन समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम की कुल लागत रु. 7.50 लाख एनएसएफडीसी द्वारा प्रायोजित की गई थी।

जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) में दिनांक 30 अप्रैल से 29 मई 2023 को प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए अनुसूचित जाति के बांस शिल्प के कारीगर

◈ एससीए/सीए द्वारा कवर नहीं किए गए राज्यों में सा–धन के माध्यम से अग्रगामी योजना के तहत एनबीएफसी–एमएफआई का संचालन

वर्ष के दौरान, बिहार, झारखंड और ओडिशा के अलावा अग्रगामी परियोजना के लिए कुछ और राज्यों की पहचान की गई। बोर्ड की मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, असम, त्रिपुरा और गुजरात को एनबीएफसी–एमएफआई के माध्यम से वित्तपोषण

के लिए शामिल किया गया। सूचीबद्ध किए गए चार एनबीएफसी–एमएफआई को रु.40.00 करोड़ की राशि आवंटित की गई। तीन एनबीएफसी–एमएफआई को रु.34.18 करोड़ वितरित किए गए, जिनमें से 6903 लाभार्थियों के लिए रु.28.97 करोड़ का सूचित किया गया।

◈ द गोट ट्रस्ट

एनएसएफडीसी और द गोट ट्रस्ट के बीच समझौता–ज्ञापन के तहत, लघु पशुधन श्रृंखलाओं (बकरी पालन, सूअर पालन, मुर्गी पालन) में 150 सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण और हैंडहोल्डिंग समर्थन के लिए द गोट ट्रस्ट को पहली किस्त के रूप में रु.11,15,000/– की 50% राशि जारी की गई। 50 बकरी किसानों के लिए प्रशिक्षण–सह–क्षमता निर्माण कार्यक्रम का पहला चरण पूरा हो गया। द गोट ट्रस्ट द्वारा पहली किस्त के रूप में रु.8,53,600/– रुपए का उपयोगिता प्रमाण–पत्र सूचित किया गया। उप–महाप्रबंधक, एनएसएफडीसी; श्री आशीष कुमार, कार्यक्रम निदेशक, टीजीटी; प्रबंधक, बड़ौदा यूपी बैंक; परियोजना प्रबंधक, टीजीटी, प्रबंधक, यूपीएसजीवीबी; शाखा : खागा, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश; उप प्रबंधक और कार्यकारी, संपर्क केंद्र, एनएसएफडीसी, लखनऊ को मिलाकर बनाई गई समिति ने दिनांक 04.01.2024 को प्रशिक्षण–सह–क्षमता निर्माण कार्यक्रम के दूसरे बैच के लिए 30 बकरी किसानों की पहचान की। प्रशिक्षण हेतु 30 में से 17 बकरी पालक उपस्थित पाये गये।

दिनांक 12.02.2024 को निरीक्षण के दौरान प्रथम किस्त के रूप में रु.8,53,600/– के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 29.01.2024 को दूसरी किस्त के रूप में रु.10,80,200/– की राशि गोट ट्रस्ट को जारी की गई। गोट ट्रस्ट द्वारा प्रशिक्षण–सह–क्षमता निर्माण कार्यक्रम के दूसरे एवं तीसरे चरण से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं।

गोट ट्रस्ट के सहयोग से प्रेम नगर, जिला फतेहपुर (उत्तर प्रदेश) के अनुसूचित जाति के बकरी किसान के साथ चर्चा

◈ ऋण पहुंच कार्यक्रम

ऋण पहुंच कार्यक्रम एसएलबीसी, कर्नाटक के माध्यम से तीन जिलों अर्थात् चित्रदुर्ग, टुमकुर और दावणगेरे में कार्यान्वित किया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, एनएसएफडीसी और अन्य राष्ट्रीय निगमों (एनबीसीएफडीसी और एनएसकेएफडीसी, एनएसटीएफडीसी) के प्रमुख जिला प्रबंधकों (एलडीएम) ने नोडल अधिकारियों के रूप में कार्य करते हुए कर्नाटक मिल्क फेडरेशन (केएमएफ), कर्नाटक भेड़ और ऊन विकास निगम, कर्नाटक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, नाबार्ड के एनजीओ क्षमता निर्माण भागीदारों आदि जैसे संबद्ध विभागों से छोटे टिकट

आकार के मुद्रा ऋण (रु.1.00 लाख से रु.2.00 लाख की सीमा में) के लिए आवेदन प्राप्त किए। इन आवेदनों को एलडीएम द्वारा राष्ट्रीय निगमों के बैंकिंग चैनल भागीदारों (कर्नाटक ग्रामीण बैंक, केनरा बैंक, यूबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा) को आवंटित किया गया। बैंकों ने उचित कार्रवाई करते हुए निम्नानुसार ऋण स्वीकृत किए:

जिला	अजा	अजजा	अपिव	सफाई कर्मचारी	कुल
चित्रदुर्ग	627	0	47	0	674
टुमकुर	377	17	26	11	431
दावणगेरे	36	0	19	04	59
कुल	1040	17	92	15	1164

संबंधित बैंकिंग चैनल भागीदार विभिन्न लक्ष्य समूहों के पात्र ऋण प्राप्तकर्ताओं को एनएसएफडीसी/एनबीसीएफडीसी/एनएसकेएफडीसी/एनएसटीएफडीसी योजनाओं के अंतर्गत रियायती ब्याज का लाभ प्रदान करने के लिए उपरोक्त स्वीकृतियों के विरुद्ध राष्ट्रीय निगमों से पुनर्वित्त का दावा करेंगे।

- महाराष्ट्र के हिंगोली में शेड नेट हाउस (संरक्षित खेती) की अभिनव परियोजना के लिए 50 अनुसूचित जाति के किसानों को कवर करने के लिए रु.17 करोड़ की धनराशि वितरित की गई। इस योजना के लाभार्थियों को महाराष्ट्र सरकार के पुणे स्थित राष्ट्रीय कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी संस्थान में शेड नेट मोड के तहत फसलों की खेती पर एमपीबीसीडीसी द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया गया। रु.17.00 करोड़ के एनएसएफडीसी के सावधि ऋण को रु.12.75 करोड़ (75%) तक की बैकएंड सब्सिडी के साथ जोड़ा गया है। 50% की सब्सिडी एकीकृत बागवानी विकास मिशन, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र सरकार के कृषि विभाग की नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प (पीओसीआरए) योजना के तहत 25% की सब्सिडी प्रदान की जाती है। सब्सिडी घटक ऋण के पुनर्भुगतान के बोझ को काफी हद तक कम कर देगा। छोटे और सीमांत किसानों की क्षमता निर्माण से सब्जियों और अन्य फसलों की उच्च उपज प्राप्त होगी तथा विपणन संपर्क से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उपज की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा।

- **पीएम सूरज राष्ट्रव्यापी आउटरीच कार्यक्रम**

  सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 13.03.2024 को हाइब्रिड मोड में वंचित वर्गों के लिए एक राष्ट्रव्यापी आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने वर्चुअल मोड में भाग लिया और प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जनकल्याण (पीएम–सूरज) पोर्टल का शुभारंभ किया। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और सफाई कर्मचारी का लक्षित समूह इस पोर्टल के माध्यम से ऋण के लिए आवेदन कर सकता है।

  कार्यक्रम के अवसर पर, एनएसएफडीसी ने दिनांक 13.03.2024 को पीएम–सूरज पोर्टल के माध्यम से 50,434 लाभार्थियों को रु.404.6 करोड़ का ऋण से वितरित किया, जिनमें से 34877

महिलाएँ और 15557 पुरुष लाभार्थी थे। एनएसएफडीसी ने 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 498 जिलों में यह ऋण राशि वितरित की और समाज के वंचित वर्गों के लिए आउटरीच कार्यक्रम के दौरान सभी लाभार्थियों को एसएमएस भेजे गए।

फतेहपुर (उत्तर प्रदेश) में यूपीएसजीवीबी द्वारा वित्तपोषित 'अवधि ऋण' के अंतर्गत एनएसएफडीसी लाभार्थी

◈ कार्यशाला–सह–एमडीपी

एनएसएफडीसी ने 27 और 28 जुलाई 2023 को अपने एससीए और सीए के अधिकारियों के लिए टैगोर ऑडिटोरियम, स्कोप कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में एक कार्यशाला–सह–एमडीपी का आयोजन किया। एनएसएफडीसी नीति के सरलीकरण, लाभार्थियों को प्रोत्साहन और वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में फंड आउटफ्लो के लिए प्रस्ताव प्राप्त करने के विषय पर एससीए/सीए के प्रतिनिधियों के साथ सार्थक चर्चा हुई। एनएसएफडीसी की योजनाओं को संशोधित करते समय चर्चा के परिणाम को ध्यान में रखा गया था।

2.1.13 ऋण आधारित योजनाओं और गैर–ऋण आधारित योजनाओं का बाह्य मूल्यांकन (2021–22):

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने मेसर्स डेवलपमेंट ओरिएंटेड ऑपरेशंस रिसर्च एंड सर्वेज (डीओओआरएस), नोएडा (उत्तर प्रदेश) को अपनी ऋण और गैर–ऋण आधारित योजनाओं के मूल्यांकन अध्ययन के लिए अधिकृत किया और उसे यह कार्य सौंपा। इस अध्ययन में वर्ष 2019–20 और 2020–21 के दौरान 11 राज्यों में प्रशिक्षित 5790 लाभार्थियों/प्रशिक्षुओं को शामिल करने की परिकल्पना की गई है।

अध्ययन के अंतर्गत शामिल राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार लाभार्थी/प्रशिक्षु निम्नानुसार हैं :–

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाथार्थियों की संख्या	प्रशिक्षुओं की संख्या	कुल
(i)	छत्तीसगढ़	100	30	130
(ii)	हरियाणा	100	110	210
(iii)	झारखंड	100	70	170
(iv)	केरल	200	20	220
(v)	मध्य प्रदेश	240	170	410
(vi)	महाराष्ट्र	150	80	230
(vii)	राजस्थान	320	100	420
(viii)	सिक्किम	100	0	100
(ix)	तेलंगाना	100	30	130
(x)	उत्तर प्रदेश	820	380	1,200
(xi)	पश्चिम बंगाल	2470	100	2,570
	कुल	**4,700**	**1,090**	**5,790**

मूल्यांकनकर्ता एजेंसी मेसर्स डेवलपमेंट ओरिएंटेड ऑपरेशंस रिसर्च एंड सर्वेज ने अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट एनएसएफडीसी को सौंप दी है।

2.1.14 रिपोर्ट के निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं

- **ऋण आधारित योजनाएं (अनंतिम)**

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरा
(i)	अध्ययन के दौरान निरीक्षण किये गये लाभार्थियों की संख्या	10 राज्यों में 4,700
(ii)	सहायता का उपयोग इच्छित उद्देश्य के करने वाले लाभार्थियों की संख्या और प्रतिशत	4468 (95.1%)
(iii)	परिसंपत्तियां सृजित करने वाले लाभार्थियों की संख्या और प्रतिशत	4248 (92.9%)
(iv)	गरीबी रेखा (बीपीएल) पार करने वाले लाभार्थियों की संख्या और प्रतिशत	777 (58.8%)
(v)	दोहरी गरीबी रेखा (डीपीएल) को पार करने वाले लाभार्थियों की संख्या और प्रतिशत	1842 (40.3%)*

गैर–ऋण आधारित/कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (अनंतिम)

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
(i)	अध्ययन के दौरान सर्वेक्षण किये गये प्रशिक्षुओं की संख्या	10 राज्यों में 1090		
(ii)	एनएसएफडीसी से कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद नौकरी चाहने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या और प्रतिशत	688 (63%)		
(iii)	प्रशिक्षुओं की वर्तमान रोजगार स्थिति*	**वैतनिक रोजगार**	**स्वरोजगार**	**बेरोजगार**
		(27%)	(17%)	(56%)
(iv)	नौकरी पेशा प्रशिक्षुओं का मासिक वेतन औसत मासिक वेतन रु. 11,268/– है			
(v)	स्वरोजगार प्रशिक्षुओं की मासिक आय औसत मासिक आय रु. 9,841 है			

2.1.15 कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसडीटीपी)–उपलब्धियां

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने पीएम–दक्ष योजना के तहत अनुसूचित जातियों से संबंधित 30,660 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए रु.111.83 करोड़ की लागत से कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मंजूरी दी और इन्हें कार्यान्वित किया तथा रु.16.19 करोड़ जारी किए जिसमें अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता' और पीएम–दक्ष योजना की योजना के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई अनुदान सहायता शामिल है,।

दिनांक 22.10.2023 से 26.04.2024 तक के दौरान जयपुर में आयोजित एनएसएफडीसी द्वारा प्रायोजित 'मशीन ऑपरेटर इंजेक्शन मोल्डिंग' प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष के दौरान, विभिन्न कार्य भूमिकाओं क्षेत्रों में एसडीटीपी आयोजित किए गए जैसे कि अकाउंट एक्जीक्यूटिव, सीएनसी प्रोग्रामिंग में एडवांस डिप्लोमा (एडीसीएनसी), मशीन रखरखाव और स्वचालन में एडवांस डिप्लोमा, सहायक सौंदर्य चिकित्सक, सहायक शेफ, सहायक डिजाइनर – फैशन, होम एंड मेड–अप, सहायक इलेक्ट्रीशियन, सहायक हेयर ड्रेसर स्टाइलिस्ट, सहायक मशीनिस्ट – आयरन

और स्टील, एसोसिएट डिजाइनर – खिलौनों सहित प्लास्टिक के लिए डाई और मोल्ड, ऑटोकैड, ऑटोकैड – मैकेनिकल, ऑटोमोटिव बॉडी रिपेयरिंग और सर्विस तकनीशियन, बांस कार्य के कारीगर, ब्यूटी थेरेपिस्ट, ब्राइडल, फैशन और पोर्टफोलियो मेकअप आर्टिस्ट, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन तकनीशियन, सीएनसी टर्निंग में सर्टिफिकेट कोर्स, क्रिकेट बॉल निर्माण में सर्टिफिकेट कोर्स, टैली ईआरपी के साथ वित्तीय लेखांकन में सर्टिफिकेट, चेकर – इनलाइन और मेजरमेंट, सीएनसी मशीनिंग – लैथ, सीएनसी मशीनिंग – मिलिंग, सीएनसी ऑपरेटर – टर्निंग, सीएनसी प्रोग्रामिंग – लैथ, सीएनसी प्रोग्रामिंग – मिलिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग, माल कंसाइनमेंटर सहायक, मकई प्रसंस्करण तकनीशियन, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, काउंटर सेल्स एग्जीक्यूटिव (पर्यटन और आतिथ्य), कूरियर एग्जीक्यूटिव – संचालन, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव – डोमेस्टिक – नॉन–वॉयस, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव–डोमेस्टिक–वॉयस, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव – इलेक्टिव 1 (मीट एंड ग्रीट ऑफिसर), डेयरी प्रोडक्ट प्रोसेसर, डॉक्यूमेंटेशन एग्जीक्यूटिव, डोमेस्टिक बायोमेट्रिक डेटा ऑपरेटर, डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, डोमेस्टिक आईटी हेल्पडेस्क अटेंडेंट, ड्रेसर (मेडिकल), उद्यमिता विकास कार्यक्रम, इलेक्ट्रिकल–कैड, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन डोमेस्टिक सॉल्यूशंस, फैब्रिक कटर, फैशन डिजाइनर, फील्ड तकनीशियन – नेटवर्क और स्टोरेज, फील्ड तकनीशियन और अन्य घरेलू उपकरण, फील्ड तकनीशियन कंप्यूटिंग और पेरिफेरल्स, फिनिशर और पैकर, फिटर – मैकेनिकल असेंबली, फिटर फैब्रिकेशन, फूड एंड बेवरेज सर्विस एसोसिएट, फूड सेल्स प्रमोटर, फ्रंट ऑफिस एसोसिएट, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट – एडवांस, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट ट्रेनी, ग्राफिक डिजाइनर, गेस्ट सर्विस एग्जीक्यूटिव (फ्रंट ऑफिस), हैंड हेल्ड डिवाइसज (हैंडसेट और टैबलेट) तकनीशियन, होम हेल्थ एड, हाउसकीपर कम–कुक (घरेलू और छोटे प्रतिष्ठान), इन–स्टोर प्रमोटर, स्कूल में आईटी समन्वयक, जूट उत्पाद सिलाई ऑपरेटर, रसोई प्रबंधक, मशीन ऑपरेटर – इंजेक्शन मोल्डिंग प्लास्टिक, मशीन ऑपरेटर – प्लास्टिक एक्सट्रूजन, मशीन ऑपरेटर – प्लास्टिक प्रोसेसिंग, मशीन ऑपरेटर और प्रोग्रामर – सीएनसी लैथ, मशीन ऑपरेटर और प्रोग्रामर प्लास्टिक सीएनसी लैथ, मशीन ऑपरेटर सहायक – ब्लो मोल्डिंग, मशीन ऑपरेटर सहायक – इंजेक्शन मोल्डिंग, मशीन ऑपरेटर सहायक – प्लास्टिक प्रसंस्करण, मेक–अप आर्टिस्ट, मास्टर कैम (कैड/ कैम), कैड/ कैम (एमसीसी) में मास्टर सर्टिफिकेट कोर्स, व्यापारी – फैशन, मेड अप और होम फर्निशिंग, मोबाइल फोन हार्डवेयर मरम्मत

तकनीशियन, बहु कौशल तकनीशियन – उपभोक्ता साजो–सामान, बहु कौशल तकनीशियन (विद्युत), बहु कौशल तकनीशियन (खाद्य प्रसंस्करण), बहुक्रियाशील कार्यालय कार्यपालक, कार्यालय संचालन कार्यपालक, ऑप्टिकल फाइबर तकनीशियन, फ्लेबोटोमिस्ट, अचार मार्किंग तकनीशियन, पीएलसी प्रोग्रामिंग, प्लंबर – सामान्य, उत्पादन पर्यवेक्षक सिलाई, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, रिटेल सेल्स एसोसिएट, रिटेल स्टोर मैनेजर, रिटेल टीम लीडर, सैंपलिंग कोऑर्डिनेटर, सैंपलिंग टेलर, स्व–नियोजित टेलर, सिलाई मशीन ऑपरेटर – निट्स, सिलाई मशीन ऑपरेटर, सोलर एलईडी तकनीशियन, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन तकनीशियन, सोलर पावर इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन और रखरखाव, सोलर पीवी इंस्टॉलर (सूर्यमित्र), सॉलिड वर्क्स (कैड), स्ट्रीट फूड विक्रेता – स्टैंडअलोन, स्ट्रिंगिंग / बीडिंग, कारीगर (फैशन ज्वेलरी), पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (एससीएडीए), दूरसंचार ग्राहक सेवा कार्यपालक –

कॉल सेंटर / रिलेशनशिप सेंटर, दूरसंचार ग्राहक सेवा कार्यपालक – मरम्मत केंद्र, टेलीहेल्थ सेवा समन्वयक, पारंपरिक हाथ कढ़ाई, पारंपरिक स्नैक्स और नमकीन निर्माता, प्रशिक्षु शेफ, टीवी मरम्मत तकनीशियन, दो शाफ्ट हैंडलूम बुनकर, दो पहिया वाहन सर्विस तकनीशियन, वेयरहाउस एसोसिएट, वेयरहाउस एग्जीक्यूटिव, वेब डेवलपर, वेल्डर (जीटीएडब्ल्यू), योग प्रशिक्षक।

31.03.2024 तक 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जिन 30,660 व्यक्तियों में से कुल 7,807 व्यक्तियों ने अपने कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे कर लिए हैं और जानकारी के अनुसार स्व–रोजगार/वेतन रोजगार में प्रशिक्षुओं की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा वर्ष 2022–23 के दौरान शुरू किए गए, 1,816 व्यक्तियों के प्रशिक्षण इस वर्ष के दौरान हो गए हैं।

वर्ष 2023–24 के दौरान शुरू और पूर्ण किए गए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार सार अनुलग्नक–IV में दिया गया है।

2.1.16 अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (फेलोशिप) (एनएफएससी)

- अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एनएफएससी) योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे वित्तीय वर्ष 2005–06 के दौरान शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कॉलेजों में विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान में एम.फिल/पीएचडी की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में अध्येतावृत्ति प्रदान करना है।
- यह योजना ऐसे अनुसूचित जाति के छात्रों को, जिन्होंने यूजीसी नेट (1,500) और संयुक्त सीएसआईआर यूजीसी नेट (500) परीक्षा उत्तीर्ण की है प्रति वर्ष 2,000 नई अध्येतावृत्ति प्रदान करती है। ये स्लॉट यूजीसी और सीएसआईआर फेलोशिप के लिए सरकार की सामान्य आरक्षण नीति के तहत चुने गए अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या से अलग हैं।
- यह योजना शोधार्थियों (स्कॉलर्स) को उच्च अध्ययन को जारी करने के लिए अध्येतावृत्ति, आकस्मिक व्यय, एस्कॉर्ट/रीडर सहायता और मकान किराया भत्ता (एचआरए) के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- केनरा बैंक के छात्रवृत्ति और फेलोशिप प्रबंधन संबंधी पोर्टल (एसएफएमपी) के माध्यम से पात्र शोधार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड में अध्येतावृत्ति और अन्य वित्तीय घटक जारी किए जाते हैं।
- नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनएसएफडीसी) को दिनांक 01.10.2022 से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) घोषित किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, आपके निगम ने 4,169 शोधार्थियों को एनएफएससी योजना के तहत रु.199.82 करोड़ जारी किए हैं।

2.1.17 क्षमता निर्माण और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और कृषि विभाग, महाराष्ट्र सरकार की सब्सिडी योजनाओं के साथ एनएसएफडीसी मियादी ऋण योजना का अभिसरण:

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, एनएसएफडीसी ने शेड नेट हाउस योजना (01 एकड़ कवरेज) के लिए मियादी ऋण स्वीकृत किया, जिसकी लागत में एनएसएफडीसी की हिस्सेदारी रु.17.00 करोड़ (50 लाभार्थी) है और एमपीबीसीडीसी, महाराष्ट्र को रु.6.46 करोड़ (19 यूनिट) की राशि वितरित की गई है, जिसे हिंगोली के पिछड़े जिले में लागू किया जाना है। प्रति यूनिट लागत रु.40.00 लाख है और एनएसएफडीसी का हिस्सा रु.34.00 लाख (85%) है।

इस योजना के लाभार्थियों को महाराष्ट्र सरकार के पुणे स्थित राष्ट्रीय कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी संस्थान में शेडनेट मोड के तहत फसलों की खेती पर एमपीबीसीडीसी द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

एनएसएफडीसी द्वारा रु.17.00 करोड़ का मियादी ऋण रु.12.75 करोड़ (75%) तक की बैकएंड सब्सिडी के साथ अभिसारित है। 50% की सब्सिडी भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के एकीकृत बागवानी विकास मिशन द्वारा प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र सरकार के कृषि विभाग की नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प (पीओसीआरए) योजना के तहत 25% की सब्सिडी प्रदान की जाती है। सब्सिडी घटक ऋण के पुनर्भुगतान के बोझ को काफी हद तक कम कर देगा।

छोटे और सीमांत किसानों की क्षमता निर्माण से सब्जियों और अन्य फसलों की उच्च फसल उपज प्राप्त होगी और घरेलू और अंतराष्ट्रीय बाजारों में उपज की बिक्री के लिए विपणन लिंकेज होंगे।

2.1.18 विमुक्त जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना (सीड योजना):

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, अखिल भारतीय स्तर पर कार्यान्वित की जाने वाली विमुक्त जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना (सीड योजना) के आजीविका घटक के लिए एनएसएफडीसी को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है, जिसे लागू किया जाएगा। इस योजना के लिए रु.6.00 करोड़ की राशि जारी की गई है। वर्ष 2024–25 में लागू की जाने वाली इस योजना के अंश के रूप में, सामाजिक एकजुटता के माध्यम से विमुक्त जनजातियों के स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाएगा।

2.1.19 वर्ष 2023–24 के लिए सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करने वाले पांच एससीए

(क) संवितरण सहायता

श्रेणी	एससीए का नाम	राशि (करोड़ में)
(i)	केएसडीसी, केरल	32.41
(ii)	केएसडब्ल्यूडीसी, केरल	24.03
(iii)	डब्ल्यूबीएससीएसटीओबीसीडीएफसी, पश्चिम बंगाल	23.66
(iv)	यूपीएसजीवीबी, उत्तर प्रदेश	22.31
(v)	जेकेएससीएसटीबीसीडीसी, जम्मू और कश्मीर	10.13

(ख) निधि उपयोगिता (संचयी)

श्रेणी	एससीए का नाम	प्रतिशत
(i)	टीएससीडीसी, त्रिपुरा	85.38%
(ii)	डब्ल्यूबीएससीएसटीओबीसीडीएफसी, पश्चिम बंगाल	84.68%
(iii)	केएसडीसी, केरल	83.94%
(iv)	पी.एस.सी.एल.डी.एफ.सी., पंजाब	83.31%
(v)	एचएससीडीसी, हरियाणा	82.40%

(ग) किए गए पुनर्भुगतान

श्रेणी	एससीए का नाम	राशि (करोड़ में)
(i)	डब्ल्यूबीएससीएसटीओबीसीडीएफसी, पश्चिम बंगाल	50.51
(ii)	केएसडीसी, केरल	26.31
(iii)	आरएससीडीसी, राजस्थान	23.47
(iv)	केएसडब्ल्यूडीसी, केरल	16.71
(v)	एपीएससीएफसी, आंध्र प्रदेश	15.00

(घ) कवर किए गए लाभार्थी

श्रेणी	एससीए का नाम	संख्या
(i)	डब्ल्यूबीएससीएसटीओबीसीडीएफसी, पश्चिम बंगाल	20052
(ii)	केएसडीसी, केरल	2506
(iii)	केएसडब्ल्यूडीसी, केरल	2011
(iv)	एचएससीडीसी, हरियाणा	621
(v)	यूपीएसजीवीबी, उत्तर प्रदेश	456

(ड.) एससीए या ओसीए द्वारा कवर की गई महिला लाभार्थी

श्रेणी	एससीए का नाम	संख्या
(i)	डब्ल्यूबीएससीएसटीओबीसीडीएफसी, पश्चिम बंगाल	20028
(ii)	केएसडब्ल्यूडीसी, केरल	2011
(iii)	केएसडीसी, केरल	1724
(iv)	एचएससीडीसी, हरियाणा	350
(v)	लिडकॉम, महाराष्ट्र	210

श्रेणी	ओसीए का नाम	संख्या
(i)	स्त्रीनिधि – आंध्र प्रदेश	9260
(ii)	तमिलनाडु ग्रामा बैंक, तमिल नाडु	3643
(iii)	एसएनसीसीएफएल– तेलंगाना	2222
(iv)	पीबीजीबी– पुद्दुचेरी	1802

2.1.20 वर्ष 2023–24 के लिए सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करने वाली अन्य चैनलाइजिंग एजेंसी (पीएसबी, आरआरबी, एनबीएफसी–एमएफआई)

(क) सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक (पीएसबी)

अखिल भारतीय स्तर पर संवितरण सहायता		
श्रेणी	पीएसबी का नाम	राशि (करोड़ में)
(i)	पंजाब और सिंध बैंक	127.65
(ii)	इंडियन बैंक	100.00
(iii)	केनरा बैंक	10.00
(iv)	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	5.69

(ख) पीएसबी द्वारा कवर किए गए लाभार्थी

श्रेणी	पीएसबी का नाम	संख्या
(i)	पंजाब और सिंध बैंक	10492
(ii)	इंडियन बैंक	9695
(iii)	केनरा बैंक	667
(iv)	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	542

(ग) पीएसबी द्वारा कवर की गई महिला लाभार्थी

2.1.21 वर्ष 2023–24 के लिए सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करने वाले पांच आरआरबी

(ए) सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

संवितरण सहायता		
श्रेणी	आरआरबी का नाम	राशि (करोड़ में)
(i)	तमिलनाडु ग्रामीण बैंक, तमिलनाडु	60.30
(ii)	पंजाब ग्रामीण बैंक, पंजाब	50.00
(iii)	पीबीजीबी, पुद्दुचेरी	26.48
(iv)	आर्यावर्त बैंक, उत्तर प्रदेश	20.78
(v)	कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, कर्नाटक	18.62

(ख) आरआरबी द्वारा कवर किए गए लाभार्थी

श्रेणी	आरआरबी का नाम	राशि (करोड़ में)
(i)	तमिल नाडु ग्रामा बैंक, तमिल नाडु	6072
(ii)	पीबीजीबी, पुद्दुचेरी	2979
(iii)	पंजाब ग्रामीण बैंक, पंजाब	2459
(iv)	कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, कर्नाटक	1612
(v)	बीयूपीजीबी, उत्तर प्रदेश	1501

2.1.22 वर्ष 2023–24 के लिए सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करने वाली एनबीएफसी–एमएफआई एवं अन्य एजेंसी

सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली एनबीएफसी–एमएफआई एवं अन्य एजेंसी

श्रेणी	आरआरबी द्वारा प्राप्त संवितरण	राशि (करोड़ में)
(i)	स्त्री निधि, आंध्र प्रदेश	50.00
(ii)	एसएनसीसीएफएल, तेलंगाना	20.00
(iii)	एएसए इंटरनेशनल	13.34
(iv)	मिडलैंड माइक्रोफिन लिमिटेड	13.34
(v)	पहल वित्तीय सेवाएँ	7.50

2.1.23 एससीए को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं

2.1.23(क) निष्पादन करने वाली एससीए के लिए एनएसएफडीसी प्रोत्साहन (एनआईपीएस)

आपका निगम बेहतर प्रदर्शन करने वाले एससीए को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए वर्ष 2007–08 से एससीए की रेटिंग तंत्र और बेहतर निष्पादन के लिए पुरस्कार की एक योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना को निष्पादन करने वाले एससीए के लिए 'एनएसएफडीसी प्रोत्साहन (एनआईपीएस)' के रूप में संशोधित किया गया है। योजना में संशोधन भारत सरकार की वर्तमान प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया था।

नई योजना वर्ष 2016–17 से लगभग रु.45.00 लाख वार्षिक के कुल बजट के साथ लागू की गई है।

निष्पादन करने वाले एससीए के लिए एनएसएफडीसी प्रोत्साहन (एनआईपीएस) के तहत एससीए को निम्नलिखित निष्पादन प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा :

(रुपए लाख में)

श्रेणी	मानदंड	पुरस्कार			कुल
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	
(i)	एनएसएफडीसी से एक विशेष वित्तीय वर्ष में अपने नोशनल आवंटन की तुलना में रु. 3.00 करोड़ तक निधियां लेने वाले एससीए	5.00	3.00	2.00	10.00

श्रेणी	मानदंड	पुरस्कार			कुल
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	
(ii)	एनएसएफडीसी से एक विशेष वित्तीय वर्ष में अपने नोशनल आवंटन की तुलना में रु. 3.00 करोड़ से अधिक और रु. 10.00 करोड़ तक निधियां लेने वाले एलसीए	7.00	5.00	3.00	15.00
(iii)	एनएसएफडीसी से एक विशेष वित्तीय वर्ष में अपने नोशनल आवंटन की तुलना में रु. 10.00 करोड़ से अधिक निधियां लेने वाले एससीए	10.00	6.00	4.00	20.00
	कुल	**22.00**	**14.00**	**9.00**	**45.00**

2.1.23 (ख) अन्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के लिए प्रोत्साहन योजना (आईएसओसीए)

आपका निगम 'अन्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के लिए प्रोत्साहन योजना (आईएसओसीए)' नामक एक योजना कार्यान्वित कर रहा है जो एनएसएफडीसी की राज्य चौनेलाइजिंग एजेंसियों के अलावा अन्य सभी एजेंसियों को प्रोत्साहन प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य अन्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।

नई योजना वर्ष 2020–2021 से लागू की गई है। ओसीए को निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार प्रदर्शन प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगाः

(i) एनएसएफडीसी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान लगातार एनएसएफडीसी से निधियां प्राप्त करने वाली अन्य चैनेलाइजिंग एजेंसियां।

(ii) संबंधित वित्तीय वर्ष, जिसके लिए प्रोत्साहन योजना पर विचार किया जाता है, के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार संचयी निधि उपयोग कम से कम 90% होना चाहिए।

(iii) संबंधित वित्तीय वर्ष, जिसके लिए प्रोत्साहन योजना पर विचार किया जाता है, तक ओसीए (धन वापसी पर ब्याज सहित) की संचयी वसूली 100% होनी चाहिए।

(iv) एनएसएफडीसी से प्राप्त पूर्व प्रोत्साहन राशि, यदि कोई है, का कोई उपयोगिता प्रमाण–पत्र लंबित नहीं हो।

'अन्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के लिए प्रोत्साहन योजना (आईएसओसीए)' के तहत, एससीए को संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान अन्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (ओसीए) द्वारा एनएसएफडीसी को चुकाई गई कुल राशि के 0.5% (धनवापसी पर ब्याज को छोड़कर, यदि कोई है) या रु.10.00 लाख, जो भी कम हो, के रूप में निष्पादन प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

वर्ष के दौरान, वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए (आईएसओसीए) योजना के अंतर्गत निम्नलिखित चैनलाइजिंग एजेंसियों को प्रोत्साहन जारी किया गयाः

क्र. सं.	एजेंसी और राज्य	जारी की गई राशि (रुपए में)
(i)	पंजाब ग्रामीण बैंक, पंजाब	10,00,000
(ii)	तमिल नाडु ग्रामा बैंक, तमिल नाडु	10,00,000
(iii)	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा	6,90,826
(iv)	मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश	2,67,617
	कुल	29,58,443

3. प्रचालन निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन

3.1 आय और व्यय लेखा

(i) वर्ष के दौरान, आपके निगम का प्रचालन से राजस्व (निवल) रु.68.65 करोड़ है। वर्ष के दौरान, आपके निगम का प्रचालन लाभ या अधिशेष / प्रचालन से राजस्व (निवल) 56.56% है।

(ii) वर्ष 2023–24 के दौरान, निगम की आय रु.74.66 करोड़ से बढ़कर रु.76.88 करोड़ हो गई है।

(iii) कर्मचारियों की लागत सहित कुल व्यय रु.27.05 करोड़ से बढ़कर 2023–24 में रु.29.82 करोड़ हो गया है।

(iv) वर्ष 2023–24 के दौरान व्यय से आय की अधिकता (ईओआईओई) रु.47.06 करोड़ है, जबकि 2022–23 के दौरान यह रु.47.61 करोड़ थी।

3.2 लाभ का विनियोजन

निगम व्यय से आय की अधिकता का 10% विशेष आरक्षित निधि में और शेष सामान्य आरक्षित में अंतरित करता है। तदनुसार, रु.470.92 लाख रुपए विशेष आरक्षित निधि में विनियोजित किए गए हैं और सामान्य आरक्षित में भावी संवितरण करने के लिए रु.4264.37 करोड़ रुपए अंतरित किए गए हैं।

3.3 प्रति शेयर अर्जन

प्रति इक्विटी शेयर अर्जन वर्ष 2022–23 के रु.31.74 और रु.31.74 (मूलभूत तरलीकृत) की तुलना में वर्ष 2023–24 में यह रु.31.08 और रु.31.39 (मूलभूत और तरलीकृत) है।

4. निगम की कार्यपद्धति में सुधार

4.1 समझौता–ज्ञापन (एमओयू) रेटिंग (2022–23)

आपके निगम ने लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए समझौता ज्ञापन की स्व–मूल्यांकन निष्पादन रिपोर्ट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत की थी। सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने समझौता–ज्ञापन को 52.11 का समग्र स्कोर दिया है और आपके निगम के प्रदर्शन को 'अच्छा' माना है।

4.2 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाण लाइसेंस (आईएसओ 9001:2015)

आपका निगम एक आईएसओ प्रमाणित संगठन है और आईएसओ 9001:2015 के अनुसार गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) प्रमाणन की सभी आवश्यकताओं के अनुरूप है।

वर्ष 2007–08 से 29.11.2022 तक, एनएसएफडीसी को बीआईएस द्वारा गुणवत्ता प्रबंधन प्रमाण–पत्र प्रदान किए गए। इसके बाद, एनएसएफडीसी को 24.01.2023 को रॉयल इम्पैक्ट सर्टिफिकेशन लिमिटेड (आरआईसीएल) द्वारा आईएसओ 9001:2015 के अनुसार गुणवत्ता प्रबंधन प्रमाणन प्रदान किया गया। उक्त प्रमाणन वार्षिक निगरानी ऑडिट के अधीन 23.01.2026 तक वैध है।

4.3 एमआईएस का सुदृढ़ीकरण

आपका निगम परियोजनाओं, वित्त, कौशल प्रशिक्षण और अन्य विभागों से संबंधित फाइलों के डिजिटल प्रसंस्करण के लिए ई–ऑफिस का उपयोग कर रहा है। प्रधान कार्यालय और संपर्क केंद्रों पर तैनात सभी कार्मिकगण कार्यालयी कार्यों के लिए ई–ऑफिस का उपयोग कर रहे हैं। कार्मिकगण एनआईसी वेब वीपीएन के माध्यम से बाहरी नेटवर्क और दूरस्थ स्थानों से भी ई–ऑफिस का उपयोग कर रहे हैं।

आपका निगम अपने विभिन्न विभागों जैसे वित्त, परियोजना, मानव संसाधन, प्रशासन, कौशल प्रशिक्षण और अन्य की गतिविधियों के लिए एक ईआरपी सॉफ्टवेयर विकसित करने की प्रक्रिया में है। इस सॉफ्टवेयर का उपयोग चैनल भागीदारों को भेजी जाने वाली स्वचालित मांग तैयार करने, विभिन्न विभागों के लिए एमआईएस रिपोर्ट तैयार करने आदि के लिए किया जाएगा।

एनएसएफडीसी लाभार्थी पूछताछ और अनुप्रयोग प्रबंधन (बीईएएम) मोबाइल ऐप का भी उपयोग कर रहे हैं जो नागरिकों को व्यवसायिक ऋण, शिक्षा ऋण और कौशल प्रशिक्षण से संबंधित पूछताछ प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करता है। मोबाइल ऐप आपके निगम और अन्य एससीए के अधिकारियों को जागरूकता शिविर, मेला आदि में भाग लेने वाले आगंतुकों की ऋण और कौशल प्रशिक्षण पूछताछ की सुविधा प्रदान कर रहा है। मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर पर 'NSFDC BEAM' के रूप में उपलब्ध है।

आपका निगम एक गतिशील, दिव्यांग अनुकूल, द्विभाषी वेबसाइट का भी अनुरक्षण करता है जो भारत सरकार की वेबसाइट (जीआईजीडब्ल्यू) के लिए दिशा–निर्देशों के अनुरूप है। वेबसाइट एनआईसी क्लाउड सर्वर पर होस्ट की गई है जो सिक्योर सॉकेट लेयर (एसएसएल) प्रमाण–पत्र और नियमित सुरक्षा ऑडिट द्वारा सुरक्षित है।

आपका निगम विभिन्न रिपोर्ट के सृजन के लिए आंतरिक रूप से तैयार किए गए मॉड्यूल में परियोजना से संबंधित आंकड़े के लिए डेटाबेस का अनुरक्षण करता है। विभिन्न वायरसों, स्पाइवेयर, एडवेयर और अन्य दोषपूर्ण प्रोग्रामों के प्रति डेटा, हार्डवेयर और नेटवर्क की व्यापक सुरक्षा के लिए, आपके निगम ने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर संस्थापित किया है, जिसे आवधिक रूप से पर अपडेट किया जाता है। रिपोर्ट वर्ष के दौरान आईटी उपकरणों को मजबूत करने के लिए, पर्सनल कम्प्यूटर, सहायक उपकरण और अनुलग्नक उपकरण खरीदे गए।

5. मानव संसाधन विकास

5.1 मानव पूंजी और एनएसएफडीसी कार्मिकों का प्रशिक्षण

31 मार्च, 2024 तक निगम की जनशक्ति 79 कर्मचारी हैं जो निगम के मुख्यालय और चार संपर्क केंद्रों में तैनात हैं। निगम प्रशिक्षण और विकास को संगठनात्मक गतिविधि से संबंधित कार्य मानता है जिसका उद्देश्य संगठनात्मक व्यवस्था में व्यक्तियों और समूहों के कार्य प्रदर्शन में सुधार करना है। अपने मानव संसाधन के कौशल को अधिनियमों, नियमों और व्यावसायिक लक्ष्यों की नवीनतम आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने के लिए, आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के अलावा, निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को विभिन्न प्रमुख संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित किया गया। इस संबंध में प्रशिक्षण और संस्थानों का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	आयोजक
(i)	महिला पहले – "अगली पीढ़ी को प्रेरित करना" (11 अप्रैल, 2023)	सीआईआई, दिल्ली
(ii)	परियोजना प्रबंधन दक्षता निर्माण (10 से 13 जुलाई, 2023)	स्कोप, नई दिल्ली के माध्यम से परियोजना प्रबंधन एसोसिएट्स।
(iii)	महिला कार्यपालकों के लिए नेतृत्व विकास पर कार्यशाला (13 से 14 जुलाई, 2023)	स्कोप, नई दिल्ली
(iv)	आरक्षण नीति और आरक्षण रोस्टर की तैयारी/ अनुरक्षण पर कार्यशाला (10 से 11 अगस्त, 2023)	श्री एस.एम. गुप्ता, सलाहकार–सह–प्रशिक्षक (पूर्व संकाय, आईएसटीएम) के माध्यम से एनएसएफडीसी
(v)	सुशासन पर कार्यशाला (21 दिसंबर, 2023)	डीओएआरपीजी, कार्मिक मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
(vi)	सीपीएसई के सरकारी निदेशकों की क्षमता निर्माण के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम (15–16 फरवरी, 2024 – उदयपुर)	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से डीपीई
(vii)	सीपीआईओ और एए के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम (18–20 मार्च, 2024– गोवा)	भारत सचिवालय प्रशिक्षण एवं विकास संस्थान, दिल्ली

5.2 निगम में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

आपका निगम कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), कार्मिक, पी.जी. एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और दिव्यांगजन श्रेणियों के लिए आरक्षण एवं रियायतों पर जारी निर्देशों के अनुसार सरकार की नीति का पालन कर रहा है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और दिव्यांगजन श्रेणियों के प्रतिनिधित्व से संबंधित निर्धारित प्रारूप में आवश्यक डेटा क्रमशः अनुलग्नक–V, VI और VII में दिए गए हैं।

5.3 भर्ती में अल्पसंख्यकों को विशेष ध्यान देने के उपाय

आपका निगम अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सरकार की नीति का पालन कर रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ अल्पसंख्यकों की भर्ती में विशेष ध्यान देने की परिकल्पना की गई है।

5.4 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी):

निगम की कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए शून्य सहनशीलता नीति है और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा–4 के अनुपालन में, आपके निगम ने संगठन के परिसर में यौन उत्पीड़न की घटनाओं/शिकायतों, यदि कोई है, की जांच करने के लिए 09 जुलाई, 2019 को मुख्यालय और संपर्क केंद्र स्तर पर 'आंतरिक शिकायत समिति' का पुनर्गठन किया है। सक्षम प्राधिकारी ने निम्नानुसार समिति का गठन किया :

(i) श्रीमती अर्चना मेहरा, प्रबंधक (परियोजना) – पीठासीन अधिकारी
(ii) श्री एस. के. पाल, उप महाप्रबंधक (परियोजना) – सदस्य
(iii) श्री टी. सतीश, सहायक महाप्रबंधक (परियोजना) – संपर्क केंद्र के सदस्य
(iv) श्री गुंजन सिंह, एनजीओ से एक प्रतिनिधि – सदस्य प्रतिनिधि
(v) श्रीमती हरीश रायजादा, उप प्रबंधक – सदस्य
(vi) श्रीमती विजया लक्ष्मी बी., कनिष्ठ कार्यपालक – संपर्क केंद्र की सदस्य

आंतरिक शिकायत समिति के सभी सदस्यों के नाम और संपर्क विवरण प्रधान कार्यालय और सभी संपर्क केंद्रों के बोर्ड पर प्रमुखता से प्रदर्शित किए गए हैं। आंतरिक शिकायत समिति कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (एसएचडब्ल्यूडब्ल्यू) अधिनियम, हैंडबुक, शी–बॉक्स लिंक (http://www.shebo.nic.in/user/faq) और ई–मेल आईडी (nsfdc.shwwicc@gmail.com) से संबंधित सभी जानकारी एनएसएफडीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। पीड़ित महिला कर्मचारियों को अपनी शिकायतें समिति को प्रस्तुत करनी होंगी। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, निगम को अपने कर्मचारियों से यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत नहीं मिली है।

आईसीसी की बैठकें

वर्ष के दौरान, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए एनएसएफडीसी आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की चार बैठकें 01.05.2023, 03.07.2023, 09.10.2023 और 08.01.2024 को आयोजित की गईं।

एसएचडब्ल्यूडब्ल्यू संबंधी आईसीसी की वार्षिक रिपोर्ट

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 22 के अनुपालन में, यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर वार्षिक रिपोर्ट निम्नानुसार है:

क्रम	विवरण	टिप्पणी
(i)	वर्ष में प्राप्त यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या	शून्य
(ii)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	लागू नहीं
(iii)	90 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या	लागू नहीं
(iv)	यौन उत्पीड़न के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम पर आयोजित कार्यशालाओं की संख्या	शून्य
(v)	नियोक्ता द्वारा की गई कार्रवाई की प्रकृति	अपेक्षित नहीं

6. अन्य उपलब्धियां

6.1 राजभाषा

6.1.1 राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

एनएसएफडीसी में राजभाषा नीति के अनुसार, राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में 'एनएसएफडीसी राजभाषा कार्यान्वयन समिति' गठित है और इसकी बैठकें प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से आयोजित हुई। वर्ष के दौरान, एनएसएफडीसी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की कुल चार बैठकें दिनांक 12.07.2023, 27.10.2023,

15.01.2024 और 22.03.2024 को आयोजित की गईं। समिति ने इस संबंध में, आवधिक रूप से प्रगति की समीक्षा की और उसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुझावों और संस्तुत उपायों कर किया गया।

6.1.2 राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

केंद्रीय सरकार की राजभाषा नीति के अनुसरण में, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेजों को द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी दोनों में) रूप से जारी किया गया। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2023–24 और अन्य आदेश/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगम के सभी विभागों/अनुभागों/संपर्क केंद्रों को प्रेषित किया गया। राजभाषा नीति के अनुपालन में जांच बिंदु जारी किए गए।

6.1.3 हिंदी कार्यशाला का आयोजन

वर्ष के दौरान, दिनांक 11.07.2023, 27.10.2023, 30.11.2023 और 12.03.2024 को चार इन–हाउस कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। जिनमें एनएसएफडीसी कार्मिकों को राजभाषा हिंदी में टिप्पण और मसौदा लेखन के लिए प्रोत्साहित करने के साथ–साथ राजभाषा हिंदी का बेहतर उपयोग करने और इनस्क्रिप्ट/लिप्यंतरण/कंप्यूटर पर गूगल वॉयस टाइपिंग टूल्स के साथ यूनिकोड में हिंदी टाइपिंग, हिंदी तिमाही रिपोर्ट भरने, ई–ऑफिस पर राजभाषा हिंदी में कार्य, एमएस आफिस और एक्सेल में हिंदी में कार्य, संघ की राजभाषा नीति के नवीनतम प्रावधानों के बारे में जानकारी प्रदान की गई।

6.1.4 हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा

इस वर्ष के दौरान, 14 सितंबर, 2023 को हिंदी दिवस पुणे, महाराष्ट्र में मनाया गया। गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार, हिंदी पखवाड़ा पुणे, महाराष्ट्र से शुरू हुआ और अधिकारियों/कर्मचारियों के बीच सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए निगम के प्रधान कार्यालय और संपर्क केंद्रों में दिनांक 14 से 29 सितंबर, 2023 के दौरान एनएसएफडीसी राजभाषा हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर गृह मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री और एनएसएफडीसी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के संदेश पढ़े गए। राजभाषा हिंदी पखवाड़ा के दौरान मुख्यालय, दिल्ली और संपर्क केंद्रो में हिंदी टिप्पण/प्रारूपण, कंप्यूटर पर हिंदी टंकण प्रतियोगिता, हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता, हिंदी कहानी लेखन प्रतियोगिता, हिंदी प्रश्नोत्तरी, काव्य पाठ, चित्र अभिव्यक्ति और अन्ताक्षरी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। विभिन्न प्रतियोगिताओं के सभी विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।

6.1.5 हिंदी प्रोत्साहन योजनाएं

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन और कर्मचारियों को उनके सरकारी कामकाज में हिंदी के अधिकतम प्रयोग हेतु प्रेरित करने के लिए एनएसएफडीसी विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं चला रहा है जैसे, (1) मूल हिंदी टिप्पण/आलेखन प्रोत्साहन योजना, (2) अधिकारियों द्वारा हिंदी में अधिकाधिक डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन योजना, (3) हिंदी में टाइपलेखन और आशुलिपि कार्य करने के लिए प्रोत्साहन भत्ता योजना, (4) एनएसएफडीसी राजभाषा चल शील्ड योजना, (5) श्री शंकर दयाल सिंह राजभाषा सम्मान योजना और (6) समवर्ती मूल्यांकन पुरस्कार योजना।

6.1.6 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास)

राजभाषा विभाग के दिनांक 22.11.1976 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/14011/12/76–आरबी (केए–1) के अनुसार, देश के उन सभी शहरों में जहां केंद्र सरकार के 10 या अधिक कार्यालय हैं, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया जा सकता है। इस समिति का गठन राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर भारत सरकार के सचिव (राजभाषा) के अनुमोदन से किया जाता है। एनएसएफडीसी, नराकास (उपक्रम–1) का सदस्य है और वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों में नियमित रूप से भाग लेता है। प्रत्येक छमाही में, निगम की छमाही प्रगति रिपोर्ट नराकास और राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों को भेजी जाती है।

नराकस द्वारा आयोजित बैठक में एनएसएफडीसी की भागीदारी रही है। बैठक में हुई चर्चा पर अनुवर्ती कार्रवाई भी की जाती है और नराकस सचिवालय को सूचित किया जाता है।

प्रतिवेदित अवधि के दौरान नेशनल शेड्यूल्ड कास्टस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएसएफडीसी) से श्री पुखराज मीणा, कार्यपालक को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम–1) के तत्वावधान हिंदुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आयोजित हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता में तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

नराकास के तत्वधान में एचपीसीएल द्वारा आयोजित हिंदी निबंध प्रतियोगिता में एनएसएफडीसी को पुरस्कार प्राप्त हुआ।

6.1.7 मंत्रालय द्वारा एनएसएफडीसी का राजभाषा निरीक्षण

वर्ष के दौरान, दिनांक 30.11.2023 को राजभाषा विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एनएसएफडीसी का राजभाषा भाषा संबंधी निरीक्षण किया गया। मंत्रालय द्वारा निगम के राजभाषा विभाग द्वारा किए गए कार्यों के अलावा निगम के अन्य विभागों की फाइलों ई–ऑफिस और ईमेल पर हिंदी में काम, निगम बोर्ड, नेम प्लेट, सूचना पट्ट, पुस्तकालय, पत्रिका आदि का निरीक्षण किया और सभी कार्य संतोषजनक पाए गए।

6.2 सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का आयोजन

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के निर्देशों के अनुसार, आपके निगम ने 30.10.2023 से 5.11.2023 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2023 मनाया, जिसका विषय था 'भ्रष्टाचार का विरोध करें' राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें /Say no to corruption; commit to the Nation

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की शुरुआत 30.10.2023 को सुबह 11:00 बजे से विभिन्न क्षेत्रों में स्थित एनएसएफडीसी के सभी कार्यालयों में सभी कार्मिकों द्वारा ऑनलाइन 'ई–सत्यनिष्ठा शपथ' लेने के साथ हुई।

सप्ताह के दौरान, निगम ने कार्मिकों को भ्रष्टाचार मुक्त सत्व विचार स्थापित करने/पारदर्शिता लाने, पूर्ण ईमानदारी बनाए रखने और हर समय कर्तव्य के प्रति समर्पण की दिशा में काम करने के लिए संवेदनशील बनाने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम/कार्यशालाएं/क्षमता निर्माण प्रशिक्षण आयोजित किए। पोस्टर/स्टैंडी/बैनर बनवाए।

पीआईडीपीआई (सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और मुखबिरों की सुरक्षा) के पोस्टर और बैनर तैयार किए गए और निगम के प्रधान कार्यालय, संपर्क केंद्रों और प्रशिक्षण भागीदारों के केंद्रों आदि के परिसरों में प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किए गए।

आपके निगम के प्रधान कार्यालय में दिनांक 02.11.2023 और 03.11.2023 को दो कार्यशालाएँ आयोजित की गईं, जिनमें श्री रंजन कुमार, पूर्व संकाय सलाहकार, आईएसटीएम, नई दिल्ली द्वारा शासन में नैतिकता और पारदर्शिता, अनुशासनात्मक कार्यवाही और निवारक सतर्कता पर सत्र लिए गए।

सतर्कता सप्ताह के दौरान आउटरीच गतिविधियों के रूप में, आपके निगम के संबंधित संपर्क केंद्रों के सहयोग से लखनऊ और मुंबई में दो अलग–अलग स्कूलों में क्रमशः 02.11.2023 और 03.11.2023 को निबंध–लेखन प्रतियोगिताएं और नारा लेखन/ड्राइंग प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

इसके अलावा, केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के निर्देशों के अनुसार और सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 के आरंभ में, आपके निगम ने सभी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के लिए ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्रों के रूप में कुछ निवारक सतर्कता उपायों पर प्रकाश डालते हुए तीन महीने का अभियान (16.08.2023 से 15.11.2023 तक) भी चलाया। इसमें शामिल छह केंद्र बिंदु क्षेत्र थेः (क) पीआईडीपीआई समाधान के बारे में जागरूकता पैदा करना, (ख) क्षमता निर्माण कार्यक्रम, (ग) प्रणालीगत सुधार उपायों की पहचान और कार्यान्वयन, (घ) शिकायत निपटान के लिए आईटी का लाभ उठाना, (ड.) परिपत्रों/दिशानिर्देशों/मैनुअल का अद्यतन करना, और (च) 30.06.2023 से पहले प्राप्त शिकायतों का निपटान।

6.3 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

आपका निगम एक सार्वजनिक प्राधिकरण है, जिसका स्वामित्व सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पास है। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सी.पी.आई.ओ.) की नियुक्ति प्रबंधन द्वारा की जाती है। वर्तमान सी.पी.आई.ओ. श्रीमती अन्नु भोगल, महाप्रबंधक/कंपनी सचिव हैं, जो अक्टूबर, 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन कर रही हैं।

(i) निगम के कार्यों तथा इसके पदाधिकारियों आदि का विवरण निगम की वेबसाइट (www.nsfdc.nic.in) पर डाल दिया गया है।

(ii) अधिनियम के अंतर्गत यथापेक्षित मैनुअलों को अद्यतन कर वेबसाइट पर डाल दिया गया है।

(iii) निगम ने अधिनियम के तहत अपेक्षित जन सूचना अधिकारी, पारदर्शिता अधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारी भी नियुक्त किए हैं।

(iv) निगम आरटीआई के शुरूआती कार्मिक एवं प्रशिक्षण वर्ष 2016–17 से ही विभाग द्वारा प्रबंधित आर.टी.आई. ऑनलाइन पोर्टल पर संरेखण के माध्यम से आर.टी.आई. को ऑलनाइन कार्यान्वित कर रहा है।

(v) वर्ष 2023–24 के दौरान 143 (पिछले वर्ष 99) आवेदन प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान 11 (पिछले वर्ष 8) अपीलें प्राप्त हुईं। वर्ष के दौरान प्राप्त सभी आवेदनों का निपटान निर्धारित समय सीमा के भीतर किया गया।

(vi) डीओपीटी के दिनांक 15.04.2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/6/2011–आईआर के संबंध में, जैसा कि दिनांक 07.11.2019 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा संशोधित किया गया है, इस निगम ने समय सीमा के भीतर आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 के तहत स्व–प्रेरणा प्रकटीकरण को लागू किया है।

(vii) प्रत्येक तिमाही में वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान केंद्रीय सूचना आयोग को ऑनलाइन रिपोर्ट की गई आरटीआई आवेदनों की स्थिति नीचे दी गई है :–

	तिमाही की शुरुआत में प्रारंभिक शेष	धारा 6(3) के अंतर्गत अन्य जन प्राधिकारी से स्थानांतरित होकर प्राप्त आवेदनों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त (अन्य जनप्राधिकारी को हस्तांतरित मामलों सहित)	धारा 6(3) के अंतर्गत अन्य जनप्राधिकारी को हस्तांतरित मामलों की संख्या	निर्णय, जहां अनुरोध/अपील अस्वीकृत कर दिए गए	निर्णय, जहां अनुरोध/अपील स्वीकार किए गए
पहली तिमाही के दौरान प्रगति (अप्रैल से जून, 2023)						
अनुरोध	2	08	19	08	0	20
प्रथम अपील	0	लागू नहीं	02	लागू नहीं	0	01
दूसरी तिमाही के दौरान प्रगति (जुलाई से सितंबर, 2023)						
अनुरोध	1	07	21	02	2	23
प्रथम अपील	1	लागू नहीं	02	लागू नहीं	0	02

	तिमाही की शुरुआत में प्रारंभिक शेष	धारा 6(3) के अंतर्गत अन्य जन प्राधिकारी से स्थानांतरित होकर प्राप्त आवेदनों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त (अन्य जनप्राधिकारी को हस्तांतरित मामलों सहित)	धारा 6(3) के अंतर्गत अन्य जनप्राधिकारी को हस्तांतरित मामलों की संख्या	निर्णय, जहां अनुरोध/अपील अस्वीकृत कर दिए गए	निर्णय, जहां अनुरोध/अपील स्वीकार किए गए
तीसरी तिमाही के दौरान प्रगति (अक्टूबर से दिसंबर, 2023)						
अनुरोध	2	08	43	13	2	35
प्रथम अपील	1	लागू नहीं	02	लागू नहीं	0	03
चौथी तिमाही के दौरान प्रगति (जनवरी से मार्च, 2024)						
अनुरोध	3	04	33	07	0	22
प्रथम अपील	0	लागू नहीं	05	लागू नहीं	0	03
	नामोद्दिष्ट सीएपीआईओ की कुल संख्या		नामोद्दिष्ट सीपीआईओ की कुल संख्या		नामोद्दिष्ट पारदर्शिता अधिकारी की कुल संख्या	नामोद्दिष्ट अपीलीय अधिकारी की कुल संख्या
	11		1		1	1

ब्लॉक II (संगृहीत शुल्क, प्रभारित जुर्माना और की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण)

	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही
धारा 7(1) के अंतर्गत संगृहीत पंजीकरण शुल्क (₹ में)	60	50	0	0
धारा 7(3) के अंतर्गत संगृहीत अतिरिक्त शुल्क (₹ में)	257	0	0	0

(viii) केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की गई आरटीआई पर चौथी तिमाही रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 31.03.2024 तक 11 आरटीआई आवेदन लंबित थे। इन आवेदनों का बाद में निर्धारित समय के भीतर जवाब दिया गया।

6.4 वार्षिक रिटर्न

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में वार्षिक रिटर्न https://nsfdc.nic.in/UploadedFiles/other/2024-07-16@annualreturn23-24.pdf पर उपलब्ध है।

7. कर्मचारियों का विवरण और संबंधित प्रकटीकरण

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) 5(3) के साथ अधिनियम की धारा 197(12) के प्रावधानों के अनुसार, पूरे वित्तीय वर्ष में नियोजित उन कर्मचारियों के नाम और विवरण दर्शाने वाला विवरण, जिन्होंने उक्त नियमों में निर्धारित सीमाओं से अधिक

पारिश्रमिक प्राप्त किया है, **<u>अनुलग्नक–VIII</u>** के रूप में संलग्न है।

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(1) के साथ अधिनियम की धारा 197(2) के अंतर्गत अपेक्षित पारिश्रमिक और अन्य विवरणों से संबंधित प्रकटीकरण वार्षिक लेखा में प्रदान किए गए हैं।

8. निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

निगमित सामाजिक दायत्वि की पहल के अंतर्गत दिनांक 16.04.2023 को टोंक, राजस्थान में मेडिकल हेल्थ कैंप आयोजित किया गया।

निगमित सामाजिक दायित्व एवं सतत विकास (सीएसआर एवं एसडी) नीति बनाई गई है तथा बोर्ड को इसकी अनुशंसा की गई। कंपनी के कार्यकलापों को दर्शाने वाली सीएसआर एवं एसडी नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया। सीएसआर एवं एसडी नीति को कंपनी की वेबसाइट http://www.nsfdc.nic.in/en/csr पर देखा जा सकता है।

सीएसआर कार्यकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट **<u>अनुलग्नक–IX</u>** पर संलग्न है।

9. कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट

कंपनी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध तथा कंपनी अधिनियम, 2013 और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पालन करती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है और **<u>अनुलग्नक–X</u>** पर दी गई है। कंपनी के लेखापरीक्षकों से प्राप्त अपेक्षित प्रमाण–पत्र कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करता है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट **<u>अनुलग्नक–XI</u>** पर अनुबद्ध है।

10. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल की अध्यक्षता, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक करते हैं। दिनांक 31.03.2024 को बोर्ड में 11 सदस्य थे। कृपया अधिक जानकारी के लिए इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट का संदर्भ लें।

11. निदेशक मंडल की बैठकें

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की चार बैठकें आयोजित की गईं। अधिक जानकारी के लिए कृपया इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ संबद्ध कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट का संदर्भ लें।

11.1 पारिश्रमिक समिति

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, पारिश्रमिक समिति की 14वीं बैठक दिनांक 25.08.2023 को हुई, लेकिन कोरम के अभाव में स्थगित कर दी गई। इसके बाद 15वीं पारिश्रमिक समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए पीआरपी को 13.09.2023 को परिचालन के माध्यम से अनुमोदित किया गया।

11.2 लेखापरीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–177 की आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है। कंपनी की लेखापरीक्षा समिति में श्री संजय पांडे, श्री दुर्गा प्रसाद राय और श्रीमती अंजुला सिंह माहुर शामिल हैं। श्रीमती अन्नु भोगल (कंपनी सचिव) लेखापरीक्षा समिति की सचिव हैं। वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशें बोर्ड द्वारा स्वीकार कर ली गईं।

धारा–462 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निगमित कार्य मंत्रालय एमसीए के दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना जीएसआर 466(ई) के अधीन धारा 8 की कंपनियों को धारा 177(2) के तहत लेखा परीक्षा समिति में स्वतंत्र निदेशकों की न्यूनतम संख्या की आवश्यकता से छूट दी।

12. निदेशकों का उत्तरदायित्व कथन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–134(5) के प्रावधानों के अनुसार, आपके निदेशकों का कहना है किः–

(क) वार्षिक लेखों को तैयार करते समय, लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है, साथ ही महत्वपूर्ण विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं।

(ख) कंपनी के कार्यो का और उसी अवधि के लिए कंपनी के आय और व्यय का सही और उचित दृष्टिकोण देने के लिए निदेशकों ने ऐसी लेखाकंन नीति को अपनाया और उन्हें लगातार लागू किया तथा ऐसे निर्णय और प्राक्कलन किए, जो उचित और विवेकपूर्ण थे।

(ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने व रोकने के लिए कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखा रिकॉर्डों के अनुरक्षण के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा है।

(घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखे को कार्यशील योग्य के आधार पर तैयार किया है।

(ड.) निदेशकों ने कंपनी द्वारा अपनाए जाने योग्य आंतरिक नियंत्रणों को बनाया है और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण उपयुक्त हैं और प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे।

13. जोखिम प्रबंधन

लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशा–निर्देशों के कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में, निदेशक मंडल द्वारा जोखिम का उचित मूल्यांकन करने, प्रबंधन, कार्य (फ्रेमवर्क) और आंतरिक जोखिम मूल्यांकन को भी कम करने, कॉर्पोरेट उद्देश्यों के साथ एकीकृत और संरेखित करने के लिए एक जोखिम प्रबंधन नीति को अनुमोदित भी की गई है, जिसे दिनांक 15.11.2019 को आयोजित निदेशक मंडल की 152वीं बोर्ड बैठक में संशोधित किया गया।

तदनुसार, निगम के सभी विभागों के प्रमुखों वाली जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा संभावित जोखिम क्षेत्रों का आकलन किया जाता है तथा सुझाए गए संवेदनशील क्षेत्रों को निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाता है तथा तिमाही निदेशक समीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाता है।

14. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी ने वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा है। वर्ष के दौरान, ऐसे नियंत्रणों की जांच की गई और डिजाइन अथवा प्रचालन में कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं पाई गई।

15. **वार्षिक आम बैठक**

वर्ष के दौरान, वर्ष 2022–23 के लिए लेखों को अपनाने के लिए दिनांक 10.11.2023 को 34वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित की गई। संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के नाम पर रखे गए एक शेयर को छोड़कर, पूरी शेयर पूंजी भारत के माननीय राष्ट्रपति के पास है, जिनका प्रतिनिधित्व सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार करते हैं। वार्षिक आम बैठक में अनुमोदन के बाद, वर्ष 2022–23 के वार्षिक लेखों को निदेशक मंडल की रिपोर्ट के साथ अपनाया गया।

16. **लेखा परीक्षक और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट**

16.1 **वैधानिक लेखा परीक्षक**

मेसर्स दविंदर पाल सिंह एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के अधीन महानिदेशक लेखा परीक्षा (केंद्रीय व्यय) द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एनएसएफडीसी के लेखों पर सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और कंपनी के उत्तर क्रमशः इस रिपोर्ट के **परिशिष्ट–क और ख** में दिए गए हैं।

16.2 **नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा**

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) और (7) के अंतर्गत एमएबी–IV के माध्यम से एक अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एनएसएफडीसी के लेखों पर महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय व्यय) की टिप्पणी और कंपनी के उत्तर, यदि कोई है, तो इस रिपोर्ट में **परिशिष्ट–ग** के रूप में संलग्न किए जाएंगे।

17. **आभारोक्ति**

आपके निदेशकगण, वर्ष के दौरान आपके निगम के कार्मिकों द्वारा प्रदान की गई समर्पित सेवाओं के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं।

आपके निदेशकगण, आपके निगम को बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए समय–समय पर मार्गदर्शन प्रदान करने में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के निरंतर मार्गदर्शन के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद देते हैं। आपके निदेशकगण कंपनी कार्य विभाग, सार्वजनिक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और राज्य–स्तरीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगमों और अन्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के सहयोग के लिए भी अपना आभार व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशकगण निगम के विभिन्न अन्य सरकारी विभागों, एजेंसियों और सांविधिक लेखापरीक्षकों का भी उनके निरंतर सलाह और मार्गदर्शन के लिए भी आभार व्यक्त करते हैं।

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

ह.
(रजनीश कुमार जैनव)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 09056584

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 30.08.2024

अनुलग्नक -I
(पैरा 1.5 देखें)

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
संगठन चार्ट (31.03.2024 को)

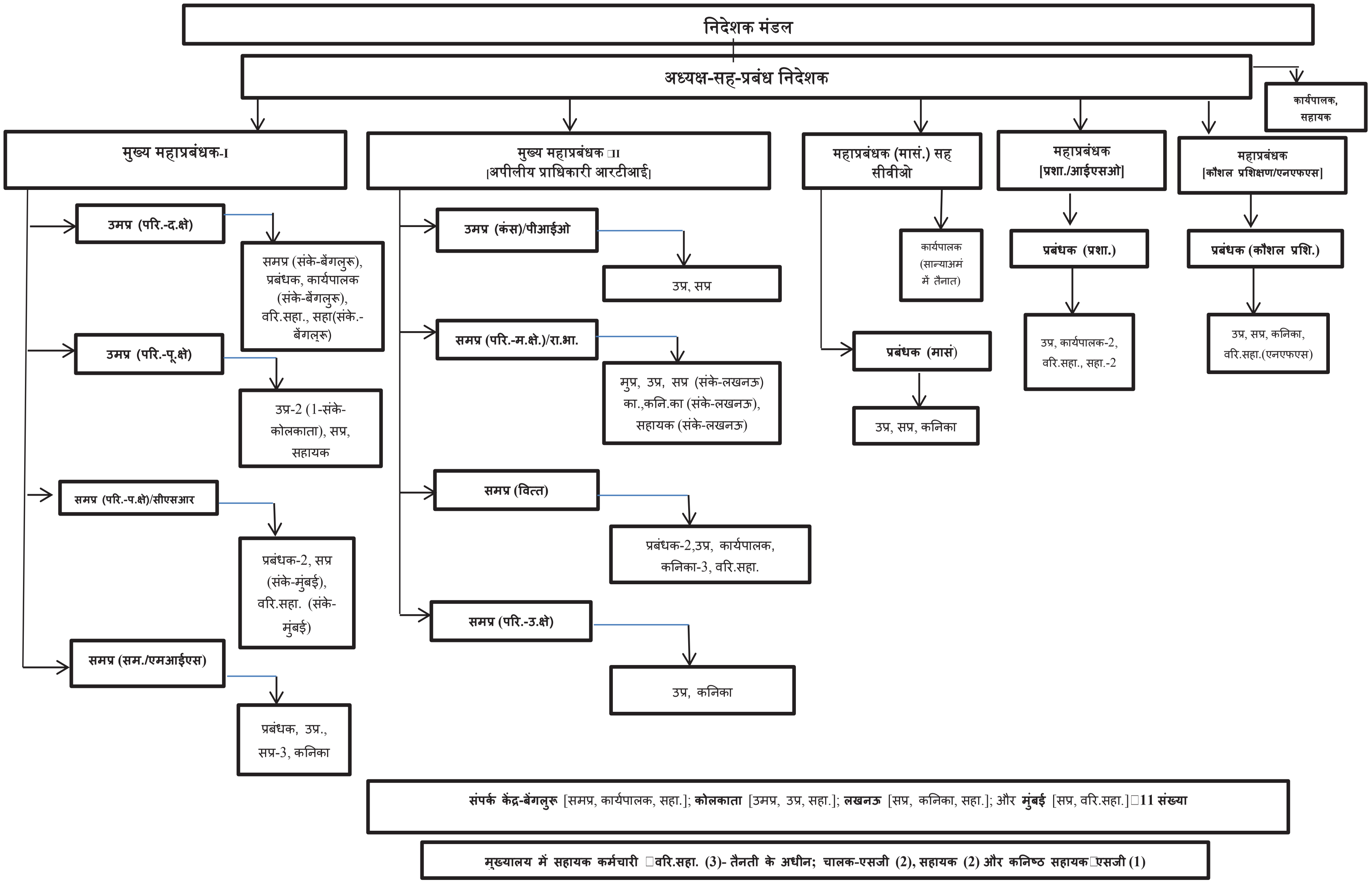

अनुलग्नक–II (क)
(पैरा 1.7 देखें)
(2 का 1)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों की सूची

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चैनलाइजिंग एजेंसी का नाम
1.	आंध्र प्रदेश	1. आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति सहकारी वित्त निगम लिमिटेड – अमरावती
		2. आंध्र प्रदेश राज्य वित्तीय निगम – ऑटो नगर, विजयवाड़ा
2.	असम	3. असम राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम लिमिटेड – दिशपुर गुवाहाटी
3.	बिहार	4. बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम लिमिटेड – बेली रोड पटना
4.	छत्तीसगढ	5. छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम – नया रायपुर
5.	गोवा	6. गोवा राज्य अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड – पणजी
6.	गुजरात	7. गुजरात अनुसूचित जाति विकास निगम – गांधीनगर
		8. डॉ. अम्बेडकर अंत्योदय एवं विकास निगम – गांधीनगर
7.	हरियाणा	9. हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड – चंडीगढ़
8.	हिमाचल प्रदेश	10. हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम – सोलन
9.	झारखंड	11 झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम–रांची
10.	जम्मू और कश्मीर	12. जम्मू और कश्मीर अजा, अजजा और अन्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड – श्रीनगर (मई से अक्तूबर) और जम्मू (नवंबर से अप्रैल)
11	कर्नाटक	13. डॉ. बी.आर. अंबेडकर विकास निगम लिमिटेड– बैंगलूरू
12.	केरल	14. केरल राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड – त्रिशूर
		15. केरल राज्य महिला विकास निगम – तिरुवनंतपुरम
13.	मध्य प्रदेश	16. मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम – भोपाल
14.	महाराष्ट्र	17. महात्मा फुले पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड – मुंबई
		18. साहित्यरत्न लोकशाहिर अन्ना भाऊ साठे विकास निगम – मुंबई
		19. संत रोहिदास चर्मोद्योग एवं चर्मकार विकास निगम – मुंबई
15.	मणिपुर	20. मणिपुर जनजातीय विकास निगम लिमिटेड – इम्फाल
		21. मणिपुर राज्य अजजा एवं अजा विकास सहकारी बैंक लिमिटेड – इम्फाल
16.	मेघालय	22. मेघालय सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड – शिलांग
17.	मिजोरम	23. मिजोरम शहरी सहकारी विकास बैंक लिमिटेड – आइजोल
		24. मिजोरम खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड – आइजोल
18.	ओडिशा	25. ओडिशा अजा एवं अजजा विकास वित्त सहकारी निगम लिमिटेड – भुवनेश्वर
19.	पंजाब	26. पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम – चंडीगढ़

अनुलग्नक–II (क)
(पैरा 1.7 देखें)
(2 का 2)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चैनलाइजिंग एजेंसी का नाम
20.	राजस्थान	27. राजस्थान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम, जयपुर
21.	सिक्किम	28. सिक्किम अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग विकास निगम – गंगटोक
22.	तमिलनाडु	29. तमिलनाडु आदि द्रविड़ गृह और विकास निगम – चैन्ने
23.	त्रिपुरा	30. त्रिपुरा अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम लिमिटेड – अगरतला
24.	उत्तर प्रदेश	31. उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड– लखनऊ
		32. उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड – लखनऊ
25.	उत्तराखंड	33. उत्तराखंड बहु–उद्देशीय वित्त एवं विकास निगम – देहरादून
26.	पश्चिम बंगाल	34.पश्चिम बंगाल अजा., अजजा और अपिव विकास एवं वित्त निगम – कोलकाता
27.	चंडीगढ़	35. चंडीगढ़ अजा, पिव व अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम लिमिटेड – चंडीगढ़
28.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	36. दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव अजा/अजजा/अन्य पिव एवं अल्पसंख्यक वित्त तथा विकास निगम – सिलवासा
29.	दिल्ली	37. दिल्ली अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक एवं विकलांगजन वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड – रोहिणी, नई दिल्ली
30.	पुद्दुचेरी	38. पुद्दुचेरी आदि द्रविड़ विकास निगम लिमिटेड – पुद्दुचेरी

नोटः जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप जैसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति की आबादी नहीं है, इसलिए उन्हें विवरण में शामिल नहीं किया गया है।

अनुलग्नक–II (ख)
(पैरा 1.7 देखें)
(3 का 1)

चैनलाइजिंग एजेंसियों की सूची – वैकल्पिक चैनल

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	चैनलाइजिंग एजेंसी का नाम
1.	आंध्र प्रदेश	1. चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक – गुंटूर
		2. आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक – वारंगल
		3. सप्तगिरि ग्रामीण बैंक – चित्तूर
		4. आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक – कडपा
		5. स्त्रीनिधि – विजयवाड़ा
2.	असम	6. ग्रामीण विकास और वित्त प्राइवेट लिमिटेड – दुबजेनी छयगांव, कामरूप
		7. असम ग्रामीण विकास बैंक – गुवाहाटी
		8. उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम – दिसपुर , गुवाहाटी
		9. कोनोकलता महिला शहरी सहकारी बैंक – गार–अली, जोरहाट
3.	बिहार	10. दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक –पटना
		11. उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक –मुजफ्फरपुर
4.	छत्तीसगढ	12. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक – रायपुर
5.	दिल्ली	13. पंजाब नेशनल बैंक (अखिल भारत) – द्वारका नई दिल्ली
		14. पंजाब एंड सिंध बैंक (अखिल भारत) – पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली
6.	गुजरात	15. बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक – वडोदरा
		16. श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड – एलिसब्रिज, अहमदाबाद
		17. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक – राजकोट
		18. बैंक ऑफ बड़ौदा (अखिल भारत). – अलकापुरी, बड़ौदा
		19. पहल फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, – अहमदाबाद
7.	हरियाणा	20. सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक –रोहतक
		21. सैटिन क्रेडिटकेयर नेटवर्क लिमिटेड, गुड़गांव
8.	हिमाचल प्रदेश	22. हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक –मंडी
9.	जम्मू और कश्मीर	23. जम्मू और कश्मीर ग्रामीण विकास – जम्मू
		24. एलाक्वाई देहाती बैंक – श्रीनगर
10.	झारखंड	25. झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक – दुमका
		26. झारखंड रेशम, वस्त्र एवं हस्तशिल्प विकास निगम – रांची

अनुलग्नक–II (ख)
(पैरा 1.7 देखें)
(3 का 2)

चैनलाइजिंग एजेंसियों की सूची – वैकल्पिक चैनल

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चैनलाइजिंग एजेंसी का नाम
11.	कर्नाटक	27. कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक – धारवाड़
		28. कर्नाटक ग्रामीण बैंक – मैसूर
		29. केनरा बैंक (अखिल भारत) – बेंगलुरु
12.	केरल	30. केरल ग्रामीण बैंक – मलाप्पुरम
13.	महाराष्ट्र	31. महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक – औरंगाबाद
		32. विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक – नागपुर
		33. अनिक फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड – लातूर
		34. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (अखिल भारत) – मुंबई
		35. बैंक ऑफ इंडिया (अखिल भारत) – मुंबई
		36. बैंक ऑफ महाराष्ट्र (अखिल भारत) – पुणे
		37. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (अखिल भारत) – मुंबई
14.	मध्य प्रदेश	38. मध्यांचल ग्रामीण बैंक – सागर
		39. मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक – इंदौर
15.	मणिपुर	40. मणिपुर ग्रामीण बैंक – इम्फाल
16.	मिजोरम	41. मिजोरम ग्रामीण बैंक – आइजोल
17.	मेघालय	42. मेघालय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक – शिलांग
18.	ओडिशा	43. संबंध फिनसर्व प्रा. लिमिटेड – राउरकेला, सुंदरगढ़
		44. उत्कल ग्रामीण बैंक, – भुवनेश्वर
19.	पुद्दुचेरी	45. पुदुवई भारतियार ग्राम बैंक – पुद्दुचेरी
20.	पंजाब	46. पंजाब ग्रामीण बैंक – कपूरथला
		47. मिडलैंड माइक्रोफिन लिमिटेड, लुधियाना
21.	राजस्थान	48. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक – जोधपुर
		49. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक – अजमेर
22.	तमिलनाडु	50. इंडियन ओवरसीज बैंक (अखिल भारत) – चैन्ने
		51. इंडियन बैंक (अखिल भारत) – चैन्ने
		52. तमिलनाडु ग्राम बैंक – सेलम
23.	तेलंगाना	53. तेलंगाना ग्रामीण बैंक – हैदराबाद
		54. स्त्री निधि क्रेडिट को–ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड – हैदराबाद
24.	त्रिपुरा	55. त्रिपुरा ग्रामीण बैंक – अगरतला

अनुलग्नक–II (ख)
(पैरा 1.7 देखें)
(3 का 3)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चैनलाइजिंग एजेंसी का नाम
25	उत्तर प्रदेश	56. आर्यवर्त बैंक – लखनऊ
		57. बड़ौदा यू.पी. ग्रामीण बैंक – रायबरेली
		58. प्रथमा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक –मुरादाबाद
		59. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) – लखनऊ
26	उत्तराखंड	60. उत्तराखंड ग्रामीण बैंक – देहरादून
27	पश्चिम बंगाल	61. पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक – हावड़ा
		62. एएसए इंटरनेशनल माइक्रोफाइनेंस लिमिटेड – साल्ट लेक, कोलकाता
		63. उत्तर बंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक – कूच बिहार

अनुबंध– III
[पैरा 2.1.2(ग)(i) देखें]
(2 का 1)

समझौता ज्ञापन मानदंडों की उपलब्धियां (2023–24) (अनंतिम)

क्र. सं.	निष्पादन मानदंड	इकाई	भारिता (वेटेज)	"उत्कृष्ट" लक्ष्य	उपलब्धियां
i	परिचालन से राजस्व	रुपए करोड़ में	8	92.83	68.45
ii	नये लाभार्थियों की कुल संख्या	संख्या	5	100786	85372
iii	पीएम–दक्ष (मंत्रालय योजना) के अंतर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	संख्या	5	21100	30660
iv	राजस्व के प्रतिशत के रूप में ईबीटीडीए	प्रतिशत	10	69.96	61.67
v	कुल मूल्य पर रिटर्न	प्रतिशत	15	2.78	2.08
vi	परिसंपत्ति कारोबार अनुपात	प्रतिशत	5	3.83	3.23
vii	कुल उपलब्ध निधियों के लिए वितरित ऋण	प्रतिशत	10	100	97.56
viii	सूक्ष्म वित्त लाभार्थियों को वितरित किया गया ऋण	प्रतिशत	10	53.08	53.85
ix	कुल ऋणों में अतिदेय ऋण	प्रतिशत	5	0.00	17.84
x	कुल ऋणों में एनपीए	प्रतिशत	5	0.00	0.73
xi	भौगोलिक विस्तार	प्रतिशत	5	100	90.62
xii	मुख्य लाभार्थी को अंतिम छोर तक संवितरण	प्रतिशत	10	100	77.30
xiii	निर्दिष्ट समय के भीतर ट्रेड्स पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की स्वीकृति / अस्वीकृति	प्रतिशत	5	100	0
xiv	अनुमोदित क्रय योजना के अनुसार जेम से क्रय	प्रतिशत	2	100	92.30
				100	

नोट : उपरोक्त उपलब्धियां संबंधित विभाग अर्थात एमआईएस, वित्त, मानव संसाधन, प्रशासन और कौशल प्रशिक्षण द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार संकलित की गई हैं।

अनुबंध–IV
[पैरा 2.1.15 देखें]

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान पीएम–दक्ष योजना के अंतर्गत शुरू किए गए और पूर्ण किए गए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार सार

क्र. सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आरंभ किए गए कार्यक्रम (व्यक्तियों की संख्या)	पूर्ण कार्यक्रम (व्यक्तियों की संख्या)
1.	आंध्र प्रदेश	190	160
2.	असम	1198	540
3.	बिहार	841	329
4.	छत्तीसगढ़	153	0
5.	दिल्ली	143	30
6.	गुजरात	266	86
7.	हरियाणा	699	286
8.	हिमाचल प्रदेश	300	240
9.	जम्मू और कश्मीर	180	120
10.	झारखंड	373	0
11	कर्नाटक	925	210
12.	केरल	25	0
13.	लद्दाख	30	0
14.	मध्य प्रदेश	6231	1588
15.	महाराष्ट्र	3773	633
16.	ओडिशा	385	30
17.	पुद्दुचेरी	30	0
18.	पंजाब	1038	300
19.	राजस्थान	2989	559
20.	तमिल नाडु	1415	320
21.	तेलंगाना	510	60
22.	त्रिपुरा	202	20
23.	उत्तर प्रदेश	8114	2086
24.	उत्तराखंड	570	190
25.	पश्चिम बंगाल	80	20
	कुल	**30660**	**7807**

अनुलग्नक – V
(पैरा 5.2 देखें)

बेंचमार्क दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व (01 जनवरी, 2024 यथास्थिति)

समूह	कार्मिकों की संख्या				सीधी भर्ती							पदोन्नति						
					आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या				आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या			
	कुल	दृबा	श्रबा	लोवि	दृबा	श्रबा	लोवि	कुल	दृबा	श्रबा	लोवि	दृबा	श्रबा	लोवि	कुल	दृबा	श्रबा	लोवि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	१३	14	15	16	17	18	19
समूह 'क'	45	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
समूह 'ख'	07	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
समूह 'ग'	25	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल	**77**	**1**	–	**2**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

नोटः बेंचमार्क दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूबीडी) का समग्र प्रतिनिधित्व 3.89% है।

दृबा – दृष्टिबाधित

श्रबा – श्रवण बाधित

लोवि – अधिगम अक्षमता (सीखने में कठिनाई)

अनुबंध– VI
(पैरा 5.2 देखें)
अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. रिपोर्ट–II

वर्ष की पहली जनवरी समूह 'क' विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व तथा गत कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम: नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दिल्ली

वेतनमान (रुपए में)	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों का प्रतिनिधित्व (01.01.2024 को)				कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या									
					सीधी भर्ती द्वारा				पदोन्नति द्वारा			प्रतिनियुक्ति द्वारा		
	कार्मिकों की कुल संख्या	अ.जा.	अ.ज.जा	अपिव	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा	अपिव	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
प्रतिनियुक्ति पर अप्रनि														
[सीडीए पद्धति]	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ई–7: ₹100000–260000	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ई–6: ₹ 90000–240000	3	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
ई–5: ₹ 80000–220000	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ई–4: ₹ 70000–200000	6	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ई–3: ₹ 60000–180000	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ई–2: ₹ 50000–160000	9	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ई–1: ₹ 40000–140000	10	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ई–0: ₹ 30000–120000	9	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल	45	12	3	7	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–

अनुबंध– VII
(पैरा 5.2 देखें)
अजा/अजजा/अपवि रिपोर्ट–I

वर्ष की पहली जनवरी को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व और पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम : नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दिल्ली

समूह	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व (01.01.2024 को)				कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या									
					सीधी भर्ती द्वारा				पदोन्नति द्वारा			प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा		
	कार्मिकों की कुल संख्या	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
समूह 'क' प्रबंधकीय' कार्यपालक स्तर*														
	45	12	03	07	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
समूह 'ख' गैर–पर्यवेक्षी कर्मचारी	07	04	01	01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
समूह 'ग' गैर–कार्यपालक कार्मिक (सफाई कर्मियों को छोड़कर)	25	12	01	07	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–
कुल	**77**	**28**	**5**	**15**	**2**	–	–	**1**	**1**	–	–	–	–	–

* अध्यक्ष–सह– प्रबंध निदेशक सहित

अनुबंध– VIII
(पैरा 7 देखें)

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) के अंतर्गत अपेक्षित कर्मचारियों का विवरण

क) समीक्षाधीन पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान नियोजित थे तथा वित्तीय वर्ष में प्राप्त पारिश्रमिक कुल मिलाकर रु. 1,02,00,000/– से कम नहीं था ।

क्र. सं.	नाम और आयु	पदनाम एवं दायित्वों की प्रकृति	प्राप्त पारिश्रमिक	योग्यता	अनुभव (वर्ष)	नियोजन की तारीख	पूर्व नियोजन	अधिनियम की धारा 217 की उपधारा (2क) के खंड (क) के उपखंड (iii) के अर्थ में कंपनी में कार्मिक द्वारा आधारित इक्विटी शेयरों का प्रतिशत
शून्य								

(ख) वर्ष के किसी भाग के लिए कार्यरत रहे हों और कम से कम 8,50,000/– रूपये प्रतिमाह की दर से पारिश्रमिक प्राप्त किया हो ।

क्र. सं.	नाम और आयु	पदनाम और ड्यूटियों का स्वरूप	प्राप्त पारिश्रमिक	योग्यता	अनुभव (वर्ष)	नियोजन की तारीख	पूर्व नियोजन	उपर उप–नियम (2) के उप–खंड (iii) के अर्थागत कंपनी में कार्मिक द्वारा धारित इक्विटी शेयरों का प्रतिशत	क्या ऐसा कोई कार्मिक कंपनी के किसी निदेशक या प्रबंधक का रिश्तेदार है और यदि हां, तो ऐसे निदेशक या प्रबंधक का नाम
शून्य									

टिप्पणियाँ:

1. उपरोक्त सभी नियुक्तियों की शर्तें एवं निबंधन कंपनी के नियमों के अनुसार हैं।
2. प्राप्त पारिश्रमिक में आयकर अधिनियम, 1961 और इसके लिए बनाए गए नियमों के उपबंधो के अनुसार वेतन, अन्य भत्ते और बोनस शामिल हैं।
3. यदि पूरे वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए नियोजित किया गया है, तो उस वर्ष में प्राप्त कुल पारिश्रमिक अथवा यथास्थिति, ऐसी दर पर प्राप्त किया जो, प्रबंध निदेशक अथवा पूर्णकालिक निदेशक अथवा प्रबंधक के वेतन से अधिक था और जो स्वयं अथवा अपने पति/पत्नी और आश्रित बच्चों के साथ कंपनी के इक्विटी शेयरों का न्यूनतम 2 प्रतिशत धारित करता हो।

अनुलग्नक– IX
(पैरा 8 देखें)
(पृष्ठ 6 का 1

वार्षिक कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) अनुपालन रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2023–24

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–135 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसरण में)

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा

नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निगम समाज के समावेशी विकास और समतामूलक विकास में योगदान देना तथा विकास कार्यक्रमों और अन्य नवीन पहलों के माध्यम से सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सामाजिक रूप से एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट इकाई के रूप में स्थापित होना।

वार्षिक योजना में प्रस्तावित कॉपोरेट सामाजिक दायित्व और सत्त विकास (सीएसआर और एसडी) गतिविधियों को संबंधित मंत्रालयों/डीपीई द्वारा जारी संगत अधिसूचना/परिपत्रों के अनुरूप तैयार किया गया है। कोई भी परियोजना/कार्यक्रम जो कर्मचारियों या उनके परिवारों को लाभ पहुंचाता है, उसे सीएसआर और एसडी गतिविधियों के रूप में नहीं माना जाएगा।

CSR&SD के लिए सभी प्रस्तावों को पहले एनएसएफडीसी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक द्वारा गठित आंतरिक समिति द्वारा जांच की जाएगी। यदि लागत रु. 40 लाख से अधिक है तो एनएसएफडीसी में उचित अनुमोदन प्रक्रिया के बाद उनके विचार के लिए उपयुक्त प्रस्ताव निदेशकों की सीएसआर और एसडी समिति के समक्ष रखे जाते हैं।

एनएसएफडीसी के कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियां कंपनी अधिनियम की अनुसूची–VII में शामिल गतिविधियों से संबंधित होंगी।

2. सीएसआर बोर्ड स्तरीय समिति की संरचना

क्र. सं.	निदेशक का डी.आई.एन.	निदेशक का नाम	पदनाम/ निदेशक पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की उन बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया गया
1.	09056584	रजनीश कुमार जैनव	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	2	2
2.	06804536	एस.एम. आवले	निदेशक	2	1
3.	09453376	दुर्गा प्रसाद राय	स्वतंत्र निदेशक	2	2
4.	06644859	अंजुला सिंह माहुर	स्वतंत्र निदेशक	2	2

3. वह वेब–लिंक, जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं प्रदर्शित की गई हैं : www.nsfdc.nic.in

4. नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन कार्यकारी सारांश सहित वेबलिंक : लागू नहीं है ।

(राशि लाख रूपए में)

क.	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ	4807.03
ख.	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 2%	96.14
ग.	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष।	88.88
घ.	अप्रयुक्त निधि पर अर्जित ब्याज	3.50
ङ.	वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [(ख) + (ग) + (घ)]	188.52

5. सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि (दोनों चालू परियोजना)

क: पिछले वर्ष से संबंधित व्ययः

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	
क्र. सं.	परियोजना आईडी / फाइल संख्या	वह वित्तीय वर्ष जिससे नई परियोजना संबंधित है	अधिनियम की अनुसूची–VII में गतिविधियों की सूची से मद	परियोजना का नाम	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि (महीनों में)	चालू वित्त वर्ष में व्यय की गई राशि	कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
						जिला	राज्य				सीएसआर पंजीकरण संख्या	नाम
1.	एनएसएफडीसी/सीएसआर/22–23/ई–65152/उदयपुर राज./	2022–23	खंड i (v)	उदयपुर छात्रावास में शौचालय एवं स्नानघर का निर्माण	हाँ	उदयपुर	राजस्थान	36 महीने	365000	नहीं	CSR00041278	श्री जाग्रति सेवा संस्थान, उदयपुर
2.	एनएसएफडीसी/सीएसआर/एचएमए/22–23/ई–55300/ पैन इंडिया./	2022–23	खंड i (v)	सैनिटरी वेंडिंग मशीनें और भस्मक	हाँ	अखिल भारतीय	अखिल भारत	36 महीने	394173	नहीं	CSR00004546	एचएलएल प्रबंधन अकादमी
3.	एनएसएफडीसी/सीएसआर/एमएचसी/पैन इंडिया/22–23/ई–69424	2022–23	खंड i (iv)	कुल 30 जिलों में 30 स्वास्थ्य शिविर जिनमें 09 राज्यों के 28 आकांक्षी जिले और 02 पिछड़े जिले शामिल हैं	हाँ	अखिल भारतीय	अखिल भारत	36 महीने	164700	नहीं	CSR00000560	नेत्रम आई फाउंडेशन
4.	एनएसएफडीसी/सीएसआर/पीबीसीएम/ स्वावलंबन / पैन इंडिया /22–23/ई–69494	2022–23	खंड iv(i)	03 बोतल क्रशिंग मशीनें	हाँ	सोनीपत और दिल्ली	हरियाणा और दिल्ली	36 महीने	79815	नहीं	CSR00001968	स्वावलम्बन
5.	एनएसएफडीसी/सीएसआर/एमएचसी/पैन इंडिया/22–23/ई–70023	2022–23	खंड i (iv)	स्वास्थ्य शिविर 02 राज्यों में 10 आकांक्षी जिले	हाँ	अखिल भारतीय	अखिल भारत	36 महीने	164700	नहीं	CSR00010248	एचएलएफपीपीटी
6.	एनएसएफडीसी/सीएसआर/बोर्ड मीटिंग/46195	2022–23	खंड i (v)	पीएम केयर फंड में सीएसआर योगदान	हाँ	अखिल भारतीय	अखिल भारत	36 महीने	3315069	हाँ	लागू नहीं	एनएसएफडीसी
7.	एनएसएफडीसी/सीएसआर/बोर्ड मीटिंग/46195	2022–23	खंड i (v)	पीएम केयर फंड में सीएसआर योगदान	हाँ	अखिल भारतीय	अखिल भारत	36 महीने	3000	हाँ	लागू नहीं	एनएसएफडीसी
8.	एनएसएफडीसी/सीएसआर/एमएमबीए/राज/06/ई–44537	2020–21	खंड i (iv)	गैर राशन कार्ड दैनिक मजदूरों को राशन किट का वितरण	हाँ	बाड़मेर	राजस्थान	36 महीने	56250	नहीं	CSR00007875	महिला मंडल बाड़मेर अगोर
	वर्ष 2023–24 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में खर्च की गई राशि का उप–योग								**4925117**			

खः वर्ष 2023–24 में दी गई स्वीकृति के विरुद्ध खर्च :

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	
क्र.सं.	परियोजना आईडी / फाइल संख्या	वह वित्तीय वर्ष जिससे नई परियोजना संबंधित है	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	परियोजना का नाम	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि (महीनों में)	चालू वित्त वर्ष में व्यय की गई राशि	कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
1.	एनएसएफडीसी/सीएसआर/एमएचसी/एनईएफ/टोंक/23–24/ई–71213	2023–24	खंड i (iv)	चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर	हाँ	टोंक	राजस्थान	36 महीने	38430	नहीं	CSR00000560	नेत्रम आई फाउंडेशन
2.	एनएसएफडीसी/सीएसआर/पीबीसीएम/स्वावलंबन/पैनइंडिया/23–24/ई–75517	2023–24	खंड iv (i)	प्लास्टिक बोतल क्रशिंग मशीन	हाँ	उज्जैन देहरादून गोरखपुर, दिल्ली	दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड	36 महीने	1064000	नहीं	CSR00001968	स्वावलम्बन
3.	एनएसएफडीसी/सीएसआर/स्वच्छता/डीईएल/23–24/ई–77427	2023–24	खंड i (iv)	स्वच्छता पखवाड़ा	हाँ	दिल्ली	दिल्ली	36 महीने	9279	हाँ	लागू नहीं	एनएसएफडीसी
4.	एनएसएफडीसीध सीएसआरध्एसएचएसध डीईएलध23–24ध्ई–79103	2023–24	खंड i (iv)	स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम 0.3	हाँ	दिल्ली	दिल्ली	36 महीने	21971	हाँ	लागू नहीं	एनएसएफडीसी
5.	एनएसएफडीसी/सीएसआर/एसएचएस/डीईएल/23–24/ई–79316	2023–24	खंड i (iv)	स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम 0.3 (03–31 अक्टूबर)	हाँ	दिल्ली	दिल्ली	36 महीने	33600	नहीं	CSR00001968	स्वावलम्बन
6.	एनएसएफडीसी/सीएसआर/यूट ेसिल्स/एलपीएस/यूपी/2–2/ई–78065	2023–24	खंड i (vii)	भोजन वितरण के लिए बर्तनों की खरीद	हाँ	प्रयागराज	उत्तर प्रदेश	36 महीने	159006	नहीं	CSR00046333	लोक प्रयास सोसाइटी
7.	एनएसएफडीसी/सीएसआर/आरकेएस/सी–हॉल/एमपी/23–24/ई–79329	2023–24	खंड i (v)	सामुदायिक भवन का निर्माण	हाँ	टीकमगढ़	मध्य प्रदेश	36 महीने	1242116	नहीं	CSR00061441	रोगी कल्याण समिति
8.	एनएसएफडीसी/सीएसआर/आरओ–एस.पी/यूपी/23–24/ई–79449	2023–24	खंड i (v)	आरओ प्लांट और सा. `लर पैनल की स्थापना	हाँ	हाथरस	उत्तर प्रदेश	36 महीने	386633	नहीं	CSR00010248	एचएलएफपीपीटी
9.	एनएसएफडीसीध्सीएसआरध पीबीसीएमध स्वावलंबन ध अयोध्या ध23–24ध्ई–80244	2023–24	खंड iv(i)	प्लास्टिक बोतल क्रशिंग मशीन	हाँ	अयोध्या	उत्तर प्रदेश ।	36 महीने	532000	नहीं	CSR00001968	स्वावलम्बन
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	

क्र.सं.	परियोजना आईडी / फाइल संख्या	वह वित्तीय वर्ष जिससे नई परियोजना संबंधित है	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	परियोजना का नाम	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि (महीनों में)	चालू वित्त वर्ष में व्यय की गई राशि	कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
10.	एनएसएफडीसी/सीएसआर/केएसबी/डीईएल/23–24/ई–81357	2023–24	खंड प (v)	हवलदार तक ईएमएस के आश्रितों के लिए शिक्षा अनुदान	हाँ	दिल्ली	दिल्ली	36 महीने	200000	नहीं	CSR00011199	केन्द्रीय सैनिक बोर्ड
	वर्ष 2023–24 के दौरान स्वीकृति से संबंधित 2023–24 में व्यय की गई राशि का उप योग								**3687035**			
	कुल राशि (क+ख)								**8612152**			

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा : शून्य

(राशि रु में)

1.	प्रशासनिक ओवरहेड्स में खर्च की गई राशि	शून्य
2.	प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो	लागू नहीं
3.	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि ख(क)(ख)(ग),	86,12,152

1. वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई या अव्ययित सीएसआर राशिः

वित्तीय वर्ष के लिए कुल व्यय राशि (रुपए में)	अव्ययित राशि (रुपए में)				
	धारा 135(6) के अनुसार कुल राशि अप्रयुक्त सीएसआर खाते में स्थानांतरित कर दी गई।		धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी निधि में स्थानांतरित राशि		
	राशि	स्थानांतरण की तारीख	निधि का नाम	राशि	स्थानांतरण की तारीख
86,12,152	43,20,039	25.04.2024	पीएम केयर फंड	11,12,388	24.04.2024
				56,250	26.06.2024

2. सेट–ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई है

क्र. सं.	विवरण	(राशि लाख रूपये में)
i	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	96.14
ii	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	86.12
iii	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि [(ii)–(i)]	शून्य
iv	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई है	शून्य
v.	आगामी वित्तीय वर्षों में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii)–(iv)]	शून्य

अनुलग्नक– IX
(पैरा 8 देखें)
(पृष्ठ 6 का 6

3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए व्यय की गई/अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण :

1	2	3	4	5		6
क्र. सं.	पिछले वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित राशि (रुपए लाख में)	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रुपए लाख में)	धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित राशि, यदि कोई हो		आगामी वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु शेष राशि (रुपए लाख में)
				राशि (रुपए लाख में)	स्थानांतरण की तारीख	
1	वित्तीय वर्ष–2 (2020–21)	106.22	152.58	शून्य	शून्य	60.12
2	वित्तीय वर्ष–3 (2021–22)	60.12	49.99	शून्य	शून्य	56.58
3	वित्तीय वर्ष–4 (2022–23)	56.58	82.70	0.24	16.09.2022	88.88

4. क्या वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि से निगमित सामाजिक दायित्व के माध्यम से कोई पूंजीगत परिसंपत्ति बनाई गई है या अधिग्रहित की गई है : नहीं

यदि हाँ, तो निर्मित/अधिग्रहित पूंजीगत परिसंपत्तियों की संख्या दर्ज करें।

वित्तीय वर्ष में सीएसआर के माध्यम से सृजित या अधिग्रहित की गई ऐसी परिसंपत्ति से संबंधित ब्यौरा प्रस्तुत करें।

(क) संपत्ति या परिसंपत्ति(यों) का संक्षिप्त विवरण [संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित] –

(ख) संपत्ति या परिसंपत्ति(ओं) का पिनकोड –

(ग) पूंजीगत परिसंपत्ति(ओं) के सृजन या अधिग्रहण की तारीख –

(घ) पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर राशि –

(ड.) उस संस्था या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि –

11. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो इसका कारण बताएं	वर्ष 2023–24 के दौरान, अप्रयुक्त राशि को परियोजना के आनुपातिक/आवश्यक, पूर्णता के आधार पर किश्तों में या चरणबद्ध तरीके से निर्मुक्त किया जाना है। आवंटन योग्य अधिशेष की सीमा तक स्वीकृति देने के प्रयास किए गए हैं। सीएसआर थीम और परिसंपत्ति निर्माण के संदर्भ में प्रस्तावों पर कार्रवाई की गई।

ह.	ह.	ह.
महाप्रबंधक (सीएसआर)	**(मुमप्र एवं एसडी आंतरिक समिति)**	**अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक**
	अध्यक्ष	

अनुलग्नक–X
(पैरा 9 देखें)
(पृष्ठ 7 का 1)

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट

1. कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड पर कंपनी की राय पर दर्शन विवरण

कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ऐसी व्यवस्थाएँ और पद्धतियां शामिल हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि कंपनी के मामलों का प्रबंधन इस तरह से किया जा रहा है जो व्यापक अर्थ में सभी लेन–देनों में व्यापक रूप से जवाबदेही, पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं। शेयरधारकों को कंपनी के प्रशासन में भाग लेने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाता है।

यद्यपि, वर्ष 2001 के बाद से अनुसूचित जातियों के विकासात्मक मापदंडों में सुधार हुआ है, परंतु समाज में मुख्यधारा और अनुसूचित जातियों की आबादी के बीच का अंतर अभी भी विद्यमान है। तीव्र विकास के बावजूद, वित्तीय बहिष्कार, अस्वीकार्य गरीबी स्तर, बेरोजगारी, पारंपरिक कृषि गतिविधियों से आय का घटता स्तर और कौशल की कमी अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास में प्रमुख चुनौतियाँ बनी हुई हैं। एनएसएफडीसी अपने स्वयं के संचालन में सुशासन के तत्वों को और अधिक एकीकृत करने की भी आकांक्षा रखता है।

2 निदेशक मंडल

2.1 बोर्ड का गठन और निदेशकों के पद

भारत के राष्ट्रपति, प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम कंपनी में निदेशकों की नियुक्ति से की जाती है। बोर्ड के निदेशकों के गठन में स्वीकृत 15 पद हैं। दिनांक 31.03.2024 तक बोर्ड में 11 सदस्य थे, जिनमें से तीन महिला निदेशक हैं।

बोर्ड का गठन और निदेशकों की श्रेणी नीचे दी जा रही है:–

श्रेणी	निदेशक का नाम	स्थिति में
पूर्णकालिक, कार्यकारी, प्रबंध निदेशक	श्री रजनीश कुमार जैनव	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
सरकारी निदेशक :		
(क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का प्रतिनिधित्व	श्री संजय पांडेय श्री बिस्वरंजन सस्मल	संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, एमओएसजेएंडई संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(ख) अन्य संस्थाओं का प्रतिनिधित्व	श्री एस.एम. आवले	आईडीबीआई के प्रतिनिधि
(ग) गैर–सरकारी निदेशक	श्रीमती अंजुला सिंह माहुर श्री दुर्गा प्रसाद	स्वतंत्र निदेशक
(घ) वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व	श्री गुरदीप सिंह मनकटहला	निदेशक
(ङ) एमएसएमई का प्रतिनिधित्व	श्रीमती सुधा केशरी	निदेशक
(च) एएफसी इंडिया लिमिटेड का प्रतिनिधित्व	श्री मशार वेलापुरथ	निदेशक
(छ) एससीए का प्रतिनिधित्व	श्री धम्मज्योति रामदास गजभिये श्रीमती गीता भारती	निदेशक

अनुलग्नक – X
(पैरा 9 देखें)
(पृष्ठ 7 का 2)

2.2 निदेशकों के लिए पारिश्रमिक

2.2.1 पूर्णकालिक कार्यपालक, प्रबंध निदेशक

केंद्र सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम होने के नाते, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक का निणर्य भारत सरकार द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक की नियुक्ति करने वाला सरकारी पत्र में नियुक्ति की अवधि, वेतनमान आदि सहित उनकी नियुक्ति के विस्तृत निबंधनों और शर्तों को इंगित करता है और यह भी बताता है कि पत्र में शामिल अन्य निबंधनों शर्तों के संबंध में, निगम के प्रासंगिक नियम लागू होंगे।

2.2.2 अंशकालिक पदेन सरकारी निदेशक

अंशकालिक पदेन सरकारी निदेशकों को किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं दिया जाता है और बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क का भी भुगतान नहीं किया जाता है। वर्ष के दौरान सरकारी निदेशकों में से कोई भी कंपनी के साथ किसी भी तरह का आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं करता है।

2.2.3 गैर–सरकारी निदेशक

स्वतंत्र निदेशकों को लाभार्थियों और प्रशिक्षण संस्थानों के आधिकारिक दौरे पर खर्चे की प्रतिपूर्ति को छोड़कर किसी भी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है। निदेशक मंडल के दिनांक 20.03.2019 को आयोजित अपनी 150वीं बोर्ड बैठक में स्वतंत्र निदेशकों की बोर्ड बैठक/समिति बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिदिन रु. 4000/– फीस अनुमोदित की।

वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशक को बैठकों में भाग लेने हेतु भुगतान की गई फीस निम्न तालिका में दी गई है:

बोर्ड / समिति की बैठक की तारीख	बोर्ड बैठक/समिति बैठक की संख्या	सिटिंग फीस का भुगतान	
		श्रीमती अंजुला सिंह माहुर	श्री दुर्गा प्रसाद राय
30.05.2023	164वीं बोर्ड बैठक / 20वीं लेखा परीक्षा समिति बैठक / 15वीं सीएसआर समिति बैठक	4000/–	4000/–
25.08.2023	165वीं बोर्ड बैठक / 21वीं लेखा परीक्षा समिति बैठक	4000/–	–
18.12.2023	166वीं बोर्ड बैठक / 22वीं लेखा परीक्षा समिति बैठक / 16वीं सीएसआर समिति बैठक	4000/–	4000/–
14.02.2024	167वीं बोर्ड बैठक	–	4000/–
कुल		**12000/–**	**12000/–**

अनुबंध–X
(पैरा 9 देखें)
(पृष्ठ 7 का 3)

2.2.4 स्वतंत्र निदेशकों का प्रशिक्षण

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के बोर्ड के दो स्वतंत्र निदेशकों को लोक उद्यम विभाग द्वारा 21 से 22 मार्च, 2024 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में आयोजित आवासीय प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया था। हालाँकि, कार्य की अनिवार्यताओं के कारण श्रीमती अंजुला सिंह माहुर प्रशिक्षण के लिए वाराणसी नहीं आ सकीं। श्री दुर्गा प्रसाद राय ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

2.2.5 आचार संहिता

एनएसएफडीसी एक सुपरिभाषित आचार संहिता का पालन करता है, जो ईमानदारी, हितों के टकराव और गोपनीयता के मुद्दों का निष्पक्ष रूप से समाधान करती है और नैतिक आचरण की आवश्यकता पर जोर देती है, जो अच्छे प्रशासन का आधार है। बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे यानी बोर्ड स्तर से एक ग्रेड नीचे से लेकर महाप्रबंधक संवर्ग तक लागू आचार संहिता अस्तित्व में है और प्रतिवेदित वर्ष के लिए बोर्ड के सभी सदस्यों / मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक (महाप्रबंधकों) द्वारा इसे स्वीकार किया गया है।

3 बोर्ड/समिति की बैठकें और प्रक्रियाएं

निदेशक मंडल कंपनी के समग्र कामकाज की देखरेख के लिए गठित सर्वोच्च निकाय है। निदेशक मंडल कंपनी की रणनीतिक दिशा, प्रबंधन नीतियों और उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है और यह शेयरधारकों (भारत सरकार) के दीर्घकालिक हितों की पूर्ति सुनिश्चित करता है।

निदेशकों की समिति का गठन करते समय, यह अपेक्षा की जाती है एवं सुनिश्चित किया जाता है कि निदेशक 10 से अधिक समितियों का सदस्य नहीं होगा और 5 से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं होगा और इसका अनुपालन किया जाता है। कोई भी गैर–सरकारी निदेशक किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में गैर–सरकारी निदेशक के रूप में कार्य नहीं करता हो।

3.1 आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या और तिथियां:

वर्ष के दौरान, आठ बैठकों की न्यूनतम वैधानिक आवश्यकता (धारा 8 कंपनियों के मामले में) के विपरीत, चार बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं। बोर्ड बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है:–

बोर्ड बैठक	तारीख	बोर्ड सदस्यों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
164वीं	30.05.2023	06	05
165वीं	25.08.2023	05	03
166वीं	18.12.2023	05	04
167वीं	14.02.2024	11	07

अनुबंध– X
(पैरा 9 देखें)
(पृष्ठ 7 का 4)

3.2 बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति

निदेशक का नाम	से	तक	अवधि के दौरान आयोजित बैठ. कों की संख्या (2023–24)	अवधि के दौरान बैठकों में उपस्थिति की संख्या (2023–24)
श्री रजनीश कुमार जैनव	01.01.2021	आज तक	4	4
श्री संजय पाण्डेय	18.07.2019	01.04.2024	4	3
श्रीमती कल्याणी चड्ढा	27.04.2022	04.08.2023	1	1
श्री शालिल एम. आवले	04.06.2015	आज तक	4	2
श्रीमती अंजुला सिंह माहुर	06.12.2021	आज तक	4	2
श्री दुर्गा प्रसाद राय	29.12.2021	आज तक	4	3
श्री धम्मज्योति रामदास गजभिये	18.12.2023	आज तक	1	1
श्रीमती गीता भारती	18.12.2023	आज तक	1	1
श्रीमती सुधा केशरी	18.12.2023	आज तक	1	–
श्री मशार वेलापुरथ	18.12.2023	आज तक	1	1
श्री गुरदीप सिंह मनकटहला	22.01.2024	आज तक	1	–
श्री बिस्वरंजन सस्मल	09.02.2024	आज तक	1	1

3.3 निदेशकों की नियुक्तियां और उनके कार्यालय की सेवा समाप्ति

वर्ष के दौरान निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:–

क्र.सं.	निदेशक का नाम	से	तक
1.	श्रीमती कल्याणी चड्ढा	27.04.2022	04.08.2023
2.	श्री संजय पाण्डेय	18.07.2019	01.04.2024
3.	श्री धम्मज्योति रामदास गजभिये	18.12.2023	–
4.	श्रीमती गीता भारती	18.12.2023	–
5.	श्रीमती सुधा केशरी	18.12.2023	–
6.	श्री मशार वेलापुरथ	18.12.2023	–
7.	श्री गुरदीप सिंह मनकटहला	22.01.2024	–
8.	श्री बिस्वरंजन सस्मल	09.02.2024	–

3.4 बोर्ड और समिति की बैठकों की कार्यवाही का रिकार्ड

कंपनी सचिव द्वारा बोर्ड और समिति की बैठक की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त के रिकॉर्ड किया जाता है। बोर्ड के सदस्यों को उनकी टिप्पणी के लिए कार्यवृत्त का मसौदा परिचालित किया जाता है। तत्पश्चात बोर्ड/समिति की बैठकों में लिए गए निर्णयों को संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई के लिए सूचित किया जाता है और बोर्ड/समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों की स्थिति पर एक कार्रवाई रिपोर्ट, बोर्ड/समिति के सदस्यों सूचनार्थ रखी जाती है।

अनुबंध–X
(पैरा 9 देखें)
(पृष्ठ 7 का 5)

4 लेखापरीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–177 की आवश्यकताओं के अनुरूप किया गया है। कंपनी की लेखापरीक्षा समिति में श्री संजय पांडे, श्री दुर्गा प्रसाद राय एवं श्रीमती अंजुला सिंह माहुर शामिल हैं। श्रीमती अन्नु भोगल (कंपनी सचिव) लेखापरीक्षा समिति की सचिव हैं। वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशें बोर्ड द्वारा स्वीकार की गईं। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान दिनांक 30.05.23, 25.08.2023 और 18.12.2023 को लेखापरीक्षा समिति की तीन बार बैठक हुई।

निगम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–8 (पहले कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा–25) के अधीन एक लाभ निरपेक्ष कंपनी के रूप में पंजीकृत है। धारा–462 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निगमित कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने अधिसूचना जीएसआर 466 (ई) दिनांक 05.06.2015 के तहत धारा–8 के अधीन कंपनियों को धारा–177 (2) के अधीन लेखापरीक्षा समिति में स्वतंत्र निदेशकों की न्यूनतम संख्या की आवश्यकता से छूट दी गई है।

चूंकि कंपनी सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है, इसलिए लेखापरीक्षा समिति के गठन का प्रावधान निगम पर लागू नहीं था। हालांकि, डीपीई द्वारा जारी सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्धारित संदर्भ शर्तों के अनुसार 14.01.2016 को बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया गया था।

5. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) समिति

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–135 और अनुसूची–VII के साथ कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व) नियम, 2014 के अनुरुप किया गया है। वर्तमान सीएसआर समिति में श्री रजनीश कुमार जैनव (अध्यक्ष), श्री एस.एम. आवले (सदस्य), श्री दुर्गा प्रसाद राय (सदस्य 29.12.2021 से) और श्रीमती अंजुला सिंह माहुर (सदस्य 06.12.2021 से) शामिल हैं। सीएसआर समिति की भूमिका में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल होने चाहिए:

(i) सीएसआर नीति तैयार करना एवं बोर्ड को उनकी सिफारिश करना।

(ii) सीएसआर व्यय की सिफारिश करना।

(iii) सीएसआर परियोजनाओं की निगरानी और कार्यान्वयन करना।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की दो बैठकें दिनांक 30.05.2023 और 18.12.2023 को आयोजित हुईं।

6. वार्षिक आम बैठक

पिछले तीन वर्षों के दौरान, 32वीं, 33वीं और 34वीं वार्षिक आम बैठकें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव के चैंबर, छठी मंजिल, ('ए'–विंग) शास्त्री भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गईं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित वार्षिक आम बैठकों की तारीख और समय तथा उनमें पारित विशेष प्रस्ताव निम्नानुसार हैं:–

अनुबंध–X
(पैरा 9 देखें)
(पृष्ठ 7 का 6)

वार्षिक आम बैठक	वर्ष	तारीख	समय	विशेष प्रस्ताव पारित
32वीं	2020–21	26.11.2021	दोपहर 1.00 बजे	शून्य
33वीं	2021–22	06.12.2022	शाम 5.00 बजे	शून्य
34वीं	2022–23	10.11.2023	दोपहर 12.30 बजे	शून्य

7. प्रकटीकरण

7.1 वास्तविक महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेन–देन पर प्रकटीकरण कि बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ संभावित विरोध हो सकता है

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने अपने किसी भी संबंधित पार्टियों के साथ वेतन, भत्तों और गृह ऋण के अलावा कोई भी वास्तविक लेनदेन नहीं किया।

7.2 गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी किसी दिशा–निर्देशों से संबंधी किसी विषय पर किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा गैर–अनुपालन, अर्थ–दंड कर, कंपनी पर लगाए गए दोषारोपण का ब्यौरा

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी पर पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अर्थ–दंड/दोषारोपण नहीं लगाया गया है।

7.3 अनुपालन

कंपनी सचिव को बैठक (बैठकों) की कार्यसूची, कार्यसूची पर नोट्स और कार्यवृत्त तैयार करते समय, कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ–साथ उसके तहत जारी नियमों, जैसा कि लागू है, का पालन सुनिश्चित करते हैं और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा अनुशंसित सचिवालयी मानकों का पालन करते हैं। संबंधित विभागीय प्रमुख संबंधित कार्यों के अनुसार सभी लागू कानूनों और विनियमों के लिए जिम्मेदार हैं।

8. व्हिसल ब्लोअर नीति

कंपनी अपनी सभी व्यावसायिक गतिविधियों में नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देती है और इसने अवैध या अनैतिक व्यवहार की रिपोर्ट करने के लिए एक तंत्र बनाया है। कंपनी के पास एक विजिल मैकेनिज्म और व्हिसल ब्लोअर नीति है जिसके तहत कर्मचारी लागू कानूनों और विनियमों तथा आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं।

9. संचार के साधन

कंपनी अपनी वेबसाइट पर वार्षिक प्रतिवेदन के साथ–साथ कंपनी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदर्शित करती है। शेयरधारकों से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन और अन्य दस्तावेज नियमित रूप से लोक सभा और राज्य सभा के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। कंपनी अपनी वेबसाइट www.nsfdc.nic.in और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया पर आधिकारिक समाचार विज्ञप्ति प्रदर्शित करती है ।

अनुबंध–X
(पैरा 9 देखें)
(पृष्ठ 7 का 7)

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान शिल्प समागम मेला, दिल्ली हाट और भारत मंडपम में प्रदर्शनियों को सोशल मीडिया में व्यापक रूप से कवर किया गया। मियादी ऋण और कौशल प्रशिक्षण के तहत एनएसएफडीसी की अन्य गतिविधियों को सोशल मीडिया में विस्तार से प्रदर्शित किया गया।

10. अनुपालन प्रमाण–पत्र

यह रिपोर्ट सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई के दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं का पूरी तरह से अनुपालन करती है और इसमें दिशानिर्देशों के **अनुलग्नक–VII** में उल्लिखित सभी सुझाए गए मद शामिल हैं। डीपीई द्वारा निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस आवश्यकताओं के अनुपालन पर तिमाही रिपोर्ट भी नियमित रूप से प्रशासनिक मंत्रालय को भेजी जाती है। सीपीएसई के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुपालन के बारे में प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाण–पत्र को **अनुलग्नक–XI** में निदेशकों की रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है ।

अनुलग्नक–X
(पैरा 10 देखें)
(पृष्ठ 2 का 1)

CS

एमएनके एंड एसोसिएट्स एलएलपी
कंपनी सचिव, एलएलपीआईएनःएएएम–9113
पंजीकृत कार्यालयः 9ए/9–10, बेसमेंट, पूर्व पटेल नगर, नई दिल्ली – 110 008
फोनः 91–11–4509230, मोबाइलः 91–9818156340, ई–मेलः nazim@mnkassociates.com

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर प्रमाण–पत्र

(डीपीई द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशा–निर्देश, 2010 के खंड 8.2.1 के अनुसार)

सेवा में,
सदस्यगण
नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
नई दिल्ली

हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर गाइडलाईन 2010 में निर्धारित किए अनुसार नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ('कंपनी') द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन उसके साथ जुड़े अनुलग्नकों की जाँच की।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन जिम्मेदारी प्रबंधन समिति की है। हमारी जांच उक्त उल्लेखित गाईडलाइनों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई हुई उस प्रक्रिया और कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न लेखा परीखा है और न ही कंपनी की वित्तीय विवरिणका पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय और उत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने डीपीई दिशानिर्देशों में दी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का निम्नांकित को छोड़कर अनुपालन किया हैः

1. डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, बोर्ड प्रत्येक तीन महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगा और किन्हीं दो बैठकों के बीच का समय अंतराल तीन महीने से अधिक नहीं होगा। कंपनी के अभिलेखों के अवलोकन पर हमने पाया कि बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान 4 बैठकों अर्थात् 30.05.2023, 25.08.2023, 18.12.2023 और 14.02.2024 और दूसरी और तीसरी बोर्ड की बैठकों के बीच का समय अंतराल 3 (तीन) महीने से अधिक है।

अनुलग्नक–XI
(पैरा 10 देखें)
(पृष्ठ 2 का 2)

CS

एमएनके एंड एसोसिएट्स एलएलपी
कंपनी सचिव, एलएलपीआईएनःएएएम–9113
पंजीकृत कार्यालयः 9ए/9–10, बेसमेंट, पूर्व पटेल नगर, नई दिल्ली – 110 008
फोनः 91–11–4509230, मोबाइलः 91–9818156340, ई–मेलः nazim@mnkassociates.com

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर प्रमाण–पत्र

(डीपीई द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशा–निर्देश, 2010 के खंड 8.2.1 के अनुसार)

2. डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति की बैठक पिछले 12 महीनों के दौरान कम से कम चार बार होगी और साथ में दो बैठक के बीच चार महीने से अधिक का का अंतराल होना चाहिए। तथापि कंपनी के अभिलेखों का अवलोकन करने पर हमने पाया कि लेखा परीक्षा समिति पिछले 12 महीनों के दौरान 2 बार अर्थात् 30.05.2023 और 25.08.2023।

हम यह भी बताते हैं कि ऐसे अनुपालन, कंपनी की ही भावी व्यवहार्यता और न ही कुशलता अथवा प्रभावकारिता के लिए आश्वासन है, जिससे प्रबंधन समिति ने कंपनी कार्य को निष्पादित किया है।

कृते एमएनके एंड एसोसिएट्स एलएलपी
कंपनी सचिव
एफआरएनः एल2018डीई004900

ह.
मोहम्मद नजीम खान
नामित भागीदार
प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव
एफसीएसः 6529; सीपी 8245
यूडीआईएनः एफ006529 एफ000744035
पीर रिव्यू सर्टि. नं.671/2020

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 15.07.2024

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएसएफडीसी)
31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन - पत्र

(₹ लाख में)

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार
I.	**परिसंपत्तियां**			
1	**गैर-चालू परिसंपत्तियां**			
	(क) संपत्ति, सयंत्र और उपकरण	3	405.35	395.59
	(ख) विनिधान संपत्ति	4	11.63	11.63
	(ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	5	0.55	1.15
	(घ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
	(i) ऋण	6	1,22,458.78	1,18,602.36
	(ii) अन्य	7	30.19	112.29
	(ङ) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां	8	47.34	43.98
			1,22,953.84	1,19,167.01
2	**चालू परिसंपत्तियां**			
	(क) वित्तीय परिसंपत्तियां			
	(i) नकद और नकद के समकक्ष	9	7,325.24	31,720.86
	(ii) उपर्युक्त (i) के अलावा बैंक शेष	10	6,617.62	7,223.88
	(iii) ऋण	6	97,125.19	86,216.77
	(iv) अन्य	11	3,989.83	2,992.97
	(ख) चालू कर परिसंपत्ति (निवल)	12	15.75	24.87
	(ग) अन्य चालू परिसंपत्तियां	13	86.59	65.36
			1,15,160.21	1,28,244.71
	कुल परिसंपत्तियां		2,38,114.05	2,47,411.72
II.	**इक्विटी और देयताएं**			
1	**इक्विटी**			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	14	1,51,500.00	1,50,000.00
	(ख) अन्य इक्विटी	15	77,979.65	72,692.28
			2,29,479.65	2,22,692.28
2	**देयताएं**			
(i)	**गैर-चालू देयताएं**			
	(क) दीर्घावधि प्रावधान	16	512.41	493.92
			512.41	493.92
(ii)	**चालू देयताएं**			
	(क) वित्तीय देयताएं			
	(i) ऋण	17.1	2,500.00	-
	(ii) अन्य	17.2	4,764.37	23,285.94
	(ख) अन्य चालू देयताएं	18	91.07	143.99
	(ग) प्रावधान	16	766.55	795.59
			8,121.99	24,225.52
	कुल इक्विटी और देयताएं		2,38,114.05	2,47,411.72
III.	वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियां 1-45 देखें।			

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते मैसर्स दविन्द्र पाल सिंह एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेट्स
एफआरएन : 007601N

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

	ह.	**ह.**	**ह.**
	(मंजीत सिंह छतवाल)	**(राजेश बिहारी)**	**(अन्नु भोगल)**
	उप-महाप्रबंधक (वित्त)	**मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)**	**कंपनी सचिव**

ह.	ह.	ह.
सी.ए. दविन्द्र पाल सिंह	मशर वेलापुरथ	(रजनीश कुमार जैनव)
भागीदार	निदेशक	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
सदस्यता सं. 086596	डीआईएन-09350971	डीआईएन- 09056584

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22-07-2024

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएसएफडीसी)
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण		टिप्पणी सं.	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
I	प्रचालनों से प्राप्त राजस्व	19	6,865.40	6,322.84
II	अन्य आय	20	823.05	1,143.76
	कुल राजस्व (I+II+III)		7,688.45	7,466.60
IV	व्यय			
	कर्मचारी हित व्यय	21	2,005.42	1,931.95
	वित्त लागत	21.1	62.13	-
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	22	34.67	32.70
	संदिग्ध ऋण और ब्याज के लिए भत्ता	30.4	59.53	57.11
	एससीए को प्रोत्साहन	23	105.00	150.00
	सीएसआर व्यय	36	85.56	71.89
	अन्य व्यय	24	630.17	461.62
	कुल व्यय (IV)		2,982.48	2,705.27
V	असाधारण मदों और करों से पूर्व व्यय से अधिक आय (III - IV)		4,705.97	4,761.33
VI	असाधारण मदें	25	3.27	0.06
VII	कर-पूर्व व्यय से अधिक आय (V - VI)		4,709.24	4,761.39
VIII	कर व्यय:			
	(1) वर्तमान कर		-	-
	(2)आस्थगित कर		-	-
IX	असाधारण मदों और करों से पूर्व व्यय से अधिक आय (VII-VIII)		4,709.24	4,761.39
X	बंद प्रचालनों से व्यय से अधिक आय		-	-
XI	बंद प्रचालनों का कर व्यय		-	-
XII	बंद प्रचालनों से व्यय से अधिक आय (X - XI)		-	-
XIII	इस अवधि के लिए व्यय से अधिक आय (IX + XII)		4,709.24	4,761.39
XIV	अन्य व्यापक आय			
	क. (i) वह मदें, जिन्हें आय एवं व्यय लेखे में पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।	26	26.05	4.46
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर, जिन्हें आय एवं व्यय लेखे में पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		-	-
	ख. (i) वह मदें, जिन्हें आय एवं व्यय लेखे में पुन: वर्गीकृत किया जाएगा।		-	-
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर, जिन्हें आय एवं व्यय लेखे में पुन: वर्गीकृत किया जाएगा।		-	-
XV	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XIII+XIV) (जिसमें व्यय से अधिक आय और इस अवधि के लिए अन्य व्यापक आय शामिल है)		4,735.29	4,765.85
XVI	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन:			
	(कार्यरत प्रचालन के लिए)			
	(1) मूलभूत (₹)	27	31.08	31.74
	(2) तरलीकृत (₹)	27	31.39	31.74
XVII	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन:			
	(बंद और कार्यरत प्रचालन के लिए)			
	(1) मूलभूत (₹)		-	-
	(2) तरलीकृत (₹)		-	-
XVIII	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन:			
	(बंद और कार्यरत प्रचालन के लिए)			
	(1) मूलभूत (₹)	27	31.08	31.74
	(2) तरलीकृत (₹)	27	31.39	31.74
XIX	वित्तीय विवरणों की संलग्न टिप्पणियों को देखें			

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते मैसर्स दविन्द्र पाल सिंह एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन : 007601N

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह.
(मंजीत सिंह छतवाल)
उप-महाप्रबंधक (वित्त)

ह.
(राजेश बिहारी)
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

ह.
(अन्नु भोगल)
कंपनी सचिव

ह.
सी.ए. दविन्द्र पाल सिंह
भागीदार
सदस्यता सं. 086596

ह.
मशर वेलापुरथ
निदेशक
डीआईएन-09350971

ह.
(रजनीश कुमार जैनव)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन- 09056584

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22-07-2024

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएसएफडीसी)
31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए नकद प्रवाह का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
क. प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह			
असाधारण मदों और कर से पूर्व व्यय से अधिक आय		4,709.24	4,761.39
प्रचालन क्रियाकलापों द्वारा प्रदत्त निवल नकद के प्रति निवल लाभ का सामंजस्य के लिए समायोजन			
मूल्यह्रास		34.67	32.70
पट्टा देयता पर ब्याज		-	-
परिसंपत्तियों की बिक्री/हानिकरण/विनिमय पर हानि/(लाभ)		(3.27)	(0.06)
पट्टों पर संशोधन लाभ		-	-
प्रचालन परिसंपत्तियों और देयताओं में परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ	(1)	4,740.64	4,794.03
समायोजन के लिए:			
गैर-चालू ऋणों में कमी/(वृद्धि)		(3,856.42)	(5,322.96)
अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)		82.10	14.69
अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)		(3.35)	8.14
चालू ऋणों में कमी/(वृद्धि)		(10,908.42)	2,897.74
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)		(996.86)	1,493.25
अन्य चालू परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)		(21.23)	(25.26)
अन्य चालू वित्तीय देयताओं में कमी/(वृद्धि)		(18,521.57)	17,850.24
अन्य चालू देयताओं में कमी/(वृद्धि)		(52.92)	6.51
गैर-चालू प्रावधानों में कमी/(वृद्धि)		44.54	47.51
चालू प्रावधानों में कमी/(वृद्धि)		(29.05)	93.81
	(2)	(34,263.18)	17,063.67
प्रचालन से सृजित नकद	(1+2)	(29,522.53)	21,857.70
प्रदत्त आयकर		9.12	(9.12)
प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकद बहिर्वाह		(29,513.41)	21,848.58
ख. निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह			
संपत्ति, सयंत्र और उपकरणों की बिक्री/निपटान		3.79	0.56
संपत्ति, सयंत्र और उपकरणों की खरीद		(44.34)	(17.30)
अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद		-	-
		606.26	(871.93)
विशेष आरक्षित निधि निवेश पर ब्याज		552.08	275.24
निवेश क्रियाकलापों से निवल नकद अंतर्वाह		1,117.79	(613.43)

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएसएफडीसी)
31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए नकद प्रवाह का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
ग. वित्त पोषण क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
शेयर पूंजी का निर्गम	1,500.00	-
शेयर आवेदन का पैसा लंबित आवंटन	-	-
उधार से आय	2,500.00	-
पट्टा दायित्व पर ब्याज	-	-
मूल पट्टे का भुगतान	-	-
वित्त पोषण क्रियाकलापों से निवल नकद अंतर्वाह	**4,000.00**	**-**
नकद और नकद समकक्ष में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)	(24,395.62)	21,235.15
वर्ष के आरंभ में नकद और नकद समकक्ष (टिप्पणी सं. 9 देखें)	31,720.86	10,485.71
नकद अंत: शेष और नकद समकक्ष	**7,325.24**	**31,720.86**
नकद और नकद समकक्ष का सामंजस्य		
वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार नकद और नकद समकक्ष (टिप्पणी संख्या 9 देखें)	**7,325.24**	**31,720.86**

टिप्पणियां:-

i यह नकद प्रवाह विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए नकद प्रवाह विवरण पर भारतीय लेखा मानक-7 में दी गई अप्रत्यक्ष पद्धति के अंतर्गत तैयार किया गया है।

ii. कंपनी ने 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी भारतीय लेखामानक 7 में संशोधन को अपनाया है, जिसके तहत प्रकटीकरण आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिन संस्थानों को ऐसे प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है जो नकदी प्रवाह और गैर-नकदी परिवर्तनों दोनों से उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों सहित, वित्त पोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं के लिए तुलन-पत्र में प्रारंभ और समापन शेष के बीच सामंजस्य शामिल करने का सुझाव देते हैं ताकि वित्तीय आवश्यकता का प्रकटीकरण हो सके।

iii. विगत वर्ष के आंकड़ों की पुष्टि करने तथा वर्तमान वर्ष के आंकड़ों के साथ उनकी तुलना करने के लिए उन्हें पुनः वर्गीकृत/पुनर्गठित किया गया है।

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते मैसर्स दविन्द्र पाल सिंह एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेट्स
एफआरएन : 007601N

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह.
(मंजीत सिंह छतवाल)
उप-महाप्रबंधक (वित्त)

ह.
(राजेश बिहारी)
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

ह.
(अन्नु भोगल)
कंपनी सचिव

ह.
सी.ए. दविन्द्र पाल सिंह
भागीदार
सदस्यता सं. 086596

ह.
मशर वेलापुरथ
निदेशक
डीआईएन-09350971

ह.
(रजनीश कुमार जैनव)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन- 09056584

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22-07-2024

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएसएफडीसी)
31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण (एसओसीई)

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

विवरण	शेयरों की संख्या (लाख में)	राशि
01 अप्रैल, 2023 को शेष	150.00	1,50,000.00
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
1 अप्रैल, 2023 तक पुनः उल्लिखित बकाया शेष	150.00	1,50,000.00
चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयर पूंजी	1.50	1,500.00
31 मार्च, 2024 को शेष	151.50	1,51,500.00

ख. अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	आवंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि	आरक्षित और अधिशेष			कुल
		विशेष आरक्षित	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	7,974.18	64,718.09	-	72,692.27
पूर्व अवधि समायोजन (नोट 32 का संदर्भ लें)			-		-
वर्ष के आरंभ में पुनः उल्लिखित बकाया शेष	-	7,974.18	64,718.09	-	72,692.27
वर्ष के लिए लाभ	-	-		4,709.24	4,709.24
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-			26.05	26.05
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	4,735.29	4,735.29
विशेष आरक्षित में अंतरण		470.92		(470.92)	-
विशेष आरक्षित निधि निवेश के ब्याज का अंतरण		552.08		-	552.08
सामान्य आरक्षित में अंतरण		-	4,264.37	(4,264.37)	-
वर्ष के दौरान प्राप्त शेयर आवेदन राशि		-			-
शेयर पूंजी का निर्गम					-
वर्ष के अंत में बकाया शेष	-	8,997.18	68,982.46	-	77,979.65

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते मैसर्स दविन्द्र पाल सिंह एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन : 007601N

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह.
(मंजीत सिंह छतवाल)
उप-महाप्रबंधक (वित्त)

ह.
(राजेश बिहारी)
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

ह.
(अन्नु भोगल)
कंपनी सचिव

ह.
सी.ए. दविन्द्र पाल सिंह
भागीदार
सदस्यता सं. 086596

ह.
मशर वेलापुरथ
निदेशक
डीआईएन-09350971

ह.
(रजनीश कुमार जैनव)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन- 09056584

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22-07-2024

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेसं एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएसएफडीसी)
31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण (एसओसीई)

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

विवरण	शेयरों की संख्या (लाख में)	राशि
01 अप्रैल, 2022 को शेष	150.00	1,50,000.00
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
1 अप्रैल, 2022 तक पुनः उल्लिखित बकाया शेष	150.00	1,50,000.00
चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयर पूंजी	-	-
31 मार्च, 2023 को शेष	150.00	1,50,000.00

ख. अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	आवंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि	आरक्षित और अधिशेष			कुल
		विशेष आरक्षित	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	7,222.80	61,269.06	-	68,491.86
पूर्व अवधि समायोजन (नोट 32 का संदर्भ लें)			(840.68)	-	(840.68)
वर्ष के आरंभ में पुन: उल्लिखित बकाया शेष	-	7,222.80	60,428.38	-	67,651.18
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	4,761.39	4,761.39
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-		-	4.46	4.46
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	4,765.85	4,765.85
विशेष आरक्षित में अंतरण		476.14		(476.14)	-
विशेष आरक्षित निधि निवेश के ब्याज का अंतरण		275.24		-	275.24
सामान्य आरक्षित में अंतरण		-	4,289.71	(4,289.71)	-
वर्ष के दौरान प्राप्त शेयर आवेदन राशि		-			-
शेयर पूंजी का निर्गम					-
वर्ष के अंत में बकाया शेष	-	7,974.18	64,718.09	-	72,692.27

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते मैसर्स दविन्द्र पाल सिंह एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन : 007601N

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह.	ह.	ह.
(मंजीत सिंह छतवाल)	**(राजेश बिहारी)**	**(अन्नु भोगल)**
उप-महाप्रबंधक (वित्त)	**मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)**	**कंपनी सचिव**

ह.	ह.	ह.
सी.ए. दविन्द्र पाल सिंह	मशर वेलापुरथ	(रजनीश कुमार जैनव)
भागीदार	निदेशक	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
सदस्यता सं. 086596	डीआईएन-09350971	डीआईएन- 09056584

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22-07-2024

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

1 कॉर्पोरेट सूचना

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भारत में स्थित एक लाभ–निरपेक्ष कंपनी है और यह कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (जो अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–8 हो गई है) के अंतर्गत दिनांक 08.02.1989 को नेशनल शेडयूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपेंट कॉर्पोरेशन के नाम से स्थापित की गई थी। इसने दिनांक 09.04.2001 तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों दोनों के लक्ष्य समूहों की आवश्यकताओं की पूर्ति की। यह निगम दिनांक 10.04.2001 को जनजा. ति कार्य मंत्रालय के अधीन अनुसूचित जनजाति लक्ष्य समूह के लिए नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सृजन के पश्चात् द्विभाजित हो गया था। इसके द्विभाजन के परिणामस्वरूप निगम अब अनुसूचित जाति लक्ष्य समूह की आवश्यकताओं की अनन्य रूप से पूर्ति करता है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 14वां तल, कोर 1 और 2, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, दिल्ली–110092 में स्थित है।

2 लेखांकन नीतियां

2.1 अनुपालन का विवरण

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) समय–समय पर संशोधित नियमावली के अनुसार तैयार किए गए हैं।

2.2 तैयार करने का आधार

ये वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत और उपचय आधार पर तैयार किए गए हैं, निम्नलिखित मदों को छोड़कर, जिन्हें सुसंगत भारतीय लेखा मानकों द्वारा यथापेक्षित उचित मूल्य पर मापा गया है:

(i) सुनिश्चित लाभ योजना और अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ।

(ii) कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां और उचित मूल्य पर मापे गए दायित्व।

2.3 अनुमानों और निर्णय का इस्तेमाल

भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे निर्णय, अनुमान और पूर्वानुमान करें, जो लेखांकन नीति के अनुप्रयोग और परिसंपत्तियों, दायित्वों की रिपोर्ट की गई राशियों, वित्तीय विवरणों की तारीख को आकस्मिक परिसंपत्तियों और दायित्वों के प्रकटीकरण तथा आय और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करे। इस प्रकार के अनुमानों के उदाहरणों में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल, संदिग्ध ऋणों, कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं के अंतर्गत भावी दायित्वों और आकस्मिक दायित्वों के लिए प्रावधान शामिल हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों और अंतर्निहित पूर्वानुमानों की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है। इन अनुमानों में परिवर्तनों और वास्तविक परिणाम तथा अनुमानों के बीच के अंतर के कारण भावी परिणाम भिन्न हो सकते हैं। इन अनुमानों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें परिणाम जाने जाते हैं/इन्हें मूर्त रूप दिया जाता है।

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

2.4 सभी वित्तीय सूचनाओं को भारतीय रुपयों में प्रस्तुत किया गया है और सभी मूल्यों को दो दशमलव पॉइंटों के साथ निकटतम लाख रुपयों में पूर्णांकित किया जाता है, सिवाय ऐसी स्थिति के, जहां अन्यथा उल्लेख किया गया हो।

2.5 नकद प्रवाह का विवरण

नकद प्रवाह, अप्रत्यक्ष पद्धति का इस्तेमाल करके सूचित किया जाता है, जिसके द्वारा कर–पूर्व लाभ/(हानि) को गैर–नकद प्रकार के लेन–देनों और बाद के या भावी नकद प्राप्तियों या भुगतानों के उपार्जन या किसी आस्थगन के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के प्रचालन, निवेश और वित्तपोषण के क्रियाकलापों से नकद प्रवाह सूचना के आधार पर अलग–अलग कर दिया जाता है।

नकद प्रवाह के विवरण के उद्देश्यों के लिए, नकद और नकद समकक्ष में हस्तांगत नकदी, बैंकों में नकद और बैंकों में मांग जमा राशियां, निवल बकाया बैंक, मांग ड्राफ्ट (ओवरड्राफ्ट) शामिल हैं, जो मांग किए जाने पर भुगतान किए जाने योग्य हैं और कंपनी की नकद प्रबंधन प्रणाली का भाग माने जाते हैं।

भारतीय लेखा मानक–7 :

कंपनी ने भारतीय लेखा मानक–7 के संशोधन को अपनाया, जिसके तहत संस्थाओं को प्रकटीकरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकटीकरण प्रदान करने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को वित्तपोषण की गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं में परिवर्तन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है, जिसमें नकद प्रवाह और गैर–नकद परिवर्तनों दोनों से उठे परिवर्तन, वित्त पोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं के लिए तुलन–पत्र के आरंभिक और अंतःशेष राशि के बीच समायोजन पर सुझाव देते हैं। संशोधन को अपनाने से वित्तीय विवरणों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा।

2.6 विदेशी मुद्रा

वित्तीय विवरणों में शामिल किए गए मदों को ऐसे प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा का इस्तेमाल करके मापा जाता है, जिसमें कंपनी संचालन करती है (अर्थात् कार्यात्मक मुद्रा)। ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपयों में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक और प्रस्तुतीकरण मुद्रा है।

विदेशी मुद्राओं में हुई आय और किए गए खर्चे के लेन–देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्रा की आर्थिक परिसंपत्तियां और दायित्व तुलन–पत्र की तारीख को प्रचलित वि. निमय दर पर रूपांतरित की जाती हैं और निपटान तथा पुनः उल्लेख से उत्पन्न विनिमय लाभों और हानियों को आय एवं व्यय के विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.7 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, संचित मूल्यह्रास और नुकसान से होने वाली हानियां, यदि कोई हैं, को घटाकर लागत पर मापा जाता है।

परिसंपत्ति की लागत में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर प्रत्यक्ष रूप से लगाई गई लागत

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(ii) मदों को अलग–अलग करने और हटाने तथा उस साइट को पुनः स्थापित करने, जिस पर यह स्थित है, यदि मान्यता संबंधी मापदंड पूरे किए गए हैं, की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य।

प्रतिस्थापन, प्रमुख निरीक्षण, महत्वपूर्ण हिस्सों की मरम्मत की लागत और दीर्घावधि निर्माण परियोजनाओं की उधार लागतें पूंजीकृत की जाती हैं, यदि मान्यता का मापदंड पूरा किया गया हो।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, जिनकी लागत रु.5,000/– से अधिक है, को आय एवं व्यय के विवरण में प्रत्यक्ष रूप से प्रभारित किया गया है।

परिसंपत्तियों की बिक्री पर लागत और संचित मूल्यह्रास का अनुमान वित्तीय विवरणों से लगाया जाता है और परिणामी लाभों तथा हानियों को आय एवं व्यय के विवरण में मान्यता दी जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए मूल्यह्रास का प्रावधान, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में यथा. विनिर्धारित परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पर अधोलिखित मूल्य पद्धति पर किया जाता है। अनुमानित, उपयोगी जीवनकाल, अवशिष्ट मूल्य और मूल्यह्रास पद्धति की समीक्षा भावी आधार पर लेखे में लिए गए अनुमानों में किसी परिवर्तन की अवधि से, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है।

अनुमानित उपयोगी जीवनकाल, निम्नानुसार हैः

परिसंपत्तियों की श्रेणी

विवरण	**अनुमानित उपयोगी जीवनकाल (वर्ष)**
फ्रीहोल्ड बिल्डिंग	60
एयर कंडीशनर	5
कंप्यूटर और कल–पुर्जे	3
जुड़नार और फिटिंग	10
फर्नीचर	10
कार्यालय उपकरण	5
वाहन	8

लीज होल्ड बिल्डिंग का परिशोधन प्राथमिक पट्टा अवधि पर किया जा रहा है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी मद के प्रत्येक भाग का मूल्यह्रास अलग–अलग किया जाता है, यदि भाग की लागत उस मद की तुलना के संबंध में महत्वपूर्ण है और उस भाग का उपयोगी जीवनकाल बाकी परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल से भिन्न है।

परिसंपत्तियों का अवशिष्ट मूल्य, परिसंपत्तियों की लागत के 5% के रूप में लिया जाता है।

मूल्यह्रास को चल रहे पूंजीगत कार्य पर दर्ज नहीं किया जाता जब तक निर्माण और संस्थापन पूरा न कर लिया गया हो और परिसंपत्ति इसके आशायित इस्तेमाल के लिए तैयार न हो।

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

मूल्यह्रास पद्धतियों, उपयेागी जीवनकाल और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को की जाती है।

2.8 अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियों को उस समय मान्यता दी जाती है जब यह संभावना हो कि भावी आर्थिक लाभ, जो परिसंपत्ति के कारण होते हैं, उद्यम तक आएंगे और परिसंपत्ति की लागत विश्वसनीय रूप से मापी जा सकती है। अमूर्त परिसंपत्तियों का उल्लेख, संचित परिशोधन और हानि, यदि कोई है, घटाकर ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है।

''अमूर्त परिसंपत्तियों'' के संबंध में ऐसा सॉफ्टवेयर, जो हार्डवेयर उपकरण का अभिन्न अंग नहीं है, सॉफ्टवेयर तैयार करने और उससे संबंधित खर्च, जिसके परिणामस्वररूप तैयार किए गए सॉफ्टवेयर का सफलतापूर्वक संस्थापन किया गया है, को लागत पर मान्यता दी जाती है और इसे तीन वर्ष की अवधि में परिशोधित किया जा रहा है।

मूल्यह्रास पद्धतियों, उपयोगी जीवनकाल और अवशिष्टक मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को की जाती है।

2.9 निवेश संपत्तियां

(i) निवेश संपत्ति में पूरी कर ली गई संपत्ति, निर्माणाधीन संपत्ति और वित्तपोषण पट्टे के अधीन रखी गई संपत्ति शामिल है, जो सामान्य व्यवसाय में बिक्री के लिए या उत्पादन अथवा प्रशासनिक कार्यों में इस्तेमाल के लिए, के बजाय किराया अर्जित करने या पूंजी बढ़ाने के लिए या दोनों के लिए रखी गई है।

(ii) निवेश संपत्तियों का उल्लेख लागत, निवल संचित मूल्यह्रास और संचित नुकसान से होने वाली हानियॉं, यदि कोई हैं, पर किया जाता है।

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित अनुसार कंपनी, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में यथाविनिर्धारित परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पर उचित ढंग से निवेश के भवन संघटक पर मूल्यह्रास करती है (टिप्पणी 2.7 देखें)।

(iv) निवेश संपत्तियों पर मूल्यह्रास या तो तब दिया जाता है जब उनका निपटान कर दिया गया हो या जब वे उपयोग से स्थायी रूप से वापस ले ली गई हों और उनके निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ प्रत्याशित न हो। निपटान से प्राप्त निवल राशि और परिसंपत्ति की कैरिंग राशि के बीच के अंतर को मान्यता समाप्त करने की अवधि में आय एवं व्यय के विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.10 प्रावधान

प्रावधान को उस समय मान्यता दी जाती है, जबः

(i) कंपनी के पास किसी पिछली घटना के परिणाम के रूप में कोई वर्तमान दायित्व हो;

(ii) संसाधनों के किसी संभावित बहिर्वाह द्वारा दायित्व के निपटाए जाने की आशा हो और

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(iii) दायित्व की राशि का कोई विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

ऊपर मान्यता प्रदान किए गए प्रावधान, जिसे 12 महीने से अधिक के समय में निपटान किए जाने की आशा हो, को कर–पूर्व रियायती दर का इस्तेमाल करके वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, जो देयताओं के प्रति विशिष्ट जोखिम दर्शाता है और समय बीत जाने के कारण प्रावधान में वृद्धि को ब्याज खर्चों के रूप में मान्यता दी जाती है।

प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को की जाती है।

2.11 राजस्व मान्यता

(I) प्रचालन से राजस्व (आय): राजस्व को इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावना है कि कंपनी को आर्थिक लाभ पहुंचेगा और राजस्व को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सकता है। तथापि, जब राजस्व में पहले से ही शामिल की गई राशि की संग्रहणीयता के बारे में अनिश्चितता उत्पन्न होती है तो संग्रहण न किए जाने योग्य राशि या ऐसी राशि, जिसके संबंध में वसूली की संभावना समाप्त हो गई है, को पहले से ही मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि के समायोजन के बजाय खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है।

(क) प्रदत्त ऋणों पर ब्याज संबंधी आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का इस्तेमाल करके लागू होने वाली दर और बकाया राशि हिसाब में लेकर समय अनुपात आधार पर मान्यता दी जाती है।

(ख) अदायगियों में चूक पर दंडस्वरूप ब्याज को इसकी संग्रहणीयता की अनिश्चितता के कारण वसूली पर मान्यता दी जाती है।

(ग) अप्रयुक्त ऋण निधियों की वापसी पर प्रभारित दंडस्वरूप ब्याज प्रबंधन नीति के अधीन है (देखें टिप्पणी 19.1) और इसकी गणना उपचय (बढ़ोतरी) के आधार पर की जाती है।

(II) अन्य राजस्व मान्यता:

(क) बैंक जमा राशियों पर ब्याज को बकाया राशि और लागू ब्याज दर को ध्यान में रख कर समय अनुपात आधार पर मान्यता दी जाती है।

(ख) स्टाफ ऋण पर ब्याज संबंधी आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का प्रयोग करके लागू होने वाली ब्याज दर और बकाया राशि को लेखों में लेकर समय अनुपात आधार पर मान्यता दी जाती है।

2.12 इंड एएस 20 के अंतर्गत यथानुमत सरकार/अन्य संगठनों से राजस्व अनुदान

(i) जिस अवधि में संबंधित लागतों को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है उसमें अनुदानों को जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए होते हैं प्रणालीबद्ध आधार पर आय एवं व्यय लेखा में मान्यता दी जाती है।

(ii) सरकारी अनुदान पूर्वावधि में किए गए व्यय या हानि के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में किसी संस्था द्वारा प्राप्ति योग्य हो सकता है। ऐसे अनुदान को उसको प्राप्ति योग्य बनने की अवधि में आय एवं व्यय लेखा में मान्यता दी जाती है।

(iii) आय से संबंधित अनुदानों को संबंधित व्यय की रिपोर्टिंग में कटौती की जाती है।

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

2.13 पट्टा

पट्टाधारी के रूप में

(i) कंपनी पट्टा आरंभ होने की तिथि पर परिसंपत्ति के प्रयोगाधिकार एवं पट्टा देयता को मान्य करती है। संपत्ति के प्रयोगाधिकार को प्रारंभ में लागत पर मापा जाता है, जिसमें प्रारंभ तिथि पर या इससे पहले किए गए किसी पट्टा भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता की आरंभिक राशि, व्यय की गई कोई आरंभिक सीधी लागत सहित तथा अंतर्निहित परिसंपत्ति को नष्ट करने या हटाने के लिए या अंतर्निहित परिसंपत्ति या क्षेत्र जिस पर यह स्थित है, को बहाल करने का लागत अनुमान शामिल होता है तथा इसमें से प्राप्त कोई पट्टा प्रोत्साहन घटाया जाता है।

(ii) संपत्ति के प्रयोगाधिकार के उपयोगी कार्यकाल के अंत से पहले की प्रारंभ तिथि या पट्टा अवधि की समाप्ति से सीधी रेखा विधि का प्रयोग करके संपत्ति के प्रयोगाधिकार को बाद में मूल्यह्वास किया जाता है। परिसंपत्ति के प्रयोगाधिकार के अनुमानित उपयोगी कार्यकाल का निर्धारण उसी आधार पर किया जाता है जिस आधार पर संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के उपयोगी कार्यकाल का निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा, संपत्ति के प्रयोगाधिकार को क्षति नुकसानी, यदि कोई हो, द्वारा घटाया जाता है और पट्टा देयता के कुछ पुनः मापन के लिए समायोजित किया जाता है।

(iii) पट्टा देयता को जिनका प्रारंभ तिथि पर भुगतान नहीं किया जाता, पट्टा में अंतर्निहित ब्याज दर के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है या उस दर का आसानी से निर्धारण नहीं किया जा सकता है तो कंपनी की वृद्धि मूलक ऋण दर का प्रयोग करके छूट दी जाती है।

(iv) पट्टा देयता को प्रभावी ब्याज विधि का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है, इसे जब किसी सूचकांक या दर में परिवर्तन से भावी पट्टा भुगतान में परिवर्तन होता है तब उस समय पुनः मापा जाता है। जब पट्टा देयता को इस तरह से पुनः मापा जाता है या यदि परिसंपत्ति के प्रयोगाधिकार की अग्रनीत राशि को घटाकर शून्य कर दिया गया है, तब लाभ एवं हानि में दर्ज किया जाता है।

(v) कंपनी परिसंपत्ति के ऐसे प्रयोगाधिकार को तुलन पत्र में प्रस्तुत करती है जो 'संपत्ति, सयंत्र एवं उपकरण' में निवेश संपत्ति और 'अन्य वित्तीय देयताएं' में वित्तीय देयता की परिभाषा को पूरा नहीं करता है।

(vi) अल्प अवधि का पट्टा तथा कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टे। कंपनी ने अल्प अवधि के पट्टों के लिए परिसंपत्ति के प्रयोगाधिकार एवं पट्टा देयताओं को मान्य न करने का चयन किया है जिनकी पट्टा अवधि 12 माह या कम है तथा कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टे हैं। कंपनी इन पट्टों से संबद्ध पट्टा भुगतानों को पट्टा अवधि में सीधी रेखा आधार पर व्यय के रूप में मान्य करती है।

पट्टाकार के रूप में

(i) जब कंपनी पट्टाकार के रूप में कार्य करती है तो यह पट्टा शुरू होने पर निर्धारित करती है कि क्या प्रत्येक पट्टा वित्त पट्टा है अथवा प्रचालन पट्टा है। प्रत्येक पट्टे को वर्गीकृत करने के लिए कंपनी इस

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

बात का समग्र आकलन करती है कि क्या पट्टा अप्रयुक्त परिसंपत्ति के स्वामित्व से वास्तविक सभी जोखिम एवं लाभों को पर्याप्त रूप से अंतरित करता है। यदि ऐसा होता है तो पट्टा वित्त पट्टा है, यदि ऐसा नहीं होता है तो यह प्रचालन पट्टा है। आकलन के अंग के रूप में कंपनी कुछ संकेतकों पर विचार करती है जैसे कि क्या पट्टा परिसंपत्ति के आर्थिक उपयोगिता के बड़े भाग के लिए है।

(ii) यदि किसी व्यवस्था में पट्टा और गैर–पट्टा घटक होते हैं तो कंपनी संविदा में प्रतिफल आवंटित करने के लिए इंड एएस 115 'ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व' का प्रयोग करती है।

(iii) कंपनी प्रचालन पट्टा के तहत प्राप्त पट्टा भुगतानों को 'अन्य आय' के अंग के रूप में पट्टा अवधि में सीधी रेखा पद्धति के आधार पर आय के रूप में मान्य करती है।

2.14 गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों का हानिकरण

(i) परिसंपत्तियों की कैरिंग राशियों की समीक्षा प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को यह निश्चित करने के लिए की जाती है कि क्या हानिकरण का कोई संकेत है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। ऐसी परिसंपत्तियों के लिए, जो उपयोग के लिए अभी उपलब्ध नहीं हैं, वसूली योग्य राशि का अनुमान प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को लगाया जाता है।

(ii) नुकसान से होने वाली हानि को उस समय मान्यता दी जाती है जब कभी किसी परिसंपत्ति की कैरिंग राशि या इसकी नकदी, सृजन इकाई इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है। क्षति नुकसानी को 'आय एवं व्यय का विवरण' में मान्यता दी जाती है।

(iii) नुकसान से होने वाली हानि को प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है, यदि वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किए गए अनुमानों में कोई परिवर्तन किया गया है। क्षति नुकसानी को केवल उसी सीमा तक प्रत्यावर्तित किया जाता है कि परिसंपत्ति की कैरिंग राशि उस कैरिंग राशि से अधिक नहीं है, जो निवल मूल्यह्रास या परिशोधन के रूप में निर्धारित की जाती, यदि क्षति नुकसानी को मान्यता न दी गई होती।

2.15 कर्मचारी लाभ

(i) अल्पावधि कर्मचारी लाभ

अल्पावधि कर्मचारी लाभ जैसे अल्पावधि क्षतिपूरित अनुपस्थितियों को, उस वर्ष, जिसमें संबंधित सेवा प्रदान की जाती है, के आय एवं व्यय का विवरण में गैर–बट्टागत आधार पर खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है।

(ii) नियोजनोत्तर लाभ और अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(क) सुनिश्चित अंशदान योजना

सुनिश्चित अंशदान योजनाएं जैसे भविष्य निधि, पेंशन, कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा और समूह बचत संबद्ध बीमा योजनाओं को, खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है और इसे आय एवं व्यय का विवरण में प्रभारित किया जाता है। कंपनी, भविष्य निधि के संबंध में, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को सुनिश्चित अंशदान देती है। कंपनी के पास अपने अंशदान के अलावा, इस संबंध में कोई अन्य दायित्व नहीं है, जिसका भुगतान देय होने के समय किया जाता है। एनएसएफडीसी के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्त योजनाएं जैसे 'परिभाषित अंशदान पेंशन योजना' और 'सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान चिकित्सा' योजना हैं बशर्ते कि लोक उद्यम विभाग के दिनांक 21.05.2014 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार कंपनी द्वारा अंशदान किया गया हो।

(i) पेंशन योजना

लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशानुसार निगम में "एनएसएफडीसी के कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना" है। नियोक्ता, न्यास को प्रत्येक माह मूल वेतन और मंहगाई भता का 10% देता है। निगम ने योजना के प्रबंधन के लिए 'एनएसएफडीसी के कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना न्यास (ट्रस्ट)' नामक एक ट्रस्ट का गठन किया है। भारतीय जीवन बीमा निगम एनएसएफडीसी का निधि प्रबंधक है।

(ii) सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा योजना

निगम में "सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए परिभाषित चिकित्सा योजना" है। निगम ने "एनएसएफडीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान चिकित्सा योजना न्यास (ट्रस्ट)" नामक एक ट्रस्ट का गठन किया है। नियोक्ता ट्रस्ट को प्रत्येक माह मूल वेतन और मंहगाई भत्ता का 3% अंश देता है। निधियों का प्रबंधन, ट्रस्ट द्वारा स्थापना से दिनांक 01.08.2018 तक किया गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम दिनांक 02.08.2018 से समूह सेवानिवृत्ति नकद संचयी लाभ योजना के अंतर्गत ट्रस्ट की निधियों का प्रबंधन कर रहा है।

(ख) सुनिश्चित लाभ योजना

(i) उपदान

कर्मचारी उपदान निधि योजना का निधिकरण, एक अलग न्यास के माध्यम से जीवन बीमा निगम द्वारा प्रबंधित किया जाता है। जीवन बीमा निगम, जो एक सरकारी उपक्रम है, ने अपने द्वारा प्रमाणित अनुसार बीमांकिक गणना के आधार पर वर्ष के दौरान प्रीमियम प्रभारित किया है। तुलन–पत्र में मान्यता दी गई राशि, तुलन–पत्र की तारीख को सुनिश्चित लाभ दायित्वों में से 'योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य' घटाकर और उसमें से अभी तक मान्यता न दी गई कोई पूर्व सेवा लागत घटाकर निकाली गई राशि है।

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(ii) छुट्टी लाभ

निगम में एक सुनिश्चित लाभ योजना (छुट्टी लाभ योजना) है, जिसमें निगम की छुट्टी नियमावली के अनुसार, संबंधित कर्मचारी के वेतन और सेवाकाल के आधार पर पात्र कर्मचारियों को शामिल किया जाता है। छुट्टी लाभ जैसे छुट्टी नकदीकरण, चिकित्सा छुट्टी इत्यादि को वर्ष के अंत में यथास्थिति बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

2.16 विशेष आरक्षित निधि

निगम, व्यय से अधिक आय का 10%, भवनों में निवेश करने और आकस्मिकताओं/आकस्मिक घटनाओं के लिए विशेष राजस्व निधि में अंतरित करता है।

2.17 आय कर

कंपनी की आय को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26बी) के अंतर्गत कर से छूट प्राप्त है। इस प्रकार आयकर के लिए किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप ''आयकर के लिए लेखांकन'' का भारतीय लेखा मानक–12 का प्रावधान लागू नहीं होता।

2.18 प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर अर्जन निर्धारित करने में, कंपनी, इक्विटी शेयरधारकों को प्रदान किए जाने योग्य निवल लाभ पर विचार करती है। प्रति शेयर अर्जनों की संगणना करने में इस्तेमाल किए गए शेयरों की संख्या, इस अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या है। प्रति शेयर तरलीकृत अर्जन निर्धारित करने में, इक्विटी शेयरधारकों को प्रदान किए जाने योग्य निवल लाभ और इस अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या, तरलीकरण की संभावना वाले सभी इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किए जाते हैं।

2.19 आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण, निम्नलिखित मामलों में से किसी मामले में किया जाता है:

(i) किसी पिछली घटना से उत्पन्न कोई वर्तमान दायित्व, जब यह संभव नहीं है कि इस दायित्व का निपटान करने के लिए संसाधनों का बहिर्वाह आवश्यक होगा; या

(ii) वर्तमान दायित्व का कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता; या

(iii) कोई संभावित दायित्व, जब तक संसाधन के बहिर्वाह की संभावना अल्पतम है।

- आकस्मिक परिसंपत्तियों का प्रकटीकरण किया जाता है, जहां आर्थिक लाभों के अंतर्वाह की संभावना हो।
- आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसंपत्तियों के प्रति आकस्मिक देयताओं और प्रावधानों की समीक्षा, प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को की जाती है।
- आकस्मिक देयता, निपटान पर संभावित बहिर्वाह पर विचार करते हुए निवल अनुमानित प्रावधान हैं।

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

2.20 उचित मूल्य मापन

ऐसी परिसंपत्तियों और देयताओं, जिनके लिए उचित मूल्य मापा जाता है और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण किया जाता है, को पूरे उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण न्यूनतम स्तरीय इनपुट पर आधारित, निम्नलिखित के रूप में विनिर्धारित उचित मूल्य अनुक्रम के अंदर श्रेणीकृत किया जाता है:

- स्तर 1 – समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य।
- स्तर 2 – ऐसी मूल्यांकन तकनीकें, जिनके लिए उचित मूल्यांकन मापन के लिए महत्वपूर्ण न्यूनतम स्तरीय इनपुट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य हैं।
- स्तर 3 – ऐसी मूल्य तकनीकें, जिनके लिए, उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण न्यूनतम स्तरीय इनपुट, अवलोकन न किए जाने योग्य हैं।

ऐसी परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए, जिन्हें वित्तीय विवरणों में आवर्ती आधार पर मान्यता दी जाती है, कंपनी यह निर्धारित करती है कि क्या अंतरण, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में श्रेणीकरण पुनःनिर्धारित करके (पूरे उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण न्यूनतम स्तरीय इनपुट पर आधारित) अनुक्रम में स्तरों के बीच किए गए हैं।

रिपोर्टिंग की तारीख को, कंपनी, परिसंपत्तियों और देयताओं के मूल्यों में संचालनों का विश्लेषण करती है, जिनका पुनःमापन या पुनःनिर्धारण लेखांकन नीतियों के अनुसार किया जाना आवश्यक है। इस विश्लेषण के लिए, कंपनी, संविदाओं और अन्य सुसंगत दस्तावेजों की मूल्यांकन संगणना में अनुप्रयुक्त प्रमुख इनपुटों का सत्यापन करती है।

कंपनी, प्रत्येक परिसंपत्तियों और देयताओं के उचित मूल्यांकन में हुए परिवर्तन का भी मिलान सुसंगत बाह्य स्रोतों के साथ यह पता लगाने हेतु करती है कि क्या परिवर्तन तर्कसंगत हैं।

उचित मूल्य प्रकटीकरण के उद्देश्य के लिए कंपनी ने परिसंपत्ति या दायित्व के स्वरूप, गुण और जोखिमों और ऊपर स्पष्ट किए गए उचित मूल्य अनुक्रम के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों और देयताओं की श्रेणियां निर्धारित की हैं।

2.21 वित्तीय विलेखः–

(i) आरंभिक मान्यता और मापन

इनमें वित्तीय विलेखों को प्रत्यक्ष रूप से अधिग्रहण या वित्तीय विलेख जारी करने के लिए प्रदान किए जाने योग्य लेन–देन संबंधी ऐसी लागतें जोड़कर या कम करके इसके उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है।

(ii) उत्तरवर्ती मापन

वित्तीय परिसंपत्तियां

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

वित्तीय परिसंपत्तियां निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत की गई हैं:

(अ) परिशोधित लागत पर

किसी वित्तीय परिसंपत्ति का मापन, परिशोधित लागत पर किया जाएगा, यदि निम्नलिखित में से दोनों शर्तें पूरी की जाती हैं:

(क) वित्तीय परिसंपत्ति, किसी व्यवसाय मॉडल के अंदर धारित है, जिसका उद्देश्य, संविदात्मक नकद प्रवाह प्राप्त करने की दृष्टि से वित्तीय परिसंपत्तियां धारित करना है; और

(ख) वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें, विनिर्दिष्ट तारीखों को, ऐसे नकद प्रवाह उत्पन्न करती हैं, जो बकाया मूलधन पर अनन्य रूप से मूलधन और ब्याज के भुगतान हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन, हानिकरण, यदि कोई है, कम करके, प्रभावी ब्याज दर पद्धति का इस्तेमाल करके, परिशोधित लागत पर किया जाता है। प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर परिशोधन) आय एवं व्यय का विवरण में वित्तीय आय में शामिल है।

(आ) अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर (एफवीटीओसीआई)

'ऋण विलेख' अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है, यदि निम्नलिखित में से दोनों मापदंड पूरे किए जाते हैं:

- व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य, संविदात्मक नकदी प्रवाह संगृहीत करके और वित्तीय परिसंपत्तियां बेचकर दोनों तरीके से प्राप्त किया जाता है; और
- परिसंपत्ति का संविदात्मक नकदी प्रवाह, अनन्य रूप से मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) के भुगतान को प्रदर्शित करता है।

एफवीटीओसीआई के अंदर शामिल किए गए ऋण विलेखों का मापन आरंभ में और प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को उचित मूल्य पर किया जाता है। उचित मूल्य संचलनों को, अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता दी जाती है। तथापि, कंपनी, 'आय और व्यय का विवरण' में, ब्याज से आय, नुकसान से होने वाली हानियों एवं प्रत्यावर्तनों और विदेशी विनिमय लाभ या हानि को मान्यता देती है। ओसीआई में पहले मान्यता प्रदान की गई परिसंपत्ति, संचयी लाभ या हानि की मान्यता समाप्त करने पर उसे लाभ और हानि की इक्विटी में पुनः वर्गीकृत किया गया है। अर्जित ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति के इस्तेमाल को मान्यता दी गई है।

(इ) लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर (एफवीटीपीएल)

'लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर' (एफवीटीपीएल), वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। कोई वित्तीय परिसंपत्ति, जो परिशोधित लागत पर या पीवीटीओसीआई में दिए गए श्रेणीकरण का मापदंड पूरा नहीं करती, को एफवीटीपीएल पर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

इसके अलावा, कंपनी, ऐसी वित्तीय परिसंपत्ति को एफवीटीपीएल के रूप में नामोद्दिष्ट करने का विकल्प चुन सकती है, जो अन्यथा परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई के मापदंड को पूरा करती है, यदि ऐसा करना मापन या मान्यता की असंगतता को कम करता है या समाप्त करता है। कंपनी ने किसी वित्तीय परिसंपत्ति को एफवीटीपीएल के रूप में नामोद्दिष्ट नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी के अंदर शामिल की गई वित्तीय परिसंपत्तियों का 'आय एवं व्यय का विवरण' में मान्यता दिए गए सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापन किया जाता है।

(क) परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

व्यापार और अन्य भुगतान योग्य राशियों, प्रतिभूति जमा राशियों और अवधारण राशि द्वारा प्रदर्शित परिशोधित लागत पर वित्तीय दायित्वों को आरंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और तत्पश्चात इसे प्रभावी ब्याज दर पद्धति का इस्तेमाल करके परिशोधित मूल्य पर लिया जाता है।

(ख) एफवीटीपीएल पर वित्तीय दायित्व

कंपनी ने किसी वित्तीय दायित्व को, एफवीटीपीएल पर नामोद्दिष्ट नहीं किया है।

(iii) मान्यता समाप्त करना

वित्तीय परिसंपत्ति

वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति के किसी भाग या उसी प्रकार की वित्तीय परिसंपत्तियों के किसी समूह के भाग) की मान्यता केवल तभी समाप्त की जाती है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाहों के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या यह वित्तीय परिसंपत्तियां और परिसंपत्ति के स्वामित्व के पर्याप्ततरू सभी जोखिम और रिवार्डस अंतरित हो जाते हैं।

वित्तीय देयता

वित्तीय देयता की मान्यता तभी समाप्त की जाती है, जब देयता के अंतर्गत उत्तरदायित्व का निर्वहन कर दिया जाता है या निरस्त कर दिया जाता है या समाप्त हो जाता है। जब कोई वर्तमान वित्तीय देयता, पर्याप्ततः भिन्न शर्तों पर उसी ऋणी से अन्य ऋणी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है या किसी वर्तमान देयता की शर्तें पर्याप्ततः संशोधित कर दी जाती हैं तो ऐसी अदला–बदली या संशोधन को मूल देयता की मान्यता समाप्त करने के रूप में माना जाता है और किसी नई देयता की मान्यता और संबंधित कैरिंग राशियों में अंतर को 'आय एवं व्यय का विवरण' में मान्यता दी जाती है।

(iv) वित्तीय परिसंपत्तियों का हानिकरण:

(i) कंपनी, तुलन–पत्र की प्रत्येक तारीख को यह आकलन करती है कि क्या वित्तीय परिसंपत्ति का हानिकरण हुआ है। भारतीय लेखा मानक–109 में, प्रत्याशित क्रेडिट हानियों (ईसीएल) को, हानि अनुमति के जरिए मापे जाने की अपेक्षा की गई है।

(ii) संविदा परिसंपत्तियों/व्यापार प्राप्तव्यों के अलावा अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, प्रत्याशित क्रेडिट हानियों को 12 माह के बराबर राशि पर या जीवनकाल ईसीएल के बराबर

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

राशि पर मापा जाएगा, यदि वित्तीय परिसपंत्ति पर क्रेडिट जोखिम में इसकी आरंभिक मान्यता से पर्याप्त रूप में वृद्धि हो गई है।

(iii) इस अवधि के दौरान मान्यता दी गई ईसीएल क्षति नुकसानी भत्ते (या रिवर्सल) को 'आय एवं व्यय का विवरण' में आय/व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.22 बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्तियां (या निपटान समूह)

गैर–चालू परिसंपत्तियां (या निपटान समूह), बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं, जब उनकी कैरिंग राशि, किसी बिक्री लेनदेन के जरिए सिद्धांत रूप में वसूल की जानी हैं और बिक्री अत्यधिक संभावना वाली केवल तभी मानी जाती है, जब परिसंपत्ति या निपटान समूह, उसकी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध है। ऐसी संभावना नहीं है कि बिक्री वापस ले ली जाएगी और बिक्री, वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के अंदर प्रत्याशित है। बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत निपटान समूहों का उल्लेख, कैरिंग राशि के न्यूनतम स्तर और उचित मूल्य में से बिक्री करने की लागत घटाकर आए मूल्य पर किया जाता है। बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत कर दिए जाने के पश्चात संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास नहीं किया जाता या इन्हें परिशोधित नहीं किया जाता। बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां और दायित्व, तुलन–पत्र में अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

यदि भारतीय लेखा मानक–105 ''बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्तियां और बंद कर दिए गए प्रचालन'' द्वारा उल्लिखित मापदंड पूरे नहीं किए गए हैं तो निपटान समूह का, बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत किया जाना समाप्त हो जाता है। गैर–चालू परिसंपत्ति, जिसका बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत किया जाना समाप्त हो जाता है, का मापनः

(i) बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत किए जाने से पहले की मूल्यह्रास के लिए समायोजित इसकी कैरिंग राशि, जिसे मान्यता दी जाती है, यदि वह परिसंपत्ति, बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत न की गई होती; और

(ii) उस तारीख, जब निपटान समूह, बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत किया जाना समाप्त होता है, को इसकी वसूली योग्य राशि से निम्नतर राशि पर किया जाता है।

2.23 मानक/संशोधन जारी किए गए हैं लेकिन अभी प्रभावी नहीं हैं

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय 'एमसीए ने दिनांक 23 मार्च, 2023 की अधिसूचना के माध्यम से भारतीय लेखा मानक संशोधन नियम, 2023 को जारी किया था। भारतीय लेखा मानक संशोधन नियम, 2023 में निम्नलिखित मानकों में संशोधन किए गए हैं:

1. भारतीय लेखा मानकों को प्रथम बार अंगीकरण (इंड एएस–101)
2. शेयर आधारित भुगतान (इंड एएस–102)
3. व्यावसायिक संयोजन (इंड एएस–103)
4. वित्तीय लिखतें : प्रकटन (इंड एएस–107)

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

5. वित्तीय लिखतें : प्रकटन (इंड एएस–109)
6. ग्राहकों से संविदा से प्राप्त आय (इंड एएस–115)
7. वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण (इंड एएस–1)
8. लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमान एवं त्रुटियों में परिवर्तनरू प्रकटन (इंड एएस–8)
9. आय कर (इंड एएस–12)
10. अनंतिम वित्तीय रिपोर्टिंग (इंड एएस–34)

इन संशोधनों की प्रभावी तिथि 01 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी वर्तमान में संशोधनों के प्रभाव का मूल्यांकन कर रही है और अभी तक वित्तीय विवरणों पर प्रभाव का निर्धारण नहीं किया है।

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेसं एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएसएफडीसी)
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

3 संपत्ति, संयंत्र और

(₹ लाख में)

विवरण	भवन फ्रीहोल्ड	भवन लीजहोल्ड	फर्नीचर और जुड़नार	वाहन	कार्यालय उपकरण	कंप्यूटर	कुल
लागत या मानित लागत							
31 मार्च, 2022 को	**22.48**	**646.89**	**115.46**	**16.25**	**41.19**	**80.25**	**922.53**
अभिवर्धन	-	-	-	-	11.64	5.66	17.30
निपटान/समायोजन	-	-	-	-	(2.44)	(1.81)	(4.25)
31 मार्च, 2023 को	**22.48**	**646.89**	**115.46**	**16.25**	**50.39**	**84.10**	**935.58**
अभिवर्धन	-	-	6.78	-	2.89	34.67	44.34
निपटान/समायोजन	-	-	(0.26)	(7.95)	(0.69)	(1.31)	(10.21)
31 मार्च, 2024 को	**22.48**	**646.89**	**121.98**	**8.30**	**52.59**	**117.46**	**969.71**
मूल्यह्रास और हानिकरण							
31 मार्च, 2022 को	**17.55**	**278.74**	**101.47**	**9.74**	**35.12**	**69.33**	**511.96**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	0.80	15.51	2.36	1.82	3.58	7.71	31.78
हानिकरण							
निपटान/समायोजन	-	-	-	-	(2.19)	(1.56)	(3.75)
31 मार्च, 2023 को	**18.35**	**294.25**	**103.83**	**11.56**	**36.51**	**75.48**	**539.99**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	-	15.16	2.53	1.25	6.44	8.68	34.06
हानिकरण							
निपटान/समायोजन	-	-	(0.25)	(7.51)	(0.64)	(1.29)	(9.69)
31 मार्च, 2024 को	**18.35**	**309.41**	**106.11**	**5.30**	**42.31**	**82.87**	**564.36**
निवल बही मूल्य							
31 मार्च, 2024 को	**4.12**	**337.48**	**15.88**	**3.00**	**10.28**	**34.59**	**405.35**
31 मार्च, 2023 को	**4.12**	**352.64**	**11.64**	**4.69**	**13.88**	**8.62**	**395.59**
31 मार्च, 2022 को	**4.92**	**368.15**	**14.00**	**6.51**	**6.07**	**10.92**	**410.57**

टिप्पणी:- 3.1 कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ।। में यथाविनिर्दिष्ट, स्थिर परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास/ परिशोधन पर लेखांकन नीति में प्रकट की गई कुछ परिसंपत्तियों को छोड़कर अनुमानित उपयोगी जीवनकाल लागू किया है। तद्नुसार, अपरिशोधित कैरिंग मूल्य का मूल्यह्रास/परिशोधन, संशोधित/बाकी उपयोगी जीवनकाल पर किया जा रहा है।

टिप्पणी:- 3.2 भवनों में, लीजहोल्ड और फ्रीहोल्ड दोनों भवन शामिल हैं। डीडीए/स्कोप से 89 वर्षों के उपयोग के अधिकार के अंतर्गत स्कोप मीनार पर लीजहोल्ड बिल्डिंग परिसर को टाइटल/सब-लीज के हस्तांतरण के लंबित उप-पट्टे पर खरीद शामिल है। इसके अलावा, मुंबई में खरीदे गए दो फ्लैटों का औपचारिक विलेख म्हाडा और आवास समिति के बीच अभी निष्पादित किया जाना है।

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेसं एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएसएफडीसी)
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

नोटः- 3.3 कंपनी के नाम पर न रखी गई संपत्ति का विवरण निम्नानुसार है:-

विवरण	संपत्ति की मदों का विवरण	सकल वहन मूल्य	कंपनी के नाम पर किए गए टाइटल डीड	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर/निदेशक का प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम नहीं होने का कारण
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)	कोर 1, पहली मंजिल, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली में स्थित भवन	646.89	लोक उद्यमों की स्थायी समिति	लागू नहीं	17-06-2005	उपर्युक्त 3.2 का संदर्भ लें
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)	मुंबई फ्लैट्स	239.04	एमएचएडीए	लागू नहीं	25.06.1997	उपर्युक्त 3.2 का संदर्भ लें

4 विनिधान संपत्ति

(₹ लाख में)

विवरण	भवन	कुल
<u>लागत या मानित लागत</u>		
31 मार्च, 2022 को	**46.50**	**46.50**
अभिवर्धन	-	-
निपटान/समायोजन	-	-
31 मार्च, 2023 को	**46.50**	**46.50**
अभिवर्धन	-	-
निपटान/समायोजन	-	-
31 मार्च, 2024 को	**46.50**	**46.50**
<u>मूल्यह्रास और हानिकरण</u>		
31 मार्च, 2022 को	**34.87**	**34.87**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	-	-
हानिकरण	-	-
निपटान/समायोजन	-	-
31 मार्च, 2023 को	**34.87**	**34.87**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	-	-
हानिकरण	-	-
निपटान/समायोजन	-	-
31 मार्च, 2024 को	**34.87**	**34.87**
निवल बही मूल्य		
31 मार्च, 2024 को	**11.63**	**11.63**
31 मार्च, 2023 को	**11.63**	**11.63**
31 मार्च, 2022 को	**11.63**	**11.63**

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेसं एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएसएफडीसी)
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

टिप्पणी:- 4.1 कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ।। में यथाविनिर्दिष्ट, स्थिर परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास/ परिशोधन पर लेखांकन नीति में प्रकट की गई कुछ परिसंपत्तियों को छोड़कर अनुमानित उपयोगी जीवनकाल लागू किया है। तद्नुसार, अपरिशोधित कैरिंग मूल्य का मूल्यह्रास/परिशोधन, संशोधित/बाकी उपयोगी जीवनकाल पर किया जा रहा है।

टिप्पणी:- 4.2 संपत्ति के विनिवेश का मूल्य निर्धारण

भाग ''क'' का मूल्य निर्धारण

कारपेट एरिया	328.39 वर्ग मीटर
कार्यालय स्थान के लिए 15.12.2015 से प्रभावी सर्किल रेट	रु. 77000/वर्ग मीटर
कार्यालय स्थान भाग क का मूल्य @77000	2,52,86,030.00
यह चौथी मंजिल पर है और मुख्य सड़क पर है, यह फ्लाईओवर के सामने है, इसलिए 20% की कटौती	50,57,206.00
भाग 'क' का उचित बाजार मूल्य	**2,02,28,824.00**
	202.00 लाख

भाग ''ख'' का मूल्य निर्धारण

कारपेट एरिया	57.704 वर्ग मीटर
कार्यालय स्थान के लिए 15.12.2015 से प्रभावी सर्किल रेट	रु. 77000/वर्ग मीटर
कार्यालय स्थान भाग क का मूल्य @77000	44,43,208.00
यह चौथी मंजिल पर है और मुख्य सड़क पर है, यह फ्लाईओवर के सामने है, इसलिए 20% की कटौती	8,88,641.60
	35,54,566.40
मूल्यह्रास समायोजित करने के बाद लकड़ी के विभाजन की दीवार और अन्य लकड़ी के काम के लिए जोड़ें	1,50,000.00
	37,04,566.40
भाग 'ख' का उचित बाजार मूल्य	**37.04 लाख**
संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	**239.04 लाख**

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य मूल्यांकन मॉडल को लागू करते हुए कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत परिभाषित एक पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा किए गए वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर उचित मूल्य का निर्धारण।

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेसं एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएसएफडीसी)
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

5 **अमूर्त परिसंपत्तियां**

(₹ लाख में)

विवरण	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	कुल
लागत या मानित		
31 मार्च, 2022 को	**33.59**	**33.59**
वर्ष के दौरान अभिवर्धन	-	-
समायोजन	-	-
31 मार्च, 2023 को	**33.59**	**33.59**
वर्ष के दौरान अभिवर्धन	-	-
समायोजन	-	-
31 मार्च, 2024 को	**33.59**	**33.59**
परिशोधन और हानिकरण		
31 मार्च, 2022 को	**31.52**	**31.52**
वर्ष के दौरान परिशोधन	0.92	0.92
वर्ष के दौरान हानिकरण	-	-
31 मार्च, 2023 को	**32.44**	**32.44**
वर्ष के दौरान परिशोधन	0.60	0.60
वर्ष के दौरान हानिकरण	-	-
31 मार्च, 2024 को	**33.04**	**33.04**
निवल वहन मूल्य		
31 मार्च, 2024 को	**0.55**	**0.55**
31 मार्च, 2023 को	**1.15**	**1.15**
31 मार्च, 2022 को	**2.07**	**2.07**

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेसं एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएसएफडीसी)
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

6 **वित्तीय परिसंपत्तियां - ऋण**

ऋणों का गैर-चालू भाग, 'गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियां - ऋण' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और ऋणों का चालू भाग' चालू वित्तीय परिसंपत्तियां - ऋण के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है:

(₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार		कुल	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार		कुल
		गैर-चालू	चालू		गैर-चालू	चालू	
I क.	ऋण (अप्रतिभूत - अच्छा समझा गया)						
i)	मियादी ऋण संवितरण (संदर्भ टिप्पणी 6.1)	6,30,553.76		6,30,553.76	5,77,499.73		5,77,499.73
	घटाएं: धन वापसी/वापस मंगाया	(82,535.05)		(82,535.05)	(79,597.21)		(79,597.21)
	घटाएं: पुनर्भुगतान	(3,64,066.13)		(3,64,066.13)	(3,22,824.71)		(3,22,824.71)
	घटाएं: चालू भाग	(78,463.51)	78,463.51	-	(72,635.34)	72,635.34	-
		1,05,489.07	**78,463.51**	**1,83,952.58**	**1,02,442.47**	**72,635.34**	**1,75,077.81**
ii)	लघु ऋण वित्त संवितरण	73,386.60		73,386.60	71,914.71		71,914.71
	घटाएं: धन वापसी/वापस मंगाया	-13,695.83		(13,695.83)	-13,694.93		(13,694.93)
	घटाएं: पुनर्भुगतान	-54,928.85		(54,928.85)	-52,809.46		(52,809.46)
	घटाएं: चालू भाग	(3,236.20)	3,236.20	-	(2,425.93)	2,425.93	-
		1,525.72	**3,236.20**	**4,761.92**	**2,984.39**	**2,425.93**	**5,410.32**
iii)	महिला समृद्धि योजना संवितरण	93,140.37		93,140.37	89,456.43		89,456.43
	घटाएं: धन वापसी/वापस मंगाया	(13,172.63)		(13,172.63)	(13,168.63)		(13,168.63)
	घटाएं: पुनर्भुगतान	(69,807.29)		(69,807.29)	(64,264.30)		(64,264.30)
	घटाएं: चालू भाग	(5,852.79)	5,852.79	-	(6,276.50)	6,276.50	-
		4,307.66	**5,852.79**	**10,160.45**	**5,747.00**	**6,276.50**	**12,023.50**
iv)	महिला किसान योजना संवितरण	1,358.70		1,358.70	1,358.70		1,358.70
	घटाएं: धन वापसी/वापस मंगाया	(564.27)		(564.27)	(563.47)		(563.47)
	घटाएं: पुनर्भुगतान	(714.92)		(714.92)	(710.87)		(710.87)
	घटाएं: चालू भाग	(59.71)	59.71	-	(39.45)	39.45	-
		19.80	**59.71**	**79.51**	**44.91**	**39.45**	**84.36**
v)	शिल्पी समृद्धि योजना संवितरण	480.65		480.65	480.65		480.65
	घटाएं: धन वापसी/वापस मंगाया	(260.24)		(260.24)	(259.84)		(259.84)
	घटाएं: पुनर्भुगतान	(195.36)		(195.36)	(177.58)		(177.58)
	घटाएं: चालू भाग	(16.78)	16.78	-	(25.46)	25.46	-
		8.27	**16.78**	**25.05**	**17.77**	**25.46**	**43.23**
vi)	शिक्षा ऋण योजना संवितरण	8,402.97		8,402.97	7,461.21		7,461.21
	घटाएं: धन वापसी/वापस मंगाया	(630.46)		(630.46)	(605.68)		(605.68)
	घटाएं: पुनर्भुगतान	(4,136.99)		(4,136.99)	(3,492.47)		(3,492.47)
	घटाएं: चालू भाग	(1,506.21)	1,506.21	-	(1,453.94)	1,453.94	-
		2,129.31	**1,506.21**	**3,635.52**	**1,909.12**	**1,453.94**	**3,363.06**
vii)	वीईटीएलईएस	568.27		568.27	568.27		568.27
	घटाएं: धन वापसी/वापस मंगाया	-		-	-		-
	घटाएं: पुनर्भुगतान	(397.27)		(397.27)	(289.27)		(289.27)
	घटाएं: चालू भाग	(103.50)	103.50	-	(108.00)	108.00	-
		67.50	**103.50**	**171.00**	**171.00**	**108.00**	**279.00**

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेसं एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएसएफडीसी)
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

(₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार		कुल	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार		कुल
		गैर-चालू	चालू		गैर-चालू	चालू	
viii)	**आजीविका माइक्रोफाइनेंस योजना**	6,625.96	-	6,625.96	3,207.96	-	3,207.96
	घटाएं: धन वापसी/वापस मंगाया	-	-	-	-	-	-
	घटाएं: पुनर्भुगतान	(2,277.54)	-	(2,277.54)	(494.85)	-	(494.85)
	घटाएं: चालू भाग	(3,532.02)	3,532.02	(0.00)	(1,355.44)	1,355.44	0.00
		816.40	**3,532.02**	**4,348.42**	**1,357.67**	**1,355.44**	**2,713.11**
				-			-
ix)	**महिला अधिकारिता योजना संवितरण***	2,380.65	-	2,380.65	-	-	-
	घटाएं: धन वापसी/वापस मंगाया	-	-	-	504.90	-	504.90
	घटाएं: पुनर्भुगतान	(85.59)	-	(85.59)	-	-	-
	घटाएं: चालू भाग	(255.45)	255.45	-	(50.49)	50.49	-
		2,039.61	**255.45**	**2,295.06**	**454.41**	**50.49**	**504.90**
x)	**उद्यम निधि योजना संवितरण***	12,589.04		12,589.04	5,589.04	-	5,589.04
	घटाएं: धन वापसी/वापस मंगाया	-		-	-		-
	घटाएं: पुनर्भुगतान	(2,755.04)		(2,755.04)	(589.04)		(589.04)
	घटाएं: चालू भाग	(4,000.00)	4,000.00		(1,749.00)	1,749.00	
		5,834.00	**4,000.00**	**9,834.00**	**3,251.00**	**1,749.00**	**5,000.00**
		1,22,237.34	**97,026.17**	**2,19,263.51**	**1,18,379.74**	**86,119.55**	**2,04,499.29**
I ख.	**ऋण (प्रतिभूत - अच्छा समझा गया)**						
xi)	**स्टाफ अग्रिम**	221.44	99.02	320.46	222.62	97.22	319.84
	कुल : I ख	**221.44**	**99.02**	**320.46**	**222.62**	**97.22**	**319.84**
	*एफडीआर, पीडीसी के दावे के विरुद्ध			-			-
I ग.	**ऐसी ऋण प्राप्तियां जिनके ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है**			-			-
(i)	**मियादी ऋण संवितरण**	605.65		605.65	605.65		605.65
	घटाएं: धन वापसी/वापस मंगाया			-			-
	घटाएं: पुनर्भुगतान			-			-
	घटाएं: चालू भाग			-			-
		605.65	-	605.65	605.65	-	605.65
(ii)	**लघु ऋण वित्त संवितरण**	16.00		16.00	16.00		16.00
	घटाएं: धन वापसी/वापस मंगाया			-			-
	घटाएं: पुनर्भुगतान			-			-
	घटाएं: चालू भाग			-			-
		16.00	**-**	**16.00**	**16.00**	**-**	**16.00**
(iii)	**महिला समृद्धि योजना संवितरण**	95.00		95.00	95.00		95.00
	घटाएं: धन वापसी/वापस मंगाया			-			-
	घटाएं: पुनर्भुगतान			-			-
	घटाएं: चालू भाग			-			-
		95.00	**-**	**95.00**	**95.00**	**-**	**95.00**
	कुल : I ग	**716.65**	-	716.65	**716.65**	-	716.65
	घटाएं: अशोध्य और संदिग्ध ऋण (टिप्पणी सं. 31 का संदर्भ लें)	**-716.65**		(716.65)	(716.65)		(716.65)
	कुल (1क+1ख+1ग)	**1,22,458.78**	**97,125.19**	**2,19,583.97**	**1,18,602.36**	**86,216.77**	**2,04,819.13**

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेसं एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएसएफडीसी)
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

6.1 **वर्ष के विवरण**

विवरण	आरंभिक शेष 01.04.2023	संवितरण 2023-24	पुनर्भुगतान 2023-24	वापसी 2023-24	जमा शेष 31.03.2024
मियादी ऋण (टीएल)	1,75,683.47	53,054.03	41,241.43	2,937.85	1,84,558.23
लघु ऋण वित्त (एमसीएफ)*	5,426.32	1,471.89	2,119.40	0.90	4,777.92
महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई)	12,118.50	3,683.93	5,542.99	4.00	10,255.45
महिला किसान योजना (एमकेवाई)	84.37	-	4.05	0.80	79.52
शिल्पी समृद्धि योजना (एसएसवाई)	43.23	-	17.78	0.40	25.05
शिक्षा ऋण योजना (ईएलएस)	3,363.06	941.76	644.52	24.78	3,635.52
व्यावसायिक शिक्षा प्रशि. ऋण योजना (वीईटीएलएस)	279.00	-	108.00	-	171.00
आजीविका माइक्रोफाइनेंस योजना	2,713.11	3,418.00	1,782.70	-	4,348.41
महिला अधिकारिता योजना (एमएवाई)	504.90	1,875.75	85.59	-	2,295.06
उद्यम निधि योजना (यूएनवाई)	5,000.00	7,000.00	2,166.00	-	9,834.00
कुल	**2,05,215.97**	**71,445.37**	**53,712.44**	**2,968.73**	**2,19,980.16**
विगत वर्ष के आंकड़े	**2,02,760.91**	**63,594.67**	**59,375.45**	**1,764.17**	**2,05,215.97**

6.1(क): 'चालू ऋण' वह ऋण राशि है जो वित्तीय वर्ष के अंत तक अगले 12 महीनों के दौरान प्राप्ति योग्य है।

6.1(ख): (i) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान वापसी पर ब्याज की माफी शून्य है (पिछले वर्ष एपीएसएफसी के मामले में वापसी पर ब्याज की माफी रु.1,74,406/- थी)।

6.1(ख): (ii) मध्यस्थता कार्यवाही की स्थिति नीचे दी गई है:-

(अ) मणिपुर राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास सहकारी बैंक लिमिटेड (एमएसटीसीबी):- मध्यस्थ ने एनएसएफडीसी के पक्ष में निर्णय पारित किया तथा "एमएसटीसीबी को रु.1.53 करोड़ (मूलधन और ब्याज सहित) की राशि दावे की तिथि से प्रतिवादी द्वारा वसूली की तिथि तक 9% ब्याज के साथ अदा करने का निर्देश दिया"। एनएसएफडीसी ने जिला न्यायाधीश, इंफाल, मणिपुर की अदालत में निष्पादन मामला दायर किया। तदनुसार, 9% की बढ़ी हुई दर पर ब्याज आय की मान्यता को निर्णय/वसूली के निष्पादन तक स्थगित कर दिया गया है। निष्पादन मामले के लंबित रहने के मद्देनजर, भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, लेखा अवधि के दौरान सामान्य ब्याज को भी मान्यता नहीं दी गई है।

(आ) बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम (बीएससीडीसी):- मध्यस्थ ने 07.06.2023 को एनएसएफडीसी के पक्ष में निर्णय पारित किया और बीएससीडीसी को रु.20.42 करोड़ की सीमा तक दावे का निपटान करने का निर्देश दिया और निपटान राशि का भुगतान करने के लिए सात महीने का समय दिया। चूक की स्थिति में 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान किया जाना है।" बीएससीडीसी ने निर्णय को अस्वीकार कर दिया और निर्णय के खिलाफ याचिका दायर की, इसलिए 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज आय की मान्यता को भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार स्थगित कर दिया गया है।

(iii) एएससीडीसी की बकाया राशि लंबे समय से लंबित थी और बोर्ड ने इसे एएमआरसीडी को प्रस्तुत करने की इच्छा जताई थी। हालांकि सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता ने ओटीएस के लिए पहल की और बकाया राशि को रु.6.26 करोड़ (सभी ब्याज सहित) पर निपटाने का निर्देश दिया। एएससीडीसी ने 28.03.2024 को रु.6.26 करोड़ चुकाए। भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, पिछली अवधि की आय से रु.78.95 लाख समायोजित किए गए हैं।

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेसं एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएसएफडीसी)
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

7 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - गैर-चालू

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार
अप्रतिभूत, अच्छा माना गया		
प्रतिभूति जमा **(टिप्पणी सं. 7.1 देखें)**	21.36	5.84
प्राप्तव्य ब्याज किंतु देय नहीं	8.83	106.45
ऐसी प्राप्तियां जिनके ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है		
जमा वसूलीयोग्य (संदिग्ध)	1,539.99	1,539.99
घटाएं: अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता (टिप्पणी सं. 30.3 का संदर्भ लें)	(1,539.99)	(1,539.99)
कुल	**30.19**	**112.29**

8 अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार
पूर्वप्रदत्त व्यय-कार्मिक लागत **(टिप्पणी :8.1 का संदर्भ लें)**	47.34	43.98
	47.34	**43.98**

8.1 पूर्व प्रदत्त व्यय में कर्मचारी ऋण और अग्रिम के गैर-परिशोधित अंश या प्रारंभिक मान्यता या दिए गए विवरण पर वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के बीच अंतर का रु. 47.34 लाख (वर्ष 2022-23 के लिए रु.43.98 लाख) शामिल हैं।

9 नकद और नकद समकक्ष

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार
बैंकों में शेष राशि		
- सक्रिय बैंक खाता	2,702.20	8,324.45
- अनुदान निधि खाता	4,564.37	23,339.96
- अव्ययित सीएसआर निधि खाता	58.66	56.45
कुल	**7,325.24**	**31,720.86**

10 नकद और नकद समकक्ष के अलावा बैंक शेष

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार
अन्य बैंक शेष		
विशेष आरक्षित निधि की एफडीआर	6,617.62	7,223.88
कुल	**6,617.62**	**7,223.88**

11 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार
i)	**प्राप्तियोग्य ब्याज**	4,344.54	3,583.57
	घटाएं :	(918.10)	(858.57)
		3,426.44	**2,725.00**
ii)	**अन्य**		
	बचत बैंक खाते पर प्राप्तव्य ब्याज	0.04	0.07
	विशेष आरक्षित निधि पर प्राप्तव्य किंतु अदेय ब्याज	232.40	209.29
	प्राप्तव्य किराया	2.70	-
	वसूली योग्य राशि	328.26	58.61
	कुल	**3,989.83**	**2,992.97**

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेसं एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएसएफडीसी)
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

11.1 लेखा नीति 2.11(i)(क) के अनुसार, बीएससीडीसी से बकाया राशि के संबंध में रु.59.53 लाख गत वर्ष रु.57.11 लाख) का ब्याज दर्ज किया गया है और एक समतुल्य राशि को व्यय के रूप में मान्यता दी गई है। इसके अलावा, वर्ष 2023-24 के दौरान, बीएससीडीसी से कोई पुनर्भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। तदनुसार, दिनांक 31.03.2024 तक बीएससीडीसी का संचयी प्रावधान रु.1634.75 लाख (गत वर्ष रु.1,575.22 लाख) है (देखें 6.1 घ(ii)(घ)।

12 चालू कर परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार
प्राप्तव्य स्रोत पर कटौती	15.75	24.87
कुल	**15.75**	**24.87**

13 अन्य चालू परिसपंत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार
पूंजीगत अग्रिम के अलावा अग्रिम		
स्टाफ को अग्रिम	4.94	1.67
पार्टियों को अग्रिम	68.33	50.17
अन्य		
पूर्व-प्रदत्त व्यय	13.32	13.52
कुल	**86.59**	**65.36**

13.1 पूर्व-प्रदत्त व्यय में कर्मचारी ऋण और अग्रिम के गैर-परिशोधित अंश या प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के बीच अंतर का रु.10.04 लाख (2022-23: रु.9.32 लाख) शामिल है।

14 शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार
प्राधिकृत शेयर पूंजी		
प्रति रु.1,000/- के 1,80,00,000 इक्विटी शेयर (31-03-2023 की स्थिति के अनुसार प्रति रु.1,000/- के 1,50,00,000 इक्विटी शेयर)	1,80,000	1,50,000
जारी की गई/अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी		
प्रति रु.1,000/- के 1,51,50,000 इक्विटी शेयर (31-03-2023 की स्थिति के अनुसार प्रति रु.1,000/- के 1,50,00,000 इक्विटी शेयर)	1,51,500	1,50,000
	1,51,500	**1,50,000**

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 02.02.2024 को प्राधिकृत शेयर पूंजी को रु.300.00 करोड़ तक बढ़ाने की मंजूरी दी।

14.1 इक्विटी शेयरों की संख्या और शेयर पूंजी का सामांजस्य

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	
	(शेयरों की संख्या लाख में)	(₹ लाख में)	(शेयरों की संख्या लाख में)	(₹ लाख में)
वर्ष के आरंभ में जारी की गई/अभिदत्त और प्रदत्त बकाया इक्विटी पूंजी	150.00	150000.00	150.00	150000.00
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन				
वर्ष की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	150.00	150000.00	150.00	150000.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	1.50	1,500.00	-	-
वर्ष के अंत में जारी की गई/अभिदत्त और प्रदत्त बकाया इक्विटी पूंजी	**151.50**	**1,51,500.00**	**150.00**	**1,50,000.00**

इक्विटी शेयरों से संबद्ध शर्तें और अधिकार

(i) निगम के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है, जो रु.1000 प्रति शेयर के सममूल्य वाले हैं। प्रत्येक इक्विटी शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट के हकदार है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-8 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। इसलिए कंपनी द्वारा लाभांश भुगतान योग्य नहीं है।

(ii) लेखांकन अवधि के दौरान, दिनांक 07.03.2024 को रु.15.00 करोड़ की शेयर पूंजी प्राप्त हुई है। शेयरों को दिनांक 28.03.2024 के संकल्प के माध्यम से आवंटित किया गया है।

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेसं एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएसएफडीसी)
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

14.2 कंपनी में कुल मिलाकर 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयर धारकों के शेयरों के ब्योरे

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	
	(शेयरों की संख्या लाख में)	धारिता का %	(शेयरों की संख्या लाख में)	धारिता का %
इक्विटी शेयर				
भारत के राष्ट्रपति	151.50	100%	150.00	100%
	151.50	**100.00%**	**150.00**	**100.00%**

14.3 प्रमोटर की शेयरधारिता का विवरण

प्रमोटर का नाम	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार			31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार		
	शेयरों की संख्या लाख में	कुल शेयर का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्रतिशत	शेयरों की संख्या लाख में	कुल शेयर का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति	151.50	100.00%	शून्य	150.00	100.00%	शून्य

15 अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार
अन्य आरक्षित		
विशेष आरक्षित	8,997.19	7,974.18
सामान्य आरक्षित	68,982.46	64,718.09
	77,979.65	**72,692.28**

15.1 विशेष आरक्षित

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार
वर्ष के आरंभ की स्थिति के अनुसार शेष	7,974.18	7,222.81
जोड़े: विशेष आरक्षित निधि निवेश पर ब्याज	552.08	275.24
जोड़े: प्रतिधारित आय से अंतरित	470.92	476.14
अंत: शेष	**8,997.19**	**7,974.18**

15.2 सामान्य आरक्षित

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार
वर्ष के आरंभ की स्थिति के अनुसार शेष	64,718.09	61,269.06
घटाएं: पूर्वावधि चूक	-	840.68
वर्ष के आरंभ की स्थिति के अनुसार शेष का दुहराव	64,718.09	60,428.38
जोड़े: प्रतिधारित आय से	4,264.37	4,289.71
अंत: शेष	**68,982.46**	**64,718.09**

15.3 प्रतिधारित आय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार
प्रारंभिक शेष	-	-
जोड़ें : आय एवं व्यय खाते से अंतरित	4,709.24	4,761.39
घटाएं: विशेष आरक्षित निधि निवेश पर ब्याज विशेष आरक्षित में अंतरित		
जोड़ें: पूर्व अवधि समायोजन (निवल)	-	-
विशेष आरक्षित निधि निवेश के ब्याज से आय पर विचार करने से पूर्व आय एवं व्यय	**4,709.24**	**4,761.39**
घटाएं : विशेष आरक्षित निधि में अंतरित 10%	470.92	476.14
घटाएं: पूर्वावधि वर्ष संबंधी 10% राशि को विशेष आरक्षित निधि में अंतरित राशि से रिवर्स किया	-	-
जोड़ें: निर्धारित लाभ दायित्व की अस्वीकृति से उत्पन्न होने वाली अन्य व्यापक आय	26.05	4.46
सामान्य आरक्षित में अंतरित बकाया	4,264.37	4,289.71
अंत: शेष	**-**	**-**

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएसएफडीसी)
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

16 चालू और गैर-चालू प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार		कुल	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार		कुल
	गैर-चालू	चालू		गैर-चालू	चालू	
i) कर्मचारी हितों के लिए प्रावधान						
-छुट्टी लाभ	512.41	81.67	**594.08**	493.92	50.42	**544.34**
-कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन के लिए प्रावधान	-	396.23	**396.23**	-	385.11	**385.11**
- उपदान (निवल)	-	65.76	**65.76**	-	81.77	**81.77**
ii) अन्य प्रावधान						
-एससीए को प्रोत्साहन के लिए प्रावधान	-	195.09	**195.09**	-	257.09	**257.09**
-सीएसआर के लिए प्रावधान	-	27.80	**27.80**	-	**21.18**	**21.18**
कुल	**512.41**	**766.55**	**1,278.96**	**493.92**	**795.59**	**1,289.49**

16.1 वित्तीय वर्ष की समाप्ति से अगले 12 महीने में सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) से संबंधित धनराशि, चालू प्रावधान के रूप में ली गई है।

16.2 प्रावधानों के ब्योरे :

(₹ लाख में)

विवरण	1 अप्रैल 2023 की स्थिति के अनुसार	वर्ष 2023-24 के दौरान अभिवर्धन	2023-24 के दौरान उपयोग/ भुगतान	2023-24 के दौरान वापस लिया	वर्ष के दौरान प्रावधान सेट-ऑफ	31 मार्च 2024 तक
छुट्टी लाभ	544.34	97.55	47.81	-	-	594.08
पीआरपी के लिए प्रावधान	385.11	-	193.90	-	-	191.21
एससीए को प्रोत्साहन के लिए प्रावधान	257.11	105.00	167.00	-	-	195.09
सीएसआर के लिए प्रावधान	21.18	16.67	10.06	-	-	27.80
कुल	**1,207.74**	**219.23**	**418.77**	**-**	**-**	**1,008.18**
विगत वर्ष के आंकड़े	**1,091.54**	**437.18**	**320.98**	**-**	**-**	**1,207.74**

16.3 भारतीय लेखा मानक-19 के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन (उपदान, छुट्टी लाभ) का प्रकटीकरण

निधिबद्ध स्थिति के साथ-साथ आय एवं व्यय लेखा विवरण और तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त दीर्घावधि छुट्टी लाभों और उपदान के सुनिश्चित लाभों की सारांशीकृत स्थिति निम्नलिखित है:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	
	उपदान (वित्तपोषित)	छुट्टी नकदीकरण (गैर-वित्तपोषित)	उपदान (वित्तपोषित)	छुट्टी नकदीकरण (गैर-वित्तपोषित)
(I) बीमांकिक का मुख्य अनुमान :				
मृत्यु दर	**आईएएलएम (20012-14)**		**आईएएलएम (20012-14)**	
एट्रिशन दर				
30 वर्षों तक	5%	5%	5%	5%
31 से 44 वर्ष	5%	5%	5%	5%
44 वर्ष से अधिक	5%	5%	5%	5%
बट्टा दर	7.23	7.23	7.32	7.32
वेतन में वृद्धि (वार्षिक)	6.00	6.00	6.00	6.00
योजनागत परिसंपत्तियों पर लाभ की दर (वार्षिक)				
शेष कार्यकाल	11.15 वर्ष		11.33 वर्ष	
(II) देयताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन :				
अवधि के आरंभ में देयताओं का वर्तमान मूल्य	901.41	544.34	852.26	514.50
ब्याज लागत	65.98	39.84	60.59	36.58
चालू सेवा लागत	36.29	24.81	34.78	22.95
पूर्व सेवा लागत	-		-	
प्रदत्त लाभ (यदि कोई है)	(21.28)	(47.81)	(40.00)	(58.57)
बीमांकिक (लाभ)/हानि	(20.81)	32.90	-6.23	28.88
अवधि के अंत में देयताओं का वर्तमान मूल्य	**961.59**	**594.08**	**901.40**	**544.34**
(III) तुलन-पत्र में मान्यता दी जाने वाली धनराशि :				
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	895.83	-	819.63	-
वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार देयताओं का वर्तमान मूल्य	961.59	594.08	901.40	544.34
तुलन-पत्र में मान्यता दी गई निवल परिसंपत्ति/ (देयता)	**(65.76)**	**(594.08)**	**(81.77)**	**(544.34)**

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेसं एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएसएफडीसी)
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	
	उपदान (वित्तपोषित)	छुट्टी नकदीकरण (गैर-वित्तपोषित)	उपदान (वित्तपोषित)	छुट्टी नकदीकरण (गैर-वित्तपोषित)
(IV) आय और व्यय विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय :				
चालू सेवा लागत	36.29	24.81	34.78	22.95
पूर्व सेवा लागत				
निवल ब्याज लागत	5.99	39.84	4.35	36.58
बीमांकिक (लाभ)/ हानि		32.90		28.88
आय एवं व्यय का विवरण में मान्यता दी गई निवल लागत	**42.28**	**97.55**	**39.13**	**88.41**
(V) योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन:				
अवधि के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	819.63	-	791.14	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित लाभ	65.23	-	54.51	-
अंशदान	32.24	-	-0.03	-
प्रदत्त लाभ	(21.27)	-	14.01	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	-		-40.00	
अवधि के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**895.83**	**-**	**819.63**	**-**
(VI) अन्य व्यापक आय में मान्यता दिए जाने वाला बीमांकिक लाभ/(हानि) :	26.05	-	4.46	-
	26.05	**-**	**4.46**	**-**

संवेदनशीलता का विश्लेषण:

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ लाख में)

निम्नलिखित में परिवर्तन	अनुमानों में परिवर्तन	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार उपदान देयता पर प्रभाव	छुट्टी नकदीकरण पर प्रभाव
	वर्ष के अंत में देयता का वर्तमान मूल्य	961.59	594.08
बट्टा दर	0.50% वृद्धि के कारण प्रभाव	(19.48)	(13.14)
	0.50% कमी के कारण प्रभाव	20.23	13.61
	वर्ष के अंत में देयता का वर्तमान मूल्य	961.59	594.08
वेतन वृद्धि दर	0.50% वृद्धि के कारण प्रभाव	20.38	13.73
	0.50% कमी के कारण प्रभाव	(19.80)	(13.29)

(₹ लाख में)

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

निम्नलिखित में परिवर्तन	अनुमानों में परिवर्तन	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार उपदान देयता पर प्रभाव	छुट्टी नकदीकरण पर प्रभाव
	वर्ष के अंत में देयता का वर्तमान मूल्य	901.41	544.34
छूट दर	0.50% वृद्धि के कारण प्रभाव	(20.51)	(13.34)
	0.50% कमी के कारण प्रभाव	21.33	13.81
	वर्ष के अंत में देयता का वर्तमान मूल्य	901.41	544.34
वेतन वृद्धि दर	0.50% वृद्धि के कारण प्रभाव	21.50	13.95
	0.50% कमी के कारण प्रभाव	(20.85)	(13.50)

मृत्यु दर और आहरणों के कारण संवेदनशीलताएं महत्वपूर्ण नहीं हैं और इसलिए, परिवर्तनों के प्रभाव का परिकलन नहीं किया गया है।

मुद्रास्फीति की दर, भुगतान में पेंशन की वृद्धि की दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन की वृद्धि की दर और जीवन प्रत्याशा के बारे में संवेदनशीलताएं सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त लाभ होने के कारण लागू नहीं होती।

(₹ लाख में)

परिभाषित लाभ देयता की परिपक्वता की रूपरेखा		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	
		उपदान (वित्तपोषित)	छुट्टी नकदीकरण (गैर-वित्तपोषित)	उपदान (वित्तपोषित)	छुट्टी नकदीकरण (गैर-वित्तपोषित)
	वर्ष	**राशि**	**राशि**	**राशि**	**राशि**
i	0 से 1 वर्ष	128.25	81.66	71.91	50.42
ii	1 से 2 वर्ष	96.95	64.59	111.87	68.03
iii	2 से 3 वर्ष	102.92	60.89	83.78	52.32
iv	3 से 4 वर्ष	154.10	108.81	88.19	54.08
v	4 से 5 वर्ष	122.14	62.61	135.38	88.56
vi	5 से 6 वर्ष	132.44	73.43	104.05	53.75
vii	6 वर्ष के बाद	224.78	142.09	306.22	177.18

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेसं एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएसएफडीसी)
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

17 वित्तीय देयताएं

(₹ लाख में)

17.1 ऋण देयताएं

विवरण		31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार
बैंक ऑफ बड़ौदा से ऋण	2,500.00	-
कुल	**2,500.00**	**-**

(₹ लाख में)

17.2 अन्य

	विवरण		31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार
	निम्नलिखित के प्रति सहायता-अनुदान :		
(iक)	पीएम दक्ष योजना (9483) सान्याअमं	-	-
	सीड अनुदान	600.00	-
	पीएम दक्ष सीएनए खाता	2,145.13	509.34
	यूजीसी अनुदान योजना	1,319.40	665.22
	डीएपीएससी	-	12,141.86
	विसवास योजना (3886) सान्याअमं	-	50.30
	कौशल प्रशिक्षण के लिए अनुदान (सान्याअमं)(9496) **(नोट:17.2 देखें)**	205.99	200.27
	वस्त्र मंत्रालय से अनुदान	9.67	9.69
(iख)	भारत सरकार को देय अनुदान पर ब्याज	58.09	87.97
(ii)	अन्य संगठनों से अनुदान (नोट 19.1 देखें)	29.64	28.80
	डीजीटी, एमएसडीई, भारत सरकार से अनुदान	-	-
	बीपीसीएल, सीएसआर	0.47	0.39
(iii)	प्राप्त हुई प्रतिभूति जमा	4.70	4.71
(iv)	देय ईएमडी	13.63	15.70
(v)	विविध लेनदार	126.58	9,444.75
(vi)	बकाया व्यय	163.06	110.04
(vii)	अन्य देय	88.01	16.90
	कुल	**4,764.37**	**23,285.94**

17.3 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा दी गई सलाह के अनुसार, उपलब्ध अनुदानों को राजस्व अनुदानों के रूप में मान्यता दी जाती है और खर्च न किए गए शेष को चालू देयताओं के रूप में दर्शाया जाता है। कंपनी ने अनुदान की मान्यता के लिए आय दृष्टिकोण का पालन किया है। अनुदान संबंधी व्यय और प्राप्तियों को आय और व्यय खाते के माध्यम से मान्यता दी जाती है। प्रशिक्षण अनुदानों और आर्थिक सहायता के ब्योरे वर्ष के आरंभ में वर्ष के दौरान प्राप्त, वापसी, निर्मुक्त किए गए और 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार शेष राशि निम्नलिखित हैं:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	01.04.2023 को प्रारंभिक शेष	वर्ष 23-24 के दौरान प्राप्तियां	वर्ष 23-24 के दौरान ब्याज आय	वर्ष 23-24 के लिए वापसी	वर्ष 23-24 के दौरान मान्यता प्राप्त (निर्मुक्ति)	भारत सरकार को वापसी योग्य ब्याज*	31 मार्च, 2024 को जमा शेष
1	पीएम दक्ष सीएनए खाता*	509.34	3266	31.41	0	1630.21	31.41	2,145.13
2	एनएफएससी अनुदान (सान्याअमं-सीएनए)*	665.22	20855.99	38.93	0	20201.81	38.93	1,319.40
3	डीएपीएससी सीएनए (एजेएस और यस योजना)	12141.86	0	684.85	15286.64	-3144.78	684.85	-
4	विश्वास योजना (3886) एमओएसजेएंडई	50.29	0	1.27	50.29	0	1.27	0.00
5	सीड अनुदान योजना	0	600	0.11	0	0	0.11	600.00
6	कौशल प्रशिक्षण अनुदान-(9496) सान्याअमं	200.2715	0	7.54	0	-5.72	7.54	205.99
7	वस्त्र अनुदान	9.67	0	0.56	0	0	0.56	9.67
8	संसाधन लिंकेज कार्यक्रम II	0	0	0	0	0	0	-
	(i) आरएलपी-बीपीसीएल	0.39	0	0.08	0	0	0	0.47
	(ii) आरएलपी-अन्य लोक उद्यम	28.8	0	0.84	0	0	0	29.64
	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार शेष	**13,605.84**	**24,721.99**	**765.59**	**15,336.93**	**18,681.52**	**764.67**	**4,310.30**
	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार शेष	**3,608.67**	**34,592.00**	**170.23**	**2,587.86**	**22,006.93**	**170.23**	**13,605.87**

***वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत सरकार को वापस की गई राशि शामिल है**

18 अन्य चालू देयताएं

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार
सांविधिक देय राशियां	91.07	143.99
कुल	**91.07**	**143.99**

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेसं एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएसएफडीसी)
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

19 प्रचालनों से राजस्व (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/अन्यों को दिए गए ऋण पर ब्याज		
मियादी ऋण (टीएल) पर ब्याज	5,798.38	5,844.18
लघु ऋण वित्त (एमसीएफ) पर ब्याज	105.73	92.29
महिला किसान योजना (एमकेवाई) पर ब्याज	1.65	3.35
महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई) पर ब्याज	113.55	114.73
शिल्पी समृद्धि योजना (एसएसवाई) पर ब्याज	0.67	0.95
शिक्षा ऋण योजना (ईएलएस) पर ब्याज	49.09	47.68
व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण ऋण योजना (वीईटीएलएस) पर ब्याज	3.24	4.77
उद्यम निधि योजना पर ब्याज	310.93	0.55
आजीविका लघुवित्त योजना (एएमवाई) पर प्राप्त ब्याज	146.50	8.87
महिला अधिकारिता योजना (एमएवाई) पर प्राप्त ब्याज	41.63	1.42
वापसी पर ब्याज (टिप्पणी : 19.1 का संदर्भ लें)	1.11	1.10
अन्य प्रचालन से राजस्व		
ब्याज सबवेंशन विसवास योजना प्रबंधन प्रभार (देखें टिप्पणी : 19.2)	-	5.89
पीएम दक्ष योजना व्यवस्थापक के तहत बुक किए गए और निगरानी शुल्क ((देखें टिप्पणी: 19.3)	16.13	33.11
अनुसूचित जाति के छात्रों को फेलोशिप प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप के अंतर्गत लगाया गया प्रशासनिक एवं निगरानी शुल्क (टिप्पणी 19.4 देखें)	200.03	64.83
अमृत जलधारा योजना (एजेएस) और युवा उद्यमी योजना (वाईईएस) के अंतर्गत लगाया गया प्रशासनिक एवं निगरानी प्रभार (टिप्पणी 19.5 देखें)	76.76	99.12
कुल	**6,865.40**	**6,322.84**

19.1 बोर्ड ने दिनांक 25.08.2023 को आयोजित अपनी 165वीं बोर्ड बैठक में एससीए/सीए के लिए ऋण नीति में संशोधन, अर्थात ब्याज दरों में बदलाव, उपयोग अवधि और स्थगन अवधि में कमी, को मंजूरी दी। ब्याज दर में बदलाव के कारण ब्याज आय पर रु.41,44,225/- का प्रभाव पड़ेगा।

19.2 वर्ष 2023-24 के दौरान, रु.31.23 लाख (वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान रु.87.09 लाख) की वापसी राशि पर एससीए से रु.1.11 लाख (वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान रु.57.11 लाख), आरआरबी/पीएसबी से रु.शून्य लाख (वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान रु.0.15 लाख) और एनबीएफसी-एमएफआई से रु.शून्य (वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान रु.शून्य) ब्याज लगाया गया। मौजूदा उधार नीति के अनुसार वापसी पर ब्याज निम्नानुसार लगाया जाता है :-

(i) एससीए के मामले में, संवितरित राशि की पूरी वापसी पर।

(ii) चैनलाइजिंग एजेंसियों के मामले में:-

(क) 120 दिनों (01.10.2023 से 90 दिन) की अवधि के भीतर अप्रयुक्त और वापस की गई धनराशि पर ब्याज एनएसएफडीसी द्वारा सीए से ली जाने वाली सामान्य ब्याज दर के अतिरिक्त 4% प्रति वर्ष की दर से लागू होगा और यह संवितरण की तारीख से वापसी की तारीख तक लागू होगा।

(ख) चैनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा 120 दिनों (01.10.2023 से 90 दिन) के भीतर भी अप्रयुक्त राशि वापस किए जाने पर एनएसएफडीसी निधि पर उपर्युक्त अनुसार ही ब्याज लगेगा।

(ग) चैनलाइजिंग एजेंसियों को पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक 80% या उससे अधिक संचयी निधि उपयोग स्तर के अप्रयुक्त राशि पर लगाए जाने से छूट दी जाएगी।

(iii) एनबीएफसी-एमएफआई के मामले में, चैनलाइजिंग एजेंसियों को धनवापसी पर ब्याज लगाए जाने से छूट दी जाएगी, यदि संचयी निधि उपयोग स्तर किसी विशेष योजना के तहत 80% या उससे अधिक है।

19.3 वर्ष के दौरान, मंत्रालय द्वारा वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता (विसवास) के नाम से शुरू की गई ब्याज अनुदान योजना को कार्यान्वयन स्तर पर बंद कर दिया गया तथा अनुदान राशि पर जमा ब्याज सहित अप्रयुक्त अनुदान राशि मंत्रालय को वापस कर दी गई।

19.4 वर्ष के दौरान, निगम ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना, प्रधान मंत्री दक्ष और कौशलता संपन्न हितग्राही (पीएम-डीएकेएसएचएस) योजना को लागू किया है। पीएम-दक्ष योजना के तहत, निगम अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए एनएसक्यूएफ अनुरूप कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू कर रहा है। इसलिए, पीएम-दक्ष योजना के कार्यान्वयन के लिए, निगम प्रशिक्षण लागत के 1% की दर से निगरानी व्यय का हकदार है।

19.5 वर्ष के दौरान, निगम ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यानी यूजीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कॉलेजों में उच्च अध्ययन करने के लिए छात्रों को वित्तीय सहायता के रूप में फेलोशिप प्रदान करने के लिए मंत्रालय के अनुसूचित जाति के छात्रों को फेलोशिप प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप की मौजूदा योजना को लागू किया है। इसके लिए, निगम कुल वितरित फेलोशिप का 1% पाने का हकदार है।

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेसं एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएसएफडीसी)
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

19.6 वर्ष के दौरान, निगम ने मंत्रालय द्वारा शुरू की गई अनुसूचित जातियों की विकास कार्य योजना (डीएपीएससी) की केंद्रीय क्षेत्र योजना का कार्यान्वयन किया है। योजना को कार्यान्वयन के स्तर पर बंद कर दिया गया और अनुदान निधि पर जमा ब्याज के साथ अप्रयुक्त अनुदान निधि मंत्रालय को वापस कर दी गई। निगम ने वितरित निधियों पर आनुपातिक आधार पर प्रशासनिक शुल्क अर्जित किया।

20 अन्य आय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
क) ब्याज आय		
बैंकों में जमा राशियों पर ब्याज	-	170.11
बचत बैंक खातों पर ब्याज	666.70	789.83
कर्मचारी एवं अन्य को दिए गए अग्रिम पर ब्याज (टिप्पणी 20.1 का संदर्भ लें)	35.59	36.47
ख) अन्य गैर-प्रचालन आय		
विविध प्राप्तियां	1.14	2.42
प्राप्त किराया	19.17	22.37
बट्टे खाते के लिए प्रावधान	100.45	122.56
कुल	**823.05**	**1,143.76**

20.1 कार्मिक ऋण के उचित मूल्यांकन के कारण आस्थगित व्यय के परिशोधन के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान रु.12.68 लाख (वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान रु.15.39 लाख) को मान्यता दी गई।

21 कर्मचारी हित लागत

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
क) वेतन, मजदूरी एवं लाभ : अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक		
वेतन एवं भत्ते	52.37	49.68
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.11	0.03
छुट्टी यात्रा रियायत व्यय	-	0.21
छुट्टी लाभ	-	-
बाह्य सेवा अंशदान	10.07	9.16
	62.55	**59.07**
ख) वेतन, मजदूरी एवं लाभ : कर्मचारी		
वेतन एवं भत्ते	1,298.13	1,248.64
छुट्टी लाभ	97.55	89.44
छुट्टी यात्रा रियायत नकदीकरण	0.05	1.56
छुट्टी यात्रा रियायत व्यय	1.94	5.77
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	44.71	51.08
समयोपरि भत्ता	1.07	1.92
व्यावसायिक सदस्यता शुल्क	0.10	0.05
निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी)	205.02	191.21
बाह्य सेवा अंशदान	-	2.89
	1,648.57	**1,592.56**
ग) भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान		
भविष्य निधि/जीएसएलआईएस में निगम का अंशदान	98.15	90.29
पेंशन में निगम का अंशदान	9.66	10.25
भविष्य निधि प्रशासनिक व्यय	4.53	4.22
उपदान	42.29	39.13
चिकित्सा (सेवानिवृत्त)	26.96	25.13
पेंशन (सेवानिवृत्त)	89.86	83.78
	271.45	**252.80**
घ) कर्मचारी कल्याण व्यय	10.17	12.12
	10.17	**12.12**
ङ) ऋणों और अग्रिमों पर कर्मचारी लाभ व्यय	12.68	15.39
कुल	**2,005.42**	**1,931.95**

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेसं एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएसएफडीसी)
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

21.1 वित्त लागत (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
ऋण पर ब्याज	62.13	-
कुल	**62.13**	**-**

22 मूल्यह्रास और परिशोधन लागतें (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास (टिप्पणी सं. 3 और 4 का संदर्भ लें)	34.06	31.78
परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार पर मूल्यह्रास (टिप्पणी सं. 3 का संदर्भ लें)	-	-
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन (टिप्पणी सं. 5 का संदर्भ लें)	0.61	0.92
कुल	**34.67**	**32.70**

23 राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी को प्रोत्साहन (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वसूली के लिए एससीए को प्रोत्साहन	-	45.00
एससीए-एनएपीई को प्रोत्साहन	45.00	45.00
एससीए-आईएसओसीए को प्रोत्साहन	60.00	60.00
	105.00	**150.00**

24 अन्य व्यय (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
विज्ञापन व्यय	-	1.47
बैंक प्रभार	0.01	0.01
कारोबार उन्नयन व्यय	3.62	4.62
कंप्यटर एवं वेबसाइट व्यय	5.44	3.98
निगम सदस्यता शल्क	1.89	1.69
निदेशक/बोर्ड बैठक व्यय	1.97	1.92
विदयत प्रभार	20.44	21.66
बीमा प्रभार	4.83	4.97
विधि और व्यावसायिक व्यय/परामर्श	11.20	52.25
दृश्य-श्रव्य प्रचार माध्यम/मल्यांकन/सम्मेलन/सेमिनार	177.76	90.66
कार्यालय इमारत व्यय	59.89	54.04
कार्यालय व्यय	77.33	73.74
कार्यालय किराया	3.53	3.04
लेखापरीक्षकों को भ्रगतान (टिप्पणी सं. 24.1 का संदर्भ लें)	2.10	2.10
डाक, तार	0.60	1.25
मद्रण अैर लेखन-सामग्री	9.37	9.66
टेलीफोन एवं टेलेक्स	6.76	6.51
प्रशिक्षण व्यय - स्टाफ	2.07	0.39
प्रशिक्षण व्यय - निदेशक	0.12	0.03
यात्रा किराया व्यय	4.40	0.92
यात्रा व्यय - निदेशक	3.62	2.94
यात्रा व्यय - स्टाफ	32.07	20.87
यात्रा व्यय - सलाहकार	0.63	0.09
वाहन व्यय	11.17	15.49
दरें एवं कर	7.56	4.80
संसदीय समिति व्यय	13.24	0.76
समाचार-पत्र, प्स्तकें व पत्रिकाएं	0.38	0.53
एक बारगी समायोजना के तहत ब्याज माफी (टिप्पणी सं. 24.2 देखें)	-	1.74
स्टाफ भर्ती व्यय/आय	4.58	6.70
बट्टे खाते में डाले गए अग्रिम	-	0.21
अनुदान के विरुद्ध प्रशासनिक व्यय	163.59	72.58
अनुदान व्यय	18,681.52	-
घटाएं : अनुदान आय	-18,681.52	-
कुल	**630.17**	**461.62**

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेसं एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएसएफडीसी)
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

(₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
24.1	**लेखापरीक्षक पारिश्रमिक**		
	लेखापरीक्षा के लिए	2.10	2.10
	गत वर्ष की लेखापरीक्षा के लिए	-	-
	कराधान मामलों के लिए	-	-
	कंपनी विधिक मामलों के लिए	-	-
	प्रबंधकीय सेवाओं के लिए	-	-
	अन्य सेवाओं के लिए	-	-
	व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए	-	-
	कुल	**2.10**	**2.10**

25 असाधारण मदें

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
परिसंपत्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि (निवल)	3.27	0.06
कुल	**3.27**	**0.06**

26 अन्य व्यापक आय के संघटक (ओसीआई)

इक्विटी में आरक्षण के प्रत्येक प्रकार द्वारा अन्य व्यापक आय के परिवर्तनों को पृथकत: नीचे दर्शाया गया है:-

(₹ लाख में)

विवरण	एफवीटीओसीआई 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	एफवीटीओसीआई 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
सुनिश्चित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन		
- उपदान	26.05	4.46
कुल	**26.05**	**4.46**

27 प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
मूलभूत ईपीएस		
निरंतर प्रचालन से	31.08	31.74
तरलीकृत ईपीएस		
निरंतर प्रचालन से	31.39	31.74

27.1 प्रति शेयर मूलभूत अर्जन

प्रति शेयर मूलभूत अर्जन के परिकलन में इस्तेमाल किए गए इक्विटी शेयरों का अर्जन और भारित औसत संख्या:

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के इक्विटी धारकों को देय लाभ:		
निरंतर प्रचालन से	4,709.24	4,761.39
प्रति शेयर मूलभूत अर्जन के परिकलन में इस्तेमाल किए गए अर्जन	4,709.24	4,761.39
प्रति शेयर मूलभूत अर्जन के उद्देश्य के लिए शेयरों की भारित औसत संख्या	151.50	150.00

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेसं एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएसएफडीसी)
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

27.2 प्रति शेयर तरलीकृत अर्जन

प्रति शेयर तरलीकृत अर्जन के परिकलन में प्रयुक्त आय और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या:-

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के इक्विटी धारकों को देय लाभ:		
निरंतर प्रचालन से	4,709.24	4,761.39
निरंतर प्रचालनों से प्रति शेयर तरलीकृत अर्जन के परिकलन में इस्तेमाल किए गए अर्जन	**4,709.24**	**4,761.39**

मूल अर्जन की गणना में इस्तेमाल किए ईक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या को तरलीकृत प्रति शेयर अर्जन के उद्देश्य के लिए ईक्विटी शेयरों की भारित संख्या के सामंजस्य को नीचे दिया जा रहा है:

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रति शेयर मूल अर्जन के प्रभाव के उद्देश्य के लिए शेयरों की भारित औसत संख्या	151.50	150.00
तरलीकरण का प्रभाव:	1.49	-
आबंटन के लिए लंबित शेयर	-	-
प्रति शेयर तरलीकृत अर्जन के उद्देश्य के लिए शेयरों की भारित संख्या	**150.01**	**150.00**

28 पूंजी प्रबंधन

कंपनी का उद्देश्य अपनी पूंजी का प्रबंधन इस प्रकार करना है कि वह अपनी क्षमता को सुनिश्चित और सुरक्षित रख सके, ताकि कंपनी शेयरधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान कर सके और अन्य हितधारकों को लाभ पहुंचा सके।

इसके अलावा, कंपनी आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन और वित्तीय अनुबंधों की आवश्यकताओं के मद्देनजर समायोजन करने के लिए अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है।

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान पूंजी प्रबंधन के उद्देश्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया।

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेसं एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएसएफडीसी)
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

29 उचित मूल्य मापन

(i) श्रेणियों के अनुसार वित्तीय विलेखों का वहन मूल्य निम्नलिखित है:

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार			31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार		
	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां						
(i) नकद और नकद समतुल्य	-	-	7,325.24	-	-	31,720.86
(ii) अन्य बैंक शेष	-	-	6,617.62	-	-	7,223.88
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	4,020.02	-	-	3,105.26
(iv) एससीए और सीए को ऋण	-	-	2,19,263.51	-	-	2,04,499.29
(v) कर्मचारियों को ऋण	-	-	320.46	-	-	319.84
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**-**	**-**	**2,37,546.85**	**-**	**-**	**2,46,869.13**
वित्तीय देयताएं						
(i) प्रतिभूति जमा और भुगतान योग्य ईएमडी	-	-	18.33			20.41
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	4,746.04			23,265.53
कुल वित्तीय देयताएं			**4,764.37**			**23,285.94**

(ii) वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य, जो उचित मूल्य पर मापा जाता है:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	
	वहन मूल्य	उचित मूल्य	वहन मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) एससीए और सीए को ऋण	2,19,263.51	2,19,263.51	2,04,499.29	2,04,499.29
(ii) स्टाफ ऋण और अग्रिम	320.46	315.62	319.84	318.20
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**2,19,583.97**	**2,19,579.13**	**2,04,819.13**	**2,04,817.49**
वित्तीय देयताएं				
(i) प्रतिभूति जमा और भुगतान योग्य ईएमडी	18.33	18.33	20.41	20.41
कुल वित्तीय देयताएं	**18.33**	**18.33**	**20.41**	**20.41**

i) नकद और नकद समकक्ष की वहन राशियां, अन्य बैंक शेष, उधार, ईएमडी, अन्य वित्तीय देयताएं और एससीए को ऋण, अल्पावधि स्वरूप के होने के कारण उतने ही माने जाते हैं, जितना उनका उचित मूल्य है।

ii) "कर्मचारियों को ऋण" का उचित मूल्य को वर्तमान बाज़ार दर का इस्तेमाल करके बट्टाकृत नकद प्रवाहों के आधार पर परिकलित किया गया है। काउंटर पार्टी क्रेडिट जोखिम सहित अतथ्यात्मक योग्य इनपुटों के समावेशन के कारण उन्हें उचित मूल्य अनुक्रम में स्तर-3 उचित मूल्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

उचित मूल्य अनुक्रम

स्तर 1 - समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2 - स्तर 1 के अंदर शामिल किए गए उद्धृत मूल्यों के अलावा, इनपुट जो या तो प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात् मूल्यों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात् मूल्यों से लिए गए), परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए तुलनीय योग्य हैं।

स्तर 3 - परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए इनपुट, जो अवलोकन बाज़ार के तुलनीय आंकड़ों (अतथ्यात्मक इनपुटों) पर आधारित नहीं हैं।

निम्नलिखित सारणी परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओ के उचित मूल्य मापन अनुक्रम को दर्शाती है:

31-03-2024 की स्थिति के अनुसार उचित मूल्य अनुक्रम (₹ लाख में)

विवरण	मूल्यांकन की तारीख	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय परिसंपत्तिया					
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i) कर्मचारियों को ऋण	31 मार्च, 2024	-	-	315.62	315.62
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		**-**	**-**	**315.62**	**315.62**

31-03-2023 की स्थिति के अनुसार उचित मूल्य अनुक्रम (₹ लाख में)

विवरण	मूल्यांकन की तारीख	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय परिसंपत्तिया					
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i) कर्मचारियों को ऋण	31 मार्च, 2023	-	-	318.20	318.20
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		**-**	**-**	**318.20**	**318.20**

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेसं एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएसएफडीसी)
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

(iii) वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी के मुख्य वित्तीय दायित्वों में अनुदान और अन्य भुगतान योग्य राशियां शामिल हैं। इन वित्तीय दायित्वों के मुख्य उद्देश्य, कंपनी के प्रचालनों का वित्त पोषण करने और इसके प्रचालन को समर्थन देने के लिए गारंटियां उपलब्ध कराना है। कंपनी की मुख्य वित्तीय परिसंपत्तियों में एससीए/सीए को मियादी/माइक्रो वित्त ऋण शामिल हैं, जो अपनी इक्विटी से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं।

कंपनी को बाज़ार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और लिक्विडिटी जोखिम है। कंपनी के वित्तीय जोखिम क्रियाकलाप समुचित नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा विनियमित होते हैं तथा इन वित्तीय जोखिमों का पता लगाया जाता है, इन्हें मापा जाता है और कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार इनका प्रबंधन किया जाता है। निदेशक मंडल इन जोखिमों में से प्रत्येक का प्रबंधन करने के लिए नीतियों की समीक्षा करता है और सहमति व्यक्त करता है, जो नीचे सारांशीकृत किए गए हैं:-

क) बाज़ार जोखिम

बाज़ार जोखिम एक ऐसा जोखिम है जो कि किन्हीं वित्तीय विलेखों के भावी नकद प्रवाहों के उचित मूल्य में, बाज़ार मूल्यों में परिवर्तनों के कारण उतार-चढ़ाव होगा। बाज़ार जोखिम में ब्याज दर का जोखिम शामिल होता है। बाज़ार जोखिम द्वारा प्रभावी वित्तीय विलेखों में ऋण और अग्रिम, जमा राशियां और अन्य गैर-व्युत्पन्न वित्तीय विलेख शामिल हैं।

ख) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम ऐसा जोखिम है कि बाज़ार ब्याज दर में परिवर्तनों के कारण किन्हीं वित्तीय विलेखों के भावी नकद प्रवाहों के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव होगा। कंपनी को ब्याज दर जोखिम का खतरा नहीं है।

ग) उधार जोखिम

उधार जोखिम कंपनी को वित्तीय हानि का जोखिम है, यदि किसी वित्तीय विलेख की कोई काउंटर पार्टी अपने संविदात्मक दायित्व पूरा करने में विफल रहती है और यह मुख्यत: एससीए और सीए से प्राप्ति योग्य कंपनी के ऋणों से उत्पन्न होता है। कंपनी को एससीए और सीए को दिए गए ऋणों के अपने वित्तीय क्रियाकलापों से उधार जोखिम का खतरा है।

कंपनी अपनी आंतरिक नीतियों के आधार पर क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन और प्रबंधन करती है। कंपनी परिसंपत्तियों की आरंभिक मान्यता पर चूक की संभावना पर विचार करती है और इस बात पर भी विचार करती है कि क्या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में चलायमान आधार पर क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। यह मूल्यांकन करने के लिए कि क्या क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, कंपनी आरंभिक मान्यता की तारीख की स्थिति के अनुसार चूक के जोखिम के साथ रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार परिसंपत्तियों पर हुई चूक के जोखिम की तुलना करती है। यह उपलब्ध तर्कसंगत और समर्थकारी अग्रगामी सूचना पर विचार करती है। विशेष रूप से निम्नलिखित संकेतक शामिल किए गए हैं:

- दायित्व को समर्थन देने वाले संपार्श्विक या तृतीय पक्षकार गारंटियों की गुणवत्ता के मूल्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन।
- समूह में ऋण प्राप्तकर्ताओं (एससियों और सीए) की भुगतान स्थिति में परिवर्तन और ऋण प्राप्तकर्ताओं (एससीए) के प्रचालन परिणामों में परिवर्तनों सहित ऋण प्राप्तकर्ता (एससीए और सीए) के प्रत्याशित कार्य-निष्पादन और व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

सामान्य तौर पर, यह अनुमान लगाया जाता है कि आरंभिक मान्यता से क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, यदि भुगतान 3 वर्ष से अधिक समय तक देय है।

किसी वित्तीय परिसंपत्ति में चूक तब होती है जब काउंटर पार्टी उस समय भुगतान करने में विफल रहती है जब वे देय हो जाते हैं।

वित्तीय विलेख और नकद जमा राशियां

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के पास शेषों से क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन कंपनी की नीति के अनुसार किया जाता है। अधिशेष का निवेश काउंटर पार्टी से प्राप्त वित्तीय कोट्स के आधार पर काउंटर पार्टी के अनुमोदन से ही किया जाता है।

घ) नकद हानि (लिक्विडिटी जोखिम)

लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन की अंतिम जिम्मेदारी कंपनी के निदेशक मंडल की है। कंपनी पूर्वानुमानों और वास्तविक नकद प्रवाहों की निरंतर मॉनीटरिंग करके और वित्तीय देयताओं की परिपक्वताओं का मिलान करके पर्याप्त बैंकिंग सुविधाओं को बनाए रखने का प्रबंधन करती है।

30 प्रावधान

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए ऋणों और अग्रिमों की प्रत्याशित क्रेडिट हानियों के लिए प्रावधान : (₹ लाख में)

विवरण		परिसंपत्ति समूह	चूक की अनुमानित सकल वहन राशि	चूक की प्रत्याशित संभावना	प्रत्याशित ऋण हानियां	वहन राशि (निवल हानिकरण प्रावधान)
जीवनकाल की प्रत्याशित ऋण हानियों पर मापी गई अनुमत्य हानि	वित्तीय परिसंपत्ति, जिसके लिए ऋण जोखिम में आरंभिक मान्यता से पर्याप्त रूप से वृद्धि नहीं हुई है।*	ऋण	2,19,362.53	0%	-	2,19,362.53
		ऋणों पर ब्याज	3,426.44	0%	-	3,426.44
	वित्तीय परिसंपत्ति, जिसके लिए ऋण जोखिम में वृद्धि हुई है और ऋण रूप से हानिकरण नहीं हुआ।	ऋण	716.65	100%	716.65	-
		ऋणों पर ब्याज	918.10	100%	918.10	-
		अग्रिम	1,539.99	100%	1,539.99	-
			2,25,963.71		**3,174.74**	**2,22,788.97**

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेसं एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएसएफडीसी)
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

30.1 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए ऋणों और अग्रिमों की प्रत्याशित उधार हानियों के लिए प्रावधान: (₹ लाख में)

विवरण		परिसपंत्ति समूह	चूक की अनुमानित सकल वहन राशि	चूक की प्रत्याशित संभावना	प्रत्याशित ऋण हानियां	वहन राशि (निवल हानिकरण प्रावधान)
जीवनकाल की प्रत्याशित ऋण हानियों पर मापी गई अनुमत्य हानि	वित्तीय परिसंपत्ति, जिसके लिए ऋण जोखिम में आरंभिक मान्यता से पर्याप्त रूप से वृद्धि नहीं हुई है।*	ऋण	2,04,596.51	0%	-	2,04,596.51
		ऋणों पर ब्याज	2,725.00	0%	-	2,725.00
	वित्तीय परिसंपत्ति, जिसके लिए ऋण जोखिम में वृद्धि हुई है और ऋण रूप से हानिकरण नहीं हुआ।	ऋण	716.65	100%	716.65	-
		ऋणों पर ब्याज	858.57	100%	858.57	-
		अग्रिम	1,539.99	100%	1,539.99	-
			2,10,436.72		**3,115.21**	**2,07,321.51**

30.2 एसीए के लिए, जहां राज्य सरकार की गारंटी/आदेश/आश्वासन उपलब्ध है, संदिग्ध ऋणों के लिए अनुमति लेखा-बहियों में 100% की दर से दी गई है, यदि तुलन-पत्र की तारीख को अतिदेय 3 वर्ष से अधिक है और राज्य सरकार की गारंटी/आदेश/आश्वासनों में कमी है।

सीए के अलावा (जहां गारंटी उपलब्ध नहीं है)

(क) भुगतान के लिए देय परंतु 3 वर्ष या इससे अधिक की अवधि के लिए बकाया राशि पर 100% का प्रावधान है।

(ख) भुगतान के लिए देय परंतु 2 वर्ष या इससे अधिक परंतु 3 वर्ष से कम की अवधि के लिए बकाया राशि पर 40% का प्रावधान है।

(ग) भुगतान के लिए देय परंतु 1 वर्ष या इससे अधिक परंतु 2 वर्ष से कम की अवधि के लिए बकाया राशि पर 25% का प्रावधान है।

(घ) भुगतान के लिए देय परंतु 1 वर्ष से कम अवधि के लिए बकाया राशि पर कोई प्रावधान नहीं है।

30.3 अशोध्य और संदिग्ध जमा राशियों के लिए प्रावधान

वर्ष 2000-01 के दौरान "पनवायर" के पास जमा की गई राशि के संबंध में बही-खातों में अशोध्य और संदिग्ध जमा राशियों के लिए रु.1,539.99 लाख (2019-20, रु.1,539.99 लाख) [जिसकी मूल राशि रु.1,485.00 लाख है (2019-20 रु.1485.00 लाख) और प्राप्ति योग्य तथा देय ब्याज रु.54.99 लाख (2019-20, रु.54.99 लाख)] का प्रावधान है क्योंकि मूलधन ही वसूली के लिए संदिग्ध है, इसलिए ब्याज का प्रावधान नहीं किया गया है।

पराक्रम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत "पनवायर" के विरुद्ध एनएसएफडीसी द्वारा न्यायालय के दो मामले संबंधित न्यायालय में लंबित हैं। कंपनी (पनवायर) का माननीय उच्च न्यायालय, पंजाब एवं हरियाणा द्वारा पारित दिनांक 01.02.2001 के आदेश द्वारा परिसमापन हो गया था। इसके पश्चात इस मामले में न्यायालय द्वारा सरकारी परिसमापक नियुक्त किया गया था। सरकारी परिसमापक से प्राप्त की गई सूचना के अनुसार पनवायर की परिसंपत्तियां, उसके प्रतिभूत लेनदारों के प्रति कंपनी की देयताएं पूरी करने के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं। एनएसएफडीसी के एक अप्रतिभूत लेनदार होने के कारण, इसकी राशि की वसूली की कोई गुंजाइश नहीं है और उक्त कंपनी में एनएसएफडीसी द्वारा निवेश की

30.4 संदिग्ध ऋणों और ब्याज के लिए भत्ते का प्रत्यावर्तन/(संदिग्ध ऋणों और ब्याज के लिए भत्ता)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार
संदिग्ध ऋण और ब्याज के लिए भत्ता	59.53	57.11
कुल	**59.53**	**57.11**

31 अनुमान की अनिश्चितता के मुख्य स्रोत

भविष्य से संबंधित मुख्य अनुमान निम्नलिखित हैं और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमान की अनिश्चितता के मुख्य स्रोत, जो महत्वपूर्ण जोखिम हो सकता है, जिसके कारण अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों और देयताओं की वहन राशि में महत्वपूर्ण समायोजन किया जा सकता है:

क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवनकाल

जैसाकि टिप्पणी संख्या 2.7 में उल्लेख किया गया है, कंपनी के पास संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल है।

उपर्युक्त मूल्यांकन का वित्तीय प्रभाव, आगामी वित्तीय वर्षों में मूल्यह्रास के खर्चों को प्रभावित कर सकता है।

ख) अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल

जैसाकि टिप्पणी संख्या 2.8 में उल्लेख किया गया है, कंपनी के पास अमूर्त परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल है।

उपर्युक्त मूल्यांकन का वित्तीय प्रभाव, आगामी वित्तीय वर्षों में परिशोधन खर्चों को प्रभावित कर सकता है।

ग) उचित मूल्यांकन मापन और मूल्यांकन प्रक्रिया

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों द्वारा मापे जाते हैं। इन पद्धतियों के इनपुट, जहां संभव हो, अवलोकन योग्य बाज़ारों से लिए लाते हैं परंतु जहां ऐसा करना व्यवहार्य नहीं है, उचित मूल्य निकालने के लिए निर्णय लेने की क्षमता की आवश्यकता होती है। निर्णयों में नकद हानि जोखिम, ऋण जोखिम और अस्थिरता जैसे इनपुटों पर विचार करना शामिल है। इन कारकों के बारे में अनुमानों में होने वाले परिवर्तन वित्तीय विलेखों के रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं। अगले प्रकटीकरणों के लिए टिप्पणी संख्या 29 देखें।

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेसं एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएसएफडीसी)
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

घ) सुनिश्चित लाभ दायित्व

कर्मचारी लाभ दायित्व, बीमांकिक मूल्यांकनों का इस्तेमाल करके निर्धारित किए जाते हैं। बीमांकिक मूल्यांकन में ऐसे विभिन्न अनुमान लगाना शामिल है, जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकते हैं। इनमें बट्टा दर का निर्धारण, वेतन में भावी वृद्धियां और मृत्यु दरें शामिल हैं। मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं और इसके दीर्घावधि स्वरूप के कारण सुनिश्चित लाभ दायित्व इन अनुमानों में परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। रिपोर्टिंग की प्रत्येक तारीख को सभी अनुमानों की समीक्षा की जाती है।

32 पूर्व अवधि त्रुटियां (₹ लाख में)

विवरण	राशि
दिनांक 01.04.2023 को प्रारंभिक सामान्य आरक्षित राशि	61,269.07
पूर्वावधि समायोजन	-840.68
दिनांक 01.04.2023 को पुन: उल्लिखित प्रारंभिक सामान्य आरक्षित राशि	**60,428.39**
2021-22 को समाप्त वर्ष के लिए निरंतर प्रचालन की अवधि के लिए पुन: प्रस्तुत व्यय से अधिक आय की शेष राशि	4,761.39
2021-22 के दौरान विशेष आरक्षित राशि में हस्तांतरण	-476.14
2021-22 के दौरान अन्य व्यापक आय	4.46
31.3.2023 को पुन: उल्लिखित प्रारंभिक सामान्य आरक्षित राशि	64,718.09

इक्विटी, आय एवं व्यय का विवरण और ईपीएस पर पूर्व अवधि की त्रुटियों का प्रभाव

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
इक्विटी पर प्रभाव [इक्विटी में वृद्धि/(कमी)]	
पार्टियों को अग्रिम	-
बकाया व्यय	-
प्राप्य ब्याज	-
विविध लेनदार	26.97
बैंक	(0.02)
अन्य वित्तीय देयताएं	-
अन्य देय	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	(867.63)
इक्विटी पर निवल प्रभाव	**-840.68**

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
आय और व्यय के विवरण' पर प्रभाव [लाभ में वृद्धि/(कमी)]	
अन्य व्यय	-
सीएसआर व्यय	-
अन्य आय	-
कुल प्रभाव	**-**
इक्विटी धारकों के लिए उत्तरदायी	-

मूल और तरलीकृत प्रति शेयर अर्जनों (ईपीएस) [ईपीएस में वृद्धि/(कमी) पर प्रभाव] (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
निरंतर प्रचालन के लिए प्रति शेयर अर्जन	
इक्विटी धारकों को देय, निरंतर प्रचालनों से मूलभूत, लाभ	-
इक्विटी धारकों को देय, निरंतर प्रचालनों से तरलीकृत, लाभ	-

***नोट:** सीएजी को दिए गए आश्वासन के अनुसार, विशेष आरक्षित निधि निवेश पर ब्याज आय को लाभ और हानि खाते के माध्यम से नहीं दर्शाया जाता है। तदनुसार पिछले वर्ष के आंकड़े भी चालू वर्ष में पुनर्समूहित किए गए हैं, इसका प्रभाव ऊपर शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि यह पुनर्समूहन है न कि पूर्व अवधि समायोजन।

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेसं एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएसएफडीसी)
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

33 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

33.1 कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

नाम	पद
श्री रजनीश कुमार जैनव	अध्यक्ष-सह- प्रबंध निदेशक
श्रीमती अन्नु भोगल	कंपनी सचिव
श्री राजेश बिहारी	मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)
श्री दुर्गा प्रसाद रॉय	स्वतंत्र निदेशक
श्रीमती अंजुला सिंह माहुर	स्वतंत्र निदेशक

33.2 मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ लेन-देन:

वर्ष के दौरान मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ किए गए लेनदेनों का स्वरूप या मात्रा

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
अल्पावधि लाभ	153.27	140.49
स्वतंत्र निदेशकों का बैठक शुल्क	0.24	0.28
नियोजनोत्तर कर्मचारी लाभ	74.88	73.05
	228.39	**213.82**

अल्पावधि लाभ में मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को दिया गया पारितोषिक शामिल है।

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
संबंधित पार्टी को ऋण		
(i) श्री राजेश बिहारी (मुख्य महाप्रबंधक - वित्त)		
वर्ष के आरंभ में संबंधित पार्टियों के स्वामित्व वाली धनराशि	3.86	4.66
वर्ष के दौरान दिया गया ऋण	-	5.00
ब्याज	0.04	0.57
वर्ष के दौरान अदायगी	(3.90)	(6.37)
अंतिम शेष	**-**	**3.86**
(ii) श्रीमती अन्नु भोगल (कंपनी सचिव)		
वर्ष के आरंभ में संबंधित पार्टियों के स्वामित्व वाली धनराशि	4.58	5.97
ब्याज		
वर्ष के दौरान अदायगी	(1.28)	(1.39)
अंतिम शेष	**3.30**	**4.58**
वर्ष के अंत में संबंधित पार्टियों के स्वामित्व वाली राशि	**3.30**	**8.44**

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेसं एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएसएफडीसी)
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

33.3 सरकारी संस्थाओं के साथ लेन-देन

उपरोक्त दिए गए लेन-देन के अलावा, कंपनी का अन्य सरकारी संस्थानों के साथ भी लेन-देन है, जिसमें निम्न शामिल हैं, लेकिन ये यहीं तक ही सीमित नहीं हैं :

सरकार का नाम : भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से (100% पूंजीगत अंशदान)

कुछ महत्वपूर्ण लेन-देन :- **(₹ लाख में)**

पक्ष		लेन-देन की प्रकृति	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	(i)	पूंजीगत अंशदान	1,500.00	-
	(ii)	पीएम-दक्ष के लिए अनुदान(3965)-कौशल प्रशिक्षण योजना	3,266.00	-
	(iii)	(क) पीएम दक्ष सीएनए खाते के लिए अनुदान	-	890.00
		(ख) गैर-सीएनए खाते के लिए अनुदान बकाया अंतरण	-	2,756.56
	(iv)	(क) अनुसूचित जाति के छात्रों को फेलोशिप प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप हेतु अनुदान (सान्याअमं)	20,960.40	7,225.00
		(ख) सीड ग्रांट	600.00	-
	(v)	डीएपीएससी के लिए अनुदान	-15,286.64	23,698.88
	(vi)	निम्न के लिए अनुदान पर ब्याज सान्याअमं को वापस किया गया		
		(क) कौशल प्रशिक्षण योजना	8.87	652.76
		(ख) विसवास योजना	0.00	21.17
		(ग) वस्त्र अनुदान	4.51	0.00
		(घ) फेलोशिप योजना	38.93	0.00
		(ड.) डीएपीएससी	5.37	0.00
	(vii)	निम्न से/को (ब्याज सहित) अनुदान प्राप्त/वापस किया गया :		
		(क) डीजीटी	0.00	0.00
		(ख) विसवास ब्याज अनुदान योजना	-50.29	0.00
	(viii)	एम.ए.वी.पी. से संबंधित कार्यक्रमों में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का योगदान	424.3	38.28
एनबीसीएफडीसी		एमएवीपी से संबंधित कार्यक्रम	67.99	16.47
एनएचएफडीसी		एमएवीपी से संबंधित कार्यक्रम	0.00	0.00
एएलआईएमसीओ		एमएवीपी से संबंधित कार्यक्रम	0.00	0.00
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास		एमएवीपी से संबंधित कार्यक्रम	66.48	23.37
			11,605.92	**35,322.49**

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेसं एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएसएफडीसी)

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

34 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के तहत आवश्यक प्रकटीकरण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
(i) लेखांकन वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान न की गई बाकी मूल राशि	7.17	4.67
(ii) लेखांकन वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान न की गई राशि पर देय ब्याज	-	-
(iii) निश्चित तारीख के पश्चात किए गए भुगतान की राशियों के साथ भुगतान किए गए ब्याज की राशि	-	-
(iv) वर्ष के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि	-	-
(v) लेखांकन वर्ष के अंत में उपार्जित ब्याज की राशि और शेष अप्रदत्त	-	-
(vi) आगामी देय ब्याज की राशि और आगामी वर्ष में भी भुगतान योग्य, जब तक कि उस तारीख तक उक्त देय ब्याज का वास्तव में भुगतान नहीं कर दिया जाता।	-	-

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय राशियां, उस सीमा तक निर्धारित की गई हैं, जिस सीमा तक, प्रबंधन द्वारा प्राप्त की गई सूचना के आधार पर इन पार्टियों की पहचान कर ली गई है। इस पर, लेखापरीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया है।

35 राष्ट्रीय स्तर के निगम और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ किए गए लेन-देन के कारण, प्राप्य/देय सेट ऑफ के बाद वसूल की जाने वाली कुल राशि रु.291.73 लाख (31.03.2023 को रु.58.43 लाख) है, जो आम तौर पर/उनकी ओर से आयोजित कार्यक्रमों के लिए है।

36 निगमित सामाजिक दायित्व

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय का गतिविधिवार विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ लाख में)

सीएसआर व्यय	**वित्तीय वर्ष**	
	2023-24	**2022-23**
(i) किसी संपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	16.07	शून्य
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर		
स्वास्थ्य देखभाल/पोषण के अंतर्गत विषयगत गतिविधियां	65.9	68.93
"अन्य गतिवियां (शिक्षा, राशन किट वितरण, बर्तन वितरण)"	4.15	13.77
कुल	**86.12**	**82.70**

36.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के साथ पठित उसकी अनुसूची VII के अनुसार सीएसआर व्यय के संबंध में प्रकटीकरण :

(क) व्यय की जाने वाली राशि का ब्योरा

(₹ लाख में)

विवरण	**31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए**
(i) ईओआईओई		
2016-17		-
2017-18		-
2018-19	-	-
2019-20	-	6,097.91
2020-21	4,782.13	4,782.13
2021-22	4,877.62	4,877.62
2022-23	4,761.39	-
(ii) कुल (ईओआईओई)	**14,421.14**	**15,757.66**
(iii) घटाएं: परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए समायोजन	**0.06**	1.60
(iv) निवल लाभ	14,421.08	15,756.06
(v) औसत (iv/3)	4,807.03	5,252.02
(vi) (v) का 2%	**96.14**	**105.04**
(vii) वर्ष के आरंभ में अव्ययित राशि	**88.88**	**63.38**
(vii) अव्ययित राशि पर अर्जित ब्याज	**3.50**	**3.16**
(viii) वर्ष के दौरान व्ययित राशि	**86.12**	82.70
(ix) वर्ष के अंत में अव्ययित राशि (vi+vii-viii)	**102.40**	**88.88**

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेसं एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएसएफडीसी)

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

36.2 अव्ययित राशि चल रही परियोजनाओं से संबंधित है। चल रही सीएसआर परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है :

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्यान्वयन एजेंसी	परियोजना का नाम	आरंभिक वर्ष	राज्य	स्वीकृत राशि	संवितरित राशि
1	नेत्रम आई फाउंडेशन	28 आकांक्षी जिलों और 2 पिछड़े जिलों में 30 चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर	2022-23	संपूर्ण भारत	16.47	1.65
2	श्री जागृति सेवा संस्थान, उदयपुर	उदयपुर छात्रावास में शौचालय और स्नानघर का निर्माण	2022-23	उदयपुर, राजस्थान	7.30	3.65
3	एचएलएल मैनेजमेंट एकेडमी	20 सैनिटरी वेंडिंग मशीनें और भस्मक	2022-23	संपूर्ण भारत	13.14	3.94
4	स्वावलंबन	बोतल क्रशिंग मशीन (2 राज्यों यानी हरियाणा और दिल्ली में 3 मशीनें)	2022-23	हरियाणा, दिल्ली	7.98	0.80
5	बोली के माध्यम से स्वास्थ्य शिविर (एचएलएफपीपीटी)	02 राज्यों के 10 आकांक्षी जिलों में स्वास्थ्य शिविर	2022-23	संपूर्ण भारत	5.49	1.65
6	पीएम केयर्स फंड	पीएम केयर्स फंड में सीएसआर योगदान	2022-23	संपूर्ण भारत	33.15	33.15
7	पीएम केयर्स फंड	पीएम केयर्स फंड में सीएसआर योगदान	2022-23	संपूर्ण भारत	0.03	0.03
8	लोक प्रयास सोसाइटी	ग्रामीण क्षेत्रों में 2 सरकारी स्कूलों में बोरवेल और आरओ प्लांट की संस्थापना	2022-23	गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	7.65	3.82
9	एम.एम.बी.ए.	कोविड 19 से प्रभावित राजस्थान के बाड़मेर जिले के सीमांत और कमजोर लोगों को राशन किट का वितरण (300 किट)	2020-21	बाड़मेर, राजस्थान	2.25	0.56
	पिछले वर्ष (क) के संदर्भ में वर्ष 2023-24 के दौरान खर्च की गई राशि का उप-योग					**49.25**
	ख : नइ संस्वीकृतियों के विरुद्ध वर्ष 2023-24 के दौरान संवितरण					
क्र. सं.	**कार्यान्वयन एजेंसी**	**परियोजना का नाम**	**आरंभिक वर्ष**	**राज्य**	**स्वीकृत राशि**	**संवितरित राशि**
1	नेत्रम आई फाउंडेशन	टोंक राजस्थान में स्वास्थ्य शिविर	2023-24	टोंक	0.55	0.38
2	स्वावलंबन	बोतल क्रशिंग मशीन (2 मशीनें)	2023-24	उत्तराखंड और मध्यप्रदेश	5.32	5.32
3	एनएसएफडीसी	स्वच्छता पखवाड़ा (2023-24)	2023-24	दिल्ली	0.09	0.09
4	स्वावलंबन	बोतल क्रशिंग मशीन (2 मशीनें)	2023-24	गोरखपुर और दिल्ली	5.32	5.32
5	एनएसएफडीसी	स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम 0.3	2023-24	दिल्ली	0.22	0.22
6	स्वावलंबन	स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम 0.2 (03-31 अक्टूबर)	2023-24	दिल्ली	0.34	0.34
7	लोक प्रयास सोसायटी	कुंभ मेले के दौरान बाढ़ प्रभावितों को भोजन वितरण के लिए बर्तनों की खरीद	2023-24	गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)	1.59	1.59
8	रोगी कल्याण समिति	सामुदायिक भवन का निर्माण	2023-24	टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश)	41.40	12.42
9	एचएलएफपीपीटी	आर.ओ. प्लांट और सोलर पैनल	2023-24	हाथरस (उ.प्र)	7.83	3.87
10	स्वावलंबन	श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या में 2 प्लास्टिक बोतल क्रशिंग मशीनें	2023-24	अयोध्या (उ.प्र)	5.32	5.32
11	केंद्रीय सैनिक बोर्ड	केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा हवलदार तक के ईएसएम के आश्रितों के लिए शिक्षा अनुदान	2023-24	दिल्ली	2.00	2.00
	वर्ष 2023-24 संस्वीकृति से संबंधित वर्ष 2023-24 के दौरान खर्च की गई राशि का उप-योग (ख)				69.98	36.87
	सकल योग (क + ख)					**86.12**

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेसं एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएसएफडीसी)

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

दिनांक 31.03.2023 की स्थिति में (चालू परियोजना) पर अव्ययित राशि का विवरण

(₹ लाख में)

प्रारंभिक जमा		वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि			जमा शेष
कंपनी के साथ	अलग सीएसआर खाते में		कंपनी के बैंक खाते से	अलग सीएसआर अव्ययित खाते से	कंपनी के साथ	अलग सीएसआर खाते में
44.79	11.80	105.05	71.89	10.81	33.15	55.73

दिनांक 31.03.2024 की स्थिति में (चालू परियोजना) पर अव्ययित राशि का विवरण

(₹ लाख में)

प्रारंभिक जमा		वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि			जमा शेष
कंपनी के साथ	अलग सीएसआर खाते में		कंपनी के बैंक खाते से	अलग सीएसआर अव्ययित खाते से	कंपनी के साथ	अलग सीएसआर खाते में
33.15	55.73	99.64	85.56	0.56	43.73	58.67

36.3 (i) 31.03.2024 तक चालू पिछले वर्ष की परियोजना पर अव्ययित राशि के कारण आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास रु.58.67 लाख (पिछले वर्ष रु.55.73 लाख) जमा हैं।

(ii) 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में रु.16.67 लाख (पिछले वर्ष रु.21.18 लाख) की राशि के सीएसआर व्यय के लिए प्रावधान किया गया है/बकाया है।

(iii) वर्ष 2023-24 के दौरान, अव्ययित राशि परियोजना के आनुपातिक/आवश्यक, पूर्णता के आधार पर किस्तों में या चरणबद्ध तरीके से जारी की जानी है।

(iv) 31.3.2024 को कंपनी के पास अव्ययित राशि रु.43.20 लाख समय सीमा के भीतर (यानी 30 अप्रैल 2024) अव्ययित सीएसआर निधि 2023-24 में स्थानांतरित कर दी गई है। 26.06.2024 को पीएम केयर फंड में रु.0.56 लाख की राशि हस्तांतरित की गई।

(v) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(6) के तहत, 24.04.2024 को 3 वर्षों से अधिक यानी वित्तीय वर्ष 2020-21 से संबंधित रु.11.13 लाख की अव्ययित राशि पीएम केयर फंड (अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट फंड) में स्थानांतरित कर दी गई है।

37 "मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एमपीएससीएफडीसी) ने मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000, जो तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य (एमपी) के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में द्विभाजन के कारण निगम/राज्य सरकार के बीच परिसंपत्तियों और दायित्वों के अंतरण को विनियमित करता है, के अनुसार एनएसएफडीसी के अपने ऋण पोर्टफोलियो द्विभाजित कर दिए। तत्कालीन एमपीएससीएफडीसी के द्विभाजन के कारण एमपीएसडीएफडीसी और छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त विकास निगम (सीएसएएसएफडीसी) के बीच ऋण देयता के संविभाजन का मामला, अपर रजिस्ट्रार सहकारी समिति द्वारा मध्य प्रदेश सहकारी अधिकरण, भोपाल को संदर्भित किया गया था क्योंकि एमपीएससीएफडीसी द्वारा किया गया द्विभाजन, सीएसएएसएफडीसी को स्वीकार्य नहीं था। एमपीएससीएफडीसी के पक्ष में दिया गया न्यायाधिकरण का निर्णय, सीएसएएसएफडीसी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और उसने इस निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, जबलपुर के समक्ष अपील दायर की।

न्यायालय द्वारा निर्णय लंबित रहने तक सीएसएएसएफडीसी द्वारा रु.210.09 लाख की ऋण देयता तथा देय ब्याज स्वीकार कर लिया गया है तथा उसे चुका दिया गया है। 31.03.2024 तक मूलधन के रूप में रु.835.93 लाख (पिछले वर्ष रु.835.93 लाख) तथा ब्याज के रूप में रु.1,369.12 लाख (पिछले वर्ष रु.1,280.52 लाख) की ऋण देयता सीएसएएसएफडीसी द्वारा स्वीकार नहीं की गई है, जिसे एमपीएससीएफडीसी के विरुद्ध दर्शाया जाना जारी है तथा उनसे इसके पुनर्भुगतान की मांग की जा रही है।

38 31.03.2024 तक कर्ज की कुल राशि रु.40,508.32 लाख (31.03.2023 से रु.34,481.29 लाख) है, जिसमें रु.3,783.63 लाख (31.03.2023 से रु.3,215.39 लाख) का ब्याज शामिल है।

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेसं एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएसएफडीसी)
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

38.1 जिन "एससीए/सीए" का बकाया (3 वर्ष से अधिक सहित) है, उनका विवरण नीचे दिया गया है :

(₹ लाख में)

क्र. सं.	एजेंसी	राज्य	कुल बकाया 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	3 वर्ष से अधिक बकाया राशि
1	एपीएससीडीसी	आंध्र प्रदेश	13,176.72	-
2	एएनआईके	महाराष्ट्र	79.12	-
3	बैंक ऑफ बड़ौदा	गुजरात	444.05	-
4	बीएससीडीसी	बिहार	1,634.75	1,462.11
5	सीएससीएफडीसी	चंडीगढ़	2.81	-
6	सीटीएससीडीसी	छत्तीसगढ़	2,345.37	1,484.18
7	डीएसएफडीसी	दिल्ली	372.36	-
8	जीएससीडीसी	गुजरात	5,648.93	516.16
9	जेएंडकेएससीडीसी	जम्मू और कश्मीर	360.53	-
10	जेएससीडीसी	झारखंड	536.12	507.80
11	लिडकॉम	महाराष्ट्र	546.28	-
12	एमपीएससीएफडीसी	मध्य प्रदेश	2,205.05	1,970.73
13	एमएसटीसीबी	मणिपुर	153.45	147.88
14	एमपीबीसीडीसी	महाराष्ट्र	4,929.11	-
15	पाडको	पुद्दुचेरी	215.56	0.65
16	पीबीजीबी	पुद्दुचेरी	168.10	-
17	पीएसएलडीएफसी	पंजाब	24.37	-
18	आरएससीडीसी	राजस्थान	3,189.34	-
19	एसएससीबीसीडीसी	सिक्किम	234.02	9.36
20	थाडको	तमिलनाडु	561.34	-
21	टीएससीडीसी	त्रिपुरा	3,507.02	567.94
22	यूपीएससीडीसी	उत्तर प्रदेश	8.20	8.20
23	आईओबी	चैन्ने	165.72	-
	कुल		**40,508.32**	**6,675.01**

38.2 78,721.72 लाख रुपये की संवितरित धनराशि (31.03.2023 तक 58,854.88 लाख रुपये) कार्यान्वयन के अधीन है, जिसके लिए उपयोग प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा है।

क्र. सं.	एजेंसी	राज्य	लंबित उपयोग प्रमाण पत्र (₹ लाख में) 2023-24	2022-23
1	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएससीएसटीडीएफसी	7,998.38	9,169.30
2	आंध्र प्रदेश	एपीएससीसीएफसी	5,929.37	5,982.87
3	महाराष्ट्र	एमपीबीसीडीसी	5,611.31	4,704.69
4	गुजरात	जीएससीडीसी	3,639.29	3,639.29
5	राजस्थान	आरएससीडीसी	8,068.46	3,206.57
6	त्रिपुरा	टीएससीडीसी	2,131.71	2,639.42
7	केरल	केएसडीसी	3,321.06	2,492.69
8	तमिलनाडु	थाडको	161.11	1,955.89
9	केरल	केएसडब्ल्यूडीसी	2,255.91	1,723.76
10	जम्मू और कश्मीर	जेकेएससीएसटीबीसीडीसी	1,588.74	1,452.01
11	उत्तर प्रदेश	बीपीयूजीबी	1,128.83	1,281.72
12	दिल्ली	डीएसएफडीसी	1,247.79	997.72
13	हिमाचल प्रदेश	एचपीएससीएसटीडीसी	973.57	812.20
14	हरियाणा	एचएससीडीसी	1,533.54	795.74
15	महाराष्ट्र	लिडकॉम	2,734.45	749.01
16	छत्तीसगढ़	सीजीएससीएफडीसी	676.52	673.52
17	झारखंड	जेएससीडीसी	301.28	301.28
18	पुद्दुचेरी	पाडको	102.97	230.15
19	चंडीगढ़	सीएससीएफडीसी	128.68	128.68
20	गुजरात	जीएससीएमबीसीडीसी	50.56	50.56
21	शेष चैनल पार्टनर		29,138.19	15,867.81
	कुल		**78,721.72**	**58,854.88**

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेसं एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएसएफडीसी)
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

39 आय कर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर से छूट

आयकर/आस्थगित कर के लिए कोई प्रावधान किए जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि निगम की आय, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(26)(ख) के अंतर्गत आयकर से छूट प्राप्त है।

इसके अलावा सीबीडीटी ने दिनांक 29.05.2017 को परिपत्र सं. 18/2017 जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि धारा-10 खंड (26बी) में संदर्भित अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के हितों को बढ़ावा देने की दृष्टि से स्थापित निगम, निकाय, संस्था या संगठन के मामले में, जिनकी आय में अप्रतिबंधित रूप से छूट प्राप्त है और जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा-139 के अनुसार वैधानिक रूप से आयकर विवरणी दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, वहां स्रोत पर कर कटौती की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उनकी आय भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा-10 (26 बी) के तहत कर से छूट प्राप्त है।

40 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत छूट

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 29.04.2011 के पत्र संख्या डीएनबीएस.एनडी.संख्या 4175एमआई/10.01.001/2010-11 के अंतर्गत यह प्रमाणित किया है कि एनएसएफडीसी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1क के उपबंधों और कंपनी के सामुदायिक सेवा में नियोजित एक 'लाभ निरपेक्ष' कंपनी के रूप में भारत सरकार द्वारा वर्गीकृत किए जाने के कारण कंपनी (एनएसएफडीसी) के आधार पर अन्य विनियामक और विवेकपूर्ण मानकों से बैंक द्वारा छूट प्रदान कर दी गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बोर्ड के संकल्प की प्रति प्रस्तुत करने की सलाह दी जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि कंपनी (एनएसएफडीसी) जनता से निक्षेप स्वीकार नहीं करेगी। तद्नुसार दिनांक 30 मई, 2011 को हुई बोर्ड की 118वीं बैठक में संकल्प पारित किया गया है और यह संकल्प दिनांक 13 जून, 2011 के पत्र संख्या एनएसएफडीसी/एसईसीटी/193/2010/2704 के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया गया है।

41 भौतिक वस्तुओं पर भारतीय लेखांकन मानक की प्रायोज्यता

पूर्व अवधि की मदों तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों की प्रायोज्यता भारतीय लेखांकन मानकों के प्रावधानों के अनुरूप पूर्वव्यापी रूप में केवल भौतिक वस्तुओं पर किया जाता है।

42 सेगमेंट रिपोर्टिंग

(क) प्रचालन सेगमेंट

कंपनी एकल सेगमेंट में अर्थात् लक्षित समूहों के लिए आय अर्जित करने वाली परियोजना के परोक्ष वित्त पोषण के व्यवसाय में लगी हुई है जहां से यह अपनी आय अर्जित कर रही है और व्यय कर रही है। एकल भाग के प्रचालन के परिणामों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है तथा अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक द्वारा निष्पादन का आकलन किया जाता है, जिन्हें मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता (सीओडीएम) के रूप में माना जा सकता है। कंपनी के सभी संसाधन इस एकल भाग के लिए समर्पित हैं तथा इस भाग के लिए सभी अलग वित्तीय सूचना उपलब्ध है।

(ख) भौगोलिक सूचना

चूंकि कंपनी की गतिविधियां / प्रचालन देश के अंदर हैं और इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रकृति को देखते हुए जोखिम और प्रतिफल

43 पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष की प्रस्तुति के अनुरूप करने के लिए और चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों से तुलना कर पाने के लिए पुन: एकीकृत किया गया है।

44 कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III में संशोधन के अनुसार प्रकटीकरण:

एमसीए ने 23 मार्च 2021 की अधिसूचना के तहत कुछ प्रकटीकरणों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में संशोधन किया है जो 01 अप्रैल, 2021 से लागू हैं। कंपनी ने वित्तीय विवरणों में उक्त संशोधन के अनुसार परिवर्तनों को शामिल किया है और उक्त संशोधन के अनुपालन में नीचे खुलासे किए गए हैं :

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेसं एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएसएफडीसी)

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

(i) इस अवधि के दौरान कंपनी का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेन-देन नहीं है।

(ii) कंपनी ने इस अवधि के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में कारोबार या निवेश नहीं किया है।

(iii) कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जहां कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू की गई है या लंबित है।

(iv) कंपनी के पास कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है जो अभी तक वैधानिक अवधि से परे आरओसी के साथ पंजीकृत होना बाकी है,

(v) कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्था(ओं) को इस समझ के साथ अग्रिम, ऋण या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ :

(क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करें या

(ख) असल लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या पसंद प्रदान करें

(vi) कंपनी को विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टी) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (यों) से इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा) कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है कि कंपनी:

(क) फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करें या

(ख) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या पसंद प्रदान करें,

(vii) कंपनी के पास ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जो बही खातों में दर्ज न हो, जिसे बाद में आयकर अधिनियम, 1961 के तहत चल रहे कर निर्धारण (जैसे, तलाशी या सर्वेक्षण या आयकर अधिनियम, 1961 के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान) के भाग के रूप में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो।

(viii) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ix) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित परतों की संख्या का अनुपालन किया है।

(x) कंपनी को बैंक के पास चालू परिसंपत्तियों का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है, इसलिए कंपनी द्वारा बैंक के पास दाखिल विवरण और खाता बहियों का मिलान लागू नहीं होता है।

(xi) कंपनी का ऐसा कोई लेन-देन नहीं है, जिसमें कंपनी ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए उधार का उपयोग उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए न किया हो, जिसके लिए उसे तुलन-पत्र की तिथि पर लिया गया था।

(xii) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान व्यवस्था की किसी भी योजना में प्रवेश नहीं किया है।

(xiii) लेखा अनुपात का प्रकटीकरण निम्नलिखित है:

विवरण	अंश (न्यूमिरेटर)	भाजक (डिनोमिनेटर)	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	% परिवर्तन	25% से अधिक परिवर्तन का कारण
वर्तमान अनुपात	चालू परिसंपत्तियाँ	वर्तमान देयताएँ	14.18	5.29	167.84%	विविध ऋणदाताओं में कमी के कारण
ऋण-इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरधारक की इक्विटी	0.01	-	1.09%	लागू नहीं
ऋण सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवा के लिए आय = करों के बाद शुद्ध लाभ + गैर-नकद परिचालन व्यय	ऋण सेवा = ब्याज और लीज़ भुगतान + मूलधन चुकौती			लागू नहीं	
इक्विटी अनुपात पर आय	करों के बाद शुद्ध लाभ - वरीयता लाभांश	औसत शेयरधारक की इक्विटी		0.02	-4.02%	लागू नहीं
इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात	बेची गई वस्तुओं की लागत	औसत इन्वेंट्री			लागू नहीं	
व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	शुद्ध क्रेडिट बिक्री = सकल क्रेडिट बिक्री - बिक्री रिटर्न	औसत व्यापार प्राप्य			लागू नहीं	
व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	शुद्ध क्रेडिट खरीद = सकल क्रेडिट खरीद - खरीद रिटर्न	औसत व्यापार देय			लागू नहीं	
शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात	शुद्ध बिक्री = कुल बिक्री - बिक्री रिटर्न	कार्यशील पूंजी = वर्तमान परिसंपत्तियाँ - वर्तमान देयताएँ	0.06	0.06	5.52%	लागू नहीं
शुद्ध लाभ अनुपात	शुद्ध लाभ	शुद्ध बिक्री = कुल बिक्री - बिक्री रिटर्न	0.69	0.75	-8.91%	लागू नहीं
नियोजित पूंजी पर आय	ब्याज और करों से पहले की आय	नियोजित पूंजी = मूर्त शुद्ध मूल्य + कुल ऋण + आस्थगित कर	0.02	0.02	-2.76%	लागू नहीं
निवेश पर आय*	ब्याज (वित्त आय)	निवेश	0.05	0.02	93.99%	निवेश आय में वृद्धि और निवेश में कमी के कारण

* आरओआई वार्षिक नहीं है

45 **वित्तीय विवरण की स्वीकृति**

वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 22-07-2024 को जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया।

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते मैसर्स दविन्द्र पाल सिंह एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन : 007601N

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह.
(मंजीत सिंह छतवाल)
उप-महाप्रबंधक (वित्त)

ह.
(राजेश बिहारी)
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

ह.
(अन्नु भोगल)
कंपनी सचिव

सी.ए. दविन्द्र पाल सिंह
भागीदार
सदस्यता सं. 086596

ह.
मशर वेलापुरथ
निदेशक

ह.
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन- 09056584

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22-07-2024

परिशिष्ट-क

दविन्दर पाल सिंह एंड कं.
सनदी लेखाकार

बी.ओ. : 524-एल मॉडल टाउन
बावा बेकरी के सामने, लुधियाना
मोबाइल नंबर 8360054645
फोन नंबर 0161-2310756
ई-मेल: dpsinghca@yahoo.com

एच.ओ. : हाउस नं.933,
एचआईजी इंडिपेंडेंट सेक्टर 70,
मोहाली जिला एसएएस नगर, पंजाब
मोबाइल नं.9814025756
ई-मेल: cadavinderpal@gmail.com

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
के सदस्यगणों को

भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

योग्य राय

हमने **नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (कंपनी')** के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2024 के तुलन-पत्र, उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लाभ और हानि का विवरण और उस समाप्त वर्ष के लिए ईक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य विवरणात्मक सूचना सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, **हमारी योग्य राय पैरा और विषय का प्रभाव पैरा में वर्णित मामले के संभावित प्रभाव को छोड़कर** उक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुसार आवश्यक सूचना को अपेक्षित रूप से दर्शाते हैं और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथासंशोधित (इंड एएस) के साथ पठित अधिनियम की धारा-133 के अधीन तथा दिनांक 31 मार्च, 2023 को कंपनी के मामलों का निर्धारित भारतीय लेखा मानक तथा भारत में स्वीकृत अन्य सामान्य लेखा सिद्धांतों के अनुपालन में उसी दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए उसके लाभ और कुल व्यापक आय और ईक्विटी में परिवर्तन का सही और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

योग्य राय का आधार

1. कंपनी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों एवं चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को वित्तीय एवं अन्य सहायता प्रदान कर रही है। ऋण नीति के अनुसार, नए संवितरण के मामले में यह आवश्यक है कि संवितरण की तारीख से 120 दिन के अंदर एससीए एवं सीए द्वारा उपयोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा, समग्र संवितरण के मामले में सभी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों एवं चैनलाइजिंग एजेंसियों से तिमाही आधार पर उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त करने होते हैं। तथापि, अनेक मामलों में निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुए जिसके कारण:

   दिनांक 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार, रु.78,721.72 लाख का ऋण बकाया है जिसका कोई उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। **(कृपया टिप्पणी सं.38.2 का संदर्भ लें)।**

हम अपेक्षित सूचना के अभाव में उपरोक्त दी गई राशि की गणना करने में असमर्थ हैं।

हमने अपनी लेखापरीक्षा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों (एसए) के अनुसार की है। उन मानकों के अंतर्गत, हमारे उत्तरदायित्वों को आगे हमारी रिपोर्ट के भारतीय लेखा मानकों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का दायित्व के भाग में वर्णित किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा

जारी नैतिक संहिता और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत नियमावलियों के अधीन भारतीय लेखा मानकों की वित्तीय विवरणिकाओं की हमारी लेखापरीक्षा से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार स्वतंत्र कंपनी है, तथा हमने इन आवश्यकताओं और नैतिक संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा के साक्ष्य हमारी योग्य राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त व समुचित हैं।

विषय का प्रभाव

1. यह अवलोकन किया गया है कि अनेक एससीए ने पुनर्भुगतानों में चूक की है, जिसके परिणामस्वरूप तीन वर्षों के अधिक समयावधि में ब्याज सहित रु.66,75.01 की राशि अतिदेय हैं। यद्यपि इन ऋणों को राज्य सरकार द्वारा गारंटी प्रदान की गई है। **(टिप्पणी संख्या 38.1 देखें)**

2. **नोट 11.1** की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें लेखा नीति 2.11(i)(क) के अनुसार बीएससीडीसी से अतिदेय राशि के संबंध में रु.59.53 लाख का ब्याज दर्ज किया गया है। हालांकि, उसी राशि के अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान बनाने के कारण व्यय पर अधिक आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान, बीएससीडीसी से कोई पुनर्भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। तदनुसार, 31.03.2024 तक बीएससीडीसी का संचयी प्रावधान रु.1,634.75 लाख है।

3. मणिपुर राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास सहकारी बैंक लिमिटेड (एमएसटीसीबी) के संबंध में **नोट 6.1 (ख) (ii) (अ)** की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। मध्यस्थ ने एनएसएफडीसी के पक्ष में निर्णय पारित किया तथा एमएसटीसीबी को दावे का विवरण दाखिल करने की तिथि से लेकर प्रतिवादी द्वारा दावेदार (एनएसएफडीसी) को वास्तविक भुगतान की तिथि तक रु.1.53 करोड़ की राशि पर 9% ब्याज सहित भुगतान करने का निर्देश दिया। हालांकि, एससीए निर्धारित समय के भीतर निर्णय का सम्मान करने में विफल रहा है। निगम ने जिला न्यायाधीश, इंफाल, मणिपुर की अदालत में मध्यस्थता निष्पादन मामला दायर किया है। निगम ने भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार लेखा अवधि के दौरान ब्याज आय की मान्यता को स्थगित कर दिया है।

4. बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम (बीएससीडीसी) के संबंध में **नोट 6.1(ख)(ii)(आ)** की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। मध्यस्थ ने 07.06.2023 को एनएसएफडीसी के पक्ष में निर्णय पारित किया है तथा बीएससीडीसी को रु.20.42 करोड़ की दावा राशि का निपटान करने का निर्देश दिया है तथा निपटान राशि का भुगतान करने के लिए सात महीने (यानी जनवरी, 2024 तक) का समय दिया है। ऐसा न करने पर निपटान राशि का भुगतान पुनर्भुगतान की तिथि तक 12% ब्याज के साथ किया जाना है। बीएससीडीसी ने निर्णय के विरुद्ध याचिका दायर की है तथा निगम ने सामान्य दर पर ब्याज को मान्यता दी है तथा उपरोक्त ब्याज आय के लिए खराब तथा संदिग्ध के लिए प्रावधान बनाया है।

5. हम ऋण एवं अग्रिम, ऋणदाता आदि के संबंध में शेष पुष्टि की व्यवस्था करने के लिए कंपनी के उत्तरदायित्व की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हैं। कुछ एससीए, पीएसबी/आरआरबी, एनबीएफसी - एमएफआई और ऋणदाता के मामले में शेष की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। इंड एएस के वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव, यदि कोई है, अनिश्चित है।

6. **टिप्पणी सं.17.2** की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। कंपनी के पास सरकारी अनुदानों के लिए रु.3545.63 लाख तथा अप्रयुक्त अनुदान देयता के लिए अन्य पीएसयू से अनुदान के लिए रु.764.67 लाख का अंत शेष है जिसे वित्तीय विवरणों में **'अन्य वित्तीय देयता'** के रूप में दर्शाया जाता है।

7. **नोट 36.3** दिनांक 31.03.2024 को सीएसआर की अव्ययित राशि पर ध्यान आकर्षित किया जाता है कंपनी ने 2023-24 के अव्ययित सीएसआर फंड की राशि रु.4320.00 लाख अलग बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी। हालांकि, समय सीमा (यानी 30 अप्रैल, 2023) के भीतर कम गणना के कारण रू.0.56 लाख की राशि पीएम केयर्स फंड में स्थानांतरित कर दी गई है।

8. एनएससीएफडीसी की ऋण नीति में चुकौती की निर्धारित/सहमत तिथि के बाद देयों के चूक भुगतान पर नकद हानि (ब्याज सहित मूलधन) के लिए देय राशि पर लागू सामान्य ब्याज दर से प्रतिवर्ष 2% की दर से अधिक का प्रावधान है। चूक भुगतानों पर नकद हानि (एलडीडीपी) को इसकी संग्रहणीयता की अनिश्चितता के कारण प्राप्ति पर मान्यता प्राप्त है।

हालांकि, यह देखा गया है कि एलडीडीपी के लिए एससीए को नियमित रूप से मांग जारी की गई है।

हमारी राय इन मामलों के संबंध में योग्य/संशोधित नहीं है।

वित्तीय विवरणों और उसके साथ संलग्न लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा जानकारी

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य जानकारियाँ तैयार करने के लिए उत्तरदायी हैं। अन्य जानकारियों में वार्षिक रिपोर्ट के अनुलग्नक सहित निदेशक मंडल की रिपोर्ट में सम्मिलित जानकारी शामिल है लेकिन वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षकों की हमारी रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम उस पर आश्वासनात्मक निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में हमारा उत्तरदायित्व, अन्य जानकारी को पढ़ना और, ऐसा करने में विचार करें क्या वित्तीय विवरणों की अन्य जानकारी भौतिक रूप से असंगत तो नहीं है अथवा हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारे ज्ञान अथवा अन्यथा वस्तुत: गलत प्रतीत तो नहीं होते हैं।

यदि हमारे निष्पादित कार्यों के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अन्य जानकारी की सामग्री मिथ्या वर्णन है, हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

प्रबंध समिति का उत्तरदायित्व और वित्तीय विवरणों के नियमन (गवर्नेंस) करने वालों के दायित्व

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है, जो कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम-7 के साथ पठित लेखा मानकों और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 के साथ पठित और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत किए गए लेखा सिद्धांतों के साथ पठित भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) की धारा-133 के अधीन विनिर्धारित के अनुसार कंपनी वित्तीय कार्य-निष्पादन, कंपनी की इक्विटी और इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण तथा नकद प्रवाहों सहित वित्तीय स्थितियों का सही और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। इस उत्तरदायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखा रिकार्डों का अनुरक्षण, कंपनी की परिसंपत्तियों के सुरक्षार्थ तथा छल-कपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पकड़ने के लिए, उपयुक्त लेखा नीतियों के चयन व प्रायोज्यता, उपयुक्त और विवेकी निर्णय एवं अनुमान लगाना तथा उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु डिजाइन करना, उनको कार्यान्वित और अनुरक्षण शामिल है। जोकि वित्तीय विवरणिकाओं की तैयारी और प्रस्तुति संबंधी लेखा रिकॉर्डों की शुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचलित थे जोकि सत्य व उचित दृष्टिकोण देते हैं और विवरण सामग्री मिथ्या वर्णन, धोखाधड़ी या त्रुटि से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों की तैयारी में, कंपनी के कार्यशील बने रहने संबंधी आकलन के लिए, कार्यशील संस्था से जुड़े मामलों के, यथा लागू, प्रकटन और संस्था का लेखांकन कार्यशील संस्था के आधार पर करने के लिए कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी होगा जब तक कि निदेशक मंडल का इरादा परिसमापन करने या परिचालन बंद करने का न हो अथवा उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई अन्य व्यवहार्य विकल्प नहीं हो।

निदेशक मंडल, कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण हेतु भी उत्तरदायी होंगे।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा संबंधी लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उद्देश्य यथेष्ठ रूप से यह आश्वासन प्राप्त करना है कि भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण पूरी तरह से किसी प्रकार की गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी के इरादे से या त्रुटिवश हुई हो, से मुक्त हैं तथा इस बारे में लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारी राय भी शामिल है। इस संबंध में यह यथेष्ट आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, किंतु यह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखा मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में हमेशा तात्विक गलतबयानी, यदि यह मौजूद हो, का पता चल ही जाएगा। गलतबयानी किसी प्रकार की धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है, और उसे तात्विक माना जाता है यदि

इससे एकल अथवा समग्र रूप से इन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को यथोचित रूप से प्रभावित करने की संभावना हो।

इस लेखा मानकों सहित लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा में पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं। इसके अलावा हम:

- भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के संबंध में तात्विक गलतबयानी, भले ही वह धोखाधड़ी के इरादे से अथवा त्रुटिवश हुई हो, से उत्पन्न होने वाले जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करते हैं, इन जोखिमों के लिए प्रतिक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रिया बनाते और निष्पादित करते हैं और हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं यथेष्ट लेखापरीक्षा साक्ष्य जुटाते हैं। धोखाधड़ी से उत्पन्न तात्विक गलतबयानी का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटिवश हुई गलतबयानी से उत्पन्न जोखिम से कहीं बड़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, साभिप्राय चूक, मिथ्या प्रस्तुति अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।

- लेखापरीक्षा के लिए संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझते हैं ताकि परिस्थितियों के अनुसार उचित लेखापरीक्षा प्रक्रिया तैयार की जा सके। अधिनियम की धारा-143(3)(i) के अंतर्गत हम कंपनी में उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और ऐसे नियंत्रण की सक्रिय प्रभावकारिता पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य और लेखांकन अनुमानों की यथेष्ठता तथा प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करते हैं।

- प्रबंधतंत्र द्वारा कार्यशील संस्था के आधार पर लेखांकन के औचित्य और प्राप्त लेखापरीक्षा के साक्ष्यों के आधार पर घटनाओं अथवा स्थितियों के संबंध में यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कहीं कोई ऐसी तात्विक अनिश्चितता तो मौजूद नहीं है जो कंपनी की इस क्षमता के बारे में अत्यधिक संदेह पैदा करती हो कि यह कार्यशील संस्था बनी रहेगी। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि तात्विक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमसे अपेक्षित है कि हम वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों के बारे में अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इस ओर ध्यान आकर्षित करें, अथवा, ऐसे प्रकटीकरणों के अपर्याप्त होने पर हम अपनी राय में संशोधन करें। हमारे निष्कर्ष उन्हीं लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित होते हैं जो लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए हों। हालांकि भावी घटनाएं अथवा स्थितियां ऐसी भी हो सकती हैं जिनसे कंपनी कार्यशील कंपनी के रूप में अपनी निरंतरता बनाए न रख सके।

- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जिससे कि निष्पक्ष प्रस्तुति हो सके।

हम अन्य मामलों के साथ शासन(गवर्नेंस) के प्रभारियों के साथ अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई आंतरिक नियंत्रण की महत्वपूर्ण कमियों सहित लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे, समयबद्धता और लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों के बारे में सूचित करते हैं।

हम शासन (गवर्नेंस) के प्रभारियों को उन विवरणों को उपलब्ध कराते हैं जिनका हमने संबंधी प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है और उन सभी संबंधों एवं अन्य मामलों, जिन्हें हमारी स्वतंत्रता अनुकूल उचित माना जा सकता है, और जहां लागू हो संबंधित सुरक्षा उपाय, के बारे में संवाद करते हैं।

अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (“आदेश”) में अपेक्षित अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-143 की उप धारा (11) के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा रिपोर्ट) आदेश, 2020 (‘आदेश’) के कंपनी पर लागू नहीं होता। अत: आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर अनुलग्नक नहीं दिया गया है।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-143(5) के अंतर्गत जारी किए गए निर्देशों के जरिए भारत के नियंत्रक एवं

महालेखापरीक्षक द्वारा यथापेक्षित, प्रबंधन से प्राप्त लिखित प्रतिवेदनों के आधार पर हम संलग्न ''**अनुलग्नक क**'' में विनिर्दिष्ट मामलों पर अपनी रिपोर्ट देते हैं।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-143 (3) की अपेक्षा के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(क) योग्य राय तथा अन्य मामले का प्रभाव के पैरा में वर्णित मामले को छोड़कर, हमने वे सभी सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

(ख) उपर्युक्त योग्य राय तथा अन्य मामले का प्रभाव के पैरा में वर्णित मामले के संभावित प्रभाव को छोड़कर, जहां तक उन बहियों की हमारी परीक्षा से प्रतीत होता है, हमारी राय में कंपनी ने वे सभी समुचित लेखा बहियाँ रखीं हैं जो नियमानुसार आवश्यक है।

(ग) उपर्युक्त योग्य राय तथा अन्य मामले का प्रभाव के पैरा में वर्णित मामले के संभावित प्रभाव को छोड़कर, इस रिपोर्ट में वर्णित तुलन-पत्र, आय और व्यय विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन का विवरण लेखा बहियों का अनुपालन करते है;

(घ) उपर्युक्त योग्य राय तथा अन्य मामले का प्रभाव पैरा में वर्णित मामले के संभावित प्रभाव को छोड़कर, उक्त भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 और संशोधित कंपनी नियम (भारतीय लेखा मानक), 2015 के साथ पठित भारतीय लेखा मानक अधिनियम की धारा-133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं;

(ङ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ङ) के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-164 की उप-धारा (2) सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती;

(च) हमारी राय में, उपर्युक्त योग्य राय के पैरा में वर्णित मामले से कंपनी के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है;

(छ) योग्यता और अन्य पर्यवेक्षण के अनुसार खातों के रखरखाव और इसके साथ जुड़े अन्य मामले से संबंधित उपर्युक्त योग्य राय तथा अन्य मामले का प्रभाव पैरा अनुसार है;

(ज) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में, इस रिपोर्ट का ''**अनुलग्नक ख**'' देखें;

(झ) अधिनियम की धारा 197(16), यथा संशोधित, की आवश्यकता अनुसार लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामलों के संबंध में, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसार रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है।

(ञ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2016 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

(i) कंपनी ने अपने भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणिकाओं में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकद्दमों के प्रभाव को प्रकट किया है।

(ii) कंपनी का व्युत्पत्तिक अनुबंधों सहित कोई भी दीर्घावधि अनुबंध नहीं है जिसके लिए किसी भी तरह की सामग्री पूर्वानुमान योग्य हानि थी;

(iii) ऐसी कोई राशि नहीं थी जहाँ कंपनी द्वारा राशि को निवेशकों की शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित किए जाना आवश्यक थे।

(iv) (क) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों में बताए गए के अलावा, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति (यों) या संस्था (संस्थाओं) को, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("मध्यस्थ") शामिल हैं, कोई भी निधि अग्रिम, ऋण या निवेश (या तो उधार ली गई निधि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या निधि के प्रकार से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से या उनके लिए कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान करेगा;

(ख) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों में प्रकट किए गए विवरण के अलावा, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था (संस्थाओं) से, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("वित्तपोषण पक्ष") शामिल हैं, कोई निधि प्राप्त नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्त पोषण पक्ष ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान करेगी; तथा

(ग) परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त मानी जाने वाली ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उप-खंड (iv)(ए) और (iv)(बी) के तहत प्रस्तुत अभ्यावेदन में कोई भी भौतिक गलत बयान शामिल है;

(v) कंपनी ने वर्ष के दौरान न तो लाभांश घोषित किया है और न ही भुगतान किया है;

(vi) कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए टैली ईआरपी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है; मानक कार्यक्षमता प्रदान करना और सिस्टम में सभी बदले हुए डेटा को लॉग इन करना, टैली ईआरपी में यह कार्यक्षमता और ऑडिट ट्रेल सुविधा निगम में एप्लिकेशन के माध्यम से दर्ज किए गए सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष चालू रही है।

कृते दविन्दर पाल सिंह एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 007601एन

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22.07.2024

ह.
दविन्दर पाल सिंह (एफसीए)
सदस्यता सं. 086596
यूडीआईएन 24086596 बीकेसीइएसजी 7147

अनुलग्नक-क

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तारीख को स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मैसर्स नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के हमारे उत्तर निम्नांकित हैं:

1	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेन-देन को प्रक्रमित करने के लिए प्रणाली है? यदि हां, वित्तीय निहितार्थ सहित लेखा की सत्यनिष्ठा पर आईटी प्रणाली से बाहर लेखांकन लेन-देन के प्रक्रमण के निहितार्थ, यदि कोई है, का उल्लेख करें।	कंपनी का वित्तीय लेखांकन टैली ईआरपी सॉफ्टवेअर पर किया जाता है। तथापि, कंपनी का ऋण लेखांकन मैनुअल लेजर पर किया जाता है। जैसा कि प्रबंध समिति ने स्पष्ट किया है कि मैनुअल लेजर को टैली ईआरपी सॉफ्टवेअर के साथ सामंजस्य (मिलान) किया जाता है। जैसा कि हमें स्पष्ट किया गया है। ऋण लेखांकन का आईटी प्रणाली रहित प्रक्रमण से लेखा की प्रामाणिकता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता और अतएव इसका कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं है।
2	क्या ऋण के पुनर्भुगतान में कंपनी की असमर्थता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा दिए गए कर्ज/ऋण/ब्याज आदि के मौजूदा ऋण या माफी/बट्टे-खाते में डालने को पुनर्गठित किया जा रहा है? यदि हां, तो इसके वित्तीय प्रभाव का उल्लेख करें।	लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, ऋणों के पुनर्भुगतान में कंपनी की असमर्थता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा दिए गए कर्ज/ऋण/ब्याज आदि के किसी मौजूदा ऋणों या माफी/बट्टे-खाते में डालने को पुनर्गठित नहीं किया गया।
3	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधि का समुचित हिसाब/इसके नियम और शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया? व्यतिक्रम मामलों को सूचित करें।	उपर्युक्त योग्य राय का आधार तथा मामले का प्रभाव पैरा में वर्णित मामले के संभावित प्रभाव को छोड़कर, केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधि (अनुदान आर्थिक सहायता इत्यादि) का समुचित हिसाब/उपयोग रखा/किया जाता है।

कृते दविन्दर पाल सिंह एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 007601एन

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22.07.2024

ह.
दविन्दर पाल सिंह (एफसीए)
सदस्यता सं. 086596
यूडीआईएन 24086596 बीकेसीइएसजी 7147

अनुलग्नक-ख

"अनुलग्नक–बी"

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एकल वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तारीख को स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा-143 की उप-धारा 3 के खंड(i) के अधीन वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्ट

हमने **नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन** ('कंपनी') के दिनांक 31 मार्च, 2023 तक के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के साथ, उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष को कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंध समिति का उत्तरदायित्व

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण के दिशानिर्देश टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक तत्वों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थापित करने और अनुरक्षण के लिए कंपनी का प्रबंधन उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में अभिकल्प, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कार्यान्वयन व अनुरक्षण शामिल है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षानुसार, ये वित्तीय नियंत्रण, व्यवसाय को व्यवस्थित और सक्षम ढंग से चलाने में (इसमें कंपनी नीति का अनुसरण करना शामिल है), इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों से बचाव और पता लगाना, लेखा रिकार्ड की शुद्धता और पूर्णता एवं विश्वसनीय वित्तीय सूचना की समय से तैयारी शामिल है।

लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी राय देना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-143(10) के अंतर्गत विहित और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षा के मानकों और वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा दिशानिर्देश टिप्पणी (“दिशानिर्देश टिप्पणी”) के अनुसार की है। यह आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की सीमा तक लागू है। ये दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर लागू है तथा दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी हैं। इन मानकों और दिशानिर्देश टिप्पणी की अपेक्षा है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय प्रतिवेदन के ऊपर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और कायम थे और क्या ऐसे नियंत्रणों ने सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से कार्य किया, के लिए योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें।

हमारी लेखापरीक्षा में परीक्षण आधारित जाँच राशि के आशय और वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और उनकी प्रचालन प्रभाविकता शामिल है। हमारी वित्तीय प्रतिवेदन की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा में वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, भौतिक कमजोरी के जोखिम का मूल्यांकन और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की परख तथा डिजाइन और प्रचालन प्रभाविता प्राप्त करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित है। इसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक मिथ्या विवरण, जोखिम का मूल्यांकन चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुआ हो, भी शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा के साक्ष्य पर्याप्त हैं और कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारे लेखापरीक्षा विचार के आधार के लिए उचित हैं।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से तात्पर्य

किसी कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई प्रक्रिया है और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण तैयार करना है। कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में निम्नलिखित नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल है:

(1) उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान को उचित विवरण में, शुद्ध और निष्पक्ष ढंग से दर्शाते हैं;

(2) उचित आश्वासन प्रदान करना कि लेन-देन का आवश्यकतानुसार रिकार्ड हो रहा है ताकि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति दी जा सके, और कंपनी की प्राप्तियाँ और व्ययों को केवल कंपनी की प्रबंध समिति और निदेशकों के प्राधिकार के अनुरूप किया जा रहा है; और

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों का, बचाव अथवा समय अनधिकृत अधिग्रहण का पता लगाना, इस्तेमाल, अथवा निपटान संबंधी उचित आश्वासन प्रदान करना कि उनका भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सके।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमा

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमा के कारण (इसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रण को प्रभावी करने वाला अनुपयुक्त प्रबंधन, धोखा या त्रुटि के कारण भौतिक मिथ्या विवरण शामिल) हो सकता है तथा इसका पता भी नहीं लगाया जा सकेगा। इसके अलावा, भविष्य के लिए वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के प्रेक्षपण में यह खतरा है कि परिस्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कहीं अपर्याप्त न हो जाए या नीतियों के साथ अनुपालन की मात्रा या पद्धतियों में कमी आ सकती है।

राय

हमारी राय में, नीचे खंड 1 से 3 में उल्लिखित मामलों को छोड़कर, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लेखापरीक्षा दिशानिर्देश टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आवश्यक तत्वों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, दिनांक 31 मार्च, 2023 तक ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय प्रतिवेदन पर प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे।

1. कंपनी के आकार और इसके प्रचालनों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए एससीए और सीए को संस्वीकृत एवं वितरित निधियों के अंतिम प्रयोग का सत्यापन करने के लिए प्रबंधन द्वारा अभिकल्पित आंतरिक नियंत्रण एवं प्रणालियां तर्कसंगत रूप से पर्याप्त नहीं हैं। प्रबंधन से कंपनी के आकार और इसके प्रचालनों की प्रकृति के अनुपात में प्रक्रियाओं को अद्यतन करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा, प्रबंधन द्वारा हमें सूचित किया गया है कि पात्र लाभार्थियों को निधियाँ जारी करने के लिए केवल एससीए जिम्मेदार हैं। कंपनी को ऐसी कोई लेखापरीक्षा प्रणाली तैयार करनी चाहिए जिसके माध्यम से सुनिश्चित किया जा सके कि पात्र लाभार्थियों को समुचित रूप से निधियों का संवितरण किया जा रहा है।

2. कंपनी, राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों और चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से अनुसूचित जातियों से संबंधित लाभार्थियों को वित्तीय एवं अन्य सहायता उपलब्ध करा रही है। तथापि, 31 मार्च, 2023 को रु.58,854.88 लाख के उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित हैं। यथाशीघ्र उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।

3. हमारी योग्य राय के खंड 1 में और अन्य मामले के खंड 2 और खंड 6 में संदर्भित मामले आंतरिक नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली में कमी के हैं। इस संबंध में कंपनी को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की निगरानी और उसे सुदृढ़ करना चाहिए।

कृते दविन्दर पाल सिंह एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 007601एन

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22.07.2024

ह.
दविन्दर पाल सिंह (एफसीए)
सदस्यता सं. 086596
यूडीआईएन 24086596 बीकेसीइएसजी 7147

परिशिष्ट-क

दविन्दर पाल सिंह एंड कं.
सनदी लेखाकार

बी.ओ. : 524-एल मॉडल टाउन
बावा बेकरी के सामने, लुधियाना
मोबाइल नंबर 8360054645
फोन नंबर 0161-2310756
ई-मेल: dpsinghca@yahoo.com

एच.ओ. : हाउस नं.933,
एचआईजी इंडिपेंडेंट सेक्टर 70,
मोहाली जिला एसएएस नगर, पंजाब
मोबाइल नं.9814025756
ई-मेल: cadavinderpal@gmail.com

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
के सदस्यगणों को

भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

योग्य राय

हमने **नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (‘कंपनी’)** के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2024 के तुलन-पत्र, उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लाभ और हानि का विवरण और उस समाप्त वर्ष के लिए ईक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य विवरणात्मक सूचना सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, **हमारी योग्य राय पैरा और विषय का प्रभाव पैरा में वर्णित मामले के संभावित प्रभाव को छोड़कर** उक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (‘अधिनियम’) के अनुसार आवश्यक सूचना को अपेक्षित रूप से दर्शाते हैं और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथासंशोधित (‘इंड एएस’) के साथ पठित अधिनियम की धारा-133 के अधीन तथा दिनांक 31 मार्च, 2024 को कंपनी के मामलों का निर्धारित भारतीय लेखा मानक तथा भारत में स्वीकृत अन्य सामान्य लेखा सिद्धांतों के अनुपालन में उसी दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए उसके लाभ और कुल व्यापक आय और ईक्विटी में परिवर्तन का सही और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

योग्य राय का आधार

1. कंपनी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों एवं चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को वित्तीय एवं अन्य सहायता प्रदान कर रही है। ऋण नीति के अनुसार, नए संवितरण के मामले में यह आवश्यक है कि संवितरण की तारीख से 120 दिन के अंदर एससीए एवं सीए द्वारा उपयोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा, समग्र संवितरण के मामले में सभी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों एवं चैनलाइजिंग एजेंसियों से तिमाही आधार पर उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त करने होते हैं। तथापि, अनेक मामलों में निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुए जिसके कारण:

   दिनांक 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार, रु.78,721.72 लाख का ऋण बकाया है जिसका कोई उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। **(कृपया टिप्पणी सं.38.2 का संदर्भ लें)।**

हम अपेक्षित सूचना के अभाव में उपरोक्त दी गई राशि की गणना करने में असमर्थ हैं।

हमने अपनी लेखापरीक्षा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों (एसए) के अनुसार की है। उन मानकों के अंतर्गत, हमारे उत्तरदायित्वों को आगे हमारी रिपोर्ट के भारतीय लेखा मानकों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए ‘लेखापरीक्षक का दायित्व’ के भाग में वर्णित किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा

जारी नैतिक संहिता और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत नियमावलियों के अधीन भारतीय लेखा मानकों की वित्तीय विवरणिकाओं की हमारी लेखापरीक्षा से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार स्वतंत्र कंपनी है, तथा हमने इन आवश्यकताओं और नैतिक संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा के साक्ष्य हमारी योग्य राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त व समुचित हैं।

विषय का प्रभाव

1. यह अवलोकन किया गया है कि अनेक एससीए ने पुनर्भुगतानों में चूक की है, जिसके परिणामस्वरूप तीन वर्षों के अधिक समयावधि में ब्याज सहित रु.66,75.01 की राशि अतिदेय हैं। यद्यपि इन ऋणों को राज्य सरकार द्वारा गारंटी प्रदान की गई है। **(टिप्पणी संख्या 38.1 देखें)**

2. **नोट 11.1** की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें लेखा नीति 2.11(i)(क) के अनुसार बीएससीडीसी से अतिदेय राशि के संबंध में रु.59.53 लाख का ब्याज दर्ज किया गया है। हालांकि, उसी राशि के अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान बनाने के कारण व्यय पर अधिक आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान, बीएससीडीसी से कोई पुनर्भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। तदनुसार, 31.03.2024 तक बीएससीडीसी का संचयी प्रावधान रु.1,634.75 लाख है।

3. मणिपुर राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास सहकारी बैंक लिमिटेड (एमएसटीसीबी) के संबंध में **नोट 6.1 (ख) (ii) (अ)** की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। मध्यस्थ ने एनएसएफडीसी के पक्ष में निर्णय पारित किया तथा एमएसटीसीबी को दावे का विवरण दाखिल करने की तिथि से लेकर प्रतिवादी द्वारा दावेदार (एनएसएफडीसी) को वास्तविक भुगतान की तिथि तक रु.1.53 करोड़ की राशि पर 9% ब्याज सहित भुगतान करने का निर्देश दिया। हालांकि, एससीए निर्धारित समय के भीतर निर्णय का सम्मान करने में विफल रहा है। निगम ने जिला न्यायाधीश, इंफाल, मणिपुर की अदालत में मध्यस्थता निष्पादन मामला दायर किया है। निगम ने भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार लेखा अवधि के दौरान ब्याज आय की मान्यता को स्थगित कर दिया है।

4. बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम (बीएससीडीसी) के संबंध में **नोट 6.1(ख)(ii)(आ)** की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। मध्यस्थ ने 07.06.2023 को एनएसएफडीसी के पक्ष में निर्णय पारित किया है तथा बीएससीडीसी को रु.20.42 करोड़ की दावा राशि का निपटान करने का निर्देश दिया है तथा निपटान राशि का भुगतान करने के लिए सात महीने (यानी जनवरी, 2024 तक) का समय दिया है। ऐसा न करने पर निपटान राशि का भुगतान पुनर्भुगतान की तिथि तक 12% ब्याज के साथ किया जाना है। बीएससीडीसी ने निर्णय के विरुद्ध याचिका दायर की है तथा निगम ने सामान्य दर पर ब्याज को मान्यता दी है तथा उपरोक्त ब्याज आय के लिए खराब तथा संदिग्ध के लिए प्रावधान बनाया है।

5. हम ऋण एवं अग्रिम, ऋणदाता आदि के संबंध में शेष पुष्टि की व्यवस्था करने के लिए कंपनी के उत्तरदायित्व की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हैं। कुछ एससीए, पीएसबी/आरआरबी, एनबीएफसी - एमएफआई और ऋणदाता के मामले में शेष की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। इंड एएस के वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव, यदि कोई है, अनिश्चित है।

6. **टिप्पणी सं.17.2** की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। कंपनी के पास सरकारी अनुदानों के लिए रु.3545.63 लाख तथा अप्रयुक्त अनुदान देयता के लिए अन्य पीएसयू से अनुदान के लिए रु.764.67 लाख का अंत शेष है जिसे वित्तीय विवरणों में **'अन्य वित्तीय देयता'** के रूप में दर्शाया जाता है।

7. **नोट 36.3** दिनांक 31.03.2024 को सीएसआर की अव्ययित राशि पर ध्यान आकर्षित किया जाता है कंपनी ने 2023-24 के अव्ययित सीएसआर फंड की राशि रु.4320.00 लाख अलग बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी। हालांकि, समय सीमा (यानी 30 अप्रैल, 2023) के भीतर कम गणना के कारण रू.0.56 लाख की राशि पीएम केयर्स फंड में स्थानांतरित कर दी गई है।

8. एनएससीएफडीसी की ऋण नीति में चुकौती की निर्धारित/सहमत तिथि के बाद देयों के चूक भुगतान पर नकद हानि (ब्याज सहित मूलधन) के लिए देय राशि पर लागू सामान्य ब्याज दर से प्रतिवर्ष 2% की दर से अधिक का प्रावधान है। चूक भुगतानों पर नकद हानि (एलडीडीपी) को इसकी संग्रहणीयता की अनिश्चितता के कारण प्राप्ति पर मान्यता प्राप्त है।

हालांकि, यह देखा गया है कि एलडीडीपी के लिए एससीए को नियमित रूप से मांग जारी की गई है।

हमारी राय इन मामलों के संबंध में योग्य/संशोधित नहीं है।

वित्तीय विवरणों और उसके साथ संलग्न लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा जानकारी

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य जानकारियाँ तैयार करने के लिए उत्तरदायी हैं। अन्य जानकारियों में वार्षिक रिपोर्ट के अनुलग्नक सहित निदेशक मंडल की रिपोर्ट में सम्मिलित जानकारी शामिल है लेकिन वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षकों की हमारी रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम उस पर आश्वासनात्मक निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में हमारा उत्तरदायित्व, अन्य जानकारी को पढ़ना और, ऐसा करने में विचार करें क्या वित्तीय विवरणों की अन्य जानकारी भौतिक रूप से असंगत तो नहीं है अथवा हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारे ज्ञान अथवा अन्यथा वस्तुत: गलत प्रतीत तो नहीं होते हैं।

यदि हमारे निष्पादित कार्यों के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अन्य जानकारी की सामग्री मिथ्या वर्णन है, हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

प्रबंध समिति का उत्तरदायित्व और वित्तीय विवरणों के नियमन (गवर्नेंस) करने वालों के दायित्व

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है, जो कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम-7 के साथ पठित लेखा मानकों और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 के साथ पठित और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत किए गए लेखा सिद्धांतों के साथ पठित भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) की धारा-133 के अधीन विनिर्धारित के अनुसार कंपनी वित्तीय कार्य-निष्पादन, कंपनी की इक्विटी और इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण तथा नकद प्रवाहों सहित वित्तीय स्थितियों का सही और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। इस उत्तरदायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखा रिकार्डों का अनुरक्षण, कंपनी की परिसंपत्तियों के सुरक्षार्थ तथा छल-कपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पकड़ने के लिए, उपयुक्त लेखा नीतियों के चयन व प्रायोज्यता, उपयुक्त और विवेकी निर्णय एवं अनुमान लगाना तथा उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु डिजाइन करना, उनको कार्यान्वित और अनुरक्षण शामिल है। जोकि वित्तीय विवरणिकाओं की तैयारी और प्रस्तुति संबंधी लेखा रिकॉर्डों की शुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचलित थे जोकि सत्य व उचित दृष्टिकोण देते हैं और विवरण सामग्री मिथ्या वर्णन, धोखाधड़ी या त्रुटि से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों की तैयारी में, कंपनी के कार्यशील बने रहने संबंधी आकलन के लिए, कार्यशील संस्था से जुड़े मामलों के, यथा लागू, प्रकटन और संस्था का लेखांकन कार्यशील संस्था के आधार पर करने के लिए कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी होगा जब तक कि निदेशक मंडल का इरादा परिसमापन करने या परिचालन बंद करने का न हो अथवा उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई अन्य व्यवहार्य विकल्प नहीं हो।

निदेशक मंडल, कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण हेतु भी उत्तरदायी होंगे।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा संबंधी लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उद्देश्य यथेष्ठ रूप से यह आश्वासन प्राप्त करना है कि भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण पूरी तरह से किसी प्रकार की गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी के इरादे से या त्रुटिवश हुई हो, से मुक्त हैं तथा इस बारे में लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारी राय भी शामिल है। इस संबंध में यह यथेष्ट आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, किंतु यह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखा मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में हमेशा तात्विक गलतबयानी, यदि यह मौजूद हो, का पता चल ही जाएगा। गलतबयानी किसी प्रकार की धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है, और उसे तात्विक माना जाता है यदि

इससे एकल अथवा समग्र रूप से इन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को यथोचित रूप से प्रभावित करने की संभावना हो।

इस लेखा मानकों सहित लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा में पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं। इसके अलावा हम:

- भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के संबंध में तात्विक गलतबयानी, भले ही वह धोखाधड़ी के इरादे से अथवा त्रुटिवश हुई हो, से उत्पन्न होने वाले जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करते हैं, इन जोखिमों के लिए प्रतिक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रिया बनाते और निष्पादित करते हैं और हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं यथेष्ट लेखापरीक्षा साक्ष्य जुटाते हैं। धोखाधड़ी से उत्पन्न तात्विक गलतबयानी का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटिवश हुई गलतबयानी से उत्पन्न जोखिम से कहीं बड़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, साभिप्राय चूक, मिथ्या प्रस्तुति अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।

- लेखापरीक्षा के लिए संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझते हैं ताकि परिस्थितियों के अनुसार उचित लेखापरीक्षा प्रक्रिया तैयार की जा सके। अधिनियम की धारा-143(3)(i) के अंतर्गत हम कंपनी में उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और ऐसे नियंत्रण की सक्रिय प्रभावकारिता पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य और लेखांकन अनुमानों की यथेष्ठता तथा प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करते हैं।

- प्रबंधतंत्र द्वारा कार्यशील संस्था के आधार पर लेखांकन के औचित्य और प्राप्त लेखापरीक्षा के साक्ष्यों के आधार पर घटनाओं अथवा स्थितियों के संबंध में यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कहीं कोई ऐसी तात्विक अनिश्चितता तो मौजूद नहीं है जो कंपनी की इस क्षमता के बारे में अत्यधिक संदेह पैदा करती हो कि यह कार्यशील संस्था बनी रहेगी। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि तात्विक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमसे अपेक्षित है कि हम वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों के बारे में अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इस ओर ध्यान आकर्षित करें, अथवा, ऐसे प्रकटीकरणों के अपर्याप्त होने पर हम अपनी राय में संशोधन करें। हमारे निष्कर्ष उन्हीं लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित होते हैं जो लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए हों। हालांकि भावी घटनाएं अथवा स्थितियां ऐसी भी हो सकती हैं जिनसे कंपनी कार्यशील कंपनी के रूप में अपनी निरंतरता बनाए न रख सके।

- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जिससे कि निष्पक्ष प्रस्तुति हो सके।

हम अन्य मामलों के साथ शासन(गवर्नेंस) के प्रभारियों के साथ अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई आंतरिक नियंत्रण की महत्वपूर्ण कमियों सहित लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे, समयबद्धता और लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों के बारे में सूचित करते हैं।

हम शासन (गवर्नेंस) के प्रभारियों को उन विवरणों को उपलब्ध कराते हैं जिनका हमने संबंधी प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है और उन सभी संबंधों एवं अन्य मामलों, जिन्हें हमारी स्वतंत्रता अनुकूल उचित माना जा सकता है, और जहां लागू हो संबंधित सुरक्षा उपाय, के बारे में संवाद करते हैं।

अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (□आदेश") में अपेक्षित अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-143 की उप धारा (11) के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा रिपोर्ट) आदेश, 2020 (□आदेश') के कंपनी पर लागू नहीं होता। अत: आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर अनुलग्नक नहीं दिया गया है।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-143(5) के अंतर्गत जारी किए गए निर्देशों के जरिए भारत के नियंत्रक एवं

महालेखापरीक्षक द्वारा यथापेक्षित, प्रबंधन से प्राप्त लिखित प्रतिवेदनों के आधार पर हम संलग्न **'अनुलग्नक क'** में विनिर्दिष्ट मामलों पर अपनी रिपोर्ट देते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-143 (3) की अपेक्षा के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(क) योग्य राय तथा अन्य मामले का प्रभाव के पैरा में वर्णित मामले को छोड़कर, हमने वे सभी सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

(ख) उपर्युक्त योग्य राय तथा अन्य मामले का प्रभाव के पैरा में वर्णित मामले के संभावित प्रभाव को छोड़कर, जहां तक उन बहियों की हमारी परीक्षा से प्रतीत होता है, हमारी राय में कंपनी ने वे सभी समुचित लेखा बहियॉं रखीं हैं जो नियमानुसार आवश्यक है।

(ग) उपर्युक्त योग्य राय तथा अन्य मामले का प्रभाव के पैरा में वर्णित मामले के संभावित प्रभाव को छोड़कर, इस रिपोर्ट में वर्णित तुलन-पत्र, आय और व्यय विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन का विवरण लेखा बहियों का अनुपालन करते है;

(घ) उपर्युक्त योग्य राय तथा अन्य मामले का प्रभाव पैरा में वर्णित मामले के संभावित प्रभाव को छोड़कर, उक्त भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 और संशोधित कंपनी नियम (भारतीय लेखा मानक), 2015 के साथ पठित भारतीय लेखा मानक अधिनियम की धारा-133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं;

(ङ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ङ) के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-164 की उप-धारा (2) सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती;

(च) हमारी राय में, उपर्युक्त योग्य राय के पैरा में वर्णित मामले से कंपनी के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है;

(छ) योग्यता और अन्य पर्यवेक्षण के अनुसार खातों के रखरखाव और इसके साथ जुड़े अन्य मामले से संबंधित उपर्युक्त योग्य राय तथा अन्य मामले का प्रभाव पैरा अनुसार है;

(ज) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में, इस रिपोर्ट का **'अनुलग्नक ख'** देखें;

(झ) अधिनियम की धारा 197(16), यथा संशोधित, की आवश्यकता अनुसार लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामलों के संबंध में, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसार रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है।

(ञ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2016 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

(i) कंपनी ने अपने भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणिकाओं में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकद्दमों के प्रभाव को प्रकट किया है।

(ii) कंपनी का व्युत्पत्तिक अनुबंधों सहित कोई भी दीर्घावधि अनुबंध नहीं है जिसके लिए किसी भी तरह की सामग्री पूर्वानुमान योग्य हानि थी;

(iii) ऐसी कोई राशि नहीं थी जहाँ कंपनी द्वारा राशि को निवेशकों की शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित किए जाना आवश्यक थे।

(iv) (क) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों में बताए गए के अलावा, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति (यों) या संस्था (संस्थाओं) को, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("मध्यस्थ") शामिल हैं, कोई भी निधि अग्रिम, ऋण या निवेश (या तो उधार ली गई निधि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या निधि के प्रकार से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से या उनके लिए कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान करेगा;

(ख) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों में प्रकट किए गए विवरण के अलावा, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था (संस्थाओं) से, जिसमें विदेशी संस्थाएं (वित्तपोषण पक्ष') शामिल हैं, कोई निधि प्राप्त नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्त पोषण पक्ष (अंतिम लाभार्थी') द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान करेगी; तथा

(ग) परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त मानी जाने वाली ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उप-खंड (iv)(ए) और (iv)(बी) के तहत प्रस्तुत अभ्यावेदन में कोई भी भौतिक गलत बयान शामिल है;

(v) कंपनी ने वर्ष के दौरान न तो लाभांश घोषित किया है और न ही भुगतान किया है;

(vi) कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए टैली ईआरपी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है; मानक कार्यक्षमता प्रदान करना और सिस्टम में सभी बदले हुए डेटा को लॉग इन करना, टैली ईआरपी में यह कार्यक्षमता और ऑडिट ट्रेल सुविधा निगम में एप्लिकेशन के माध्यम से दर्ज किए गए सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष चालू रही है।

कृते दविन्दर पाल सिंह एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 007601एन

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20.08.2024

ह.
दविन्दर पाल सिंह (एफसीए)
सदस्यता सं. 086596
यूडीआईएन 24086596 बीकेसीइएसजी 7147

<u>अनुलग्नक-क</u>

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तारीख को स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मैसर्स नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के हमारे उत्तर निम्नांकित हैं:

1	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेन-देन को प्रक्रमित करने के लिए प्रणाली है? यदि हां, वित्तीय निहितार्थ सहित लेखा की सत्यनिष्ठा पर आईटी प्रणाली से बाहर लेखांकन लेन-देन के प्रक्रमण के निहितार्थ, यदि कोई है, का उल्लेख करें।	कंपनी का वित्तीय लेखांकन टैली ईआरपी सॉफ्टवेअर पर किया जाता है। तथापि, कंपनी का ऋण लेखांकन मैनुअल लेजर पर किया जाता है। जैसा कि प्रबंध समिति ने स्पष्ट किया है कि मैनुअल लेजर को टैली ईआरपी सॉफ्टवेअर के साथ सामंजस्य (मिलान) किया जाता है। जैसा कि हमें स्पष्ट किया गया है। ऋण लेखांकन का आईटी प्रणाली रहित प्रक्रमण से लेखा की प्रामाणिकता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता और अतएव इसका कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं है।
2	क्या ऋण के पुनर्भुगतान में कंपनी की असमर्थता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा दिए गए कर्ज/ऋण/ब्याज आदि के मौजूदा ऋण या माफी/बट्टे-खाते में डालने को पुनर्गठित किया जा रहा है? यदि हां, तो इसके वित्तीय प्रभाव का उल्लेख करें।	लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, ऋणों के पुनर्भुगतान में कंपनी की असमर्थता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा दिए गए कर्ज/ऋण/ब्याज आदि के किसी मौजूदा ऋणों या माफी/बट्टे-खाते में डालने को पुनर्गठित नहीं किया गया।
3	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधि का समुचित हिसाब/इसके नियम और शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया? व्यतिक्रम मामलों को सूचित करें।	उपर्युक्त योग्य राय का आधार तथा मामले का प्रभाव पैरा में वर्णित मामले के संभावित प्रभाव को छोड़कर, केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधि (अनुदान आर्थिक सहायता इत्यादि) का समुचित हिसाब/उपयोग रखा/किया जाता है।

कृते दविन्दर पाल सिंह एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 007601एन

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20.08.2024

ह.
दविन्दर पाल सिंह (एफसीए)
सदस्यता सं. 086596
यूडीआईएन 24086596 बीकेसीइएसजी 7147

अनुलग्नक-ख

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एकल वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तारीख को स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा-143 की उप-धारा 3 के खंड(i) के अधीन वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्ट

हमने **नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन** ('कंपनी') के दिनांक 31 मार्च, 2024 तक के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के साथ, उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष को कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंध समिति का उत्तरदायित्व

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण के दिशानिर्देश टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक तत्वों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थापित करने और अनुरक्षण के लिए कंपनी का प्रबंधन उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में अभिकल्प, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कार्यान्वयन व अनुरक्षण शामिल है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षानुसार, ये वित्तीय नियंत्रण, व्यवसाय को व्यवस्थित और सक्षम ढंग से चलाने में (इसमें कंपनी नीति का अनुसरण करना शामिल है), इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों से बचाव और पता लगाना, लेखा रिकार्ड की शुद्धता और पूर्णता एवं विश्वसनीय वित्तीय सूचना की समय से तैयारी शामिल है।

लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी राय देना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-143(10) के अंतर्गत विहित और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षा के मानकों और वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा दिशानिर्देश टिप्पणी (दिशानिर्देश टिप्पणी') के अनुसार की है। यह आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की सीमा तक लागू है। ये दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर लागू है तथा दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी हैं। इन मानकों और दिशानिर्देश टिप्पणी की अपेक्षा है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय प्रतिवेदन के ऊपर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और कायम थे और क्या ऐसे नियंत्रणों ने सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से कार्य किया, के लिए योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें।

हमारी लेखापरीक्षा में परीक्षण आधारित जाँच राशि के आशय और वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और उनकी प्रचालन प्रभाविकता शामिल है। हमारी वित्तीय प्रतिवेदन की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा में वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, भौतिक कमजोरी के जोखिम का मूल्यांकन और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की परख तथा डिजाइन और प्रचालन प्रभाविता प्राप्त करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित है। इसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक मिथ्या विवरण, जोखिम का मूल्यांकन चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुआ हो, भी शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा के साक्ष्य पर्याप्त हैं और कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारे लेखापरीक्षा विचार के आधार के लिए उचित हैं।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से तात्पर्य

किसी कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई प्रक्रिया है और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण तैयार करना है। कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में निम्नलिखित नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल है:

(1) उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान को उचित विवरण में, शुद्ध और निष्पक्ष ढंग से दर्शाते हैं;

(2) उचित आश्वासन प्रदान करना कि लेन-देन का आवश्यकतानुसार रिकार्ड हो रहा है ताकि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति दी जा सके, और कंपनी की प्राप्तियाँ और व्ययों को केवल कंपनी की प्रबंध समिति और निदेशकों के प्राधिकार के अनुरूप किया जा रहा है; और

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों का, बचाव अथवा समय अनधिकृत अधिग्रहण का पता लगाना, इस्तेमाल, अथवा निपटान संबंधी उचित आश्वासन प्रदान करना कि उनका भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सके।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमा

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमा के कारण (इसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रण को प्रभावी करने वाला अनुपयुक्त प्रबंधन, धोखा या त्रुटि के कारण भौतिक मिथ्या विवरण शामिल) हो सकता है तथा इसका पता भी नहीं लगाया जा सकेगा। इसके अलावा, भविष्य के लिए वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के प्रेक्षपण में यह खतरा है कि परिस्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कहीं अपर्याप्त न हो जाए या नीतियों के साथ अनुपालन की मात्रा या पद्धतियों में कमी आ सकती है।

राय

हमारी राय में, नीचे खंड 1 से 3 में उल्लिखित मामलों को छोड़कर, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लेखापरीक्षा दिशानिर्देश टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आवश्यक तत्वों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, दिनांक 31 मार्च, 2024 तक ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय प्रतिवेदन पर प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे।

1. कंपनी के आकार और इसके प्रचालनों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए एससीए और सीए को संस्वीकृत एवं वितरित निधियों के अंतिम प्रयोग का सत्यापन करने के लिए प्रबंधन द्वारा अभिकल्पित आंतरिक नियंत्रण एवं प्रणालियां तर्कसंगत रूप से पर्याप्त नहीं हैं। प्रबंधन से कंपनी के आकार और इसके प्रचालनों की प्रकृति के अनुपात में प्रक्रियाओं को अद्यतन करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा, प्रबंधन द्वारा हमें सूचित किया गया है कि पात्र लाभार्थियों को निधियाँ जारी करने के लिए केवल एससीए जिम्मेदार हैं। कंपनी को ऐसी कोई लेखापरीक्षा प्रणाली तैयार करनी चाहिए जिसके माध्यम से सुनिश्चित किया जा सके कि पात्र लाभार्थियों को समुचित रूप से निधियों का संवितरण किया जा रहा है।

2. कंपनी, राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों और चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से अनुसूचित जातियों से संबंधित लाभार्थियों को वित्तीय एवं अन्य सहायता उपलब्ध करा रही है। तथापि, 31 मार्च, 2024 को रु.78,721.72 लाख के उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित हैं। यथाशीघ्र उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।

3. हमारी योग्य राय के खंड 1 में और अन्य मामले के खंड 2 और खंड 6 में संदर्भित मामले आंतरिक नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली में कमी के हैं। इस संबंध में कंपनी को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की निगरानी और उसे सुदृढ़ करना चाहिए।

कृते दविन्दर पाल सिंह एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 007601एन

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20.08.2024

ह.
दविन्दर पाल सिंह (एफसीए)
सदस्यता सं. 086596
यूडीआईएन 24086596 बीकेसीईएसजी 7147

परिशिष्ट ख'

वार्षिक लेखा 2013-24पर सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंध समिति का उत्तर

पैरा सं.	लेखापरीक्षा पैरा	प्रबंध समिति का उत्तर
1	कंपनी अनुसूचित जातियों के लाभार्थियों को एससीए और सीए के माध्यम से वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान कर रही है। ऋण नीति में यह प्रावधान है कि नए संवितरण के मामले में एससीए और सीए द्वारा संवितरण की तिथि से 120 दिनों के भीतर उपयोग प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने चाहिए। इसके अलावा, समग्र संवितरण के मामले में, सभी एससीए और सीए से तिमाही आधार पर उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त किए जाने चाहिए। हालाँकि, कई मामलों में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुए, जिसके कारण: 31 मार्च 2024 तक, ₹78,721.72 लाख की बकाया ऋण राशि के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र कंपनी द्वारा प्राप्त नहीं किए गए हैं **(नोट 38.2 देखें)**।	सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लेखापरीक्षा पैरा और हमारे नोट 38.2 से यह स्पष्ट है कि 31 मार्च, 2024 तक ₹78,721.72 लाख (पिछले वर्ष ₹58,854.88 लाख) के उपयोगिता प्रमाण-पत्र अभी भी एससीए/सीए द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। इसके अलावा, एनएसएफडीसी देश भर में फैली चैनलाइजिंग एजेंसियों के नेटवर्क के माध्यम से लक्ष्य समूह के लिए विभिन्न ऋण आधारित योजनाओं को लागू करता है। धन के संवितरण के मानदंडों में से एक न्यूनतम 80% संचयी उपयोग स्तर है। एनएसएफडीसी की ऋण नीति के अनुसार, संवितरित धनराशि का उपयोग एससीए द्वारा संवितरण की तिथि से निर्धारित अवधि के भीतर किया जाना है। विभिन्न योजनाओं के तहत निधियों का उपयोग एक सतत प्रक्रिया है और कभी-कभी यह अगले वित्तीय वर्ष तक भी जारी रहती है। निर्धारित अवधि के भीतर स्वीकृत समय की समाप्ति के बाद, मामले को संबंधित एससीए/सीए के साथ आगे बढ़ाया जाता है। एनएसएफडीसी से धनराशि प्राप्त करने के बाद एससीए इसे अपने जिला कार्यालयों को जारी कर देता है। इसके बाद, अपने सभी जिला कार्यालयों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र एकत्र करने में कुछ समय लगता है। इसके अलावा, चैनल फाइनेंस सिस्टम में, 15-20% फंड का उपयोग हमेशा पाइपलाइन में रहता है और इसलिए नए संवितरण पर विचार करने के लिए एससीए को इस सीमा तक छूट दी जाती है। यह बताया जाता है कि निगम ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ₹71,445.37 लाख संवितरित किए हैं और स्वीकृत परियोजनाओं/इकाइयों के कार्यान्वयन के लिए धन का उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान में, 31.03.2024 तक निधि उपयोग 88.55% है। इसलिए, कार्यान्वयन और रिपोर्टिंग के तहत निधियों का उपयोग ₹78,721.72 लाख है जो केवल 11.45% के बराबर है।

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय)
Office of the Director General of Audit (Central Expenditure)
डी जी ए सी आर भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110 002
DGACR Building, Indraprastha Estate, New Delhi -110 002

ADDENDUM-C

No. CW/1-27/NSCFDC/2024-25/327 Date: 20.09.2024

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन,
14वीं मंजिल, कोर 12, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र,
लक्ष्मी नगर, दिल्ली - 110092

विषय: वर्ष 2023-24 के लिए नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नई दिल्ली के वित्तीय खातों पर 'शून्य टिप्पणियां प्रमाणपत्र'।

महोदय,

इस पत्र के साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नई दिल्ली के 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर 'शून्य टिप्पणियां प्रमाणपत्र' भेजी जा रही है। आपसे प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट की 5 प्रतियां भेजने का अनुरोध किया जाता है।

आपसे अनुरोध है की इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीय,

संलग्न: उपरिलिखित।

एकता सिंह

(एकता सिंह)
उप निदेशक (वा.ले.प.)

Ph. : 91-11-23702422
Fax : 91-11-23702271
e-mail : dgace@cag.gov.in
Website: https://cag.gov.in/cen/new-delhi-iii/ten

परिशिष्ट ‘ग’
(निदेशक मंडल की रिपोर्ट का पैरा 16.2 देखें)

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-143 (6)(ख) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में वित्तीय प्रतिवेदन फ्रेमवर्क के अनुसार वित्तीय विवरणिका तैयार करना कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा-139(5) के अधीन नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा-143(10) के अधीन विहित लेखा परीक्षणों के मानक के साथ स्वतंत्र लेखा परीक्षण पर आधारित, अधिनियम की धारा-143 के अधीन वित्तीय विवरणिका पर अपनी राय देने के लिए जिम्मेदार हैं। यह उनकी दिनांक 20.08.2023 की संशोधित लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, जो उनकी दिनांक 22-07-2024 की पिछली रिपोर्ट का स्थान लेगी, के अनुसार इसे पूर्ण किया हुआ माना जाना चाहिए।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा-143(6)(क) के अधीन **नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन**, के दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए, वित्तीय विवरणिका पर अनुपूरक लेखापरीक्षण किया है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षण स्वतंत्र ढंग से वैधानिक लेखा परीक्षकों के कार्यकारी कागजात को देखे बिना किया गया हैं तथा यह प्राथमिकत: वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ चयनित लेखा अभिलेखों की जांच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा-143(6)(बी) के अंतर्गत मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ विशेष नहीं आया है जिससे वैधानिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट अथवा अनुपूरक के लिए कोई टिप्पणी उठे।

कृते भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
तथा उनकी ओर से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20.09.2024

ह.
(राजीव कुमार पांडेय)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(केंद्रीय व्यय), नई दिल्ली

कार्यालयों का पता

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

(भारत सरकार का उपक्रम)

(आईएसओ 9001: 2015 प्रमाणित कंपनी)

प्रधान कार्यालय

14वीं मंजिल, कोर 1 और 2, स्कोप मीनार,
लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, दिल्ली–110092
फोनः 011–22054394, 22054396 फैक्सः 011–22054395
टोल फ्री नंबरः 1800110396
ईमेलः support-nsfdc@nic.in
बेसाइटः Website: www.nsfdc.nic.in

संपर्क केंद्र

1	डॉ. वी.आर. सालकुटे, सहायक महाप्रबंधक, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दूसरी मंजिल, पोडियम ब्लॉक, वी.वी. टॉवर, डॉ. अंबेडकर वीधी, बेंगलुरु – 560 001. फोन नंबरः 080–23465175
2	श्री एच.एल. थंगा, उप प्रबंधक, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, न्यू मार्केट फेज–५, 5वीं मंजिल, हुडको बिल्डिंग, 15–एन, नेल्ली सेन गुप्ता सारनी, कोलकाता–700 087 फोन नंबरः 033–22521395
3	श्री के.जी. नाथ, उप प्रबंधक, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ओशिवारा म्हाडा कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग नंबर 5, फ्लैट नंबर 004, आजाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई–400 053 फोन नंबरः 022–47493581
4	श्री आर.एन. गोंड, उप प्रबंधक, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, बी–2, चौथी मंजिल, पिकअप भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ– 226010 फोन नंबर 0522–4346535

35वीं वार्षिक रिपोर्ट

35th ANNUAL REPORT

2023-24

नेशनल शेड्यूलड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन

भारत सरकार का उपक्रम

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

A Government of India Undertaking

(आई एस ओ 9001 :2015 प्रमाणित कंपनी)

(An ISO 9001:2015 Certified company)

14वीं मंजिल, कोर-1 और 2, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, दिल्ली-110092
14th Floor, Core-1 & 2, SCOPE Minar, Laxmi Nagar, District Centre, Delhi-110092
फ़ोन/Phone: 011-22054392, 22054394, 22054396 फ़ैक्स/Fax: 011-22054395
ईमेल/Email: support-nsfdc@nic.in वेबसाइट/Website: www.nsfdc.nic.in

CONTENTS

Sl. No.	Particulars	Page No.
1.	Company Information	1
2.	Notice	2
3.	Chairman's Message	3-7
4.	Director's Report	8-85
5.	Balance Sheet	86
6.	Statement of Income & Expenditure	87
7.	Statement of Cash Flow	88
8.	Independent Auditor's Report	131-160
9.	Management Reply to the Independent Auditor's Report	161
10.	Comments of the Comptroller & Auditor General of India	163
11.	Registered Office & Liaison Centres	164

COMPANY INFORMATION

Board of Directors (2023-24)

Shri Rajan Sehgal,
Chairman-cum-Managing Director
(w.e.f. 01.09.2024)

Shri Rajnish K. Jenaw
Chairman-cum-Managing Director
(w.e.f. 01.01.2021 to 30.08.2024)

Shri S.M. Awale
(w.e.f. 04.06.2015)

Shri Sanjay Pandey
(w.e.f. 18.07.2019 to 01.04.2024)

Smt. Anjula Singh Mahur
(Independent Director)
(w.e.f. 06.12.2021)

Shri Durga Prasad Rai,
Independent Director
(w.e.f. 29.12.2021)

Shri Dhammajyoti Ramdas Gajbhiye
(w.e.f. 18.12.2023 to 09.09.2024)

Shri Mashar Velapurath
(w.e.f. 18.12.2023)

Smt. Sudha Keshari
(w.e.f. 18.12.2023)

Smt. Geeta Bharti
(w.e.f. 18.12.2023)

Shri Gurdeep Singh Manaktahla
(w.e.f. 22.01.2024)

Shri Biswaranjan Sasmal
(w.e.f. 09.02.2024)

Smt. Kalyani Chadha
(w.e.f. 27.04.2022 to 04.08.2023)

Statutory Auditors
M/s. Davinder Pal Singh & Co.
Chartered Accountants,
S-53, Industrial Estate,
Phase-2, Okhla,
New Delhi – 110 020.

Bankers
Canara Bank, Delhi/Mumbai/Bengaluru
SBI, New Delhi/Kolkata
Union Bank of India
Punjab National Bank
IDBI
Bank of Baroda
Punjab & Sind Bank
Kotak Mahindra Bank
Au Small Fin. Bank
Bandhan Bank
IDFC First Bank Ltd.
Indusind Bank
ICICI Bank
Equitas Small Financial Bank
Axis Bank

Registered Office
National Scheduled Castes Finance and
Development Corporation,
(A Government of India Undertaking)
14th Floor, SCOPE Minar, Core 1 & 2,
Laxmi Nagar District Centre,
Laxmi Nagar,
Delhi-110 0092.

Company Secretary
C.A. Annu Bhogal
General Manager (Finance)

NSFDC/SECT/35th AGM/306/4763-4774 24th September, 2024

NOTICE

Notice is hereby given that the 35th Annual General Meeting (AGM) of the members of National Scheduled Castes Finance and Development Corporation will be held on 30.09.2024 (Monday) at 3.00 p.m., in the old Conference Room No.603, Ministry of Social Justice & Empowerment at 6th Floor ('A'Wing), Shastri Bhawan, New Delhi-110001, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the financial year ended 31st March, 2024, together with Board Report, Auditor's Report, Management's Replies and Comments of the Director General of Audit (Central Expenditure) thereon and pass the following resolution as an ordinary resolution, with or without modification(s):-

"**RESOLVED THAT** the Audited Financial Statements of the Company for the financial year ended 31st March, 2024, together with Board Reports, Auditor's Report, Management's replies thereon and Comments of the Director General of Audit (Central Expenditure) on the same be and are hereby received, considered and adopted."

By the Order of the Board of Directors

(Annu Bhogal)
General Manager (Corporate Services, CSR, Audit) & CPIO

Place : Delhi
Dated: 24th September, 2024

NOTE:

A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND THE MEETING AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF. THE PROXY NEED NOT BE A MEMBER (PROXY FORM IS ENCLOSED).

CHAIRMAN'S ADDRESS ON 35th AGM OF NSFDC

Dear Members,

On behalf of the Board of Directors, I extend a very warm welcome to all of you to the 35th Annual General Meeting of your Company. I would like to convey my sincere gratitude to you for sparing your valuable time to be present on this important occasion.

The Annual Report for the financial year ending 31st March, 2024 along with the Directors' Report, Audited Annual Accounts with the Report of Auditors and comments of Comptroller and Auditor General of India have already been circulated to the Members, and with your permission, I shall take them as read.

As on 31st March, 2024, the Authorized Share Capital of your Corporation was Rs.1800.00 crore and Paid-up Capital was Rs.1515.00 crore.

MAJOR ACHIEVEMENTS

1. Lending Schemes:

During the year, your Corporation sanctioned proposals worth Rs.850.12 croresto the SCAs/CAs for implementation of Schemes.During the year, your Corporation disbursed Rs.714.45 crores i.e. 97.56% of total funds available as against the target of 100% ('Excellent' target under MoU) to the SCAs/CAs for implementation of schemes to benefit 85,372 beneficiaries.

2. Pilot Scheme through SA-DHAN in States not covered by SCAs/CAs:

During the year, few more States were identified for the pilot project apart from Bihar, Jharkhand and Odisha. Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Haryana, Rajasthan, Assam, Tripura and Gujarat were included for financing through NBFC-MFIs after the approval of the Board. An amount of Rs.40.00 cores were allocated to the shortlisted four NBFC-MFIs. Rs.34.18 crore was disbursed to three NBFC-MFIs, out of which utilization of Rs.28.97 crore for 6903 beneficiaries is reported.

3. Skill Development Training Programmes

During the year, your Corporation sanctioned and initiated Skill Development Training Programmes with a cost of Rs.111.83 crore to train 30,660 persons belonging to Scheduled Castes under PM-DAKSH Yojana.

Out of 30,660 persons spread across 25 States/UTs, upto 31.03.2024, total 7,807 persons have completed their Skill Development Training Programmes.Further, training in respect of 1,816 persons, which was commenced during 2022-23, has been completed during the year.

4. National fellowship for SC Students (NFSC)

National Fellowship for Scheduled Caste Students (NFSC) Scheme is a Central Sector Scheme of the MoSJ&E, introduced during financial year 2005-06 to provide fellowships in the form of financial assistance to students belonging to Scheduled Caste category to pursue higher studies leading to M.Phil/Ph.D in Science, Humanities, Social Science, in Indian Universities/ Institutions/Colleges recognized by University Grants Commission (UGC).

The Scheme provides 2,000 new Fellowships per year to such Scheduled Caste students who have qualified in UGC NET (1,500) and Joint CSIR UGC NET (500) examination. These slots are over and above the number of Scheduled Castes students selected under the normal reservation policy of the Government for UGC and CSIR Fellowships.

The Scheme provides financial assistance to scholars in form of fellowship, contingencies, escort/reader assistance & HRA to pursue their higher studies.

The fellowship and other financial components are released in DBT mode to the eligible scholars through a dedicated Scholarship & Fellowship Management Portal (SFMP) of the Canara Bank.

National Scheduled Castes Finance and Development Corporation (NSFDC) is appointed as Central Nodal Agency (CNA) w.e.f. 01.10.2022 by the MoSJ&E, GoI.

During the Financial Year 2023-24, your Corporation has released Rs. 199.82 crore under NFSC Scheme to 4,169 Scholars.

5. Scheme for Economic Empowerment of Denotified Tribes (SEED Scheme):

During the financial year 2023-24, NSFDC has been nominated as implementing agency of MoSJ&E for Livelihood Component of Scheme for Economic Empowerment of De-notified Tribes (SEED Scheme), to be implemented at PAN India Level. An amount of Rs.6.00 crore was released for the scheme. As part of the scheme to be implemented in 2024-25, Self Help Groups of De-notified Tribes will be formed through social mobilization.

6. Achievements vis-à-vis Targets of MoU (2023-24)

For the year, on the basis of the audited data, the MoU score score for the financial year 2023-24 comes to 72.29 which conform to ‘Very Good’ Rating under Department of Public Enterprises’ assessment framework.

7. SPECIAL INITIATIVES

Your Corporation has taken special initiatives during 2023-24 to further broaden and strengthen its activities. Some of them are as follows:-

7.1 PM SURAJ Event :

Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt. of India organized a nation-wide Outreach Programme for Disadvantaged Sections in hybrid mode on 13.03.2024. Hon'ble Prime Minister of India graced the occasion in virtual mode and launched the Pradhanmantri Samajik Uthhanevam RozgarAdharit Jankalyan (PM-SURAJ) Portal to provide end-to-end solution to target group who apply for loan through this portal. The event was coordinated by your Corporation.

7.2 Convergence initiatives with Other Ministries:

During the year NSFDC initiated process of convergence of its loan schemes with schemes of other Ministries like Ministry of Rural Development (MoRD), National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), Ministry of Agriculture and farmers Welfare (MoAFW), Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying (MoFAHD), Development Commissioner (Handlooms), Ministry of Textiles, etc. The effort is expected to synergise concessional lending with various subsidies available under various schemes of various Ministries for our target population.

7.3 Workshop cum MDP :

The Corporation organized a Workshop cum MDP on 27th and 28th July 2023 for the officials of its SCAs and CAs at Tagore Auditorium, SCOPE Complex, New Delhi. Fruitful Discussions were held with the SCAs/CAs representative on simplification of NSFDC policy, incentives to beneficiaries and obtaining proposals for fund outflow throughout the year instead of end of the Financial Year.

7.4 Exhibitions / Composite Awareness Camps in States:

During the year, your Corporation participated in major exhibitions namely IITF, PragatiMaidan, New Delhi, Surajkund International Craft Mela, Faridabad, Haryana. ShilpSamagamMela (Gwalior, Lucknow, Delhi,Bangaluru, Amritsar, Jodhpur), Aatmanirbhar Bharat Mela, Bharat Mandapam, ITPO,Delhi and KarigarHaat, Kolkata. Corporation also participated in 4 Composite/ Awareness Camps to publicize the Ministry's and National corporation scheme at the ground level at Lucknow(Uttar Pradesh), Khalilabad (Uttar Pradesh), Delhi and Agartala (Tripura).

7.5 Coverage of Women Beneficiaries :

During the year, your Corporation has provided concessional financial assistance of. Rs.358.91 crores to 56835 women beneficiaries under its various Schemes, which constituted 50.23% of the year's total disbursement and 66.57% of the total coverage against the norm of 40% both in financial and physical terms respectively.

8. Corporate Governance :

Your Corporation was graded "Excellent" by the Department of Public Enterprises (DPE) on the basis of compliance with Guidelines on corporate governance. The Company is committed

to maintain the highest standards of corporate governance and adhere to the guidelines set out by the Companies Act, 2013 and DPE.

9. Quality Management System Certification License (ISO 9001:2015) :

Your Corporation is an ISO Certified Organization and conforms to all the requirements of Quality Management System (QMS) Certification, as per ISO 9001:2015.

Since 2007-08 to 29.11.2022, the Quality Management Certifications were awarded by BIS to NSFDC. Thereafter, NSFDC has been awarded the Quality Management Certification in accordance with ISO 9001:2015 by Royal Impact Certification Limited (RICL) on 24.1.2023. The said Certification is valid until 23.1.2026 subject to yearly Surveillance Audit.

10. Strengthening of IT-System :

- Your Corporation is utilizing e-Office for digital processing of file related to Projects, Finance, Skill Training and other departments. All the officials posted at Head Office and Liaison Centres are using e-Office for official assignments. The officials are also utilizing e-Office from outside networks and remote locations through NIC web VPN.
- Your Corporation is also in process of getting an ERP software developed for the activities of its various departments such as Finance, Projects, HR, Admin, Skill Training and others. The software will be utilised to generate automated demand to be sent to channel partners, generation of MIS reports for various departments among others.
- Your Corporation is also maintaining a dynamic, disabled friendly, bilingual website which is in compliance with the Guidelines for Indian Government Website (GIGW). The website is hosted at NIC cloud server which is secured by Secure Sockets Layer (SSL) certificate and regular security audit.
- Your Corporation maintains database for project related data in an in-house devised module for generation of various reports. For comprehensive protection of data, hardware & network against various viruses, spyware, adware and other malicious programmes, your Corporation has installed antivirus software, which is updated periodically. To strengthen IT equipment, PCs, accessories and peripherals were procured during the reported year.

11. Road Ahead

Your Corporation will use innovative approaches to face the challenges in the lending scenario, to assist the target group for accelerating economic growth and increasing incomes. The focus of assistance will continue to be in economic activity, professional/technical education and skill development leading to employability. Geographically, the focus will be primarily on areas where the concentration of the target group is high, particularly in the aspirational districts of the country. Your Corporation will continue building on existing collaborative relationships and develop new partnerships with channelizing agencies and other development partners as well as follow multi-pronged strategy to promote entrepreneurship among Scheduled Castes along with convergence with the schemes of other Ministries.

Acknowledgements

On behalf of the Board of Directors of the Company, I take this opportunity to convey my deep gratitude for your continued support and valuable guidance. I convey my sincere thanks to the Ministry of Social Justice and Empowerment for their unstinted support and co-operation. I appreciate and acknowledge the support of the Board of Directors for their constant advice and encouragement. I acknowledge the assistance received from various Ministries of Government of India, Department of Public Enterprises, State Governments and UT Administrations. I also acknowledge the cooperation received from various State Channelizing Agencies, Channel Partners consisting of various Public Sector Banks, Regional Rural Banks and Non-Banking Financial Company-Micro Finance Institutions, Skill Training Institutions etc.

I would also acknowledge the sincere efforts of all employees of the Corporation which have enabled us to reach higher milestones. I look forward to continued support from all stakeholders in this journey.

(Rajan Sehgal)
Chairman-cum-Managing Director

Place : Delhi
Date : 30.09.2024

DIRECTORS' REPORT (2023-24)

I welcome you to the 35th Annual General Meeting of your Corporation. Annual General Meetings are a platform to discuss the Annual Report on the progress of your Corporation together with its Audited Financial Statements, Auditors' Report and Comments of the C&AG on Accounts.

1. CORPORATE PROFILE

Your Corporation was set up as National Scheduled Castes & Scheduled Tribes Finance and Development Corporation on 08.02.1989, as a Company 'not for profit' under Section-25 of the Companies Act, 1956 (now, under Section-8 of the Companies Act, 2013). It catered to the needs of both Scheduled Castes & Scheduled Tribes target groups till 09.04.2001. On 10.04.2001, the Corporation was bifurcated after creation of National Scheduled Tribes Finance & Development Corporation for Scheduled Tribes target group under Ministry of Tribal Affairs. Consequent upon its bifurcation, your Corporation now exclusively caters to the needs of Scheduled Caste target group.

1.1 Vision

To be the leading catalyst in systematic reduction of poverty through socio-economic development of eligible Scheduled Castes, working in an efficient, responsive and collaborative manner with channelizing agencies and other development partners.

1.2 Mission

Promote prosperity among Scheduled Castes by improving flow of financial assistance and through skill development & other innovative initiatives.

1.3 Objectives

The Memorandum of Association of your Corporation lists the following main objects to be pursued:

(i) Identification of trades & other economic activities of importance to Scheduled Castes population.

(ii) Upgrapdation of skills & processes used by persons belonging to Scheduled Castes.

(iii) Promotion of small, cottage & village industries.

(iv) Financing of pilot programmes for upliftment and economic welfare of persons belonging to Scheduled Castes.

(v) Improvement in flow of financial assistance to persons belonging to Scheduled Castes for their economic well-being.

(vi) Assistance to target group in setting up their projects by way of project preparation, training and financial assistance.

(vii) Extending loans to eligible students belonging to Scheduled Castes for pursuing full-time professional and technical courses in India and abroad.

(viii) Extending loans to eligible youth to enhance their skill & employability by pursuing vocational education & training courses in India.

In pursuance of above objects, your Corporation is engaged in providing financial assistance at concessional interest rates under various credit-based schemes to persons belonging to Scheduled Castes through the State/UT Channelizing Agencies and other channel partners and is also implementing various non-credit based schemes to support the target groups.

1.4 Authorized and Paid-up Share Capital

The authorized share capital of your Corporation has been increased by Rs.300.00 crore during the year. At the end of the financial year 2023-24, the Authorized Share Capital is Rs.1800.00 crore. The Government of India released Rs.15.00 crore during the year towards equity support. The cumulative paid up capital at the end of financial year is Rs.1515.00 crore.

1.5 Organization Chart

Your Corporation is headed by a Chairman-cum-Managing Director who is assisted by two Chief General Managers, three General Managers and a team of Senior Executives. There are 79 employees working in your Corporation as on 31.03.2024. Apart from Projects, Finance, Human Resource, Administration Departments, there are other Departments / Cells viz. Corporate Service, Internal Audit, Co-ordination, Vigilance, Legal, MIS, Skill Training, Corporate Social Responsibility, RTI, ISO, Record Management and Official Language Cell. As far as operations of your Corporation are concerned, the Desk-in-charges posted in the Projects Department are assigned with specific States/UTs where they ensure efficient implementation and monitoring of NSFDC schemes through State Channelizing Agencies (SCAs), Public Sector Banks (PSBs), Regional Rural Banks (RRBs), Co-operative Banks, Co-operative Societies, other Institutions and the Last Mile Financiers i.e. the NBFC-MFIs working at the grass root level in backward regions. Apart from Projects Department, there is Training Department exclusively assigned with the tasks related to Skill Development Training Programmes of Target Group.

The Organization Chart is depicted at **Annexure-I**.

1.6 Liasion Centres

Your Corporation has four Liaison Centers, which keep liaison with respective State/UT Channelizing Agencies & other Channel Partners and monitor implementation of various schemes in the respective States/UTs. The locations of the Liaison Centers and their jurisdiction are given below:

Sl. No.	Liaison Centers	Jurisdiction
(i)	Bengaluru	Tamil Nadu, Telangana, Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh and Puducherry
(ii)	Mumbai	Maharashtra, Gujarat, Rajasthan, Goa, Daman & Diu, Dadra Nagar Haveli
(iii)	Kolkata	Odisha, West Bengal, Bihar Jharkhand, Chhatisgarh, Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Tripura and Sikkim
(iv)	Lucknow	Madhya Pradesh, Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Uttar Pradesh, Uttrakhand

The UTs of Delhi & Chandigarh, are being monitored from Head Office, directly.

1.7 Channel Finance System

(i) Your Corporation implements various credit based and non-credit based schemes for the target group through a network of 38 States/UT Channelizing Agencies (SCAs) spread across the country that are nominated by respective State Governments/UT Administrations. In addition, your Corporation has also established alternate channels for implementation of schemes through Public Sector Banks (PSBs), Regional Rural Banks (RRBs), Non-Banking Financial Company-Micro Finance Institutions (NBFC-MFIs) and other Institutions. As on 31.03.2024, your Corporation has 63 (after amalgamation of PSBs & RRBs) Alternate Channelizing Agencies (CAs).

(ii) State/UT-wise list of SCAs/CAs is given at Annexure-II (A) & (B).

(iii) Formulation and sponsoring of project proposals based on local needs, identification of eligible applicants and selection of beneficiaries, documentation with beneficiaries, implementation of schemes and recovery of loans from beneficiaries lies in the domain of the SCAs/CAs.

1.8 Notional Allocation of Funds

At the beginning of each financial year, your Corporation notionally allocates funds to the SCAs, in proportion to the Scheduled Castes population of the Country represented by the representative State/UTs.

1.9 Norms for Disbursement of Funds

1.9.1 Norms of SCAs

Before disbursement of funds to the SCAs, the following norms are taken into consideration:

❖ **Guarantee**

Availability of adequate State Government Guarantee/Bank Guarantee/State Government Order/State Government Assurance.

- **Utilization Level**

  There should be a minimum of 80% cumulative utilization level of funds already disbursed as at the end of preceding month for disbursement till February end and cumulative fund utilization level of 80% at the end of preceding day for disbursement of fund in the month of March.

- **Repayment of Dues:**

  There should not be any overdues more than one year old.

The above norms are followed in case of disbursement under loan schemes. As regards the Educational Loan Scheme introduced w.e.f. 01.12.2009, the conditions of availability of State Government Guarantee and no overdues more than one year old are ensured at the time of sanction of Education Loan.

1.9.2 Norms for PSBs/RRBs

As per the Lending Policy of NSFDC, the PSBs & RRBs (Channelizing Agencies) have to fulfill certain norms to be eligible for disbursement of funds from NSFDC. These norms are given as under:

- **There shall be no overdue in payments against demand of earlier disbursals.**
- **The cumulative utilization level of earlier disbursements shall be 80% as at the end of preceding month for disbursement of funds till February end. However, for disbursement of funds in the month of March utilization level of 80% will be considered at the end of preceding day of disbursement.**
- **Besides above, the following conditions are to be fulfilled by the Regional Rural Banks (RRBs) based on their Annual Accounts of the preceding financial year:**
  - (a) Net Non-performing Assets (NPA) must be less than 15% in at least3 years out of last 6 years preceding to the year of disbursement.
  - (b) The RRB must be in profit (net profit) for at least in 3 out of last 6 financial years preceding to the year of disbursement.
  - (c) Should not be a defaulter of any Regulatory Body.
  - (d) In case of amalgamated/merged entities, NPA norms of previous years of dominant partner of RRB retained with the same sponsor Bank will be considered.

1.9.3 Norms for Other Organizations

Fixed Deposit lien to NSFDC/Bank Guarantee/Multi-city Post Dated Cheques in favour of NSFDC issued by a Public Sector Bank (PSB).

1.9.4 Norms for NBFC-MFIs

As per the Lending Policy of NSFDC, the NBFC-MFIs (Channelizing Agencies)

have to fulfill certain norms to be eligible for disbursement of funds from NSFDC. These norms are given as under:

- ❖ No pending utilization of NSFDC funds for more than one year at the end of the preceding financial year.
- ❖ There should be a minimum of 80% cumulative utilization level of funds already disbursed as at the end of preceding month for disbursement till February end and cumulative fund utilization level of 80% at the end of preceding day for disbursement of fund in the month of March.
- ❖ No overdues payable to NSFDC at the time of disbursement.
- ❖ The disbursement to NBFC-MFIs shall be subject to Security.
- Under Cluster Mode, Guarantee from Public Sector Bank (PSB) equivalent to the amount to be disbursed or 50% in the form of Post Dated Cheques (PDCs) and 50% Fixed Deposit from PSB. One undated PDC equivalent to the 50% of amount to be disbursed.
- Under Non-Cluster Mode, Guarantee/Fixed Deposit from Public Sector Bank equivalent to the amount to be disbursed or up to 50% in the form of mortgage of Residential/Commercial property alongwith Personal/ Corporate Guarantee of respective property owner(s) and remaining as Guarantee/ Fixed Deposit from PSB.

1.9.5 Norms for Co-operative Banks

As per the Lending Policy of NSFDC, the Cooperative Banks (Channelizing Agencies) have to fulfill certain norms to be eligible for disbursement of funds from NSFDC. These norms are given as under:

- ❖ There should not be any overdues payable to NSFDC at the time of disbursement.
- ❖ There should be a minimum of 80% cumulative utilization level of funds already disbursed as at the end of preceding month for disbursement till February end and cumulative fund utilization level of 80% at the end of preceding day for disbursement of fund in the month of March, under project-based schemes.

Besides above, the following conditions are to be fulfilled by the Cooperative Banks based on their Annual Accounts of the preceding financial year:

- ❖ Net Non-performing Assets (NPA) of the CA(s) should be less than 5% for the preceding financial year.

Or

- ❖ Average net NPA for the last 05 financial years should be less than 5%. Further, out of these 05 years, the net NPA of the CA(s) should be less than 5% each year, for at least 03 years.

- CA(s) should have 3 years of continuous profit track record.

Or

- CA(s) should be in profit for at least any 03 out of last 05 financial years.
- CA(s) should not be defaulter of any Regulatory Body.
- Satisfactory Credit Opinion Report of funding organization in respect of the Cooperative society.

1.9.6 Norms for Co-operative Societies

As per the Lending Policy of NSFDC, the Cooperative Societies (Channelizing Agencies) have to fulfill certain norms to be eligible for disbursement of funds from NSFDC. These norms are given as under:

❖ There should not be any overdues payable to NSFDC at the time of disbursement.

❖ There should be a minimum of 80% cumulative utilization level of funds already disbursed as at the end of preceding month for disbursement till February end and cumulative fund utilization level of 80% at the end of preceding day for disbursement of fund in the month of March, under project-based schemes.

❖ Besides above, the following conditions are to be fulfilled by the Cooperative Societies based on their Annual Accounts of the preceding financial year:

- Central/State Government should be Stakeholder in the Share capital of the Cooperative Society.
- Central/State Government should have nominated members in the Board of Directors/Governing Body of the Cooperative Society.
- Net Non-performing Assets (NPA) of the CA(s) should be less than 5% for the preceding financial year.

Or

- Average net NPA for the last 05 financial years should be less than 5%. Further, out of these 05 years, the net NPA of the CA(s) should be less than 5% each year, for at least 03 years.

- CA(s) should have 3 years of continuous profit track record.

Or

- CA(s) should be in profit for at least any 03 out of last 05 financial years
- The CA should have credit rating of *Adequate Safety* equivalent to 'A' of CRISIL.
- CA(s) should not be defaulter of any Regulatory Body.

- The CA(s) should not have defaulted in repayment of outside borrowings in the last three years or undergone a corporate debt re-structuring.
- Satisfactory Credit Opinion Report of funding organization in respect of the Cooperative Society.

1.10 Beneficiaries' Eligibility Criteria

The eligibility criteria of applicants for coverage under Corporation's schemes are as under:

(i) Applicants should belong to the Scheduled Caste community.

(ii) Annual family income of the applicants should be within Rs.3.00 lakh (for both rural and urban areas w.e.f. 08.03.2018) under Credit Based Schemes.

The Annual Family Income Criterion will not be applicable for skill development training programmes. The funds under skill development training programmes shall be provided as per the norms of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India.

1.11 Norms for coverage of Women Beneficiaries

Your Corporation gives importance to adequate coverage of women beneficiaries under its schemes. Consequent upon the recommendation of Task Force on Convergence and Coordination of Government Programmes / Schemes for Educational, Economic and Social Empowerment of Scheduled Castes and OBC women, your Corporation has devised norms to cover 40% women beneficiaries both in financial and physical terms under its schemes.

1.12 Schemes of Corporation

Your Corporation has various Credit Based & Non-Credit Based Schemes for providing financial and other assistance to the beneficiaries. Loans are provided to beneficiaries for various economic activities under Agriculture & Allied, Small Industries and Services including Transport Sectors. Your Corporation also provides loan for pursuing higher education and vocational education & training.

Details of schemes financed by your Corporation for the target group through its SCAs and CAs are as follows:

1.12.1 Credit-Based Schemes

The various schemes formulated over the years by your Corporation include Mahila Samriddhi Yojana, Micro Credit Finance, Suvidha Loan, Utkarsh loan, Educational Loan Scheme, Aajeevika Microfinance Yojana and Udyam Nidhi Yojana, for the socio-economic development of its target group. Under these schemes, loans are provided at concessional interest rates ranging from 2% to 5% p.a. Further, the SCAs/CAs are allowed to add 4% (except 10% in case of Aajeevika Microfinance Yojana and 8% in case of Udyam Nidhi Yojana) to the aforesaid interest rates under different Schemes and charge interest from the beneficiaries.

Smt. M.K Lazar, Chittor, Andhra Pradesh availed loan under LVY through Saptagiri Grameena Bank for Tailoring cum cloth shop on 10.7.2023.

1.12.1(A) Unit Costs, NSFDC Share & Interest Rates

S. No		Project Cost	Maximum Loan limit up to 90% of Project Cost	Interest Rate p.a. for	
				CAs	Beneficiary
SCHEMES TO BE IMPLEMENTED THROUGH SCAs / PSBs / RRBs					
(i)	Mahila Samriddhi Yojana (MSY)	Up to Rs.1.40 lakh	Rs.1.25 lakh	2%	6%
(ii)	Micro-Credit Finance (MCF)	Up to Rs.1.40 lakh	Rs.1.25 lakh	2.5%	6.5%
(iii)	Suvidha Loan	Up to Rs.10 lakh	Rs.9 lakh	4%	8%
(iv)	Utkarsh Loan	Above Rs.10 lakh and upto Rs. 50 Lakh	Rs.45 lakh	5%	9%
EDUCATION LOAN					
(v)	Educational Loan Scheme (ELS)	For studies in India, upto Rs.30 lakh or 90% of course fee, whichever is less		2% (Men) 1.5% (Women)	6% (Men) 5.5% (Women)
		For studies abroad, upto Rs.40 lakh, or 90% of course fee, whichever is less		3% (Men) 2.5% (Women)	7% (Men) 6.5% (Women)
SCHEME TO BE IMPLEMENTED THROUGH NBFC-MFIs					
(vi)	Aajeevika Microfinance Yojana (AMY)	Up to Rs.1.40 lakh	Rs.1.25 lakh	5%	15%
SCHEME TO BE IMPLEMENTED THROUGH CO-OPERATIVE SOCIETIES / CO-OPERATIVE BANKS					
(vii)	Udyam Nidhi Yojana (UNY)	Upto Rs.5.00 lakh	Rs.4.50 lakh	5%	13%

Note: NSFDC Board in its 165th Board meeting held on 25.08.2023 has approved revision in NSFDC's Lending Policy for SCA/CAs i.e. rationalization of schemes, change in interest rates, reduction of utilization period and moratorium period

1.12.1(B) Means of Finance

As per your Corporation's Lending Policy, the Corporation (NSFDC) provides loans up to 90% of unit cost. The channelizing agencies and/or promoters provide the remaining amount of the cost of the project.

Smt. Radha Joy, Ernakulum, Kerala availed loan under LVY through KSWDC for Driving School on 12.4.2022

1.12.1(C) Promoter's Contribution

In order to have promoter's stake and involvement in the project, promoter's contribution is insisted under Term Loan projects costing above Rs.1.00 lakh per unit as per the details given below:

Sl. No.	Project/Unit Cost	Minimum Promoter's Contribution as %age of Project Cost
(i)	Projects costing up to Rs.1.00 lakh	Not insisted upon
(ii)	Projects costing above Rs.1.00 lakh & up to Rs. 5.00 lakh	2%
(iii)	Projects costing above Rs.5.00 lakh & up to Rs. 10.00 lakh	3%
(iv)	Projects costing above Rs.10.00 lakh & up to Rs. 50.00 lakh	5%

1.12.1(D) Subsidy to Beneficiaries

In all the schemes except Educational Loan Scheme, subsidy up to Rs.50,000/- or 50% of the unit cost, whichever is less, is provided by SCAs to the Below Poverty Line (BPL) beneficiaries from Special Central Assistance to Scheduled Castes Sub-Plan (SCSP) funds released by Ministry of Social Justice & Empowerment to the State Governments. Under Educational Loan Scheme, beneficiaries enrolled in recognized Technical/ Professional courses (after Class XII) are also eligible for interest subsidy during moratorium period, which is provided by the Ministry

of Human Resources Development (MHRD) under the Central Scheme of Interest Subsidy for students belonging to economically weaker sections.

1.12.1(E) Moratorium Period

Moratorium (Repayment Holiday) for repayment of principal amount is given to beneficiaries after disbursement of loan to enable beneficiaries to gain a firm footing in their business activities. However, no moratorium is offered for payment of interest amount. The scheme-wise moratorium periods are given as under:

Scheme	Moratorium Period
➢ Mahila Samriddhi Yojana	3 months
➢ Micro Credit Finance	3 months
➢ Suvidha Loan	6 months except for plantation and construction activities for which it will be 12 months
➢ Utkarsh Loan	6 months except for plantation and construction activities for which it will be 12 months
➢ Educational Loan Scheme (ELS)	6 months after course completion or getting employment, whichever is earlier
➢ Aajeevika Microfinance Yojana (AMY)	3 months
➢ Udyam Nidhi Yojana (UNY)	3 months

1.12.1(F) Repayment Period

The repayment period of loans is broadly fixed on the basis of assessment of cash flow generation, life of the project assets and gestation period of projects. Repayment periods under different schemes and activities are given below:

Schemes	Repayment period
Mahila Samriddhi Yojana (MSY)	Within 3 years
Micro-Credit Finance (MCF)	Within 3 years
Suvidha Loan	Within 5 years
Utkarsh Loan	Within 7 years
Educational Loan Scheme (ELS)	Within 10 years for loan upto Rs.10 lakh, Within 12 years for loan above Rs.10 lakh
Aajeevika Microfinance Yojana (AMY)	Within 3 Years
Udyam Nidhi Yojana (UNY)	Within 5 Years

1.12.1(G) Second time loan facility

Beneficiaries, if they have availed first time loan under any of the NSFDC Scheme, after repayment of entire loan within the stipulated period, are eligible for availing loan under any Scheme of your Corporation subject to the following two conditions:

(a) full repayment of earlier loan in time and (b) submission of Field Report on actual asset creation and successful running of the business.

1.12.1(H) Sector-wise illustrative list of projects financed

Projects financed under various Credit Based Schemes are categorized into four major sectors namely Agriculture & Allied, Small Industries, Services & Transport and Educational Loan Scheme. Illustrative list of projects under different sectors are given as under:

Agricultural & Allied Sector	
➢ Agricultural Land Purchase	➢ Tractor Trolley
➢ Poly House	➢ Power Tiller With Trolley
Industries Sector	
➢ Flour Mill & Chilly Mill	➢ Fly Ash Bricks Manufacturing
Service & Transport Sector	
➢ Mini Venture	➢ Tent House
➢ Kirana & Cool Drinks	➢ Centering Materials
➢ Mini Hotel	➢ Medical Shop
➢ Mini Super Bazar	➢ Leather Chappal Mfg. Unit
➢ Concrete Mixture	➢ DTP with Laser & Screen
➢ Internet with Xerox Machine	➢ Advocate Office
➢ Mini Super Bazar	➢ Fast Food
➢ Mushroom Processing	➢ Guest House Cum Lodge
➢ Green Business (E-Rickshaw)	➢ Auto Taxi
➢ Pickup Van	➢ Jeep Taxi
➢ Auto Trolley Goods	➢ Small Business
➢ Taxi Car	➢ Auto Goods Carrier
➢ Small Business (Agriculture& Allied)	➢ Auto Passenger

Educational Loan Scheme	
➢ Engineering (Diploma in Electrical, Mechanical Engineering, Plastic Technology, B.E, B. Tech., M.Tech., etc.)	➢ Nursing (B.Sc.)
➢ PG Diploma in Transportation Design	➢ Information Technology (BCA/MCA)
➢ Architecture (B.Arch)	➢ Management (BBA/MBA)
➢ Medical (BAMS/BHMS/MBBS/ MD)	➢ Law (LLB/LLM)
➢ Pharmacy (B. Pharma/M. Pharma)	➢ Dental (BDS)
➢ Hospitality & Hotel Management (B.Sc.)	➢ Education (PTC/B.Ed)
➢ Postgraduate Marine Biology and Aquaculture	➢ Doctor of Medicine
➢ Masters in Sustainable Engineering of Infrastructure	➢ Graduate Certificate Project Management Programme
➢ Master of Mechanical Engineering	

1.12.2 NON-CREDIT BASED SCHEME

NSFDC sponsored ‘Certificate Course in CNC Turning’ Training held at Haryana on 11.12.2023

1.12.2(A) Skill Development Training Programmes

- Your Corporation sponsors Skill Development Training Programmes for persons of the target group in employable sectors such as Apparel, Electronics, Furniture & Fittings, Leather, Rubber and Petrochemicals, Textile, Telecom, Capital Goods, Logistics, Food Processing, Handicrafts and Carpet, Instrumentation and Automation, Domestic Worker, Beauty & Wellness, Life Science, Power, Sports & Physical Education, Healthcare, Construction, Tourism & Hospitality, Media & Entertainment, Infrastructure, etc. The training programmes, in addition to technical skills, also cover soft skills.

- The Ministry of Social Justice and Empowerment (MoSJ&E) has launched Pradhan Mantri-Dakshta Aur Kushalta Sampann Hitgrahi (PM-DAKSH) Yojana, Central Sector Scheme, from the financial year 2020-21, to provide Skill Development Trainings to its target group, inter-alia, Scheduled Castes persons, in the age group from 18-45 years without any income criterion. NSFDC is one of the implementing agencies under PM-DAKSH Yojana and sponsoring Skill Development Training Programmes (SDTPs) for Scheduled Castes Persons. The SDTPs are being implemented through the Training Institutes selected by MoSJ&E on year to year basis. There are four types of SDTPs under PM-DAKSH Yojana viz; (i) Up-skilling/Re-skilling with duration of normally 35-60 hours/5 to 35 days, (ii) Entrepreneurship Development Programme (EDP) with duration of normally 90 hours/15 days, (iii) Short Term Skill Development Training Programmes (STT) with duration of normally 300 hours and up to 3 months, and (iv) Long Term Skill Development Training Programmes (LTT) with duration of normally 650 hours or 7 months.

NSFDC sponsored 'Self Employed Tailor' Training Programme held at UP on 22.12.2023.

- Under PM-DAKSH Yojana, the trainees are provided free training and stipend @ (i) Rs.1,500/- per month for non-residential training programmes in the case of STT and LTT Programmes, towards to & fro expenses (ii) Rs.2,500/- towards wage loss for training duration in the case of Up-skilling/Re-skilling and (iii) Rs.100/- per day towards refreshment and to & fro expenses in case of EDP. For residential training programmes, the Boarding and Lodging charges are provided, as per the Common Cost Norms (CCN) issued by the Ministry of Skill Development & Entrepreneurship (MSDE), Government of India, from time to time.

- Subsequent to completion of training programmes and assessment & certification of trainees, the trainees are also provided placement assistance through Training Institutes and/or entrepreneurial guidance to start their own ventures with financial assistance from your Corporation through State Channelizing Agencies/ Channel Partners.

- From the financial year 2021-22, the SDTPs under PM-DAKSH Yojana, are being implemented through dedicated PM-DAKSH Portal (www.pmdaksh.dosje.gov.in).

1.12.2(B) Marketing Support to Beneficiaries

Your Corporation provides platform to the beneficiaries making saleable products for selling their items at selected exhibitions and fairs of National and International Importance.

1.12.2(C) Free Stalls to Beneficiaries at Exhibitions/Fairs

(i) Your Corporation participates in National and International Exhibitions & Fairs and provides free Stalls to beneficiaries for exhibiting and selling their products.

(ii) Participation in these exhibitions provides the beneficiaries an opportunity not only to sell their products but also to interact with customers, dea lers, exporters and assess the needs/ requirements for development of new products.

1.12.2(D) Marketing Training to Beneficiaries

In order to provide beneficiaries with various inputs relating to marketing and developing/re-designing of artisan products as per customers' needs, marketing training is provided. In such training programmes, emphasis is given on how to modify products to suit customers' needs with input of better Over The Counter (OTC) salesmanship.

1.12.2(E) Awareness Camps

Awareness camps are conducted in various States to generate mass awareness among the target group about the schemes of your Corporation. During these camps, presentations are made and brochures & pamphlets on Corporation's schemes are distributed to the visitors. Successful beneficiaries are invited to address the gathering about their experiences of availing loans under Corporation's schemes and other activities related to business.

2. MANAGEMENT DISCUSSIONS AND ANALYSIS REPORT

2.1 Achievements during the year

2.1.1 Sanction of Proposals

During the year, your Corporation sanctioned proposals worth Rs.850.12 crores to the SCAs/CAs for implementation of schemes.

2.1.2 Disbursement of Funds

During the year, your Corporation disbursed Rs.714.45 crores i.e.100% of total funds available as against the target of 100% ('Excellent' target under MoU) to the SCAs/CAs for implementation of schemes to benefit 85,372 beneficiaries.

2.1.2(A) Scheme-wise details of disbursement & beneficiaries covered

The scheme-wise disbursement & beneficiaries covered for the year 2023-24 and that of previous year are given as under:

Sl. No.	Scheme	Amount (Rs. in crores)		Beneficiaries (Numbers)	
		2022-23	2023-24	2022-23	2023-24
A.	**Term Loan Schemes**				
(i)	Term Loan	85.67	7.60	2760	34
(ii)	Green Business Scheme	9.02	0.00	220	0
(iii)	Udyam Nidhi Yojana	50.00	70.00	5556	11482
(iv)	Mahila Adhikarita Yojana	5.05	18.75	187	685
(v)	Laghu Vyavasay Yojana	370.89	261.23	24270	14720
(vi)	Educational Loan Scheme	5.83	9.42	139	128
(vii)	Utkarsh Loan	0.00	0.73	0.00	5
(viii)	Suvidha Loan	0.00	260.98	0.00	24533
	Sub Total (A)	**526.46**	**628.71**	**33132**	**51587**
B.	**Micro Credit Scheme**				
(i)	Micro Credit Finance	34.54	14.72	8186	2227
(ii)	Mahila Samriddhi Yojana	50.47	36.84	34630	23185
(iii)	Aajeevika Microfinance Yojana	24.48	34.18	8040	8373
	Sub Total (B)	**109.49**	**85.74**	**50856**	**33785**
	Grand Total [(A) + (B)]	**635.95**	**714.45**	**83988**	**85372**

*In addition to the above, under all other Schemes except Educational Loan Scheme (ELS), your Corporation has considered the funds disbursed up to Rs.1.25 lakh per unit as Micro Finance Loan, as per the Reserve Bank of India (RBI) Notification No.RBI/2019-20/95 dated 08.11.2019. Accordingly, the disbursed funds of Rs.384.76 crores for 68,810 beneficiaries are considered as Micro Finance Loan as well.

2.1.2(B) Sector-wise details of disbursement & beneficiaries covered

Sl. No.	Scheme	Amount (Rs. in crores)		Beneficiaries (Numbers)	
		2022-23	2023-24	2022-23	2023-24
(i)	Term Loan				
(a)	Primary Sector (Land Purchase, Irrigation and other Allied Activities)	9.58	0.12	289	01
(b)	Secondary Sector (Industries)	0.00	0.00	0	0.00

(c)	Tertiary Sector (Services & Transport)	76.09	7.48	2471	33
	Total (a) + (b) + (c)	**85.67**	**7.60**	**2760**	**34**
(ii)	Green Business Scheme	9.02	0.00	220	0.00
(iii)	Udyam Nidhi Yojana	50.00	70.00	5556	11482
(iv)	Laghu Vyavasay Yojana	370.89	261.23	24270	14720
(v)	Micro Credit Finance	34.54	14.72	8186	2227
(vi)	Mahila Samriddhi Yojana	50.47	36.84	34630	23185
(vii)	Aajeevika Microfinance Yojana	24.48	34.18	8040	8373
(viii)	Educational Loan Scheme	5.83	9.42	139	128
(ix)	Mahila Adhikarita Yojana	5.05	18.75	187	685
(x)	Utkarsh Loan	0.00	0.73	0	5
(xi)	Suvidha Loan	0.00	260.98	0	24533
	Grand Total (i to xi)	**635.95**	**714.45**	**83988**	**85372**

2.1.2(C)(i) MoU Targets Vs Achievements (2023-24)

Consolidated MoU targets and achievements for the financial year 2023-24 are placed at **Annexure-III.** As per the achievements and based on the audited data, total aggregate score for the financial year 2023-24 comes to 72.29 (provisional) which conform to 'Very Good' Category.

(i) **Revenue from operations (Net of Taxes)**
During the year, Revenue from Operations (Net) of your Corporation is Rs.68.65 crores.

(ii) **Total Number of New Beneficiaries**
During the year, Total number of new beneficiaries covered under credit based schemes is 85372.

(iii) **Number of persons trained under PM-DAKSH (Ministry Scheme)**
During the year, Total number of persons trained under PM-DAKSH yojana is 30,660 (commenced)

(iv) **EBTDA as a percentage of Revenue**
During the year, EBTDA as a percentage of Revenue (Net) of your Corporation is 61.67 %.

(v) **Return on Net Worth**
During the year, Return on Net Worth is 2.08 %.

(vi) **Asset Turnover Ratio**
During the year, Asset Turnover Ratio is 3.23 %.

(vii) **Loans disbursed to Total Funds Available**
During the year, Loans Disbursed to Total funds available of your Corporation is 97.56 %.

(viii) **Loans disbursed to Micro Finance Beneficiaries**
During the year, Loans Disbursed to Micro Finance Beneficiaries as %age of Total Disbursement is 53.85%.

(ix) Overdue Loans to Total Loans (Net)

During the year, Overdue Loans to Total Loans (Net) is 17.84.%.

(x) NPA to Total Loans (Net)

During the year, NPA to Total Loans (Net) is 0.73 %.

(xi) Geographical coverage (Number of States/UTs)

During the year, geographical coverage (Number of States/UTs) is 90.62.

(xii) **Last Mile disbursement to ultimate beneficiaries**

During the year, the Last Mile disbursement to ultimate beneficiary is 77.30% of total disbursement by 31.03.2024.

(xiii) **Acceptance / Rejection of Goods & Services through TReDS Portal within specified time**

During the year, the Acceptance / Rejection of Goods & Services through TReDS Portal stand NIL.

(xiv) **GeM Procurement as per approved procurement plan**

During the year, your Corporation has procured 92.30 % age of goods and services through GeM Portal as per approved procurement plan.

2.1.2(D) Scheme-wise/Sector-wise Disbursement

The performance during 2023-24 is depicted in the following graphs:

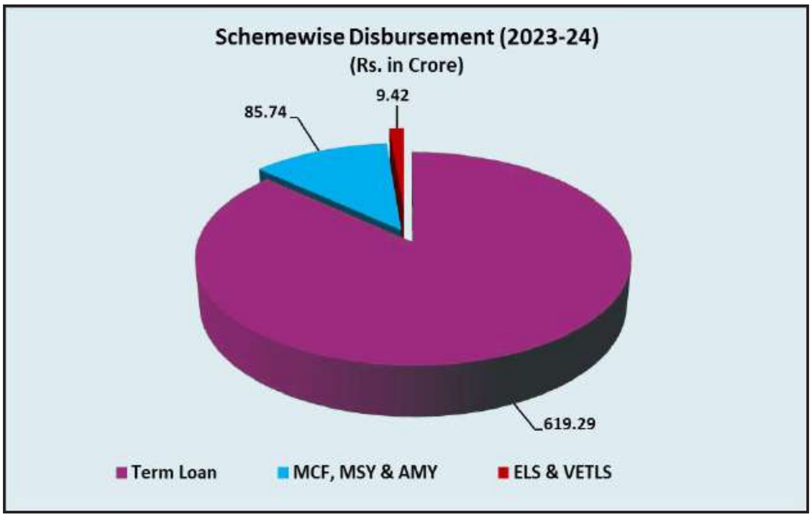

(i) Term Loan Scheme includes Laghu Vyavasay Yojana (LVY), Utkarsh Loan, Suvidha Loan, Udhyam Nidhi Yojana (UNY), Mahila Adhikarita Yojana (MAY).

(ii) Micro Credit includes Micro Credit Finance (MCF), Mahila Samriddhi Yojana (MSY) and Aajeevika Microfinance Yojana (AMY).

(iii) Educational Loan Scheme (ELS).

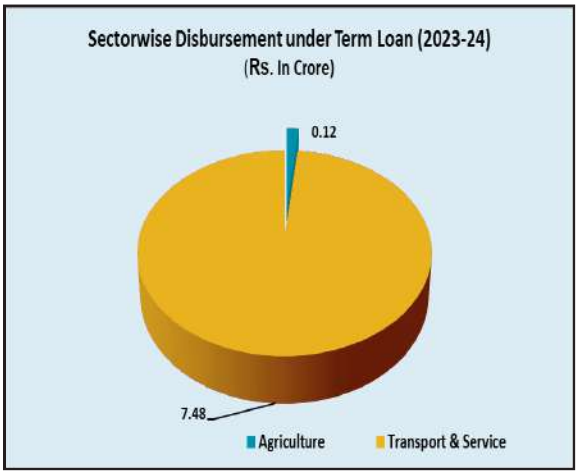

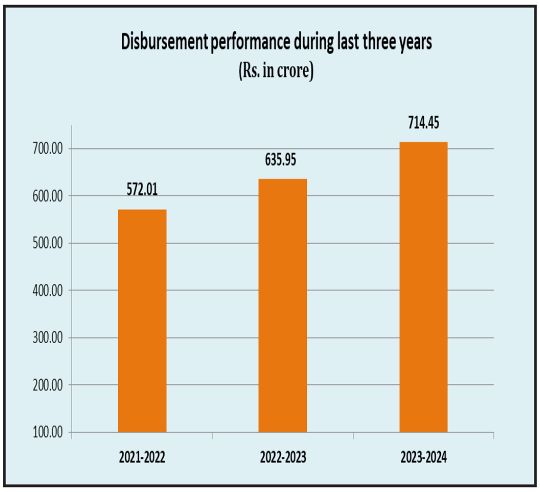

2.1.3 Coverage of Women Beneficiaries

- During the year, your Corporation has provided concessional financial assistance to 56835 women beneficiaries under its various schemes, which constituted 66.57% of the total coverage against the norm of 40% in physical terms.

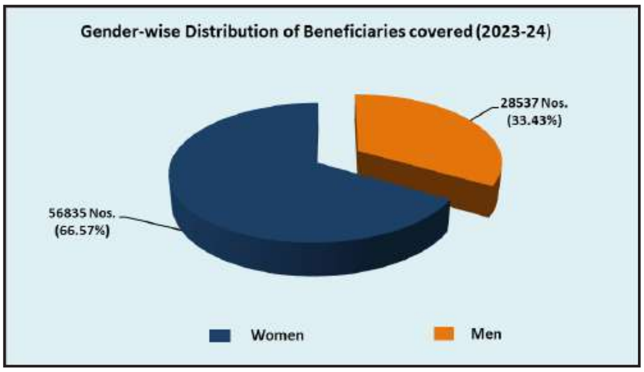

- Similarly, during the year, your Corporation has disbursed Rs.358.91 crores for women beneficiaries, which constitutes 50.23% of the year's total disbursement as against the norm of 40% in financial terms.

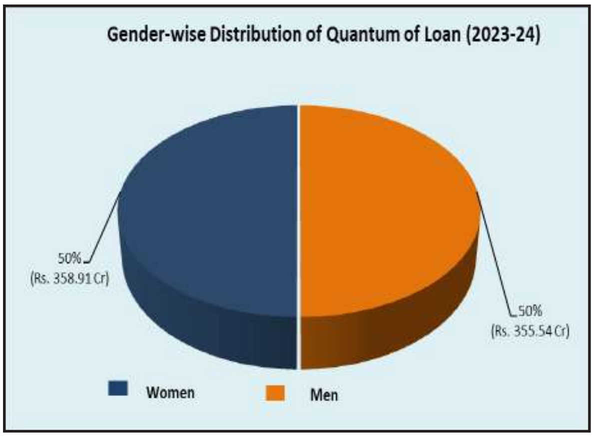

- During the last three years, disbursement to women beneficiaries.

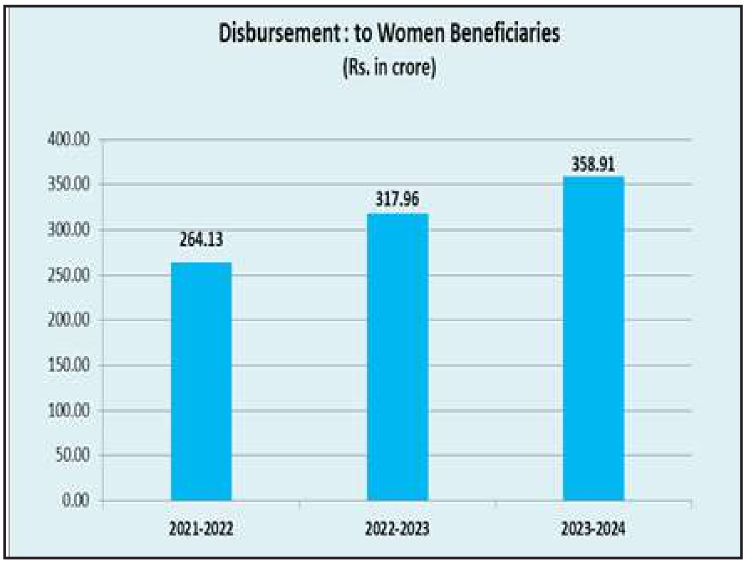

2.1.4 Coverage of beneficiaries in Rural/Urban Areas:

During the year, your Corporation covered 57.43% beneficiaries from rural areas and 42.57% from urban areas.

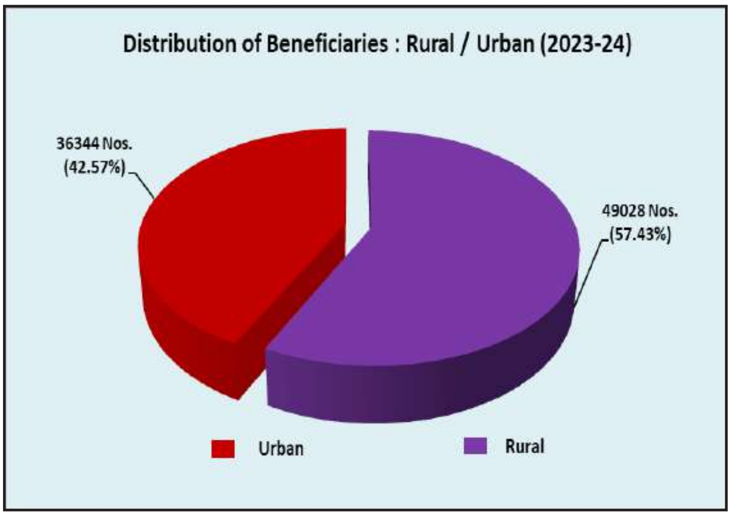

2.1.5 Fund Utilization

During the year, your Corporation took up an intensive drive with all the SCAs/ CAs to improve utilization of funds disbursed for implementation of schemes. This resulted in achieving cumulative utilization level of 92.93**%** as on 31.03.2024.

2.1.6 Coverage of beneficiary–As per the revised annual family income ceiling limits

During the year, as per the utilization report received from channelizing agencies, 59.20% beneficiaries falling under having annual family income up to Rs.1.50 lakh category and 40.80% falling under having annual family income above Rs.1.50 lakh & up to Rs.3.00 lakh category were covered under your Corporation's schemes.

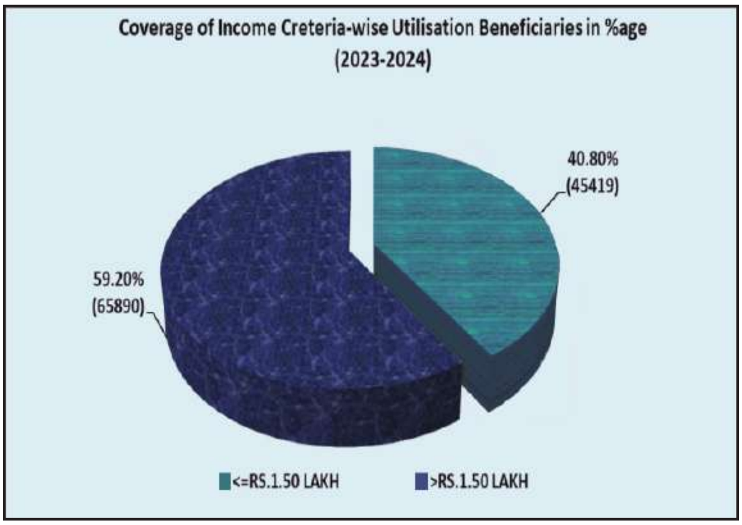

2.1.7 Equity Support Vis-à-vis Cumulative Disbursement

- During the year, your Corporation disbursed Rs.714.45 crores.
- The cumulative equity support as on 31.03.2024 is Rs.1515.00 crore against which your Corporation achieved cumulative disbursement of Rs.8302.03 crores covering 16.11 lakh beneficiaries out of which 9.71 lakh were women beneficiaries (60.27%).
- The disbursement so far is 5.48 times of equity received from Government of India.

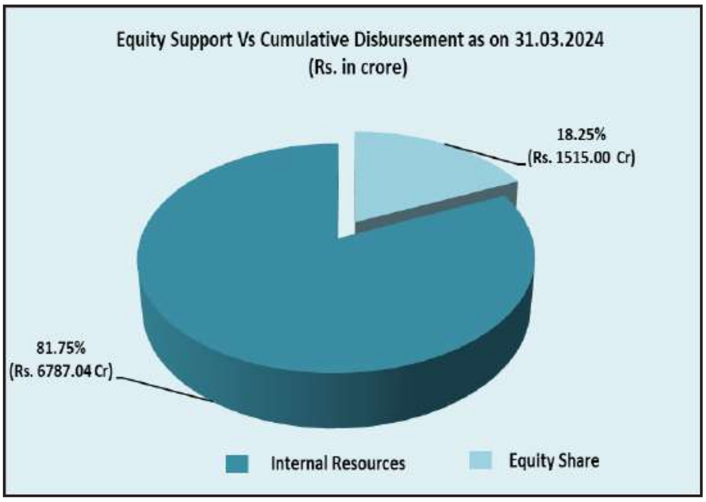

2.1.8 Loan Recovery from the SCAs/CAs

During the year, your Corporation received recovery of Rs.596.18 crores from SCAs/CAs.

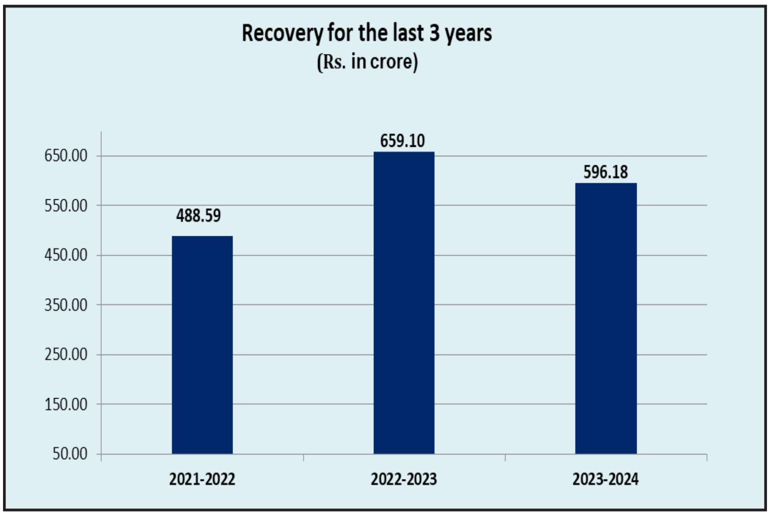

2.1.9 Functioning of SCAs/CAs

Your Corporation adopts channel finance system wherein funds are channelized to the beneficiaries through the SCAs/CAs. At beginning of the financial year, there were 38 SCAs in the normal channel and 59 CAs in the Alternate Channel. During the financial year, your corporation signed MoA with new Channelizing agencies and at present there are 38 SCAs and 63 other Channelizing Agencies in the alternative channel with NSFDC. During the year, out of 28 States and 8 UTs, having SC population as per Census 2011, 25 States and 4 UTs have availed funds.

2.1.10 Partnerships

2.1.10(A) Partnership with Government Departments/Established Institutions to leverage the Corporation's objectives

During the year, your Corporation established partnership with the following institutions to leverage the Corporation's objectives:-

Signing of MOU with Central Bank Of India on 12.04.2023

Sl.No.	Institutions	Objectives
(i)	Central Bank of India	For implementation of NSFDC Credit/Loan Schemes in various State.
(ii)	Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank (sponsored by Central Bank of India),	
(iii)	StreeNidhi, Andhra Pradesh	
(iv)	SIDBI	
(v)	National Small Industries Corporation Ltd. (NSIC)	Lead generation, guidance, and handholding and building market linkages for the prospective SC beneficiaries of NSFDC Scheme
(vi)	CSC e-Governance Services India Ltd	

Hon'ble Minister Shri Virender Kumar along with CMD, NSFDC at IITF, Delhi during 14-29 Nov., 2023

2.1.10(B) NSFDC has also done logistic arrangement for special guests (250 Nos.) of our Administrative Ministry i.e. MOSJ&E for Republic day program on 24th to 28th January, 2024.

2.1.10(C) Participation in Exhibitions/Fairs (2023-24)

During the year, your Corporation participated in the following Exhibitions/Fairs to provide marketing platforms for the products of beneficiaries. The details of States/UTs covered and Craft items exhibited in the events are given as under:-

S.No.	Exhibitions	Date	State/UT represented	Craft items exhibited & sold
(i)	Shilp Samagam Mela, Gwalior	22nd to 30th September, 2023	Delhi, Haryana, Gujarat, Rajasthan, Puducherry, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Punjab, Uttarakhand .	Handloom Cloth work, Sarees & Suits, Wooden Toys, Readymade Garments ,Wooden Inlay Crafts/ Painting, Silk Material, Pickles, Dress Material, Embroidery, Bed sheets, block printing, woolen, Brass items, Leather Products, Artificial jewelry etc
(ii)	Shilp Samagam Mela, Lucknow	7th to 15th October, 2023	Haryana, Gujarat, Rajasthan, Puducherry, Delhi, Maharashtra, Madhya Pradesh, Punjab,Uttar Pradesh and West Bengal	Handloom Cloth work, Readymade Garments, , Sarees & Suits, Wooden Toys, Wooden Inlay Crafts/Painting, Silk Material, Pickles, Dress Material, Embroidery, Bed sheets, block printing, woolen, Brass items, Leather Products, Artificial jewelry etc.
(iii)	IITF,2023, Bharat Mandapam, Delhi	14th to 27th November, 2023	Haryana, Himachal Pradesh, Gujarat, Rajasthan, Puducherry, Delhi, Uttar Pradesh, Karnataka, Uttarakhand, Maharashtra, Madhya Pradesh, Punjab, Uttarakhand.	Readymade Garments, Handloom Cloth work,, Sarees & Suits, Wooden Toys, Wooden Inlay Crafts/Painting, Silk Material, Pickles, Dress Material, Embroidery, Bed sheets, block printing, woollen jacket etc.
(iv)	Aatmanirbhar Bharat Mela, Bharat Mandapam, ITPO,Delhi	3rd to 10th January, 2024	Haryana, Himachal Pradesh, Gujarat, Rajasthan, Puducherry, Delhi, Uttar Pradesh, Karnataka, Uttarakhand, Maharashtra, Madhya Pradesh, Punjab, J&K,UttarPradesh.	Brass items, Sarees & Suits, Wooden Toys, Wooden Inlay Crafts/ Painting, Readymade Garments, Handloom Cloth work,, Silk Material, Pickles, Dress Material, Embroidery, Bed sheets, Leather Footwear, block printing, woollen jacket etc
(v)	Surajkund Int. Craft Mela, Faridabad	3rd to 18th February. 2024	Chandigarh, Delhi, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Rajasthan, Uttarakhand, Puducherry, Uttar Pradesh, Jammu & Kashmir, Punjab, Karnataka, Maharashtra, Madhya Pradesh UttarPradesh and West Bengal	Brass items, Wooden Toys, Sarees & Suits, Wooden Inlay Crafts/ Painting, Readymade Garments, Handloom Cloth work,, Silk Material, Pickles, Dress Material, Embroidery, Bed sheets, Leather Footwear, block printing, woolen jacket etc

(vi)	Shilp Samagam Mela, Bengaluru	14th to 24th January, 2024	Bihar, Delhi, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Rajasthan, Puducherry, Punjab, Uttar Pradesh, Jammu & Kashmir, Karnataka, Maharashtra, Madhya Pradesh, Uttrakhand, and West Bengal	Handloom Cloth work, Readymade Garments, , Sarees & Suits, Wooden Toys, Wooden Inlay Crafts/ Painting, Silk Material, Pickles, Dress Material, Embroidery, Bed sheets, block printing, woolen, Brass items, Leather Products, Artificial jewelry etc
(vii)	Shilp Samagam Mela, Amritsar	12th to 21st January, 2024	Delhi, Gujarat, Himachal Pradesh, Rajasthan, Uttarakhand, Puducherry, Uttar Pradesh, Jammu & Kashmir, Punjab, Karnataka, Maharashtra, Madhya Pradesh UttarPradesh and West Bengal.	Brass items, Wooden Toys, Sarees & Suits, Wooden Inlay Crafts/ Painting, Readymade Garments, Handloom Cloth work,, Silk Material, Pickles, Dress Material, Embroidery, Bed sheets, Leather Footwear, block printing, woolen jacket etc
(viii)	Shilp Samagam Mela, Jodhpur	29th February, 2024 to 8th March, 2024	Delhi,Haryana, Himachal Pradesh, Gujarat, Rajasthan, Punjab, Puducherry, Uttar Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Madhya Pradesh, Punjab, UttarPradesh and West Bengal.	Brass items, Sarees & Suits, Wooden Toys, Wooden Inlay Crafts/ Painting, Readymade Garments, Handloom Cloth work,, Silk Material, Pickles, Dress Material, Embroidery, Bed sheets, Leather Footwear, block printing, woollen jacket etc
(ix)	Karigar Haat, Kolkata	20th to 26th December, 2023	West Bengal	Rural artisan products like Ethnic garments, Jute products, Metal craft, manufacturing Purse and Ladies hand bags and Hand embroidery products

During the year, the total sale figure of our beneficiaries (NSFDC) in 08 major exhibitions/Melas are as under :

S. No.	Name & Place of Exhibitions	Date	Sale (Amount in Rs.)
(i)	Shilp Samagam Mela, Gwalior	22nd to 30th September, 2023	29,06,000/-
(ii)	Shilp Samagam Mela, Lucknow	7th to 15th October, 2023	65,28,260/-
(iii)	IITF,2023, Bharat Mandapam, Delhi	14th to 27th November, 2023	150,02,800/-
(iv)	Aatmanirbhar Bharat Mela, Bharat Mandapam, ITPO,Delhi	3rd to 10th January, 2024	5,38,498/-
(v)	Surajkund Int. Craft Mela, Faridabad	3rd to 18th February, 2024	54,36,296/-

(vi)	Shilp Samagam Mela, Bengaluru	14th to 24th January, 2024	7,66,210/-
(vii)	Shilp Samagam Mela, Amritsar	12th to 21st January, 2024	801840/-
(viii)	Shilp Samagam Mela, Jodhpur	29th February, 2024 to 8th March, 2024	53,400/-
(ix)	Karigar Haat, Kolkata	20th to 26th December, 2023	70,000/-

2.1.11 Composite Awareness Camps in States

During the year, your Corporation participated in various Composite/ Awareness Camps to publicize the Ministry's and National corporation scheme at the field level. The details are given as under:

NSFDC participation in awareness programme held in collaboration with MSME under National SC\ST Hub scheme at Jhabua, M.P. on 27.09.2023.

S. No.	State/ District		Participants	Date
(i)	Gomti Nagar, Lucknow	'Launch Event for the campaign on Promoting Digital Transaction of 50000 Gram Panchayats' under Amrit Mahotsav	150	25th May, 2023
(ii)	Bagharia Primary School, Kalilabad, Uttar Pradesh	"Loan Mela-cum-Awareness Programme"	200	22nd June, 2023
(iii)	Pragati Maidan, New Delhi	Crafts Bazar	foreign delegates along with Hon'ble PM of India	9th & 10th September, 2023
(iv)	Divya Kala Mela, Agartala, Tripura	Loan Mela-cum-Awareness Programme"	150	6th to 11th February, 2024

2.1.12 Special initiatives

❖ **Convergence with Schemes of Development Commissioner (Handlooms), Ministry of Textiles**

Last year, NSFDC team carried out Baseline survey of Scheduled Caste weavers engaged in making of Chanderi sarees at Village: Nayapura, Jugyanapura, Basiapur and Pranpur, Block: Chanderi, Distt.: Ashok Nagar, Madhya Pradesh. A total of 676 Scheduled Caste weavers were identified. As per the outcomes/conclusions of the survey, a proposal was submitted to the O/o Development Commissioner (Handlooms), Ministry of Textiles under NHDP scheme. Development Commissioner (Handlooms) vide sanction order No.1/5/4/2023-DCH/NHDP/MP/CDP-II dated 19th February, 2024, sanctioned an amount of Rs.189.65 lakh towards Baseline survey, product development, exposure visit, participation in exhibition/BSM/publicity, documentation of cluster activities, engagement of Textile Designer and project management cost to NSFDC and for purchase of HSS items to Directorate of Handlooms, Government of Madhya Pradesh.

❖ **Capacity building of 50 SC women artisans in Bamboo craft under Skill/ Technology upgradation scheme of NSFDC.**

Training-cum-capacity building programme was organized from 30.04.2023 to 29.05.2023 and 30.05.2023 to 28.06.2023 at village Bharanta and Bachhwai, District Kangra (H.P.), respectively. The programme was inaugurated by CMD, NSFDC. 50 SC artisans were trained in Bamboo craft in two batches. 06 SC artisans got credit linkage post training through SCA of Himachal Pradesh. Dignitaries from Directorate of Industries, SCA of Himachal Pradesh and Shri Rakesh Thakur, Ex-MLA from Kangra district participated in the closing ceremony along with the officials of NSFDC. The total cost of Rs.7.50 lakh for the programme was sponsored by NSFDC.

SC artisans of Bamboo Craft undergoing training programme held during 30.4.2023 to 29.3.2023 at Dist. Kangra, H.P.

❖ **Pilot Scheme through SA-DHAN piloted NBFC-MFIs in States not covered by SCAs/CAs.**

During the year, few more States were identified for the pilot project apart from Bihar, Jharkhand and Odisha. Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Haryana,

Rajasthan, Assam, Tripura and Gujarat were included for financing through NBFC-MFIs after the approval of the Board. An amount of Rs.40.00 cores were allocated to the shortlisted four NBFC-MFIs. Rs.34.18 crore was disbursed to three NBFC-MFIs, out of which utilization of Rs.28.97 crore for 6903 beneficiaries is reported.

❖ **The Goat Trust**

Under MoA between NSFDC and The Goat Trust, 50% amount of Rs.11,15,000/- was released to The Goat Trust for training and handholding support for promotion of 150 micro enterprises in small livestock chains (goatery, piggery, poultry) towards first instalment. 1st phase of training-cum-capacity building programme was completed for 50 goat farmers. UC of Rs.8,53,600/- was reported by The Goat Trust towards first instalment. Committee comprising of DGM, NSFDC, Shri Ashish Kumar, Programme Director, TGT, Manager, Baroda UP Bank, Project Manager, TGT, Manager, UPSGVB, Branch: Khaga, Distt. Fatehpur, UP, Deputy Manager and Executive, Liaison Centre, NSFDC, Lucknow, identified 30 goat farmers for the 2nd batch of training-cum-capacity building programme on 04.01.2024. Out of 30, 17 goat farmers were found present for training.

During inspection on 12.02.2024, upon receipt of UC of Rs.8,53,600/- towards 1st instalment, an amount of Rs.10,80,200/- was released to the Goat Trust as second instalment on 29.01.2024. The work relating to 2nd and 3rd phase of training-cum-capacity building programme is being undertaken by the Goat Trust.

Interaction with SC Govt. farmers of Prem Nagar, Dist. Fatehpur (U.P.) in collaboration with Goat Trust

❖ **Credit outreach programme**

Credit outreach programme was implemented through SLBC, Karnataka in three Districts namely Chitradurga, Tumkur and Davangere. Under this programme, the NSFDC and other National Corporations (NBCFDC & NSKFDC, NSTFDC) the Lead District Managers (LDMs) acting as Nodal

Officers sourced applications for small ticket size MUDRA loans (in the range of Rs.1 lakh to Rs.2 lakh) from Line Departments such as Karnataka Milk Federation (KMF), Karnataka Sheep and Wool Development Corporation, Karnataka State Rural Livelihood Mission, NGO Capacity Building Partners of NABARD etc. These applications were then allotted by the LDMs to Banking Channel Partners of National Corporations (Karnataka Gramin Bank, Canara Bank, UBI, and Bank of Baroda). The Banks carried out due diligence and sanctioned loans as under:

District	SCs	STs	OBCs	Safai Karmacharies	Total
Chitradurga	627	0	47	0	674
Tumkur	377	17	26	11	431
Davangere	36	0	19	04	59
Total	**1040**	**17**	**92**	**15**	**1164**

The concerned Banking Channel Partners will claim refinance from the National Corporations against above sanctions to offer the benefit of concessional interest under NSFDC /NBCFDC/NSKFDC/NSTFDC Schemes to the eligible borrowers from different target groups.

❖ Funds amounting to Rs.17 crore was disbursed for covering of 50 SC farmers for the innovative project of Shade Net House (protected cultivation) at Hingoli, Maharashtra. The beneficiaries for the scheme were provided free training by MPBCDC on cultivation of crops under Shade net mode at National Institute of Post-Harvest Technology, Pune, Govt of Maharashtra. The NSFDC term loan of Rs.17.00 crore is converged with backend subsidy of upto Rs.12.75 crore (75%). Subsidy of 50% is provided by Mission for Integrated Development of Horticulture, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, GoI. Additionally, subsidy of 25% is provided under Nanaji Deshmukh Krushi Sanjivani Prakalp (POCRA) scheme of Agriculture Department, Govt. of Maharashtra. The subsidy component will largely reduce the repayment burden of loan. The capacity building of small & marginal farmers will enable high crop yield of vegetables & other crops and marketing linkages will promote sale of the yield at domestic & international markets.

❖ **PM Suraj Nation Wide Outreach Programm**

Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt. of India organized a nation-wide Outreach Programme for Disadvantaged Sections in hybrid mode on 13.03.2024. Hon'ble Prime Minister of India graced the occasion in virtual mode and launched the Pradhanmantri Samajik Uthhan evam Rozgar Adharit Jankalyan (PM-SURAJ) Portal. The target group of SC, BC & Safai Karamchari can apply for loan through this portal.

During the event, NSFDC disbursed loan of Rs 404.6 Crore to 50,434 beneficiaries through PM-SURAJ Portal on 13.03.2024, out of which 34877 were female and 15557 were male beneficiaries. NSFDC disbursed this loan amount in 498 Districts of 28 States/UTs and SMS were sent to all beneficiaries during the outreach programme for disadvantaged sections of the society.

NSFDC beneficiary under "Term Loan" financed by UPSGVB at Fatehpur (U.P.) on 04.01.2024.

❖ **Workshop cum MDP**

NSFDC organized a Workshop cum MDP on 27th and 28th July 2023 for the officials of its SCAs and CAs at Tagore Auditorium, SCOPE Complex, New Delhi. Fruitful Discussions were held with the SCAs/CAs representative on simplication of NSFDC policy, incentives to beneficiaries and obtaining proposals for fund outflow in 2nd Quarter of financial year. The outcome of the discussion was taken into consideration while revising the schemes of NSFDC.

2.1.13 External Evaluation (2021-22) of Credit Based Schemes & Non-Credit Based Scheme:

During the year, your Corporation had commissioned and awarded an evaluation study of its Credit and Non-Credit Based Schemes to M/s. Development Oriented Operations Research & Surveys (DOORS), Noida (UP). The study envisages to cover 5790 beneficiaries/trainees trained during 2019-20 and 2020-21 in 11 States.

The State/UT-wise beneficiaries/trainees covered under the study are as under:-

Sl. No	State/UT	Numbers of Beneficiaries	Numbers of Trainees	Total
(i)	Chhattisgarh	100	30	130
(ii)	Haryana	100	110	210
(iii)	Jharkhand	100	70	170
(iv)	Kerala	200	20	220
(v)	Madhya Pradesh	240	170	410
(vi)	Maharashtra	150	80	230
(vii)	Rajasthan	320	100	420
(viii)	Sikkim	100	0	100
(ix)	Telangana	100	30	130
(x)	Uttar Pradesh	820	380	1,200
(xi)	West Bengal	2470	100	2,570
	TOTAL	**4,700**	**1,090**	**5,790**

Final evaluation report has been submitted by evaluating agency M/s DOORS to NSFDC for approval.

2.1.14 Findings of the report are given below

- Credit based Schemes (Provisional)

Sl. No	Particulars	Details
(i)	Number of beneficiaries inspected during the study	4,700 in 10 States
(ii)	Number and percentage of beneficiaries who utilized the assistance for the intended purpose	4468 (95.1%)
(iii)	Number and percentage of beneficiaries who possessed the assets created	4248 (92.9%)
(iv)	Number and percentage of beneficiaries who crossed Poverty Line (BPL)	777 (58.8%)
(v)	Number and percentage of beneficiaries who crossed Double Poverty Line (DPL)	1842 (40.3%)*

- Non-Credit/ Skill Training Programme (Provisional)

<table>
<tr><th>Sl. No.</th><th>Particulars</th><th colspan="3">Details</th></tr>
<tr><td>(i)</td><td>Number of trainees surveyed during the study</td><td colspan="3">1090 in 10 States</td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>Number and percentage of trainees who have sought job after getting the skill development training of NSFDC</td><td colspan="3">688
(63%)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">(iii)</td><td rowspan="2">Present employment status of the trainees*</td><td>Job em-ployed</td><td>Self-em-ployed</td><td>Un-employed</td></tr>
<tr><td>(27%)</td><td>(17%)</td><td>(56%)</td></tr>
<tr><td>(iv)</td><td>Monthly salary of the job employed trainees</td><td colspan="3">Average monthly salary is Rs.11,268/-</td></tr>
<tr><td>(v)</td><td>Monthly earning of the self-employed trainees</td><td colspan="3">Average monthly earning is Rs.9,841/-</td></tr>
</table>

2.1.15 Skill Development Training Programs-Achievements

During the year, your Corporation sanctioned and implemented Skill Development Training Programmes with a cost of **Rs.111.83 crore** to train **30,660** persons belonging to Scheduled Castes under PM-DAKSH Yojana and released **Rs.16.19 crore** [including Grants-in-Aid provided by MoSJ&E under the Scheme of 'Assistance to Voluntary Organization working for the Welfare of SCs' and PM-DAKSH Yojana].

NSFDC sponsored 'Machine Operator Injection Moulding' training programme held during 22.10.2023 to 26.04.2024 at Jaipur

During the year, the SDTPs were conducted in various Job Roles/Sectors such as Account Executive, Advance Diploma in CNC Programming (ADCNC), Advance Diploma in Machine Maintenance & Automation, Assistant Beauty Therapist, Assistant Chef, Assistant Designer - Fashion, Home and Made-Ups, Assistant Electrician, Assistant Hair Dresser Stylist, Assistant Machinist - Iron and Steel, Associate Designer - Die and Mould for Plastic Including Toys, AutoCAD,

AutoCAD – Mechanical, Automotive Body Repairing and Services Technician, Bamboo Work Artisan, Beauty Therapist, Bridal, Fashion and Portfolio Makeup Artist, CCTV Installation Technician, Certificate Course in CNC Turning, Certificate Course in Cricket Ball Manufacturing, Certificate in Financial Accounting with Tally ERP, Checker - Inline & Measurement, CNC Machining - Lathe, CNC Machining - Milling, CNC Operator - Turning, CNC Programming - Lathe, CNC Programming - Milling, Computer Hardware & Networking, Consignment Booking Assistant, Corn Processing Technician, Cosmetologist, Counter Sales Executive (Tourism and Hospitality), Courier Executive - Operations, Customer Care Executive - Domestic - Non-Voice, Customer Care Executive, Customer Care Executive-Domestic- Voice, Customer Service Executive - Elective 1 (Meet and Greet Officer), Dairy Products Processor, Documentation Executive, Domestic Biometric Data Operator, Domestic Data Entry Operator, Domestic IT Helpdesk Attendant, Dresser (Medical), Entrepreneurship Development Programme, Electrical-CAD, Electrician, Electrician Domestic Solutions, Fabric Cutter, Fashion Designer, Field Technician - Network and Storage, Field Technician & Other Home Appliances, Field Technician Computing and Peripherals, Finisher & Packer, Fitter - Mechanical Assembly, Fitter Fabrication, Food & Beverage Service Associate, Food Sales Promoter, Front Office Associate, General Duty Assistant - Advance, General Duty Assistant, General Duty Assistant Trainee, Graphic Designer, Guest Service Executive (Front Office), Hand Held Devices (Handset and Tablet) Technician, Home Health Aid, Housekeeper cum Cook (Household and Small Establishment), In-Store Promoter, IT Coordinator in School, Jute Products Stitching Operator, Kitchen Stewar, Machine Operator - Injection Moulding Plastic, Machine Operator - Plastics Extrusion, Machine Operator - Plastics Processing, Machine Operator & Programmer - CNC Lathe, Machine Operator & Programmer Plastic CNC Lathe, Machine Operator Assistant - Blow Moulding, Machine Operator Assistant - Injection Moulding, Machine Operator Assistant - Plastics Processing, Make-Up Artist, Master CAM (CAD/CAM), Master Certificate Course in CAD/CAM (MCC), Merchandiser - Fashion, Made Ups & Home Furnishings, Mobile Phone Hardware

Repair Technician, Multi Skill Technician - Consumer Durables, Multi Skill Technician (Electrical), Multi Skill Technician (Food Processing), Multifunctional Office Executive, Office Operations Executive, Optical Fibre Technician, Phlebotomist, Pickle Marking Technician, PLC Programming, Plumber - General, Production Supervisor Sewing, Professional Makeup Artist, Retail Sales Associate, Retail Store Manager, Retail Team Leader, Sampling Coordinator, Sampling Tailor, Self Employed Tailor, Sewing Machine Operator - Knits, Sewing Machine Operator, Solar LED Technician, Solar Panel Installation Technician, Solar Power Installation, Operation and Maintenance, Solar PV Installer (Suryamitra), Solid works (CAD), Street Food Vendor - Standalone, Stringing/

Beading Artisan (Fashion Jewellery), Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA), Telecom Customer Care Executive - Call Centre/ Relationship Centre, Telecom Customer Care Executive - Repair Centre, Telehealth Services Coordinator, Traditional Hand Embroiderer, Traditional Snacks and Savoury Maker, Trainee Chef, TV Repair Technician, Two Shaft Handloom Weaver, Two Wheelers Service Technician, Warehouse Associate, Warehouse Executive, Web Developer, Welder (GTAW), Yoga Trainer.

Out of 30,660 persons for which SDTPs commenced in 25 States/UTs, upto 31.03.2024 total 7,807 persons have completed their Skill Development Training Programmes and as per information placement of trainees in Self/Wage-employment is underway. Further, training in respect of 1,816 persons, which was commenced during 2022-23, has completed their training programmes during the year.

The State/UT-wise abstract under Skill Development Training Programmes commenced and completed during 2023-24, is placed at Annexure-IV.

2.1.16 National Fellowship for SC Students (NFSC)

- ❖ National Fellowship for Scheduled Caste Students (NFSC) Scheme is a Central Sector Scheme of the MoSJ&E, introduced during financial year 2005-06 to provide fellowships in the form of financial assistance to students belonging to Scheduled Caste category to pursue higher studies leading to M.Phil/Ph.D in Science, Humanities, Social Science, in Indian Universities/ Institutions/Colleges recognized by University Grants Commission (UGC).
- ❖ The Scheme provides 2,000 new Fellowships per year to such Scheduled Caste students who have qualified in UGC NET (1,500) and Joint CSIR UGC NET (500) examination. These slots are over and above the number of Scheduled Castes students selected under the normal reservation policy of the Government for UGC and CSIR Fellowships.
- ❖ The Scheme provides financial assistance to scholars in form of fellowship, contingencies, escort/reader assistance & HRA to pursue their higher studies.
- ❖ The fellowship and other financial components are released in DBT mode to the eligible scholars through a dedicated Scholarship & Fellowship Management Portal (SFMP) of the Canara Bank.
- ❖ National Scheduled Castes Finance and Development Corporation (NSFDC) has been declared as Central Nodal Agency (CNA) w.e.f. 01.10.2022 by the MoSJ&E, GoI.
- ❖ During the Financial Year 2023-24, your Corporation has released Rs. 199.82 crore under NFSC Scheme to 4,169 Scholars.

2.1.17 Capacity building & Convergence of NSFDC term loan scheme with subsidy schemes of Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, GoI & Department of Agriculture, Government of Maharashtra:

During the financial year 2023-24, NSFDC sanctioned term loan for Shade Net House scheme (01 acre coverage) costing NSFDC share of Rs.17.00 crore (50 beneficiaries) & disbursed an amount of Rs.6.46 crore (19 units) to MPBCDC, Maharashtra, to be implemented at backward district of Hingoli. The cost per unit is Rs.40.00 lakh and NSFDC share is Rs.34.00 lakh (85%).

The beneficiaries for the scheme are provided free training by MPBCDC on cultivation of crops under Shade net mode at National Institute of Post Harvest Technology, Pune, Govt of Maharashtra.

The NSFDC term loan of Rs.17.00 crore is converged with backend subsidy of upto Rs.12.75 crore (75%). Subsidy of 50% is provided by Mission for Integrated Development of Horticulture, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, GoI. Additionally subsidy of 25% is provided under Nanaji Deshmukh Krushi Sanjivani Prakalp (POCRA) scheme of Agriculture Department, Govt. of Maharashtra. The subsidy component will largely reduce the repayment burden of loan.

The capacity building of small & marginal farmers will enable high crop yield of vegetables & other crops & marketing linkages will be for sale of the yield at domestic & international markets.

2.1.18 Scheme for Economic Empowerment of Denotified Tribes (SEED Scheme):

During the financial year 2023-24, NSFDC has been nominated as implementing agency of MoSJ&E for Livelihood Component of Scheme for Economic Empowerment of Denotified Tribes (SEED Scheme), to be implemented at PAN India Level. An amount of Rs.6.00 crore was released for the scheme. As part of the scheme to be implemented in 2024-25, Self Help Groups of Denotified Tribes will be formed through social mobilization.

2.1.19 The best five performing SCAs for the year 2023-24

(a) Disbursement availed

Rank	Name of SCA	Amount (Crore)
(i)	KSDC, Kerala	32.41
(ii)	KSWDC, Kerala	24.03
(iii)	WBSCSTOBCDFC, West Bengal	23.66
(iv)	UPSGVB, Uttar Pradesh	22.31
(v)	JKSCSTBCDC, J&K	10.13

(b) Fund Utilization (Cumulative)

Rank	Name of SCA	%age
(i)	TSCDC, Tripura	85.38%
(ii)	WBSCSTOBCDFC, West Bengal	84.68%
(iii)	KSDC, Kerala	83.94%
(iv)	PSCLDFC, Punjab	83.31%
(v)	HSCDC, Haryana	82.40%

(c) Repayments made

Rank	Name of SCA	Amount (Crore)
(i)	WBSCSTOBCDFC, West Bengal	50.51
(ii)	KSDC, Kerala	26.31
(iii)	RSCDC, Rajasthan	23.47
(iv)	KSWDC, Kerala	16.71
(v)	APSCFC, Andhra Pradesh	15.00

(d) Beneficiaries covered

Rank	Name of SCA	Numbers
(i)	WBSCSTOBCDFC, West Bengal	20052
(ii)	KSDC, Kerala	2506
(iii)	KSWDC, Kerala	2011
(iv)	HSCDC, Haryana	621
(v)	UPSGVB, Uttar Pradesh	456

(e) Women Beneficiaries by SCA and OCA

Rank	Name of SCA	Numbers
(i)	WBSCSTOBCDFC, West Bengal	20028
(ii)	KSWDC, Kerala	2011
(iii)	KSDC, Kerala	1724
(iv)	HSCDC, Haryana	350
(v)	LIDCOM, Maharashtra	210

Rank	Name of OCA	Numbers
(i)	StreeNidhi- Andhra Pradesh	9260
(ii)	Tamil Nadu Grama Bank, TN	3643
(iii)	Stree Nidhi- Telangana	2222
(iv)	PBGB-Puducherry	1802

2.1.20 The best performing Other Channelizing Agency (PSB, RRB, NBFC-MFI) for the year 2023-24

(a) Best performing Public Sector Bank (PSB)

Disbursement availed for PAN India		
Rank	**Name of PSB**	**Amount (Crores)**
(i)	Punjab & Sind Bank	127.65
(ii)	Indian Bank	100.00
(iii)	Canara Bank	10.00
(iv)	Union Bank of India	5.69

(b) Beneficiaries Covered by PSB

Rank	Name of PSB	Numbers
(i)	Punjab & Sind Bank	10492
(ii)	Indian Bank	9695
(iii)	Canara Bank	667
(iv)	Union Bank of India	542

(c) Women Beneficiaries Covered by PSB

Rank	Name of PSB	Numbers
(i)	Indian Bank	5279
(ii)	Punjab & Sind Bank	1512
(iii)	Union Bank of India	381
(iv)	Canara Bank	311

2.1.21 The best five performing RRBs for the year 2023-24

(a) Best performing Regional Rural Bank (RRB)

Disbursement availed		
Rank	**Name of RRB**	**Amount (Crores)**
(i)	Tamil Nadu Gramin Bank, Tamil Nadu	60.30
(ii)	Punjab Gramin Bank, Punjab	50.00
(iii)	PBGB, Puducherry	26.48
(iv)	Aryavart Bank., Uttar Pradesh	20.78
(v)	Karnataka Vikas Grameena Bank, Karnataka	18.62

(b) Beneficiaries Covered by RRB

Rank	Name of RRB	Amount (Crores)
(i)	Tamil Nadu Gramin Bank, Tamil Nadu	6072
(ii)	PBGB, Puducherry	2979
(iii)	Punjab Gramin Bank, Punjab	2459
(iv)	Karnataka Vikas Grameena Bank, Karnataka	1612
(v)	BUPGB, Uttar Pradesh	1501

2.1.22 The best performing NBFC-MFI & others for the year 2023-24

Best performing NBFC-MFI & others

Rank	Disbursement availed by RRB	Amount (Crores)
(i)	STREE NIDHI, Andhra Pradesh	50.00
(ii)	Stree Nidhi, Telangana	20.00
(iii)	ASA International	13.34
(iv)	MIDLAND MICROFIN LTD	13.34
(v)	PAHAL Financial Services	7.50

2.1.23 Initiatives taken to incentivize SCAs

2.1.23(A) NSFDC Incentives to Performing SCAs (NIPS)

Your Corporation had been implementing a Scheme of 'Mechanism of Rating of SCAs & Awards for Better Performance' since 2007-08 to provide incentives to better performing SCAs. The Scheme has been revised as 'NSFDC Incentives to Performing SCAs (NIPS). The revision in the Scheme was made keeping in view the current priorities of the Government of India.

The new Scheme is implemented with effect from 2016-17 with a total budget of around Rs.45.00 lakh per year.

Under the "NSFDC Incentives to Performing SCAs (NIPS)", the SCAs would be provided performance incentives as under:

Category	Parameter	Prize			Total
		1st	2nd	3rd	
(i)	The SCAs availing funds from NSFDC against their Notional Allocation up to Rs.3.00 crores in a particular fin. Year.	5.00	3.00	2.00	10.00

(ii)	The SCAs availing funds from NSFDC against their Notional Allocation more than Rs.3.00 crores and up to Rs.10.00 crores in a particular financial year	7.00	5.00	3.00	15.00
(iii)	The SCAs availing funds from NSFDC against their Notional Allocation more than Rs.10.00 crores in a particular financial year	10.00	6.00	4.00	20.00
	Total	**22.00**	**14.00**	**9.00**	**45.00**

2.1.23(B) Incentive scheme for other Channelizing Agencies (ISOCA)

Your Corporation had been implementing a Scheme "Incentive scheme for other Channelizing Agencies (ISOCA)" which provide incentive to all agencies other than the State Channelizing Agencies of NSFDC. The objective of the scheme is to strengthen the infrastructure of Other Channelizing agencies.

The new Scheme is implemented with effect from 2020-2021. The OCAs would be provided performance incentives as per the following criteria given as under:

i. Other Channelizing Agencies who have availed fund from NSFDC during thelast three years continuously for implementation of NSFDC Schemes.

ii. Cumulative fund Utilization should be at least 90% as on 31st March of the relevant financial year for which the Incentive Scheme is considered.

iii. Cumulative recovery of OCA (including interest on Refund) up to the relevant financial year for which the Incentive Scheme is considered should be 100%.

iv. No pending Utilization Certificate of earlier Incentive amount received, if any from NSFDC.

Under the "Incentive scheme for other Channelizing Agencies (ISOCA)", the SCAs would be provided performance incentive as 0.5% of the total amount repaid to NSFDC (excluding interest on refund, if any) by the Other Channelizing Agencies (OCA) during the relevant financial year for which the Incentive Scheme is considered or Rs.10.00 lakh, whichever is less.

During the year, incentive was released to following channelizing agencies under (ISOCA) scheme for the financial year 2022-23:

S. No	Agency & State	Amount released (in Rs.)
(i)	Punjab Gramin Bank, Punjab	10,00,000
(ii)	Tamil Nadu Grama Bank, Tamil Nadu	10,00,000
(iii)	Tripura Gramin Bank, Tripura	6,90,826
(iv)	Madhya Pradesh Gramin Bank, Madhya Pradesh	2,67,617
	Total	**29,58,443**

3. FINANCIAL PERFORMANCE w.r.t. OERATIONAL PERFORMANCE

3.1 INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT

i. During the year, the Revenue from Operation (Net) of your Corporation is Rs.68.65 crore. During the year, the Operating Profit or Surplus / Revenue from Operation (Net) of your Corporation is 56.56%.

ii. During the year, 2023-24, the income of the Corporation has increased form Rs.74.66 crore to Rs.76.88 crore.

iii. The total Expenses including employees cost has increased from Rs.27.05 crore to Rs.29.82 crore in 2023-24.

iv. Excess of Income over Expenditure (EOIOE) during the year 20223-24 is Rs.47.06 crore as against Rs.47.61 crore during 2022-23.

3.2 APPROPRIATION OF PROFIT

The Corporation transfers 10% of EOIOE to the Special Reserve Fund and balance to General Reserve. Accordingly, Rs.470.92 lakh is appropriated to Special Reserve fund and Rs.4264.37 lakh is transferred to General Reserve to be ploughed back for further disbursement.

3.3 EARNING PER SHARE

Earning per Equity Share during 2023-24 is Rs.31.08 & Rs.31.39 (Basic & Diluted) as against Rs.31.74 & Rs.31.74 (Basic & Diluted) for 2022-23.

4. IMPROVEMENT IN FUNCTIONING OF THE CORPORATION

4.1 MOU RATING (2022-23)

Your Corporation had submitted Self Evaluation Performance Report of the MoU for the Financial Year 2022-23 based on the Audited Data, to the Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India through Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India. Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India has given MoU Composite Score of 52.11 and rated the performance of your Corporation as “Good”.

4.2 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION LICENSE (ISO 9001: 2015)

Your Corporation is an ISO Certified Organization and conforms to all the requirements of Quality Management System (QMS) Certification, as per ISO 9001:2015.

Since 2007-08 to 29.11.2022, the Quality Management Certifications were awarded by BIS to NSFDC. Thereafter, NSFDC has been awarded the Quality Management Certification in accordance with ISO 9001:2015 by Royal Impact Certification Limited (RICL) on 24.1.2023. The said Certification is valid until 23.1.2026 subject to yearly Surveillance Audit.

4.3 STRENGTHENING OF MIS

Your Corporation is utilizing e-Office for digital processing of file related to Projects, Finance, Skill Training and other departments. All the officials posted at Head Office and Liaison Centres are using e-Office for official assignments. The officials are also utilizing e-Office from outside networks and remote locations through NIC web VPN.

Your Corporation is also in process of getting an ERP software developed for the activities of its various departments such as Finance, Projects, HR, Admin, Skill Training and others. The software will be utilised to generate automated demand to be sent to channel partners, generation of MIS reports for various departments among others.

NSFDC is also utilizing Beneficiary Enquiry and Application Management (BEAM) mobile app which facilitates citizens to submit enquiries pertaining to Business Loan, Education Loan and Skill Training. The mobile app is facilitating officials of your Corporation and other SCAs to capture loan and skill training enquiries of visitors who attend Awareness Camp, Mela etc. The mobile app is available as "NSFDC BEAM" on Google Play Store.

Your Corporation is also maintaining a dynamic, disabled friendly, bilingual website which is in compliance with the Guidelines for Indian Government Website (GIGW). The website is hosted at NIC cloud server which is secured by Secure Sockets Layer (SSL) certificate and regular security audit.

Your Corporation maintains database for project related data in an in-house devised module for generation of various reports. For comprehensive protection of data, hardware & network against various viruses, spyware, adware and other malicious programmes, your Corporation has installed antivirus software, which is updated periodically. To strengthen IT equipment, PCs, accessories and peripherals were procured during the reported year.

5. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

5.1 Human Capital & Training of NSFDC Staff

The manpower of the Corporation as on 31st March, 2024 is 79 personnel deployed in Head Office and four Liaison Centers of the Corporation. The Corporation regards training and development as a function concerned with organizational activity aimed at improving the job performance of individuals and groups in organizational settings. In order to align the skill of its human resource with the latest requirements of acts, rules and business goals, besides conducting in-house training programmes, the officers and staff of the Corporation were nominated for training programmes conducted by various premier institutions. The details of the trainings and Institutions in this regard are as under:

Sl. No.	Name of Training Programme	Conducted by
(i)	Women First – "Inspiring the Next Generation" (11th April, 2023)	CII, Delhi
(ii)	Project Management Competencies Building (10th to 13th July, 2023)	Project Management Associates through SCOPE, New Delhi.
(iii)	Workshop on Leadership Development for Women Executives (13th to 14th July, 2023)	SCOPE, New Delhi
(iv)	Workshop on Reservation Policy & Preparation/ Maintenance of Reservation Roster (10th to 11th August, 2023)	NSFDC through Shri S.M. Gupta, Consultant-cum-Trainer (Ex-Faculty, ISTM).
(v)	Workshop on Good Governance (21st December, 2023)	DoARPG, Ministry of Personnel, Govt. of India, New Delhi.
(vi)	Orientation Programme for Capacity Building of Government Directors of CPSEs (15-16th February, 2024 –Udaipur)	DPE in association with Power Grid Corporation of India Ltd.
(vii)	Right to Information Act for CPIOs and AAs (18-20th March, 2024- Goa)	India Institute of Secretariat Trg. & Development, Delhi

5.2 Representation of SCs, STs, OBCs and PwBD category of employees in the Corporation

Your Corporation has been following the Government's policy as per the instructions issued by Department of Personnel and Training (DoPT), Ministry of Personnel, PG and Pensions on reservations and concessions for SCs, STs, OBCs and PwBD Categories. The required data in the prescribed format pertaining to representation of SCs, STs, OBCs and PwBD Categories, are placed at **Annexures-V**, **VI and VII** respectively.

5.3 Measures to give special consideration to Minorities in recruitment

Your Corporation has been following the Government's policy as per the instructions issued by Department of Personnel and Training (DoPT), Ministry of Personnel, PG and Pensions for welfare of Minorities which inter-alia envisage special consideration in recruitment of Minorities.

5.4 ICC for Sexual Harassment of Women at Work Place:

The Corporation has zero tolerance for sexual harassment at workplace and in compliance of Section 4 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, your Corporation has reconstituted 'Internal Complaints Committee' at Head Office and Liaison Centres level as on 09th July, 2019 to look into the incidents/complaints of Sexual Harassment in organization's premises, if any. Competent Authority constituted the committee of :-

(i) Smt. Archana Mehra, Manager (Proj.) - Presiding Officer

(ii) Shri S. K. Pal, Dy. General Manager (Proj.) – Member

(iii) Shri T. Satish, Assistant General Manager (Proj.) - Member for Liasion Centre

(iv) Shri Gunjan Singh, A representative from NGO - Member Representative

(v) Smt. Harish Raizada, Dy. Manager - Member (RTI)

(vi) Smt. Vijaya Laxmi B., Jr. Executive - Member for Liasion Centre

The names and contact details of all ICC members were prominently displayed on board of Head Office and all Liaison Centres. All the information relating to Internal Complaints Committee, SHWW Act, Handbook, SHe-Box link (http://www.shebox.nic.in/user/faq) and E-mail ID (nsfdc.shwwicc@gmail.com) have been made available at the website of NSFDC. The aggrieved women employees have to submit her complaints to the committee. During the financial year 2023-24, the Corporation has not received any complaints on sexual harassment from its employees.

Meetings of the ICC

During the year, four meetings of NSFDC Internal Complaint Committee (ICC) for Prevention of Sexual Harassment of Women at Workplace were held on 01.05.2023, 03.07.2023, 09.10.2023 & 08.01.2024.

Annual Report of the ICC for SHWW

Further, in compliance of Section 22 of the Act, the Annual Report on incidents of Sexual Harassment is as under:

(i)	Number of complaints of Sexual Harassment received in the year	NIL
(ii)	Number of complaints disposed off during the year	Not applicable
(iii)	Number of cases pending for more than 90 days	Not applicable
(iv)	Number of workshops on awareness programme against sexual harassment carried out	NIL
(v)	Nature of action taken by the employer	Not Required

6. OTHRE ACHIEVEMENTS

6.1 Official Language (OL)

6.1.1 Meeting of Official Language Implementation Committee

Committee of Official Language Implementation exist as per OL Policy in NSFDC under the chairmanship of Chairman-cum- Managing Director of NSFDC for ensuring compliance of progressive use of Hindi in NSFDC and its meetings

held regularly in each quarter. During the year, four meeting of NSFDC Official Language Implementation Committee were held on dated 12.07.2023, 27.10.2023, 15.01.2024 and 22.03.2024. The Committee periodicallyreviewed the progress made in this regard and suggested and recommended measures to be taken for the effective implementation of the same.

6.1.2 Implementation of Official Language Policy

In pursuance of the Official Language Policy of the Government of India, all documents covered under section 3(3) of the Official Language Act, 1963 were issued both in Hindi and English. Annual Programme 2023-24 and other orders/instructions issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs were forwarded to all the Departments/Sections/Liaison Centres of NSFDC for their compliance. Check Points identified and prepared to ensure compliance of Official Language Policy.

6.1.3 Organizing of Hindi Workshop

During the year, four In-house workshops were conducted on 11.07.2023, 27.10.2023 30.11.2023 and 12.03.2024 for the staff members of NSFDC for improving the skill in using Official Language including encouragement of writing noting and draftingin Rajbhasha Hindi, Hindi Typing in Unicode with Inscript / Transliteration / Google voice typing tools on computer, Filling Hindi QPR, working on e-office in Rajbhasha Hindi, working on MS-office and Excel in Hindi, knowledge of the latestprovisions of the Official Language Policy of Union.

6.1.4 Hindi Diwas and Hindi Pakhwada

During the year, Hindi Diwas was celebrated on 14th September, 2023 in Pune, Maharashtra. As directed by MHA, Hindi Pakhwara started from Pune, Maharashtra and in order to encourage the use of Official Language Hindi in official work amongst officers/staff NSFDC Rajbhasha Hindi Pakhwara was celebrated from 14 to 29 September, 2023 at the Head Office and Liaison Centers of the Corporation.

During the NSFDC Rajbhasha Hindi Pakhwara various competitions like Hindi Noting/Drafting, Hindi Typing Competition on Computer, Hindi Gyan, Hindi story writing, Hindi quiz, Poetry recitation, Picture expression and Antakshari competitions were organized at Head office, Delhi and for LCs. All the winners of various competitions were awarded with cash prize & Certificates.

6.1.5 Hindi Incentive Schemes

For implementation of Official Language Policy and motivate employees for maximum use of Hindi in their official work, NSFDC running different incentive schemes like (1) Mool Hindi Tippan/Alekhan protsahan yojana, (2) Incentive

scheme for awards to officers for giving maximum dictation in Hindi, (3) Hindi Stenography and Typing Incentive Allowance Scheme for doing official work in Hindi, (4) Rajbhasha Chal Shield, (5) Shri Shankar Dayal Singh Rajbhasha Samman Yojana and (6) Samvartee mulyankan puraskar yojana.

6.1.6 Town Official Language Implementation Committee (TOLIC / NARAKAS)

OM No. dated 22.11.1976 of the Department of Official Language. 1/14011/12/76-R.B.(Ka-1), Town Official Language Implementation Committees can be formed in all the cities of the country where there are 10 or more Central Government offices. The committee is constituted with the approval of the Secretary (Official Language) to the Government of India on the basis of proposals received from the Regional Implementation Offices of the Department of Official Language. NSFDC is a member of NARAKAS (Upkram-1) and regularly participates in the meetings held during the year. In every half year, the half yearly progress report of the corporation is sent to NARAKAS & Regional Implementation Offices of the Department of Official Language.

NSFDC participated in the meeting organized by Narakas. Follow-up action is also taken on the discussion held in the meeting and the Narakas Secretariat is informed.

During the reported year Mr. Pukhraj Meena has been awarded 3rd prize in Essay writing competition organized by Hindustan Petroleum Corporation Limited under the NARAKAS (Upkram-1).

NSFDC received award in Hindi Essay Competition organised by HPCL under NARAKAS on 24th November, 2023.

6.1.7 Official Language Inspection of NSFDC by Ministry

During the year, official language related inspection of NSFDC was conducted by Official Language Section, Department of Social Justice and Empowerment, Ministry of Social Justice and Empowerment on 30.11.2023. Apart from the

work of the Official Language Department of the Corporation, inspected the files of other departments of the Corporation, work in Hindi on e-office and email, corporation's board, name plate, information board, library, magazine etc. and all the works were found satisfactory.

6.2 Observance of vigilance awareness week 2023

As per the instructions of the Central Vigilance Commission (CVC), your Corporation observed the Vigilance Awareness Week, 2023 from 30.10.2023 to 5.11.2023 on the theme *"भ्रष्टाचार का विरोध करेंय राष्ट्र के प्रति समर्पित रह"* /*"Say no to corruption; commit to the Nation"*.

Vigilance Awareness Week 2023 began with online 'e-Integrity Pledge' taking by all employees on 30.10.2023 at 11:00 A.M. onwards in all the offices of NSFDC across various zones.

During the Week, Corporation organised various awareness programmes/ workshops/capacity building training in order to sensitize the employees to work towards instituting corruption free philosophy/bring in transparency, maintain absolute integrity and devotion to duty at all times. Posters/Standee/Banners etc.

PIDPI (Public Interest Disclosure and Protection of Informers) posters and banners were prepared and displayed at prominently spots in the premises of the Corporation at Head Office, Liaison Centres and Centres of training partners etc.

Two workshops were organized on 2.11.2023 and 3.11.2023 at your Corporation's Head Office, wherein sessions on Ethics and Transparency in Governance, Disciplinary Proceedings and Preventive Vigilance were taken by Shri Ranjan Kumar, Ex-Faculty Consultant, ISTM, New Delhi.

As part of the outreach activities during the Vigilance Week, Essay-writing Competitions and Slogan Writing/Drawing Competitions were organized in two different schools at Lucknow and Mumbai in association with respective Liaison Centres of your Corporation on 2.11.2023 and 3.11.2023 respectively.

Further, as per the instructions of the Central Vigilance Commission (CVC) and as a prelude to Vigilance Awareness Week 2023, your Corporation also carried out a three-month campaign (from 16.8.2023 to 15.11.2023) highlighting certain preventive vigilance measures as focus areas for all the Ministries/ Departments/ Organizations. The six focus areas included were: (a) Awareness building about PIDPI Resolution, (b) Capacity Building Programmes, (c) Identification and implementation of Systemic Improvement measures, (d) Leveraging of IT for complaint disposal, (e) Updation of Circulars/Guidelines/Manuals, and (f) Disposal of Complaints received before 30.6.2023.

6.3 Implementation of Right to Information Act, 2005

Your Corporation is a Public Authority owned by MOSJ&E. CPIO is appointed by the Management. Present CPIO is Annu Bhogal, General Manager/Company

Secretary implementing the Right to Information Act, 2005 since October, 2005.

(i) Details of Corporation's functions along with its functionaries etc. have been placed on Corporation's Website (www.nsfdc.nic.in).

(ii) Manuals as required under the Act have been updated and put on the Website.

(iii) The Corporation also designated Public Information Officers, Transparency Officer and Appellate Authority as required under the Act.

(iv) This Corporation is implementing RTI online through alignment on RTI online portal managed by DoP&T since its inception in the year 2016-17.

(v) During the year 2023-24, 143 (previous year 99) applications were received. 11 (previous year 8) appeals were received during the year. All applications received during the year were disposed-off within the specified time limit.

(vi) With respect to DOPT's OM No.1/6/2011-IR dated 15.04.2013 as amended vide OM dated 7.11.2019 this Corporation has implemented of suo-motu disclosure under Section 4 of RTI Act, 2005 within the time limit.

(vii) The status of RTI applications as reported to Central Information Commission on-line, in each quarter during the financial year 2023-24 is as given below:-

	Opening Balance at beginning of the Quarter	**No. of applications received as transferred from other PAs u/s 6(3)**	**Received during the Quarter (including cases transferred to other PAs)**	**No. of cases transferred to other PAs u/s 6(3)**	**Decisions where requests/ appeals rejected**	**Decisions where requests/ appeals accepted**
Progress during 1st Quarter (April to June, 2023)						
Requests	2	08	19	08	0	20
First Appeals	0	N.A.	02	N.A.	0	01
Progress during 2nd Quarter (July to September, 2023)						
Requests	1	07	21	02	2	23
First Appeals	1	N.A.	02	N.A.	0	02

Progress during 3rd Quarter (October to December, 2023)						
Requests	2	08	43	13	2	35
First Appeals	1	N.A.	02	N.A.	0	03
Progress during 4th Quarter (January to March, 2024)						
Requests	3	04	33	07	0	22
First Appeals	0	N.A.	05	N.A.	0	03
	Total No. of CAPIOs designated		Total No. of CPIOs designated		Total No. of TOs designated	Total No. of AAs designated
	11		1		1	1

Block II (Details about fees collected, penalty imposed and disciplinary action taken)

	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter
Registration Fee Collected (in Rs.) u/s 7(1)	60	50	0	0
Additional Fee Collected (in Rs.) u/s 7(3)	257	0	0	0

(viii) As per the fourth Quarterly Report on RTI uploaded on the CIC Website, there were 11 RTI application pending as on 31.03.2024. Theses applications were subsequently replied within the stipulated time.

6.4 ANNUAL RETURN

In accordance with the Companies Act, 2013 the annual return in the prescribed format available at https://nsfdc.nic.in/UploadedFiles/other/2024-07-16/annualreturn23-24.pdf

7. PARTICULARS OF EMPLOYEES AND RELATED DISCLOSURES

In terms of the provisions of Section 197(12) of the Act Read with Rules 5(2) 5(3) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, a statement showing the names and particulars of the employees employed throughout the financial year who received remuneration in excess of the limits set out in the said Rules are annexed herewith as **Annexure-VIII**

Disclosures pertaining to remuneration and other details as required under Section 197(2) of the Act read with Rule 5(1) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 are provided in the Annual Accounts.

8. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Medical Health Camp held at Tonk, Rajasthan on 16.04.2023 under CSR initiative

The Corporate Social Responsibility & Sustainability Development (CSR & SD) Policy has been formulated and recommended to the Board. The CSR & SD Policy indicating the activities to be undertaken by the Company has been approved by the Board. The CSR & SD Policy may be accessed on the Company's website at: http://www.nsfdc.nic.in/en/csr.

The Annual Report on CSR activities is annexed at Annexure-IX.

9. THE REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

The Company is committed to maintain the highest standards of corporate governance and adhere to the corporate governance set out by the Companies Act, 2013 and Department of Public Enterprises (DPE). The Report on Corporate Governance forms an integral part of this Report at **Annexure-X**. The requisite certificate from the Auditors of the Company confirming compliance with the conditions of Corporate Governance is attached at **Annexure-XI** to the Report on the Corporate Governance.

10. BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is headed by the Chairman-cum-Managing Director, the Board consisted of 11 members as on 31.03.2024. For further details please refer Report on Corporate Governance annexed to this Annual Report.

11. MEETINGS OF THE BOARD

During the financial year under review, four meetings of the Board of Directors were held. For further details please refer Report on Corporate Governance annexed to this Annual Report.

11.1 Remuneration Committee

During the financial year under review, 14th Remuneration Committee Meeting took place on 25.08.2023 but deferred for want of quorum. Thereafter PRP for Financial Year 2021-22 was approved by Remuneration Committee through circulation on 13.09.2023.

11.2 Audit Committee

The Audit Committee has been constituted in accordance with the requirements of Section 177 of the Companies Act, 2013. The Audit Committee of the Company comprises of Shri Sanjay Pandey, Shri Durga Prasad Rai and Smt. Anjula Singh Mahur. Smt. Annu Bhogal (Company Secretary) is the Secretary of the Audit Committee. During the year all the recommendations made by the Audit Committee were accepted by the Board.

In exercise of powers conferred under Section 462; MCA vide notification GSR 466(E) dated 05.06.2015 exempted Companies u/s 8, from requirement of minimum number of Independent Directors in Audit Committee u/s 177(2).

12. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

In accordance with the provisions of Section 134(5) of the Companies Act, 2013, your Directors state that:-

a. In the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;

b. The Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;

c. The directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provision of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.

d. The directors had prepared the annual accounts on a going concern basis.

e. The directors had laid down internal financial controls to be followed by the company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively.

13. RISK MANAGEMENT

As a part of the implementation of the guidelines on Corporate Governance issued by DPE, a Risk Management Policy was approved by the Board for drawing of appropriate risk assessment, management and minimization framework as also internal risk assessment framework, integrated and aligned with Corporate objectives has been revised by the Board of Director in their 152nd Board Meeting held on 15.11.2019.

Accordingly, the potential risk areas are assessed by the Risk Management Committee comprising of Heads of all Departments of the Corporation and suggested sensitive areas are placed before the Board of Directors and included in the Quarterly Directors Review Report.

14. INTERNAL FINANCIAL CONTROL

The company has in place adequate internal financial controls with reference to financial statements. During the year, such controls were tested and no reportable material weakness in the design or operation was observed.

15. ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)

During the year, 34^{th} AGM was held on 10.11.2023 for adoption of Accounts for the year 2022-23. The entire share capital is held by Hon'ble President of India represented by the Secretary to the Government of India, MOSJ&E, except one share held in the name of Joint Secretary, MOSJ&E. After the approval in AGM, the Annual Accounts for the year 2022-23 were adopted along with Directors' Report.

16. AUDITORS AND AUDITORS REPORT

16.1 STATUTORY AUDITORS

M/s. Davinder Pal Singh & Co., Chartered Accountants, New Delhi, appointed as Statutory Auditors under Section 129(4) of the Companies Act, 2013 by Director General of Audit (Central Expenditure) for the financial year 2023-24. The Statutory Auditor's Report on the Accounts of NSFDC for the year ended 31^{st} March, 2024 along with the replies of the Company has been given in the **Addendum-A & B** to this Report, respectively.

16.2 C&AG AUDIT

The Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under Section 143(6) & (7) of the Companies Act, 2013 through MAB-IV. The comment of the Director General of Audit (Central Expenditure) on the Accounts of NSFDC for the year ended 31^{st} March, 2024 along with the replies of the Company shall be attached as **Addendum-C** to this Report, if any.

17. ACKNOWLEDGEMENT

Your Directors would like to place on record their appreciation for the dedicated services rendered by the employees of your Corporation during the year.

Your Directors wish to place on record their sincere thanks for the continuing support of the Ministry of Social Justice and Empowerment in guiding your Corporation from time to time to achieve better results. Your Directors also wish to place on record their appreciation for the support extended by Department of Company

Affairs, Department of Public Enterprises, Ministry of Finance, Comptroller and Auditor General of India, and for the cooperation of the State-level Scheduled Castes Finance and Development Corporations and other channelizing agencies.

Your Directors are also grateful to various other Government Departments, Agencies and Statutory Auditors to the Corporation for their continued guidance and support.

For and on behalf of the Board of Directors

Date : 30.08.2024
Place : Delhi

(Rajnish Kumar Jenaw)
Chairman-cum-Managing Director
DIN : 09056584

Annexure-I
(See Para 1.5)

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION, DELHI

ORGANIZATIONAL CHART (As on 31.03.2024)

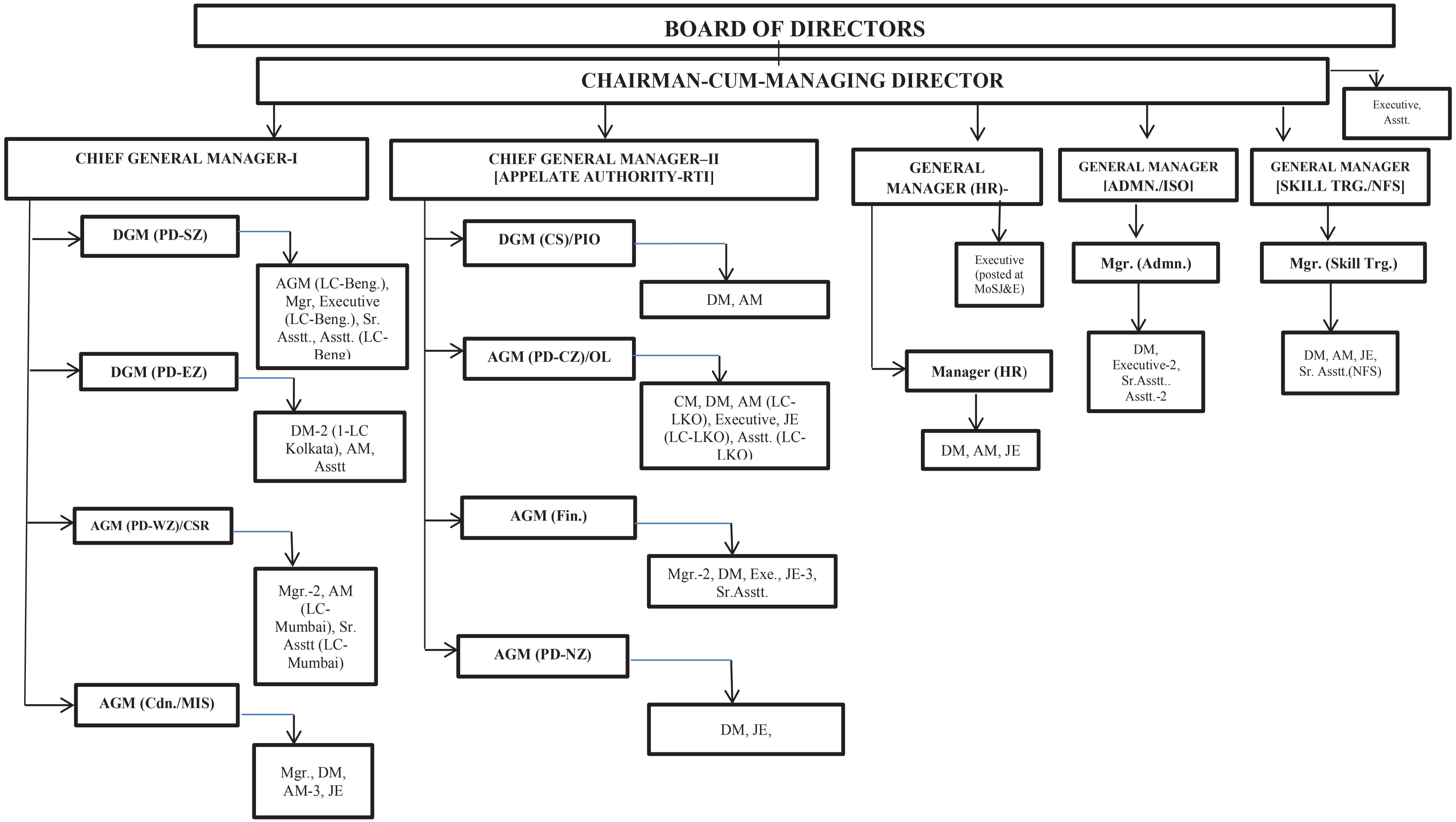

Liaison Centres – Bengaluru [AGM, Executive, Asstt.]; **Kolkata** [DGM, DM, Asstt.]; **Lucknow**[AM, JE, Asstt.]; **& Mumbai** [AM, Sr. Asstt.]– **11 Nos.**

Supporting Staff at HO – Sr. Asstt. (3)- Under posting; Driver-SG (2), Assistant (2) & Junior Assistant – SG (1)

ANNEXURE-II (A)
(See Para 1.7)
(1 of 2)

STATE/UT-WISE LIST OF STATE CHANNELISING AGENCIES

Sl. No	State/UT	Name of Channelizing Agency
1.	Andhra Pradesh	1. Andhra Pradesh Scheduled Castes Co-operative Finance Corporation Ltd. - Amravati 2. Andhra Pradesh State Financial Corporation - Auto Nagar, Vijayawada
2.	Assam	3. Assam State Development Corporation for Scheduled Castes Ltd. – Dishpur *Guwahati*
3.	Bihar	4. Bihar State SCs Co-operative Development Corporation Ltd. – Baily Road Patna.
4.	Chhattisgarh	5. Chhattisgarh State Antavasayee Sahkari Finance & Development Corporation. - Naya Raipur
5.	Goa	6. Goa State SCs & OBCs Development Corporation Ltd. - Panaji
6.	Gujarat	7. Gujarat Scheduled Castes Development Corporation. - Gandhinagar 8. Dr. Ambedkar Antyodaya and Development Corporation. - Gandhinagar
7.	Haryana	9. Haryana Scheduled Castes Finance and Development Corporation Ltd. –Chandigarh
8.	Himachal Pradesh	10. Himachal Pradesh SCs & STs Development Corporation. - Solan
9.	Jharkhand	11. Jharkhand State Scheduled Castes Co-operative Development Corporation.- Ranchi
10.	Jammu & Kashmir	12. Jammu & Kashmir SCs, STs & OBCs Development Corporation Ltd. – Srinagar (May to October) & Jammu (November to April)
11.	Karnataka	13. Dr. B.R. Ambedkar Development Corporation Limited.- Bangalore
12.	Kerala	14. Kerala State Development Corporation for SCs & STs Ltd. - Thrisur 15. Kerala State Women's Development Corporation. - Thiruvananthapuram
13.	Madhya Pradesh	16. Madhya Pradesh State Co-operative SCs Fin. & Development Corporation. - Bhopal
14.	Maharashtra	17. Mahatma Phule BCs Development Corporation Ltd. - Mumbai 18. Sahityaratna Lokshahir Annabhau Sathe Development Corporation. - Mumbai 19. Sant Rohidas Leather Industries & Charmakar Development Corporation. - Mumbai
15.	Manipur	20. Manipur Tribal Development Corporation Ltd. - Imphal 21. Manipur State STs & SCs Development Co-operative Bank Ltd. - Imphal
16.	Meghalaya	22. Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd. – Shillong
17.	Mizoram	23. Mizoram Urban Co-operative Development Bank Ltd. - Aizawl 24. Mizoram Khadi & Village Industries Board. - Aizawl
18.	Odisha	25. Odisha SCs & STs Development Finance Co-operative Corporation Ltd. - Bhubaneswar
19.	Punjab	26. Punjab Scheduled Castes Land Development & Finance Corporation. – Chandigarh

ANNEXURE-II (A)
(See Para 1.7)
(2 of 2)

Sl. No	State/UT	Name of Channelizing Agency
20.	Rajasthan	27. Rajasthan SCs & STs Finance & Development Co-operative Corporation. Jaipur
21.	Sikkim	28. Sikkim SCs, Tribes & Backward Classes Development Corporation. - Gangtok
22.	Tamil Nadu	29. Tamil Nadu Adi Dravidar Housing & Development Corporation. - Chennai
23.	Tripura	30. Tripura Scheduled Castes Co-operative Development Corporation Ltd. - Agartala
24.	Uttar Pradesh	31. Uttar Pradesh Scheduled Castes Finance & Development Corporation Ltd.- Lucknow
		32. Uttar Pradesh Sahkari Gram Vikas Bank Ltd. - Lucknow
25.	Uttarakhand	33. Uttarakhand Bahu-udeshiya Vitta Evam Vikas Nigam - Dehradun
26.	West Bengal	34. West Bengal SCs, STs & OBCs Development & Finance Corporation. - Kolkata
27.	Chandigarh	35. Chandigarh SCs, BCs & Minorities Financial & Development Corporation Ltd. - Chandigarh
28.	Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu	36. DNH, D & Diu SCs/STs/Other BCs & Minorities Financial & Development Corporation. - Silvassa
29.	Delhi	37. Delhi SC/ST/OBC/Minorities & Handicapped Financial & Development Corporation Ltd. – Rohini, New Delhi
30.	Puducherry	38. Puducherry Adi Dravidar Development Corporation Ltd.- Puducherry

Note: The State/UTs namely Arunachal Pradesh, Nagaland, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands do not have Scheduled Castes population as per Census, 2011 data, and therefore, have not been included in the statement.

ANNEXURE-II (B)
(See Para 1.7)
(1 of 3)

LIST OF CHANNELISING AGENCIES – ALTERNATE CHANNEL

Sl. No.	State/UT	Name of Channelizing Agency	
1.	Andhra Pradesh	1.	Chaitanya Godavari Grameena Bank. - Guntur
		2.	Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank. - Warangal
		3.	Sapthagiri Grameena Bank. - Chittoor
		4.	Andhra Pragati Grameena Bank. - Kadapa
		5.	StreeNidhi – Vijayawada
2.	Assam	6.	Grameen Development & Finance Private Limited. - Dubjeni Chhaygaon Kamrup
		7.	Assam GraminVikas Bank. - Guwahati
		8.	North Eastern Development Finance Corporation. – Dispur, Guwahati
		9.	Konoklata Mahila Urban Cooperative Bank - Gar-Ali, Jorhat
3.	Bihar	10.	Dakshin Bihar Gramin Bank. - Patna
		11.	Uttar Bihar Gramin Bank. - Muzaffarpur
4.	Chhattisgarh	12.	Chhattisgarh Rajya Gramin Bank. - Raipur
5.	Delhi	13.	Punjab National Bank (PAN India). - Dwarka New Delhi
		14.	Punjab & Sind Bank (PAN India). - East Kidwai Nagar , New Delhi
6.	Gujarat	15.	Baroda Gujarat Gramin Bank. - Vadodara
		16.	Shri Mahila SEWA Sahkari Bank Limited. - Ellisbridge, Ahmedabad
		17.	Saurashtra Gramin Bank. - Rajkot
		18.	Bank of Baroda (PAN India). – Alkapuri, Baroda
		19.	Pahal Financial Services Pvt. Ltd., - Ahmedabad
7.	Haryana	20.	Sarva Haryana Gramin Bank. - Rohtak
		21.	Satin Creditcare Network Ltdl.,- Gurgaon
8.	Himachal Pradesh	22.	Himachal Pradesh Gramin Bank. - Mandi
9.	Jammu & Kashmir	23.	J & K Grameen Vikas, - Jammu
		24.	Ellaquai Dehati Bank, - Srinagar
10.	Jharkhand	25.	Jharkhand Rajya Gramin Bank. - Dumka
		26.	Jharkhand Silk, Textiles & Handicrafts Development Corporation. - Ranchi

ANNEXURE-II (B)
(See Para 1.7)
(3 of 2)

Sl. No.	State/UT	Name of Channelizing Agency	
10.	Jharkhand	25.	Jharkhand Rajya Gramin Bank. - Dumka
		26.	Jharkhand Silk, Textiles & Handicrafts Development Corporation. - Ranchi
11.	Karnataka	27.	Karnataka Vikas Grameena Bank - Dharwad,
		28.	Karnataka Gramin Bank – Musure
		29.	Canara Bank (PAN India) - Bengaluru
12.	Kerala	30.	Kerala Gramin Bank - Malappuram
13.	Maharashtra	31.	Maharashtra Gramin Bank - Aurangabad
		32.	Vidharba Konkan Gramin Bank - Nagpur
		33.	Anik Financial Services Private Limited - Latur
		34.	Union Bank of India (PAN India) - Mumbai
		35.	Bank Of India (PAN India) - Mumbai
		36.	Bank of Maharashtra (PAN India) - Pune
		37.	Central bank of India (PAN India) - Mumbai
14.	Madhya Pradesh	38.	Madhyanchal Gramin Bank - Sagar
		39.	Madhya Pradesh Gramin Bank - Indore
15.	Manipur	40.	Manipur Rural Bank - Imphal
16.	Mizoram	41.	Mizoram Rural Bank - Aizawl
17.	Meghalay	42.	Meghalaya Regional Rural Bank - Shillong
18.	Odisha	43.	Sambandh Finserve Pvt. Ltd. - Rourkela, Sundargarh
		44.	Utkal Grameen Bank, - Bhubaneswar
19.	Puducherry	45.	Puduvai Bharathiar Grama Bank - Puducherry
20.	Punjab	46.	Punjab Gramin Bank - Kapurthala
		47.	Midland Microfin Ltd., - Ludhiana
21.	Rajasthan	48.	Rajasthan Marudhara Gramin Bank - Jodhpur
		49.	Baroda Rajasthan Kshetrya Gramin Bank - Ajmer
22.	Tamil Nadu	50.	Indian Overseas Bank (PAN India) - Chennai
		51.	Indian Bank (PAN India) - Chennai
		52.	Tamil Nadu Grama Bank - Salem
23.	Telangana	53.	Telangana Grameena Bank - Hyderabad
		54.	Stree Nidhi Credit Co-operative Federation Limited - Hyderabad
24.	Tripura	55.	Tripura Gramin Bank - Agartala

ANNEXURE-II (B)
(See Para 1.7)
(3 of 3)

Sl. No.	State/UT	Name of Channelizing Agency	
25	Uttar Pradesh	56.	Aryavart Bank - Lucknow
		57.	Baroda UP Gramin Bank - Raebareli
		58.	Prathama UP Gramin Bank - Moradabad
		59.	Small Industries Development Bank of India (SIDBI) - Lucknow
26	Uttarakhand	60.	Uttarakhand Gramin Bank - Dehradun
27	West Bengal	61.	Paschim Banga Gramin Bank - Howrah
		62.	ASA International Microfinance Ltd – Salt lake Kolkata
		63.	Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank - Cooch Behar

Annexure-III
[See Para 2.1.2(C)(i)]
(1 of 2)

ACHIEVEMENTS OF MOU PARAMETERS (2023-24) (Provisional)

Sl. No.	Performance Criteria	Unit	Weightage	"Excellent" Target	Achievements
(i)	Revenue from Operations	Rs. in Crore	8	92.83	68.65
(ii)	Total Number of New Beneficiaries	Nos.	5	100786	85372
(iii)	Number of persons trained under PM-DAKSH (Ministry Scheme)	Nos.	5	21100	30660
(iv)	EBTDA as a percentage of Revenue	%age	10	69.96	61.67
(v)	Return on Net Worth	%age	15	2.78	2.08
(vi)	Asset turnover ratio	%age	5	3.83	3.23
(vii)	Loans disbursed to Total Funds available	%age	10	100	97.58
(viii)	Loan disbursed to Micro Finance Beneficiaries	%age	10	53.08	53.85
(ix)	Overdue loans to Total Loans	%age	5	0.00	17.84
(x)	NPA to Total Loans	%age	5	0.00	0.73
(xi)	Geographical coverage	%age	5	100	90.62
(xii)	Last Mile disbursement to ultimate beneficiary	%age	10	100	77.30
(xiii)	Acceptance / Rejection of Goods & Services through TReDS Portal within specified time	%age	5	100	0
(xiv)	GeM Procurement as per approved procurement plan.	%age	2	100	92.30
			100		

Note: The above achievements are compiled as per the data/information provided by the concerned Department viz. MIS, Finance, HR, Admn and Skill training.

ANNEXURE-IV
[See Para 2.1.15]

STATE/UT-WISE ABSTRACT UNDER SKILL DEVELOPMENT TRAINING PROGRAMMES COMMENCED AND COMPLETED UNDER PM-DAKSH YOJANA DURING THE FINANCIAL YEAR 2023-24

Sl. No.	State/UT	Commenced (No. of Persons)	Completed (No. of Persons)
1.	ANDHRA PRADESH	190	160
2.	ASSAM	1198	540
3.	BIHAR	841	329
4.	CHHATTISGARH	153	0
5.	DELHI	143	30
6.	GUJARAT	266	86
7.	HARYANA	699	286
8.	HIMACHAL PRADESH	300	240
9.	JAMMU & KASHMIR	180	120
10.	JHARKHAND	373	0
11.	KARNATAKA	925	210
12.	KERALA	25	0
13.	LADAKH	30	0
14.	MADHYA PRADESH	6231	1588
15.	MAHARASHTRA	3773	633
16.	ODISHA	385	30
17.	PUDUCHERRY	30	0
18.	PUNJAB	1038	300
19.	RAJASTHAN	2989	559
20.	TAMIL NADU	1415	320
21.	TELANGANA	510	60
22.	TRIPURA	202	20
23.	UTTAR PRADESH	8114	2086
24.	UTTARAKHAND	570	190
25.	WEST BENGAL	80	20
	Total	**30660**	**7807**

ANNEXURE – V
(See Para 5.2)

REPRESENTATION OF THE PERSON WITH BENCHMARK DISABILITIES (AS ON 1st January, 2024)

Group	Number of Employees				Direct Recruitment							Promotion						
					No. of vacancies reserved			No. of Appointments Made				No. of vacancies reserved				No. of Appointments Made		
	Total	VI	HI	LD	VI	HI	LD	Total	VI	HI	LD	VI	HI	LD	To-tal	VI	HI	LD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Group 'A'	45	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Group 'B'	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Group 'C'	25	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	77	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Note: The overall Representation of Person with Benchmark Disabilities (PwBDs) is 3.89%.

ANNEXURE-VII
(See Para 5.2)
SC/ST/OBC REPORT -I

ANNUAL STATEMENT SHOWING THE REPRESENTATION OF SCs, STs and OBCs AS ON FIRST JANUARY OF THE YEAR AND NUMBER OF APPOINTMENTS MADE DURING THE PRECEDING CALENDAR YEAR

Name of the Public Sector Enterprise: **National Scheduled Castes Finance and Development Corporation, Delhi**

Groups	Representation of SCs/STs/OBCs (As on 01.01.2024)				Number of appointments made during the calendar year 2023									
					By Direct Recruitment				By Promotion			By Deputation/ Absorption		
	Total no. of employ-ees	SCs	STs	OBCs	Total	SCs	STs	OBCs	Total	SCs	STs	Total	SCs	STs
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Group 'A' Managerial/ Executive Level*	45	12	03	07	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Group 'B' Non-Supervisory Staff	07	04	01	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Group 'C' Non-Executive Staff (Excluding Sweepers)	25	12	01	07	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Total	**77**	**28**	**5**	**15**	**2**	-	-	**1**	**1**	-	-	-	-	-

* Including CMD.

ANNEXURE-VII
(See Para 5.2)
SC/ST/OBC REPORT -I

ANNUAL STATEMENT SHOWING THE REPRESENTATION OF SCs, STs and OBCs AS ON FIRST JANUARY OF THE YEAR AND NUMBER OF APPOINTMENTS MADE DURING THE PRECEDING CALENDAR YEAR

Name of the Public Sector Enterprise: **National Scheduled Castes Finance and Development Corporation, Delhi**

Groups	Representation of SCs/STs/OBCs (As on 01.01.2024)				Number of appointments made during the calendar year 2023									
					By Direct Recruitment				By Promotion			By Deputation/ Absorption		
	Total no. of employees	SCs	STs	OBCs	Total	SCs	STs	OBCs	Total	SCs	STs	Total	SCs	STs
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Group 'A' Managerial/ Executive Level*	45	12	03	07	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Group 'B' Non-Supervisory Staff	07	04	01	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Group 'C' Non-Executive Staff (Excluding Sweepers)	25	12	01	07	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Total	77	28	5	15	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-

* Including CMD.

ANNEXURE-VIII
(See Para 7)

Particulars of employees as required under Rule 5(2) of Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 for the year ended 31st March, 2024

a) **Employed throughout the financial year under review and were in receipt of remuneration for the financial year in aggregate of not less than Rs. 1,02,00,000/-**

S. No.	Name and Age	Designation & Nature of Duties	Remuneration received	Qualification	Experience (Yrs)	Date of joining	Previous employment held	Percentage of equity shares held by the employee in the Company within the meaning of sub – clause (iii) of clause (a) of sub-section (2A) of Section 217 of the Act
NIL								

b) Employed for part of the year and were in receipt of remuneration at the rate of not less that Rs. 8,50,000/- per month

S. No.	Name and Age	Designation & Nature of Duties	Remuneration received	Qualification	Experience (Yrs)	Date of joining	Previous employment held	Percentage of equity shares held by the employee in the Company within the meaning of sub – clause (iii) sub-rule (2) above	whether any such employee is a relative of any director or manager of the company and if so, name of such director or manager
NIL									

Notes:

1. The terms and conditions of all above appointments are as per Company's Rules.
2. Remuneration received includes salary, other allowances and bonus in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and the Rules made therefore.
3. if employed throughout the financial year or part thereof, as in receipt of remuneration in that year which, in the aggregate, or as the case may be, at a rate which, in the aggregate, is in excess of that drawn by the managing director or whole-time director or manager and holds by himself or along with his spouse and dependent children, not less than two percent of the equity shares of the company.

ANNEXURE-IX
(See Para 8)

Annual CSR Compliance Report Financial year 2023-24
(Pursuant to Section 135 of the Companies Act, 2013 & Rules made thereunder)

1. **Brief outline on CSR Policy of the Company**

The aim of the Policy is to ensure that the Corporation becomes a socially responsible corporate entity by contributing towards inclusive growth and equitable development in society and improving the quality of life of the socio-economically backward communities through development programmes and other innovative initiatives.

The CSR&SD activities proposed in the Annual plan has been be prepared in line with the relevant notification/circulars issued by the concerned Ministries/DPE. Any project / program which benefit the employees or their families shall not be considered as CSR&SD activities.

All proposal for CSR&SD activities shall be first examined by the Internal Committee for CSR&SD constituted by the CMD, NSFDC. Suitable proposals are put up to CSR&SD committee of Directors in case cost exceed Rs. 40 lakh for their consideration following the due approval process in NSFDC.

Activities carried out under the NSFDC's Corporate Social Responsibility shall be related to activities included in the Schedule VII of the Companies Act.

2. **Composition of CSR Board level Committee**

Sl. No	DIN of Director	Name of Director	Designation/Nature of Directorship.	Number of meetings of CSR Committee held during the year.	Number of meetings of CSR Committee attended during the year.
1	09056584	Rajnish Kumar Jenaw	Chairman-cum-Managing Director	2	2
2	06804536	S.M. Awale	Director	2	1
3	09453376	Durga Prasad Rai	Independent Director	2	2
4	06644859	Anjula Singh Mahur	Independent Director	2	2

3. The web-link where Composition of CSR committee, CSR Policy and CSR projects approved by the board are has been disclosed is www.nsfdc.nic.in.
4. The executive summary along with web-link(s) of Impact Assessment of CSR Projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8, is **Not Applicable.**

(Amount Rs. lakh)

(a) Average net profit of the company as per section 135(5).	4807.03
Two percent of average net profit of the company as per section 135(5)	96.14
(c) Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years.	88.88
(d) Interest earned on Unspent fund	3.50
(e) Total CSR obligation for the financial year [(b) + (c)+(d)	188.52

5. Amount spent on CSR Projects (both Ongoing Project)

A: Spent pertaining to previous year:

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	
Sr. No.	Project ID / File No.	Financial year to which the new project pertains	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act	Name of the Project	Local area (Yes/ No)	Location of the Project		Project Duration (in months)	Amount spent in the current financial year (in Rs.)	Mode of implementation Direct (Yes/No)	Mode of Implementation – through Implementing Agency	
						District.	State				CSR Registration number	Name
1.	NSFDC/CSR/22-23/E-65152/Udaipur Raj./	2022-23	Clause i (v)	Construction of toilets & Bathrooms in Udaipur Hostel	Yes	Udaipur	Rajasthan	36 months	365000	No	CSR00041278	Shree Jagarati Seva Sansthan, Udaipur
2.	NSFDC/CSR/HMA/22-23/E-55300/Pan India./	2022-23	Clause i (v)	Sanitary Vending Machines & incinerator	Yes	Pan India	Pan India	36 months	394173	No	CSR00004546	HLL Management Academy
3.	NSFDC/CSR/MHC/Pan India /22-23/E-69424	2022-23	Clause i (iv)	30 Health Camp in Total 30 districts in which 28 Aspirational districts & 02 Backward districts in 09 States	Yes	Pan India	Pan India	36 months	164700	No	CSR00000560	Netram Eye Foundation
4.	NSFDC/CSR/PBCM/Swawlamban/Pan India /22-23/E-69494	2022-23	Clause iv(i)	03 Bottle crushing machines	Yes	Sonipat & Delhi	Haryana & Delhi)	36 months	79815	No	CSR00001968	Swawlamban
5.	NSFDC/CSR/MHC/Pan India /22-23/E-70023	2022-23	Clause i (iv)	Health Camp in 10 Aspirational districts in 02 States	Yes	Pan India	Pan India	36 months	164700	No	CSR00010248	HLFPPT
6.	NSFDC/CSR/Board meeting/46195	2022-23	Clause i (v)	CSR Contribution to PM CARE Fund	Yes	Pan India	Pan India	36 months	3315069	Yes	Not Applicable	NSFDC
7.	NSFDC/CSR/Board meeting/46195	2022-23	Clause i (v)	CSR Contribution to PM CARE Fund	Yes	Pan India	Pan India	36 months	3000	Yes	Not Applicable	NSFDC
8.	NSFDC/CSR/MMBA/RAJ/06/E-44537	2020-21	Clause i (iv)	Ration ket distribution to Non Ration Card daily wage	Yes	Barmer	Rajasthan	36 months	56250	No	CSR00007875	Mahila Mandal Barmer Agor
	Sub Total amount spent during 2023-24 w.r.t. Previous Year								**4925117**			

B: Spent Against Sanction made in 2023-24:

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	
Sr. No.	Project ID / File No.	Financial year to which the new project pertains	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act	Name of the Project	Local area (Yes/ No)	Location of the Project		Project Duration (in months)	Amount spent in the current financial year (in Rs.)	Mode of imple-menta-tion Direct (Yes/ No)	Mode of Implementation – through Implementing Agency	
						District.	State				CSR Registra-tion number	Name
1.	NSFDC/CSR/MHC/ NEF/TONK/23-24/E-71213	2023-24	Clause i (iv)	Medical Health Camp	Yes	Tonk	Rajesthan	36 months	38430	No	CSR00000560	Netram Eye Foundation
2.	NSFDC/CSR/PBCM/ Swawlamban/ PanIndia /23-24/E-75517	2023-24	Clause iv(i)	Plastic Bottle Crushing Machine	Yes	Ujjain Dehradun Gorakpur, Delhi	Delhi. MP.UP, UKD	36 months	1064000	No	CSR00001968	Swawlamban
3.	NSFDC/CSR/SWAC-CHTA/DEL/23-24/E-77427	2023-24	Clause i (iv)	Swacchta Pakhwada	Yes	Delhi	Delhi	36 months	9279	Yes	Not Applicable	NSFDC
4.	NSFDC/CSR/SHS/ DEL/23-24/E-79103	2023-24	Clause i (iv)	Swacchta Hi Sewa Proge-amme 0.3	Yes	Delhi	Delhi	36 months	21971	Yes	Not Applicable	NSFDC
5.	NSFDC/CSR/SHS/ DEL/23-24/E-79316	2023-24	Clause i (iv)	Swacchta Hi Sewa Pro-geamme 0.3 (03-31 Oct)	Yes	Delhi	Delhi	36 months	33600	No	CSR00001968	Swawlamban
6.	NSFDC/CSR/UTEN-SILS/LPS/U.P/2-2/E-78065	2023-24	Clause i (vii)	Purchase of Utensils for food distribu-tion	Yes	Prayagraj	Uttar Pradesh	36 months	159006	No	CSR00046333	Lok Prayash Society
7.	NSFDC/CSR/ RKS/C- HALL/ M.P/23-24/E-79329	2023-24	Clause i (v)	Construction of Commu-nity Hall	Yes	Tikamgarh	M.P	36 months	1242116	No	CSR00061441	Rogi Kalyan Samiti
8.	NSFDC/CSR/ R.O&S.P/U.P/23-24/E-79449	2023-24	Clause i (v)	Installation of R.O Plant & Solar Panel	Yes	Hathras	Uttar Pradesh	36 months	386633	No	CSR00010248	HLFPPT
9.	NSFDC/CSR/PBCM/ Swawlamban/ Ayodhya/23-24/E-80244	2023-24	Clause iv(i)	Plastic Bottle Crushing Machine	Yes	Ayodhya	Uttar Pradesh	36 months	532000	No	CSR00001968	Swawlamban
10.	NSFDC/CSR/KSB/ DEL/23-24/E-81357	2023-24	Clause i (v)	Education grant for the dependents of EMS upto havildar	Yes	Delhi	Delhi	36 months	200000	No	CSR00011199	Kendriya Sanik Board
	Sub Total amount spent during 2023-24 pertaining to 2023-24 sanction								**3687035**			
	Total amount (A+B)								**8612152**			

C: Details of CSR amount spent against other than ongoing projects for the financial year: Nil

(Amount in Rs.)

1.	Amount spent in Administrative Overheads	Nil
2.	Amount spent on Impact Assessment, if applicable	Not Applicable
3.	Total amount spent for the Financial Year [(a)+(b)+(c)]	86,12,152

1. **CSR amount spent or unspent for the Financial Year:**

Total Amount Spent for the Financial Year. (in Rs.)	Amount Unspent (in Rs.)				
	Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per section 135(6).		Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to section 135(5).		
	Amount	Date of Transfer	Name of the Fund	Amount	Date of Transfer
86,12,152	43,20,039	25.04.2024	PM Care Fund	11,12,388 56,250	24.04.2024 26.06.2024

2. **Excess amount for set off, if any**

Sl. No.	Particulars	(Amount Rs. in lakh)
(i)	Two percent of average net profit of the company as per section 135(5)	96.14
(ii)	Total amount spent for the Financial Year	86.12
(iii)	Excess amount spent for the financial year [(ii)-(i)]	NIL
(iv)	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years, if any	NIL
(v)	Amount available for set off in succeeding financial years [(iii)-(iv)]	NIL

3. **Details of CSR amount Spent/Unspent for the preceding three Financial Years:**

1	2	3	4	5		6
S. No.	Preceding Financial Year(s)	Amount transferred to Unspent CSR Account under Section 135 (6) (Rs.in lakh)	Amount Spent in the current Financial Year (Rs.in lakh)	Amount transferred to a Fund as specified under Schedule VII as per second proviso to Section 135(5), if any		Amount remaining to be spent in succeeding financial years (Rs.in lakh)
				Amount (Rs.in lakh)	Date of transfer	
1	F.Y-2 (20-21)	106.22	152.58	Nil	Nil	60.12
2	F.Y-3 (21-22)	60.12	49.99	Nil	Nil	56.58
3	F.Y-4 (22-23)	56.58	82.70	0.24	16.09.2022	88.88

4. Whether any capital assets have been created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the Financial Year: No

If yes, enter the number of Capital assets created/ acquired.

Furnish the details relating to such asset so created or acquired through CSR spent in the financial year.

(a)	Short particulars of the property or asset(s) [including complete address and location of the property]	-
(b)	Pincode of the property or asset(s)	-
(c)	Date of creation or acquisition of the capital asset(s).	-
(d)	Amount of CSR spent for creation or acquisition of capital asset.	-
(e)	Details of the entity or public authority or beneficiary under whose name such capital asset is registered, their address etc.	-
11.	Specify the reason(s), if the company has failed to spend two per cent of the average net profit as per section 135(5).	During the year 2023-24, the unspent amount is due to release of amount in instalment or in phase wise manner on the basis of proportionate/required, completion of the project. Efforts have been made to sanction to the extent of allocable surplus. Proposals in context to CSR theme & asset creation were processed.

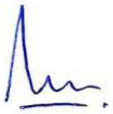

General Manager (CSR)

Chairman
(CGM & SD Internal Committee)

Chairman cum Managing Director

ANNEXURE-X
(See Para 9)
(Page 1 of 7)

THE REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1. Statement Of Company's Philosophy on Code of Corporate Governance

Corporate Governance encompasses a set of systems and practices to ensure that the Company's affairs are being managed in a manner which ensures accountability, transparency and fairness in all transactions in the widest sense. Adequate opportunity is given to the shareholders to participate in the governance of the company.

Although, the developmental parameters of the Scheduled Castes have improved since 2001, the gap between mainstream and Scheduled Castes population still persists in the society. Despite rapid development, financial exclusion, unacceptable poverty levels, unemployment, declining income levels from traditional agricultural activities and lack of skills have remained the major challenges in the economic development of Scheduled Castes. NSFDC also aspire to further integrate elements of good governance in its own operations.

2 Board of Directors

2.1 Board Composition And Category of Directors

The Directors are appointed by the President of India through Administrative Ministry in the Company. There are 15 sanctioned posts in the Board of Directors. The Board consisted of 11 members as on 31.03.2024 out of which three are woman director.

The composition of the Board and category of Directors are as follows:-

Category	Name of Directors	In the capacity of
Whole time, Executive, Managing Director	Shri Rajnish K. Jenaw	Chairman-cum-Managing Director
Government Directors:-		
Representing MOSJ&E	Shri Sanjay Pandey Shri Biswaranjan Sasmal	JS & FA, MOSJ&E JS, MOSJ&E
Representing other agencies	Shri S.M. Awale	Representative of IDBI
Non-Official Director	Smt. Anjula Singh Mahur Shri Durga Prasad	Independent Director Independent Director
Representing Ministry of Finance	Shri Gurdeep Singh Manaktahla	Director
Representing MSME	Smt. Sudha Keshari	Director
Representing AFC India Ltd.	Shri Mashar Velapurath	Director
Representing SCAs	Shri Dhammajyoti Ramdas Gajbhiye Smt. Geeta Bharti	Director Director

ANNEXURE-X
(See Para 9)
(Page 2 of 7)

2.2 Remuneration to Directors

2.2.1 Whole Time Executive, Managing Director

Being a Central Government Public Sector Enterprise, the appointment, tenure and remuneration of Chairman-cum-Managing Director is decided by the Government of India. The Government letter appointing Chairman-cum-Managing Directors indicate the detailed terms & condition of their appointment, including the period of appointment, scale of pay etc. and it also indicates that in respect of other terms and conditions not cover in the letter, the relevant rules of the Corporation shall apply.

2.2.2 Ex-Officio Part Time Government Directors

Ex-officio Part Time Government Directors are not paid any remuneration and also not paid sitting fees for attending Board/Committee Meetings. None of the Government Directors have any pecuniary relationship or transactions with the Company during the year.

2.2.3 Non-Official Directors

Independent Directors are not paid any remuneration except reimbursement of expenses on official visits to beneficiaries & training institutes. The Board in its 150th Board Meeting held on 20.03.2019 approved and fixed the rate of sitting fees at Rs.4000/- per day for attending the Board Meetings/Committee Meetings to the Independent Directors.

The sitting fees paid to Independent Directors during the year is given in the table below:-

Date of Board / Committee Meeting	No. of Board Meeting/Committee Meeting	Sitting Fees Paid (in Rs.)	
		Smt. Anjula Singh Mahur	Shri Durga Prasad Rai
30.05.2023	164th Board Meeting / 20th Audit Committee Meeting / 15th CSR Committee Meeting	4000/-	4000/-
25.08.2023	165th Board Meeting / 21st Audit Committee Meeting	4000/-	-
18.12.2023	166th Board Meeting / 22nd Audit Committee Meeting / 16th CSR Committee Meeting	4000/-	4000/-
14.02.2024	167th Board Meeting	-	4000/-
Total		12000/-	12000/-

ANNEXURE-X
(See Para 9)

2.2.4 Training to Independent Directors

During the year two Independent Directors on the Board of your Company were nominated for a Residential Training held by Department of Public Enterprises on 21 st to 22 nd March, 2024 at Varnasi, Uttar Pradesh. However, due to exigencies of work Smt. Anjula Singh Mahur did not visit Varanasi for training. Shri Durga Prasad Rai attended the two days training program on Corporate Governance.

2.2.5 Code of Conduct

NSFDC follows a well-defined Code of Conduct, which fairly addresses the issues of integrity, conflict interest and confidentiality and stresses the need of ethical conduct, which is the basis of good governance. Code of Conduct as applicable to Board level and below Board level i.e. one grade below Board level up to General Manager Cadre is in existence and has been acknowledge by all the members of the Board / Chief General Manager / General Manager(s) for the reporting year.

3 Board/Committee Meetings and Procedures

Board of Directors is the apex body constituted for overseeing the Company's overall functioning. The Board provides and evaluates the Company's strategic direction, management policies and their effectiveness, and ensures that shareholders' (Government of India) long-term interests are being served.

While constituting the Committee of Directors, the requirements that a Director shall not be a member of more than 10 committees and Chairman of not more than 5 committees have been ensured and complied with. None of the Non-Official Directors serves as a Non-Official Directors in any listed company.

3.1 No. of Board Meetings held with dates:

During the year, Four Board meetings were held during the year, as against the minimum statutory requirement of eight meetings (in case of Section 8 Companies). The details of Board meetings are given below:-

Board Meeting	Date	Board Strength	No. of Directors Present
164th	30.05.2023	06	05
165st	25.08.2023	05	03
166nd	18.12.2023	05	04
167rd	14.02.2024	11	07

ANNEXURE-X
(See Para 9)
(Page 4 of 7)

3.2 Attendance of Directors at Board Meetings

Name of Directors	From	To	No. of Meetings held during tenure (2023-24)	No. of meetings attended during tenure (2023-24)
Shri Rajnish K. Jenaw	01.01.2021	Till date	4	4
Shri Sanjay Pandey	18.07.2019	01.04.2024	4	3
Smt. Kalyani Chadha	27.04.2022	04.08.2023	1	1
Shri Shalil M. Awale	04.06.2015	Till date	4	2
Smt. Anjula Singh Mahur	06.12.2021	Till date	4	2
Shri Durga Prasad Rai	29.12.2021	Till date	4	3
Shri Dhammajyoti Ramdas Gajbhiye	18.12.2023	Till date	1	1
Smt. Geeta Bharti	18.12.2023	Till date	1	1
Smt. Sudha Keshari	18.12.2023	Till date	1	-
Shri Mashar Velapurath	18.12.2023	Till date	1	1
Shri Gurdeep Singh Mana-ktahla	22.01.2024	Till date	1	-
Shri Biswaranjan Sasmal	09.02.2024	Till date	1	1

3.3 Appointment & Cessation of Directors

During the year the following changes took place in the Board of Directors:-

Sl No.	Name of Director	From	To
1.	Smt. Kalyani Chadha	27.04.2022	04.08.2023
2.	Shri Sanjay Pandey	18.07.2019	01.04.2024
3.	Shri Dhammajyoti Ramdas Gajbhiye	18.12.2023	-
4.	Smt. Geeta Bharti	18.12.2023	-
5.	Smt. Sudha Keshari	18.12.2023	-
6.	Shri Mashar Velapurath	18.12.2023	-
7.	Shri Gurdeep Singh Manaktahla	22.01.2024	-
8.	Shri Biswaranjan Sasmal	09.02.2024	-

ANNEXURE-X
(See Para 9)
(Page 5 of 7)

3.4 Recording Minutes of Proceedings at Board and Committee Meetings

The Company Secretary records minutes of proceedings of each Board and Committee Meeting. Draft minutes are circulated to Board members for their comments. Subsequently decisions taken at Board/Committee Meetings are communicated to the concerned departments promptly for actions and an Action Taken Report on the status of the decision taken at the Board / Committee Meetings is placed, for the information, to the Board / Committee Members in the next meeting.

4 Audit Committee

The Audit Committee has been constituted in accordance with the requirements of Section 177 of the Companies Act, 2013. The Audit Committee of the Company comprises of Shri Sanjay Pandey, Shri Durga Prasad Rai and Smt. Anjula Singh Mahur. Smt. Annu Bhogal (Company Secretary) is the Secretary of the Audit Committee. During the year all the recommendations made by the Audit Committee were accepted by the Board. The Audit Committee met three times on 30.05.23, 25.08.2023 and 18.12.2023 during the financial year 2023-24.

Corporation is registered under Section-8 of the Companies Act, 2013 (earlier Section-25 of the Companies Act, 1956) as a Company not for profit. In exercise of powers conferred under Section 462; MCA vide notification GSR 466(E) dated 05.06.2015 exempted Companies u/s 8, from requirement of minimum number of Independent Directors in Audit Committee u/s 177(2).

Since the Company does not fall under the definition of listed Public Company, the provision of the constitution of the Audit Committee was not applicable to the Corporation. However, keeping in view the Corporate Governance guidelines for CPSEs issued by DPE, Audit Committee of the Board was constituted on 14.01.2016 as per terms of reference, prescribed by DPE.

5. CSR Committee

The Corporate Social Responsibility Committee has been constituted in line with Section-135 and Schedule-VII of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Corporate Social Responsibility) Rules, 2014. The present CSR Committee comprises of Shri Rajnish K. Jenaw (Chairman), Shri S.M. Awale (Member), Shri Durga Prasad Rai (Member w.e.f. 29.12.2021) and Smt. Anjula Singh Mahur(Member w.e.f. 06.12.2021). The role of CSR Committee should interalia include the following:

ANNEXURE-X
(See Para 9)
(Page 6 of 7)

(i) Formulation & recommendation of CSR Policy to the Board.

(ii) Recommendation of CSR Expenditure.

(iii) Monitoring & implementation of CSR Projects

The Committee met two during the year under review on 30.05.2023 and 18.12.2023.

6. Annual General Meeting

During the preceding three years, 32nd, 33rd and 34th Annual General Meeting were held at Chamber of Secretary, Ministry of Social Justice & Empowerment, 6th Floor, ('A'-Wing) Shastri Bhawan, New Delhi.

The date and time of Annual General Meetings held during last three years and the special resolution(s) passed thereat are as follows:-

AGM	Year	Date	Time	Special Resolution Passed
32nd	2020-21	26.11.2021	1.00 P.M.	NIL
33rd	2021-22	06.12.2022	5.00 P.M.	NIL
34th	2022-23	10.11.2023	12.30 P.M.	NIL

7. Disclosures

7.1 Disclosures on Materially Significant Related Party Transactions that may have potential conflict with the Interests of Company at Large

During the period under review, the Company had not entered into any material transaction with any of its related parties other than pay, allowances and housing loan.

7.2 Details of Non-Compliance by the Company, Penalties, Strictures Imposed On The Company By Any Statutory Authority, on any Matter Related to any Guidelines issued by Government during the last three years

During the period under review, the Company had not been imposed penalty / strictures by any Statutory Authority during the last three years.

ANNEXURE-X
(See Para 9)
(Page 7 of 7)

7.3 Compliance

The Company Secretary, while preparing the agenda, notes on agenda and minutes of the meeting(s), ensure adherence to the Companies Act, 2013 read with Rules issued thereunder, as applicable and the Secretarial Standards recommended by the Institute of Company Secretaries of India. The concerned departmental heads are responsible for all applicable laws and regulations, as per their respective functions.

8. Whistle Blower Policy

The Company promotes ethical behavior in all its business activities and has put in place a mechanism for reporting illegal or unethical behavior. The Company has a Vigil mechanism and Whistle Blower Policy under which the employees are free to report violations of applicable laws and regulations and the Code of Conduct.

9. Means of Communication

The Company displays Annual Report on its website together with other important information pertaining to the Company. Annual Reports and other papers related to shareholders are laid before Lok Sabha and Rajya Sabha regularly. The Company displays official news releases in its website www.nsfdc.nic.in and social media like face-book, instagram, twitter and whatsapp.

During the financial year 2023-23, Shilp Samagam Mela, exhibitions at Dilli Haat & Bharata Mandapam were widely covered in Social Media. The other activities of NSFDC under term loan & Skill Training were highlighted in social media.

10. Compliance Certificate

This report duly complies with the requirements of DPE's Guidelines on Corporate Governance for CPSEs and covers all the suggested items mentioned in Annexure-VII of the Guidelines. The quarterly report on compliance with the Corporate Governance requirements prescribed by DPE is also sent to Administrative Ministry regularly. The certificate obtained from practicing Company Secretary regarding compliance of conditions of Guidelines of Corporate Governance of CPSEs has been annexed to the Board Report at **Annexure-XI**.

MNK AND ASSOCIATES LLP
Company Secretaries, LLPIN: AAM-9113
Regd office: 9A/9-10, Basement, East Patel Nagar, New Delhi – 110008
Tel: +91-11-45095230; Mobile: +91-9818156340; Email: nazim@mnkassociates.com

CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

(As per Clause 8.2.1 of the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010 issued by DPE)

To,
The Members
National Scheduled Castes Finance and Development Corporation
New Delhi

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by National Scheduled Castes Finance and Development Corporation ("the Company") for the year ended March 31,2024 as stipulated in the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010 issued by Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India ("DPE") and annexure mentioned thereunder.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of management. Our examination was limited to the procedure and implementation thereof, adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance as stipulated in above mentioned Guidelines. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, we certify that the Company has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in DPE Guidelines, except the following:

1. As per DPE Guidelines, the Board shall meet atleast once in every three months and the time gap between any two meetings shall not be more than three months. On perusal of the records of the Company we observed that the Board has met 4 times during the financial year 2023-24 i.e. 30.05.2023, 25.08.2023, 18.12.2023 and 14.02.2024 and the time gap between second and third Board Meetings exceeds 3(three) months.

2. As per DPE Guidelines, the Audit Committee shall meet atleast four times during the last 12 months and also not more than four months shall elapse between two meetings. On perusal of the records of the Company we observed that the Audit Committee has met 2 times during the last 12 months i.e. 30.05.2023 and 25.08.2023.

MOHD
NAZIM
KHAN

MNK AND ASSOCIATES LLP

Company Secretaries, LLPIN: AAM-9113
Regd office: 9A/9-10, Basement, East Patel Nagar, New Delhi – 110008
Tel: +91-11-45095230; Mobile: +91-9818156340; Email: nazim@mnkassociates.com

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Company.

For MNK and Associates LLP
Company Secretaries
FRN: L2018DE004900

MOHD NAZIM KHAN

Digitally signed by MOHD NAZIM KHAN
DN: c=IN, o=PERSONAL,
pseudonym=55587eba03144efbb8467fb5ba124bd2,
2.5.4.20=a9f25e7010399541f98d4180decd5611b116c0cf41c96f1fc3a05e6d51ae9a78,
postalCode=110005, st=Delhi,
serialNumber=bc16e6fe9f0a94f5d4f8cc5b31dec32aa274f08c4ccdb5585f07f9fa42cb80da, cn=MOHD NAZIM KHAN
Date: 2024.07.15 16:41:14 +05'30'

Mohd Nazim Khan
Designated Partner
Practicing Company Secretary
FCS: 6529; CP:8245
UDIN: F006529F000744035
Peer Review Cert. No:671/2020

Place: New Delhi
Date: 15.07.2024

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2024

(₹ in Lakhs)

	Particulars	Note No.	As at 31st March 2024	As at 31st March 2023
I.	**ASSETS**			
1	**Non-current assets**			
	(a) Property, plant and equipment	3	405.35	395.59
	(b) Investment Property	4	11.63	11.63
	(c) Other intangible assets	5	0.55	1.15
	(d) Financial assets			
	(i) Loans	6	1,22,458.78	1,18,602.36
	(ii) Others	7	30.19	112.29
	(e) Other Non Current Assets	8	47.34	43.98
			1,22,953.84	**1,19,167.01**
2	**Current assets**			
	(a) Financial assets			
	(i) Cash and cash equivalents	9	7,325.24	31,720.86
	(ii) Bank balances other than (i) above	10	6,617.62	7,223.88
	(iii) Loans	6	97,125.19	86,216.77
	(iv) Others	11	3,989.83	2,992.97
	(b) Current Tax Asset(net)	12	15.75	24.87
	(c) Other Current Assets	13	86.59	65.36
			1,15,160.21	**1,28,244.71**
	Total Assets		**2,38,114.05**	**2,47,411.72**
II.	**EQUITY AND LIABILITIES**			
1	**Equity**			
	(a) Equity share capital	14	1,51,500.00	1,50,000.00
	(b) Other equity	15	77,979.65	72,692.28
			2,29,479.65	**2,22,692.28**
2	**Liabilities**			
(i)	**Non-current liabilities**			
	(a) Provisions	16	512.41	493.92
			512.41	**493.92**
(ii)	**Current liabilities**			
	(a) Financial liabilities			
	(i) Loan	17.1	2,500.00	-
	(ii) Others	17.2	4,764.37	23,285.94
	(b) Other current liabilities	18	91.07	143.99
	(c) Provisions	16	766.55	795.59
			8,121.99	**24,225.52**
	Total Equity and Liabilities		**2,38,114.05**	**2,47,411.72**
III.	See accompanying notes to the financial statements	1-45		

As per our Report of even date attached
For M/s. Davinder Pal Singh & Co.
Chartered Accountants
FRN: 007601N

C.A. Davinder Pal Singh
Partner
M. No. 086596

Place : New Delhi
Date : 22-7-2024

For and on behalf of the Board of Directors

(Manjeet Singh Chhatwal)
Deputy General Manager (Finance)

(Rajesh Bihari)
Chief General Manager(Finance)

(Annu Bhogal)
Company Secretary

Director
DIN- 09350971
(MASHAR VELAPURATH)

(Rajnish Kumar Jenaw)
Chairman-Cum-Managing Director
DIN- 09056584

DAVINDER PAL SINGH & CO. NEW DELHI CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Statement of Income & Expenditure for year ended 31st March 2024

(₹ in Lakhs)

	Particulars	Note No.	For the year ended 31st March 2024	For the year ended 31st March 2023
I	Revenue from operations	19	6,865.40	6,322.84
II	Other Income	20	823.05	1,143.76
	Total Revenue (I+II+III)		**7,688.45**	**7,466.60**
IV	**Expenses**			
	Employee Benefits Expenses	21	2,005.42	1,931.95
	Finance Cost	21.1	62.13	-
	Depreciation & Amortization Expenses	22	34.67	32.70
	Allowance for Doubtful loans and Interest	30.4	59.53	57.11
	Incentives to SCA	23	105.00	150.00
	CSR Expenses	36	85.56	71.89
	Other Expenses	24	630.17	461.62
	Total Expenses (IV)		**2,982.48**	**2,705.27**
V	**Excess of Income over expenditure before Exceptional Items and Tax (III - IV)**		4,705.97	4,761.33
VI	Exceptional Items	25	3.27	0.06
VII	**Excess of Income over expenditure before Tax (V - VI)**		**4,709.24**	**4,761.39**
VIII	Tax expense:			
	(1) Current tax			-
	(2) Deferred tax			-
IX	**Excess of Income over expenditure for the period from continuing operations (VII-VIII)**		**4,709.24**	**4,761.39**
X	Excess of Income over expenditure from discontinued operations			-
XI	Tax expense of discontinued operations			-
XII	Excess of Income over expenditure discontinued operations (X - XI)			-
XIII	**Excess of Income over expenditure for the period (IX + XII)**		**4,709.24**	**4,761.39**
XIV	**Other Comprehensive Income**			
	A. (i) Items that will not be reclassified to Income & Expenditure	26	26.05	4.46
	(ii) Income Tax relating to Items that will not be reclassified to Income & Expenditure Account			-
	B. (i) Items that will be reclassified to Income & Expenditure Account			-
	(ii) Income Tax relating to Items that will be reclassified to Income & Expenditure Account			-
XV	**Total Comprehensive Income for the period (XIII+XIV) (Comprising Excess of Income over expenditure and Other Comprehensive Income**		**4,735.29**	**4,765.85**
XVI	**Earning per equity share:**			
	(For continuing Operation)			
	(1) Basic (in `Rs.)	27	**31.08**	**31.74**
	(2) Diluted (in `Rs.)	27	**31.39**	**31.74**
XVII	**Earnings Per Equity Share:**			
	(For discontinuing Operation)			
	(1) Basic (in `Rs.)			-
	(2) Diluted (in `Rs.)			-
XVIII	**Earnings Per Equity Share:**			
	(For discontinued and continuing Operation)			
	(1) Basic (in `Rs.)	27	**31.08**	**31.74**
	(2) Diluted (in `Rs.)	27	**31.39**	**31.74**
XIX	See accompanying notes to the financial statements			

As per our Report of even date attached
For M/s. Davinder Pal Singh & Co.
Chartered Accountants
FRN: 007601N

C.A. Davinder Pal Singh
Partner
M. No. 086596
Place : New Delhi
Date : 22-7-2024

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

(Manjeet Singh Chhatwal)
Deputy General Manager (Finance)

Director
DIN- 09350971
(MASHAR VELAPURATH)

For and on behalf of the Board of Directors

(Rajesh Bihari)
Chief General Manager(Finance)

(Annu Bhogal)
Company Secretary

(Rajnish Kumar Jenaw)
Chairman-Cum-Managing Director
DIN- 09056584

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Statement of Cash Flow for the year ended 31st March, 2024

(₹ in Lakhs)

Particulars		For the year ended 31st March 2024	For the year ended 31st March 2023
A. Cash Flow from Operating Activities			
Excess of income over expenditures before exceptional items and tax		**4,709.24**	**4,761.39**
Adjustments to reconcile net profit to net cash provided by operating activities:			
Depreciation		34.67	32.70
Interest on lease liability		-	-
Loss /(Profit) on sale/impairment/exchange of assets		(3.27)	(0.06)
Modification Gain on Leases		-	-
Operating profit before changes in operating Assets & liabilities	**(1)**	**4,740.64**	**4,794.03**
Adjustments for:			
Decrease / (Increase) in non-current loans		(3,856.42)	(5,322.96)
Decrease / (Increase) in other non-current financial assets		82.10	14.69
Decrease / (Increase) in other non-current assets		(3.35)	8.14
Decrease / (Increase) in current loans		(10,908.42)	2,897.74
Decrease / (Increase) in other current financial assets		(996.86)	1,493.25
Decrease / (Increase) in other current assets		(21.23)	(25.26)
(Decrease) / Increase in other current financial liability		(18,521.57)	17,850.24
(Decrease) / Increase in other current liability		(52.92)	6.51
(Decrease)/ Increase in non current provisions		44.54	47.51
(Decrease)/ Increase in current provisions		(29.05)	93.81
	(2)	(34,263.18)	17,063.67
Cash generated from operation	**(1+2)**	**(29,522.53)**	**21,857.70**
Income Tax Paid		9.12	(9.12)
Net Cash Outflow from Operating Activities		**(29,513.41)**	**21,848.58**
B. Cash Flow From Investing Activities			
Sale/Disposal of Property, Plant and Equipments		3.79	0.56
Purchase of Property, Plant and Equipments		(44.34)	(17.30)
Purchase of Intangible Assets		-	-
Decrease/ (Increase) in Other Bank Balance		606.26	(871.93)
Interest on Special Reserve Fund investment		552.08	275.24
Net Cash Inflow from Investing Activities		**1,117.79**	**(613.43)**
C. Cash Flow From Financing Activities			
Issue of Share Capital		1,500.00	-
Share application money pending allotment		-	-
Proceeds from Borrowings		2,500.00	-
Interest on lease liability		-	-
Principal Lease Payment		-	-
Net Cash Inflow from Financing Activities		**4,000.00**	**-**
Net Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents (A+B+C)		(24,395.62)	21,235.15
Cash & Cash Equivalents at the beginning of the year (Refer note :-9)		31,720.86	10,485.71
Closing Cash & Cash Equivalents		**7,325.24**	**31,720.86**
Reconciliation of Cash & Cash Equivalents			
Cash & Cash Equivalents at the end of the year (Refer note :-9)		**7,325.24**	**31,720.86**

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Statement of Cash Flow for the year ended 31st March, 2024
Notes:-

i The Cash Flow Statement has been prepared under the Indirect method as set out in Ind AS-7 on Cash Flow Statement issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

ii. The company adopted the amendment to Ind-AS 7 effective from April 1, 2017, which require the entities to provide disclosures that enable users of financial statements to evaluate changes in liabilities arising from financing activities, including both changes arising from cash flows and non-cash changes, suggesting inclusion of a reconciliation between the opening and closing balances in the Balance Sheet for liabilities arising from financing activities, to meet the disclosure requirement.

iii. Previous year's figures are reclassified/regrouped to confirm and make them comparable with those of the current year.

As per our Report of even date attached
For M/s. Davinder Pal Singh & Co.
Chartered Accountants
FRN: 007601N

For and on behalf of the Board of Directors

(Manjeet Singh Chhatwal)
Deputy General Manager
(Finance)

(Rajesh Bihari)
Chief General Manager
(Finance)

(Annu Bhogal)
Company Secretary

C.A. Davinder Pal Singh
Partner
M. No. 086596

Director
DIN- 09350971
(MASHAR VELAPURATH)

(Rajnish Kumar Jenaw)
Chairman-Cum-Managing Director
DIN- 09056584

Place : New Delhi
Date : 22-7-2024

DAVINDER PAL SINGH & CO.
CA
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN:007601N
NEW DELHI

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Statement of Changes in Equity (SOCE) for the year ended 31st March 2024

A. Equity share capital

(₹ in Lakhs)

Particulars	Number of shares (in lakhs)	Amount
Balance at April 1, 2023	**150.00**	**1,50,000.00**
Changes in Equity Share Capital due to prior period errors	-	-
Restated balance as at April 1, 2023	**150.00**	**1,50,000.00**
Changes in equity share capital during the current year	-	-
Issue of equity shares Capital during the year	**1.50**	**1,500.00**
Balance at March 31, 2024	**151.50**	**1,51,500.00**

B. Other Equity

(₹ in Lakhs)

Particulars	Share application money pending allotment	Reserves & Surplus			Total
		Special Reserve	General Reserve	Retained Earnings	
Balance at the beginning of the year	-	7,974.18	64,718.09	-	72,692.27
Prior period Adjustments (Refer Note :-32)			-		-
Restated balance at the beginning of the year	**-**	**7,974.18**	**64,718.09**	**-**	**72,692.27**
Profit for the year	-	-		4,709.24	4,709.24
Other Comprehensive Income for the year	-			26.05	26.05
Total Comprehensive Income for the year	**-**	**-**	**-**	**4,735.29**	**4,735.29**
Transfer to Special reserve		470.92		(470.92)	-
Transfer of Interest on Special Reserve Fund Investment		552.08		-	552.08
Transfer to General Reserve		-	4,264.37	(4,264.37)	-
Share application money received during the year		-			-
Issue of share capital					-
Balance at the end of the year	**-**	**8,997.18**	**68,982.46**	**-**	**77,979.65**

As per our Report of even date attached
For M/s. Davinder Pal Singh & Co.
Chartered Accountants
FRN: 006747 N

For and on behalf of the Board of Directors

(Manjeet Singh Chhatwal)
Deputy General Manager (Finance)

(Rajesh Bihari)
Chief General Manager(Finance)

(Annu Bhogal)
Company Secretary

C.A. Davinder Pal Singh
Partner
M. No. 086596

Director
DIN- 09350971
(MAJMAR VELAPURATH)

(Rajnish Kumar Jenaw)
Chairman-Cum-Managing Director
DIN- 09056584

Place : New Delhi
Date : 22-7-2024

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Statement of Changes in Equity (SOCE) for the year ended 31st March 2023

A. Equity share capital

(₹ in Lakhs)

Particulars	Number of shares (in lakhs)	Amount
Balance at April 1, 2022	150.00	1,50,000.00
Changes in Equity Share Capital due to prior period errors	-	-
Restated balance as at April 1, 2022	150.00	1,50,000.00
Changes in equity share capital during the current year	-	-
Issue of equity shares Capital during the year	-	-
Balance at March 31, 2023	150.00	1,50,000.00

B. Other Equity

(₹ in Lakhs)

Particulars	Share application money pending allotment	Reserves & Surplus			Total
		Special Reserve	General Reserve	Retained Earnings	
Balance at the beginning of the year	-	7,222.80	61,269.06	-	68,491.86
Prior period Adjustments (Refer Note :- 32)			(840.68)		(840.68)
Restated balance at the beginning of the year	-	7,222.80	60,428.38	-	67,651.18
Profit for the year	-	-		4,761.39	4,761.39
Other Comprehensive Income for the year	-			4.46	4.46
Total Comprehensive Income for the year	-	-	-	4,765.85	4,765.85
Transfer to Special reserve		476.14		(476.14)	-
Transfer of Interest on Special Reserve Fund Investment		275.24		-	275.24
Transfer to General Reserve		-	4,289.71	(4,289.71)	-
Share application money received during the year		-			-
Issue of share capital					-
Balance at the end of the year	-	7,974.18	64,718.09	-	72,692.27

As per our Report of even date attached
For M/s. Davinder Pal Singh & Co.
Chartered Accountants
FRN: 006747 N

C.A. Davinder Pal Singh
Partner
M. No. 086596

Place : New Delhi
Date : 22-7-2024

(Manjeet Singh Chhatwal)
Deputy General Manager (Finance)

For and on behalf of the Board of Directors

(Rajesh Bihari)
Chief General Manager(Finance)

(Annu Bhogal)
Company Secretary

Director
DIN- 09350971
(MASHAR VELAPURATH)

(Rajnish Kumar Jenaw)
Chairman-Cum-Managing Director
DIN- 09056584

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2024

1 Corporate Information

National Scheduled Castes Finance and Development Corporation is a not for profit company domiciled in India and was incorporated on 08.02.1989 under the name and style of "National Scheduled Castes & Scheduled Tribes Finance and Development Corporation" under Section 25 of companies Act 1956 (now under Section 8 of the Companies Act, 2013). It catered to the needs of both Scheduled Castes & Scheduled Tribes target groups till 09.04.2001. On 10.04.2001, the Corporation was bifurcated after creation of National Scheduled Tribes Finance & Development Corporation for Scheduled Tribes target group under Ministry of Tribal Affairs. Consequent upon its bifurcation, Corporation now exclusively caters to the needs of Scheduled Castes target group. The registered office of the company is located at 14th Floor, Core 1 & 2, Scope Minar, Laxmi Nagar District Centre, Delhi-110092.

2 Accounting Policies

2.1 Statement of Compliance

The financial statements as at and for year ended March 31, 2024 have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind-AS) notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended from time to time.

2.2 Basis of preparation

The financial statements have been prepared under the historical cost convention and on an accrual basis, except for the following item that have been measured at fair value as required by relevant Ind-AS.

(i) Defined benefit Plan and other long term employee benefits

(ii) Certain financial assets and liabilities measured at fair value.

2.3 Use of estimates and judgement

The preparation of financial statements in conformity with Ind AS requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, disclosure of contingent assets and liabilities at the date of financial statements and the reported amount of income and expenses. Examples of such estimates include useful life of property, plant and equipment , intangible assets , provision for doubtful debts, future obligations under employee retirement benefit plans & contingent liabilities. Actual results may differ from these estimates.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on a periodic basis. Future results could differ due to changes in these estimates and difference between the actual result and the estimates are recognised in the period in which the results are known /materialize.

2.4 All financial information presented in Indian rupees and all values are rounded to the nearest lakh rupees with two decimal points except where otherwise stated.

2.5 Statement of Cash flow

Cash flows are reported using the indirect method, whereby profit / (loss) before tax is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments. The cash flows from operating, investing and financing activities of the Company are segregated based on the available information.

For the purposes of statement of cash flow, cash and cash equivalents include cash in hand, cash at banks and demand deposits with banks, net of outstanding bank overdrafts that are repayable on demand are considered part of the Company's cash management system.

Ind-AS 7:

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)

Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2024

The company adopted the amendment to Ind-AS 7, which require the entities to provide disclosures that enable users of financial statements to evaluate changes in liabilities arising from financing activities, including both changes arising from cash flows and non-cash changes, suggesting inclusion of a reconciliation between the opening and closing balances in the Balance Sheet for liabilities arising from financing activities, to meet the disclosure requirement. The adoption of amendment did not have any material effect on the financial statements.

2.6 Foreign Currency

Items included in the financial statements are measured using the currency of the primary economic environment in which the Company operates (i.e. Functional Currency).The financial statements are presented in Indian rupees, which is the company's functional and presentation currency.

Income and expenses in foreign currencies are recorded at exchange rates prevailing on the date of the transaction. Foreign currency monetary assets and liabilities are translated at the exchange rate prevailing on the balance sheet date and exchange gains and losses arising on settlement and restatement are recognised in the statement of Income & Expenditure.

2.7 Property, plant and equipment

Property, plant and equipment are measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any.

Cost of asset includes the following

(i) Cost directly attributable to the acquisition of the assets

(ii) Present value of the estimated costs of dismantling & removing the items & restoring the site on which it is located if recognition criteria are met.

Cost of replacement, major inspection, repair of significant parts and borrowing costs for long-term construction projects are capitalised if the recognition criteria are met.

Property, Plant & Equipment whose cost does not exceed Rs.5000/- have been directly charged to statement of income & expenditure.

Upon sale of assets cost and accumulated depreciation are eliminated from the financial statements and the resultant gains or losses are recognized in the statement of income & expenditure.

Depreciation is provided for property, plant and equipment on written down value method over their estimated useful life of assets as prescribed in schedule II of the Companies Act 2013. The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at the end of each reporting period, with the effect of any changes in estimates accounted for on a prospective basis.

The estimated useful lives are as mentioned below:

Category of Assets

Particulars	**Estimated Useful Life (years)**
Freehold Building	60
Air Conditioners	5
Computer & Peripherals	3
Fixture & fittings	10
Furniture	10
Office Equipment	5
Vehicles	8

Leasehold building is being amortised over the primary lease period.

Each part of an item of Property, Plant and Equipment is depreciated separately if the cost of part is significant in relation to the total cost of the item and useful life of that part is different from the useful life of remaining asset.

The residual value of the assets is taken as 5% of the cost of assets.

Depreciation is not recorded on capital work-in-progress until construction and installation are complete and the asset is ready for its intended use.

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)

Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2024

2.8 Intangible assets

Intangible assets are recognized when it is probable that the future economic benefits that are attributable to the asset will flow to the enterprise and the cost of the asset can be measured reliably. Intangible assets are stated at historical cost less accumulated amortization and impairment loss, if any.

In respect of 'Intangible Assets' software not forming integral part of hardware equipment; software development and related expenditure resulting into successful deployment of the developed software, is recognized at cost and being amortized over a period of 3 years thereof.

Depreciation methods, useful life and residual values are reviewed at each balance sheet date.

2.9 Investment properties

(i) Investment property comprises completed property, property under construction and property held under finance lease that is held to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for sale in the ordinary course of business or for use in production or administrative functions.

(ii) Investment Properties are stated at cost, net of accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any.

(iii) The company depreciates building component of investment property over the estimated useful life of the assets as prescribed in schedule II of the Companies Act 2013.**(Refer note:2.7)**

(iv) Investment properties are derecognized either when they have been disposed off or when they are permanently withdrawn from use and no future economic benefit is expected from their disposal. Difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset is recognized in Statement of Income & Expenditure in the period of de-recognition.

2.10 Provisions

Provision is recognised when:

(i) The Company has a present obligation as a result of a past event,

(ii) A probable outflow of resources is expected to settle the obligation and

(iii) A reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Provision recognized above which are expected to be settled beyond 12 months are measured at the present value by using pre-tax discount rate that reflects the risks specific to the liability and the increase in the provision due to the passage of time is recognized as interest expenses.

Provision are reviewed at each Balance Sheet Date.

2.11 Revenue recognition

I Revenue from Operation: Revenue is recognized to the extent that, it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the revenue can be reliably measured. However when an uncertainty arises about the collectability of an amount already included in revenue, the uncollectible amount, or the amount in respect of which recovery has ceased to be probable, is recognise as an expense rather as an adjustment of the amount of revenue already recognised.

a) Interest income on loans given is recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the rate applicable, using Effective Interest Rate method.

b) Penal interest on defaults in the repayments is recognized on realization due to uncertainty of its collectability.

c) Penal interest is charged on unutilzed amount of loans refunded, subject to management policy **(refer note-19.1)** and is accounted for on accrual basis.

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)

Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2024

II Other Revenue Recognition :

a) Interest income on bank deposits are recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the interest rate applicable.

b) Interest income on Staff loans given is recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the rate applicable, using Effective Interest Rate method.

2.12 Revenue Grants from Government/Other Organisations as permitted under IndAS 20

i) Grants are recognised in Income and expenditure Account on a systematic basis over the periods in which the entity recognises as expenses the related costs for which the grants are intended to compensate.

ii)A Government grant may become receivable by an entity as compensation for expenses or losses incurred in a previous period. Such a grant is recognised in Income and expenditure Account of the period in which it becomes receivable.

iii)Grants related to income are deducted in reporting the related expenses.

2.13 LEASES

As A Lessee

(i) The Company Recognizes a right-of- use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date , plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received.

(ii) The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-to-use-asset or the end of the lease term. The estimated useful life of the right-to-use asset is determined on the same basis as those of property, plant and equipment. In addition, the right-to-use asset is periodically reduced by impairment losses, if any, and adjusted for certain remeasurements of the lease liability.

(iii) The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, the Company's incremental borrowing rate.

(iv) The lease liability is measured at amortized cost using the effective interest method, it is remeasured when there is a change in future lease payments from a change in an index or rate. When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right -of-use asset, or is recorded in the profit and loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

(v) The Company presents right-of-use asset that do not meet the definition of Investment property in the "Property plant and equipment" and lease liabilities in "other financial liabilities" in the Balance Sheet.

(vi) Short term Lease and Leases of low value assets. The Company has elected not to recognize right-of-use asset and lease liabilities for short term leases that have lease term of 12 months or less and leases of low value assets. The Company recognizes the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2024

As A Lessor

(i) When the Company acts as a lessor, it determines at lease inception whether each lease is a finance lease or an operating lease. To classify each lease, the Company makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all the risk and rewards incidental to the ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is a finance lease, if not then it is an operating lease. As part of the assessment, the Company considers certain indicators such as whether the lease is for the major part of the economic life of the asset.

(ii) If an arrangement contains lease and non-lease components, the Company applies Ind AS-115 "Revenue from contract with customers" to allocate the consideration in the contract.

(iii) The Company recognizes lease payments received under operating lease as income on a straight-line basis over the lease term as part of "Other Income".

2.14 Impairment of Non Financial Assets

(i) The carrying amounts of the assets are reviewed at each balance sheet date to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, the asset's recoverable amount is estimated. For assets that are not yet available for use, the recoverable amount is estimated at each balance sheet date.

(ii) An impairment loss is recognized whenever the carrying amount of an asset or its cash-generating unit exceeds its recoverable amount. Impairment losses are recognized in the Statement of Income & Expenditure.

(iii) An impairment loss is reversed if there has been a change in the estimates used to determine the recoverable amount. An impairment loss is reversed only to the extent that the asset's carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined net of depreciation or amortization, if no impairment loss had been recognized.

2.15 Employee Benefits

(i) Short Term Employee Benefits

Short Term Employee Benefits such as short-term compensated absences are recognized as an expense on an undiscounted basis in the statement of Income & Expenditure of the year in which the related service is rendered.

(ii) Post-Employment Benefits & other Long Term Employee Benefits

a) Defined Contribution Plan

Defined Contribution Plans such as Provident Fund, Pension Employees Deposit Linked Insurance, Group Savings Linked Insurance Schemes are recognized as an expense and charged to the statement of Income & Expenditure. The company makes defined contribution to the Regional Provident Fund Commissioner in respect of provident fund. The Company does not have further obligation in this respect beyond its contribution which is expensed off when they become due.

The Post Retiral plans such as " Defined contributory Pension Scheme for Employees of NSFDC" and " Defined contributory Medical Scheme for Retired Employees" are subject to the contribution made by the company as per DPE OM dated 21.05.2014.

(i) Pension Scheme

The Corporation has a "Defined Contributory Pension Scheme for Employees of NSFDC" as per DPE Guidelines. The employer contribute 10% of the Basic Pay plus DA every month to the Trust. The Corporation has formed a trust in the name of "Defined Contributory Pension Scheme Trust for Employees of NSFDC" for managing the scheme. LIC of India is the fund Manager for the NSFDC.

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:002601N NEW DELHI

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)

Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2024

(ii) Retired Employees Medical Scheme

The Corporation has "Defined Contribution Medical Scheme for Retired Employees". The Corporation has formed a trust in the name of "Defined Contributory Medical Scheme Trust for Retired Employees of NSFDC". The employer contribute 3% of the Basic Pay plus DA every month to the Trust. The fund was managed by the Trust since inception till 01.08.2018. LIC of India is managing the funds of the Trust under Group Superannuation Cash Accumulation benefit Scheme w.e.f. 02.08.2018.

b) Defined Benefits Plan

(i) Gratuity

The employees Gratuity Fund Scheme is funded by the Corporation managed by LIC through a separate trust. LIC, a Government Undertaking has charged the premium during the year based on the actuarial calculation as certified by LIC. The amount recognized in the balance sheet is the present value of the defined benefit obligations less fair value of plan assets less any past service cost not yet recognized, at the balance sheet date.

(ii) Leave Benefit

The Corporation operates a defined benefit plan (the Leave Benefit Plan) covering eligible employees based on the respective employees salary and the tenure of employment as per the leave rules of the Corporation. Leave Benefits such as Leave Encashment, Sick Leave, etc. are recognized on the basis of actuarial valuation made as at the end of the year.

2.16 Special reserve Fund

The Corporation transfers 10% of Excess of Income over Expenditure to the Special Reserve fund, *before considering income on special Reserve fund*, for meeting investments in buildings and for contingencies/eventualities.

2.17 Income taxes

The Income of the Company is exempted from tax under section 10(26B) of the Income Tax Act, 1961. Thus no provision for income tax is required. Consequently the provisions of Ind AS-12 of the "Accounting for Income Taxes" is not applicable.

2.18 Earnings per Share

In determining basic earnings per share, the company considers the net profit attributable to equity shareholders. The number of shares used in computing basic earnings per share is the weighted average number of shares outstanding during the period. In determining diluted earnings per share, the net profit attributable to equity shareholders and weighted average number of shares outstanding during the period are adjusted for the effect of all dilutive potential equity shares.

2.19 Contingent Liabilities and Contingent Assets

Contingent Liabilities are disclosed in either of the following cases:

(i) A present obligation arising from a past event, when it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation; or

(ii) A reliable estimate of the present obligation cannot be made; or

(iii) A possible obligation, unless the probability of outflow of resource is remote.

Contingent assets is disclosed where an inflow of economic benefits is probable.

Contingent Liability and Provisions needed against Contingent Liability and Contingent Assets are reviewed at each Reporting date.

Contingent Liability is net of estimated provisions considering possible outflow on settlement.

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)

Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2024

2.20 Fair Value Measurement

Assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- Level 1 — Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities

- Level 2 — Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.

- Level 3 — Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

At the reporting date, the Company analyses the movements in the values of assets and liabilities which are required to be re-measured or re-assessed as per the accounting policies. For this analysis, the Company verifies the major inputs applied in the latest valuation by agreeing the information in the valuation computation to contracts and other relevant documents.

The Company also compares the change in the fair value of each asset and liability with relevant external sources to determine whether the change is reasonable.

For the purpose of fair value disclosures, the Company has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

2.21 Financial instruments:-

(i) Initial recognition and measurement

Financial Instruments recognized at its fair value plus or minus transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial instruments.

(ii) Subsequent measurement

Financial Assets

financial assets are classified in following categories:

a. At Amortised Cost

A financial asset shall be measured at amortised cost if both of the following conditions are met:

(a) the financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows and

(b) The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets measured at amortised cost using effective interest rate method less impairment, if any. The EIR amortisation is included in finance income in the statement of Income & Expenditure.

b) At fair value through other comprehensive income (FVTOCI)

A 'debt instrument' is classified as at the Fair value through Other comprehensive income if both of the following criteria are met:

• The objective of the business model is achieved both by collecting contractual cash flows and selling the financial assets, and

PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2024

- The asset's contractual cash flows represent solely payment of principal and interest (SPPI).

Debt instruments included within the FVTOCI category are measured initially as well as at each reporting date at fair value. Fair value movements are recognized in the other comprehensive income (OCI). However, the company recognizes interest income, impairment losses & reversals and foreign exchange gain or loss in the Statement of Income & Expenditure. On de-recognition of the asset, cumulative gain or loss previously recognised in OCI is reclassified from the equity to P&L. Interest earned is recognised using the EIR method.

c) At Fair value through Profit & Loss (FVTPL)

FVTPL is a residual category for financial Assets. Any financial assets, which does not meet the criteria for categorization as at amortized cost or as FVTOCI, is classified as at FVTPL.

In addition, the company may elect to designate financial asset, which otherwise meets amortized cost or FVTOCI criteria, as at FVTPL. If doing so reduces or eliminates a measurement or recognition inconsistency. The company has not designated any financial asset as at FVTPL.

Financial assets included within the FVTPL category are measured at fair value with all changes recognized in the Statement of Income & Expenditure.

a) Financial liabilities at Amortised Cost

Financial liabilities at amortised cost represented by trade and other payables, security deposits and retention money are initially recognized at fair value, and subsequently carried at amortized cost using the effective interest rate method.

b) Financial liabilities at FVTPL

The company has not designated any financial liabilities at FVTPL.

(iii) De-recognition

Financial Asset

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized only when the contractual rights to the cash flows from the asset expires or it transfers the financial assets and substantially all risks and rewards of the ownership of the asset.

Financial Liability

A financial liability is derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires. When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognised in the statement of Income & Expenditure.

(iv) Impairment of financial assets:

i) The company assesses at each date of balance sheet whether a financial asset is impaired. Ind AS-109 requires expected credit losses (ECL) to be measured through a loss allowance.

ii) For all Financial Assets other than contract assets/ Trade receivables, expected credit losses are to be measured at an amount equal to 12 months expected credit losses or at an amount equal to the life time ECL's if credit risk on the financial asset has increase significantly since its initial recognition.

iii) ECL impairment loss allowance (or reversal) recognized during the period is recognized as income/expense in the statement of Income & Expenditure.

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS NEW DELHI

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)

Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2024

2.22 Non-current Assets (or disposal groups) held for Sale

Non-current assets (or disposal groups) are classified as assets held for sale when their carrying amount is to be recovered principally through a sale transaction and a sale is considered highly probable. The sale is considered highly probable only when the asset or disposal group is available for immediate sale in its present condition, it is unlikely that the sale will be withdrawn and sale is expected within one year from the date of the classification. Disposal groups classified as held for sale are stated at the lower of carrying amount and fair value less costs to sell. Property, plant and equipment and intangible assets are not depreciated or amortised once classified as held for sale. Assets and liabilities classified as held for sale are presented separately in the Balance sheet.

If the criteria stated by IND AS 105 "Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations" are no longer met, the disposal group ceases to be classified as held for sale. Non-current asset that ceases to be classified as held for sale are measured at the lower of (i) its carrying amount before the asset was classified as held for sale, adjusted for depreciation that would have been recognised had that asset not been classified as held for sale, and (ii) its recoverable amount at the date when the disposal group ceases to be classified as held for sale.

2.23 Standard/Amendments issued but not yet effective

MCA had issued the Indian Accounting Standards Amendments Rules, 2023 vide notification dated 31st March 2023.In the Indian Accounting Standards Amendments Rules, 2023, amendments has been made in following standards:-

1. First-time Adoption of Indian Accounting Standards (Ind AS-101)
2. Share Based Payment (Ind AS-102)
3. Business Combinations (Ind AS-103)
4. Financial Instruments: Disclosures (Ind AS-107)
5. Financial Instruments (Ind AS-109)
6. Revenue from Contracts with Customers (Ind AS-115)
7. Presentation of Financial Statements (Ind AS-1)
8. Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors (Ind AS-8)
9. Income Taxes (Ind AS-12)
10. Interim Financial Reporting (Ind AS-34)

The effective date of these amendments is annual periods beginning on or after 1st April 2023. The Company is currently evaluating the impact of the amendments and has not yet determined the impact on the financial statements.

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2024

3 Property, Plant & Equipment

(₹ in Lakhs)

Particulars	Buildings Freehold	Buildings Leasehold	Furniture & Fixtures	Vehicles	Office Equipment	Computers	Total
Cost or Deemed Cost							
At 31 March 2022	22.48	646.89	115.46	16.25	41.19	80.25	922.53
Additions	-	-	-	-	11.64	5.66	17.30
Disposals/Adjustments	-	-	-	-	(2.44)	(1.81)	(4.25)
At 31 March 2023	22.48	646.89	115.46	16.25	50.39	84.10	935.58
Additions	-	-	6.78	-	2.89	34.67	44.34
Disposals/Adjustments	-	-	(0.26)	(7.95)	(0.69)	(1.31)	(10.21)
At 31 March 2024	22.48	646.89	121.98	8.30	52.59	117.46	969.71
Depreciation and Impairment							
At 31 March 2022	17.55	278.74	101.47	9.74	35.12	69.33	511.96
Depreciation charge for the year	0.80	15.51	2.36	1.82	3.58	7.71	31.78
Impairment							
Disposals/Adjustments	-	-	-	-	(2.19)	(1.56)	(3.75)
At 31 March 2023	18.35	294.25	103.83	11.56	36.51	75.48	539.99
Depreciation charge for the year	-	15.16	2.53	1.25	6.44	8.68	34.06
Impairment							
Disposals/Adjustments	-	-	(0.25)	(7.51)	(0.64)	(1.29)	(9.69)
At 31 March 2024	18.35	309.41	106.11	5.30	42.31	82.87	564.36
Net book value							
At 31 March 2024	4.12	337.48	15.88	3.00	10.28	34.59	405.35
At 31 March 2023	4.12	352.64	11.64	4.69	13.88	8.62	395.59
At 31 March 2022	4.92	368.15	14.00	6.51	6.07	10.92	410.57

Note :- 3.1 The company has applied the estimated useful lives as specified in Schedule II, of the Companies Act 2013, except in respect of certain assets as disclosed in Accounting Policy on Depreciation / Amortization on fixed assets. Accordingly, the unamortized carrying value is being depreciated /amortized over the revised / remaining useful lives.

Note :- 3.2 Buildings includes both leasehold and freehold buildings. Leasehold buildings premises at SCOPE Minar under right of use for 89 years from DDA/Scope is purchased on sub-lease pending transfer of title/sub-lease. Two flats purchased in Mumbai are under right of use for 90 years is yet to be executed between MHADA & Housing Society.

Note:- 3.3 Details of the Property, not held in the name of the Company are as follows:-

	Description of item of property	Gross carrying value	Title deeds held in the name of	Whether title deed holder is a promoter, director or relative of promoter/director or employee of promoter/director	Property held since which date	Reason for not being held in the name of the company
Property, Plant & Equipment (PPE)	Land Building Situated at Core 1 & 2, 14th Floor, SCOPE Minar, Laxmi Nagar, Delhi	646.89	Standing Committee of Public Enterprises	N/A	17-06-2005	Refer 3.2 above
Property, Plant & Equipment (PPE)	Mumbai flats	239.04	MHADA	N/A	25.06.1997	Refer 3.2 above

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2024

4 Investment Property

(₹ in Lakhs)

Particulars	Buildings	Total
Cost or Deemed Cost		
At 31 March 2022	**46.50**	**46.50**
Additions	-	-
Disposals/Adjustments	-	-
At 31 March 2023	**46.50**	**46.50**
Additions	-	-
Disposals/Adjustments	-	-
At 31 March 2024	**46.50**	**46.50**
Depreciation and Impairment		
At 31 March 2022	**34.87**	**34.87**
Depreciation charge for the year	-	-
Impairment	-	-
Disposals/Adjustments	-	-
At 31 March 2023	**34.87**	**34.87**
Depreciation charge for the year	-	-
Impairment	-	-
Disposals/Adjustments	-	-
At 31 March 2024	**34.87**	**34.87**
Net book value		
At 31 March 2024	**11.63**	**11.63**
At 31 March 2023	**11.63**	**11.63**
At 31 March 2022	**11.63**	**11.63**

Note :- 4.1 The company has applied the estimated useful lives as specified in Schedule II, of the Companies Act 2013, except in respect of certain assets as disclosed in Accounting Policy on Depreciation / Amortization on fixed assets. Accordingly, the unamortized carrying value is being depreciated /amortized over the revised / remaining useful lives.

Note:- 4.2 Valuation of Investment Property

VALUATION OF PORTION "A"

Carpet Area	328.39 Sq.Mt.
Circle Rate for office space W.e.f. 15-12-2015	Rs. 77000/Sq.Mt.
Value of office space portion A @Rs.77000	2,52,86,030.00
It is on 4th floor and on main road it is facing Flyover hence deduction @ 20%	50,57,206.00
Fair Market Value of Portion A	**2,02,28,824.00**
	202.00 Lakhs

VALUATION OF PORTION "B"

Carpet Area	57.704 Sq.Mt.
Circle Rate for office space W.e.f. 15-12-2015	Rs. 77000/Sq.Mt.
Value of office space portion B @Rs.77000	44,43,208.00
It is on 4th floor and on main road it is facing Flyover hence deduction @ 20%	8,88,641.60
	35,54,566.40
Add for Wooden Partition Wall and other Wood work after adjusting depreciation	1,50,000.00
	37,04,566.40
Fair Market Value of Portion B	**37.04 Lakhs**
Fair Market Value of Property	**239.04 Lakhs**

Fair value determined based on an annual evaluation performed by a registered valuer as defined under rule 2 of Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017 applying valuation model acceptable internationally.

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2024

5 Intangible Assets

(₹ in Lakhs)

Particulars	Computer Software	Total
Cost or Deemed Cost		
At 31st March 2022	33.59	33.59
Addition during the year	-	-
Adjustment	-	-
At 31st March 2023	33.59	33.59
Addition during the year	-	-
Adjustment	-	-
At 31st March 2024	33.59	33.59
Amortization and Impairment		
At 31st March 2022	31.52	31.52
Amortization during the year	0.92	0.92
Impairment during the year	-	-
At 31st March 2023	32.44	32.44
Amortization during the year	0.60	0.60
Impairment during the year	-	-
At 31st March 2024	33.04	33.04
Net Carrying Value		
At 31st March 2024	0.55	0.55
At 31st March 2023	1.15	1.15
At 31st March 2022	2.07	2.07

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2024

6 Financial assets - Loans

Non-current portion of the Loans has been classified under 'non-current financial assets - loans' and current portion of the Loans has been classified under 'current financial assets - loans'.

(₹ in Lakhs)

	Particulars	As at 31st March 2024		Total	As at 31st March 2023		Total
		Non - Current	Current		Non - Current	Current	
I A.	Loans (Considered good-Unsecured)						
i)	Term Loan Disbursement (Refer note:6.1	6,30,553.76		6,30,553.76	5,77,499.73		5,77,499.73
	Less: Refund / Recall	(82,535.05)		(82,535.05)	(79,597.21)		(79,597.21)
	Less: Re-payments	(3,64,066.13)		(3,64,066.13)	(3,22,824.71)		(3,22,824.71)
	Less Current part	(78,463.51)	78,463.51	-	(72,635.34)	72,635.34	-
		1,05,489.07	**78,463.51**	**1,83,952.58**	**1,02,442.47**	**72,635.34**	**1,75,077.81**
ii)	M.C.F. Disbursement	73,386.60		73,386.60	71,914.71		71,914.71
	Less: Refund / Recall	-13,695.83		(13,695.83)	-13,694.93		(13,694.93)
	Less: Re-payments	-54,928.85		(54,928.85)	-52,809.46		(52,809.46)
	Less Current part	(3,236.20)	3,236.20	-	(2,425.93)	2,425.93	-
		1,525.72	**3,236.20**	**4,761.92**	**2,984.39**	**2,425.93**	**5,410.32**
iii)	M.S.Y. Disbursement	93,140.37		93,140.37	89,456.43		89,456.43
	Less: Refund / Recall	(13,172.63)		(13,172.63)	(13,168.63)		(13,168.63)
	Less: Re-payments	(69,807.29)		(69,807.29)	(64,264.30)		(64,264.30)
	Less Current part	(5,852.79)	5,852.79	-	(6,276.50)	6,276.50	-
		4,307.66	**5,852.79**	**10,160.45**	**5,747.00**	**6,276.50**	**12,023.50**
iv)	M.K.Y. Disbursement	1,358.70		1,358.70	1,358.70		1,358.70
	Less: Refund / Recall	(564.27)		(564.27)	(563.47)		(563.47)
	Less: Re-payments	(714.92)		(714.92)	(710.87)		(710.87)
	Less Current part	(59.71)	59.71	-	(39.45)	39.45	-
		19.80	**59.71**	**79.51**	**44.91**	**39.45**	**84.36**
v)	S.S.Y. Disbursement	480.65		480.65	480.65		480.65
	Less: Refund / Recall	(260.24)		(260.24)	(259.84)		(259.84)
	Less: Re-payments	(195.36)		(195.36)	(177.58)		(177.58)
	Less Current part	(16.78)	16.78	-	(25.46)	25.46	-
		8.27	**16.78**	**25.05**	**17.77**	**25.46**	**43.23**

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

vi)	**E.L.S. Disbursement**	8,402.97		8,402.97	7,461.21		7,461.21
	Less: Refund / Recall	(630.46)		(630.46)	(605.68)		(605.68)
	Less: Re-payments	(4,136.99)		(4,136.99)	(3,492.47)		(3,492.47)
	Less Current part	(1,506.21)	1,506.21	-	(1,453.94)	1,453.94	-
		2,129.31	**1,506.21**	**3,635.52**	**1,909.12**	**1,453.94**	**3,363.06**
vii)	**VTLES**	568.27		568.27	568.27		568.27
	Less: Refund / Recall	-		-	-		-
	Less: Re-payments	(397.27)		(397.27)	(289.27)		(289.27)
	Less Current part	(103.50)	103.50	-	(108.00)	108.00	-
		67.50	**103.50**	**171.00**	**171.00**	**108.00**	**279.00**
viii)	**AMY**	6,625.96	-	6,625.96	3,207.96	-	3,207.96
	Less: Refund / Recall	-	-	-	-	-	-
	Less: Re-payments	(2,277.54)	-	(2,277.54)	(494.85)	-	(494.85)
	Less Current part	(3,532.02)	3,532.02	(0.00)	(1,355.44)	1,355.44	0.00
		816.40	**3,532.02**	**4,348.42**	**1,357.67**	**1,355.44**	**2,713.11**
ix)	**M.A.Y. Disbursement***	2,380.65		2,380.65			-
	Less: Refund / Recall	-	-	-	504.90	-	504.90
	Less: Re-payments	(85.59)	-	(85.59)	-	-	-
	Less Current part	(255.45)	255.45	-	(50.49)	50.49	-
		2,039.61	**255.45**	**2,295.06**	**454.41**	**50.49**	**504.90**
x)	**UNY. Disbursement***	12,589.04		12,589.04	5,589.04		5,589.04
	Less: Refund / Recall	-		-	-		-
	Less: Re-payments	(2,755.04)		(2,755.04)	(589.04)		(589.04)
	Less Current part	(4,000.00)	4,000.00		(1,749.00)	1,749.00	
		5,834.00	**4,000.00**	**9,834.00**	**3,251.00**	**1,749.00**	**5,000.00**
		1,22,237.34	**97,026.17**	**2,19,263.51**	**1,18,379.74**	**86,119.55**	**2,04,499.29**
I B.	**Loans (Considered good-secured)**						
xi)	**Staff Advances**	221.44	99.02	320.46	222.62	97.22	319.84
	TOTAL : I B	**221.44**	**99.02**	**320.46**	**222.62**	**97.22**	**319.84**

* Against Lien of FDR'S ,PDC's

I C.	**Loans Receivables which have Significant increase in credit risk**			-			-
(i)	**Term Loan Disbursement**	605.65		605.65	605.65		605.65
	Less: Refund / Recall			-			-
	Less: Re-payments			-			-
	Less Current part			-			-
		605.65	-	605.65	605.65	-	605.65
(ii)	**M.C.F. Disbursement**	16.00		16.00	16.00		16.00
	Less: Refund / Recall			-			-
	Less: Re-payments			-			-
	Less Current part			-			-
		16.00	-	**16.00**	**16.00**	-	**16.00**
(iii)	**M.S.Y. Disbursement**	95.00		95.00	95.00		95.00
	Less: Refund / Recall			-			-
	Less: Re-payments			-			-
	Less Current part			-			-
		95.00	-	**95.00**	**95.00**	-	**95.00**
	TOTAL : I C	**716.65**	-	716.65	**716.65**	-	716.65
	Less: Allowance for Bad & Doubtful Loan	**-716.65**		(716.65)	(716.65)		(716.65)
	Total (1A+1B+1C)	**1,22,458.78**	**97,125.19**	**2,19,583.97**	**1,18,602.36**	**86,216.77**	**2,04,819.13**

6.1 Details for the Year

Particulars	**Op Balance 01.04.2023**	**Disbursements 2023-24**	**Repayments 2023-24**	**Refund / Recall 2023-24**	**Cl. Balance 31.03.2024**
Term Loan (TL)	1,75,683.47	53,054.03	41,241.43	2,937.85	1,84,558.23
Micro Credit Finance (MCF)	5,426.32	1,471.89	2,119.40	0.90	4,777.92
Mahila Samridhi Yojna (MSY)	12,118.50	3,683.93	5,542.99	4.00	10,255.45
Mahila Kisan Yojna (MKY)	84.37	-	4.05	0.80	79.52
Shilpi Samridhi Yojna (SSY)	43.23	-	17.78	0.40	25.05
Education Loan Scheme (ELS)	3,363.06	941.76	644.52	24.78	3,635.52
Vocational Education Training Loan Schem	279.00	-	108.00	-	171.00
Ajeevika Microfinance Yojna (AMY)	2,713.11	3,418.00	1,782.70	-	4,348.41
Mahila Adhikarita Yojna (MAY)	504.90	1,875.75	85.59	-	2,295.06
Udyam Nidhi Yojna (UNY)	5,000.00	7,000.00	2,166.00	-	9,834.00
Total	**2,05,215.97**	**71,445.37**	**53,712.44**	**2,968.73**	**2,19,980.16**
Previous Year Figures.	**2,02,760.91**	**63,594.67**	**59,375.45**	**1,764.17**	**2,05,215.97**

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN.007601N NEW DELHI

6.1(A): Current Loans are loan amounts which are receivable during the next 12 months after end of the financial year.

6.1(B): (i) During the Financial Year 2023-24 waiver of interest on refund is NIL (previous year waiver of interest on refund Rs.1,74,406/-in case of APSFC).

(ii) The status of the arbitration proceedings is given hereunder:-

(a) Manipur State SCs & STs Development Co-operative Bank Ltd. (MSTCB):- The Arbitrator passed Award in favour of NSFDC and has directed "MSTCB to pay the amount of Rs.1.53 crore (including principal and interest) together with 9% interest thereon from the date of claim till the date of realisation by the Respondent". NSFDC filed Execution Case in the Court of District Judge, Imphal, Manipur. Accordingly recognition of interest income at enhanced rate of 9% has been deferred till execution of award/realisation. In view of execution case pending, the normal interest has also not been recognised during the accounting period, in accordance with Ind AS 109.

(b) Bihar State SCs Co-operative Development Corporation (BSCDC):- The Arbitrator passed Award on 07.06.2023 in favour of NSFDC and has directed "to BSCDC to settle the claim, to the extent of Rs. 20.42 crores and had granted seven months time to clear the settlement amount. In the event of default interest to be paid@12% p.a.". BSCDC denied the award and filed petition against the award therefore recognition of interest income @12p.a. has been deferred in accordance with Ind AS 109.

(iii) The dues of ASCDC were long pending and Board desired to refer it to AMRCD. However Secretary, SJ&E took inititative for OTS and directed to settle the overdues at Rs. 6.26 crore(including all interests). ASCDC repaid Rs. 6.26 crore on 28.03.2024. In Accordance with Ind AS 109, Rs. 78.95 lakh has been adjusted from prior period income.

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN.007601N NEW DELHI

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2024

7 Other financial assets - Non Current

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2024	As at 31st March 2023
Considered good-Unsecured		
Security Deposit **(refer note:7.1)**	21.36	5.84
Interest Receivables but not due	8.83	106.45
Receivables which have Significant increase in credit risk		
Deposit recoverable (Doubtful)	1,539.99	1,539.99
Less: Allowance for Bad & Doubtful Loans **(refer note:30.3)**	(1,539.99)	(1,539.99)
Total	**30.19**	**112.29**

8 Other Non Current Assets

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2024	As at 31st March 2023
Prepaid Expenses-Staff Cost **(refer note:8.1)**	47.34	43.98
	47.34	**43.98**

8.1 Prepaid expenses includes Rs 47.34 lakhs (for 2022-23 Rs 43.98 lakhs) towards unamortized portion of Staff Loans & Advances or difference between the fair value of financial assets at initial recognition & loans given.

9 Cash and cash equivalent

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2024	As at 31st March 2023
Balances with banks:		
-Operational Bank Account	2,702.20	8,324.45
-Grant Fund Account	4,564.37	23,339.96
-Un spent CSR Fund Account	58.66	56.45
Total	**7,325.24**	**31,720.86**

10 Bank Balance Other than Cash & Cash Equivalent

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2024	As at 31st March 2023
Other bank balance		
Special Reserve Fund FDR's	6,617.62	7,223.88
Total	**6,617.62**	**7,223.88**

11 Other Financial Assets

(₹ in Lakhs)

	Particulars	As at 31st March 2024	As at 31st March 2023
i)	**Interest Receivables**	4,344.54	3,583.57
	Less : Allowance for Bad & Doubtful Interest **(Refer note:11.1 & 30)**	(918.10)	(858.57)
		3,426.44	**2,725.00**
ii)	**Others**		
	Interest receivable on savings bank	0.04	0.07
	Interest Receivable but not due on Special Reserve Fund	232.40	209.29
	Rent Receivable	2.70	-
	Amount recoverable	328.26	58.61
	Total	**3,989.83**	**2,992.97**

11.1 In terms of Accounting Policy 2.11(i)(a), Interest of Rs 59.53 lakhs (previous year Rs 57.11 lakh) in respect of overdues from BSCDC has been booked and an equivalent amount has been recongnized as an expense. Further, during the year 2023-24, no repayment has been received from BSCDC. Accordingly, the cumulative provision of BSCDC as on 31.03.2024 is amounting to Rs. 1634.75 lakh (previous year Rs. 1,575.22 lakh) (refer noted 6.1D (ii)(d).

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2024

12 Current Tax Assets

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2024	As at 31st March 2023
TDS receivable	15.75	24.87
Total	**15.75**	**24.87**

13 Other Current Assets

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2024	As at 31st March 2023
Advances other than Capital Advances		
Advance to Staff	4.94	1.67
Advances to parties	68.33	50.17
Others		
Prepaid expenses	13.32	13.52
Total	**86.59**	**65.36**

13.1 Prepaid expenses includes Rs 10.04 lakhs (2022-23: Rs 9.32 lakhs) towards unamortized portion of Staff Loans & Advances or difference between the fair value of financial assets at initial recognition & loans given.

14 Share Capital

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2024	As at 31st March 2023
Authorized share capital		
1,80,00,000 Equity Share of Rs 1,000 each(as at 31-03-2023:1,50,00,000) Equity Share of Rs 1,000 each	1,80,000	1,50,000
Issued/Subscribed and Paid up Capital		
1,51,50,000 Equity Share of Rs 1,000 each(as at 31-03-2023:1,50,00,000) Equity Share of Rs 1,000 each	1,51,500	1,50,000
	1,51,500	**1,50,000**

Ministry of Corporate Affairs approved enhancement of Authorized Share Capital Rs. 300 crores on 02.02.2024.

14.1 Reconciliation of the number of equity shares and share capital

Particulars	As at 31st March 2024		As at 31st March 2023	
	(No's of Shares in Lakhs)	(Amount in Lakhs)	(No's of Shares in Lakhs)	(Amount in Lakhs)
Issued/Subscribed and Paid up equity Capital outstanding at the beginning of the year	150.00	150000.00	150.00	150000.00
Changes in Equity Share Capital due to prior period errors				
Restated Balance as at the beginning of the year	150.00	150000.00	150.00	150000.00
Add: Shares Issued during the year	1.50	1,500.00	-	-
Issued/Subscribed and Paid up equity Capital outstanding at the end of the year	**151.50**	**1,51,500.00**	**150.00**	**1,50,000.00**

Terms & Rights attached to Equity Shares

(i) The Corporation has only one class of equity shares having par value of Rs.1,000 per share. Each holder of equity shares is entitled to one vote per share. The company has obtained Licence u/s 8 of the Companies Act, 2013 therefore dividend is not payable by the Company.

(ii) During the accounting period, Rs. 15 crore share capital has been received on 07.03.2024 . The shares has been alloted vide resolution dated 28.03.2024.

14.2 Details of Shares held by shareholders holding more than 5% of the aggregate shares in the company

Particulars	As at 31st March 2024		As at 31st March 2023	
	(No's of Shares in Lakhs)	% of holding	(No's of Shares in Lakhs)	% of holding
Equity shares				
President of India	151.50	100%	150.00	100%
	151.50	**100.00%**	**150.00**	**100.00%**

14.3 Details of Promoter's Shareholding-

Name of Promoter	As at 31st March 2024			As at 31st March 2023		
	No. of Shares in Lakhs	% of total share	%change during year	No. of Shares in Lakhs	% of total share	% of total share
President of India	151.50	100.00%	NIL	150.00	100.00%	NIL

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2024

15 Other Equity

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2024	As at 31st March 2023
Other Reserves		
Special Reserve	8,997.19	7,974.18
General Reserve	68,982.46	64,718.09
	77,979.65	**72,692.28**

15.1 Special Reserve

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2024	As at 31st March 2023
Balance as at the beginning of the year	7,974.18	7,222.81
Add: Interest on Special Reserve Fund Investment	552.08	275.24
Add : Transferred from Retained Earnings	470.92	476.14
Closing Balance	**8,997.19**	**7,974.18**

15.2 General Reserve

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2024	As at 31st March 2023
Balance as at the beginning of the year	64,718.09	61,269.06
Less: Prior period errors	-	840.68
Restated Balance as at the beginning of the year	64,718.09	60,428.38
Add : Transferred from Retained Earnings	4,264.37	4,289.71
Closing Balance	**68,982.46**	**64,718.09**

15.3 Retained Earnings

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2024	As at 31st March 2023
Opening Balance	-	-
Add : Transfer from Income & Expenditure a/c	4,709.24	4,761.39
Less:-Interest on Special Reserve Fund Investment Trf to Special Reserve		
Add: Prior period Adjustments (Net)	-	-
Income & Expenditure before considering the interest income from Special Reserve Fund Investment	**4,709.24**	**4,761.39**
Less : 10% Transferred to Special Reserve Fund	470.92	476.14
Less: 10% Amount pertain to the prior year exp reverse from amount t/f to Special Reserve Fund	-	-
Add: Other comprehensive income arising from remeasurement of defined benefit obligation	26.05	4.46
Balance Transferred to General Reserve	4,264.37	4,289.71
Closing Balance	-	-

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2024

16 Current & Non current provisions

Particulars	As at 31st March 2024		Total	As at 31st March 2023		Total
	Non - Current	Current		Non - Current	Current	
i) Provision for Employee Benefits						
- Leave Benefits	512.41	81.67	594.08	493.92	50.42	544.34
-Provision for Performance Related Pay	-	396.23	396.23	-	385.11	385.11
-Gratuity (Net)	-	65.76	65.76	-	81.77	81.77
ii) Other Provisions						
-Provision for incentive to SCA	-	195.09	195.09	-	257.09	257.09
-Provision for CSR	-	27.80	27.80	-	21.18	21.18
Total	512.41	766.55	1,278.96	493.92	795.59	1,289.49

16.1 Amount pertaining to person(s) superannuating in next 12 months from close of the financial year has been taken as current provision.

16.2 Details of provisions :

Particulars	As at 1st April 2023	Additions during the year 2023-24	Utilized/payments during the year 2023-24	Written back during 2023-24	Provision Set off during the year	As at 31st March 2024
Leave Benefits	544.34	97.55	47.81	-	-	594.08
Provision for PRP	385.11	-	193.90			191.21
Provision for incentive to SCA	257.11	105.00	167.00			195.09
Provision for CSR	21.18	16.67	10.06	-		27.80
Total	1,207.74	219.23	418.77	-	-	1,008.18
Previous Year Fig.	1,091.54	437.18	320.98	-	-	1,207.74

16.3 Disclosures as per Ind AS - 19 Actuarial Valuation (Gratuity, Leave Benefit)
The summarized position of defined benefits of gratuity and long term leave benefits recognized in the statement of Income and Expenditure and Balance Sheet along with the funded status is as under:

Particulars	As at 31st March 2024		As at 31st March 2023	
	Gratuity (Funded)	Leave encashment (Unfunded)	Gratuity (Funded)	Leave encashment (Unfunded)
(I) Key Assumption of actuarial				
Mortality Rate	IALM (20012-14)		IALM (20012-14)	
Attrition rate				
Upto 30 yrs	5%	5%	5%	5%
31 to 44 years	5%	5%	5%	5%
above 44 years	5%	5%	5%	5%
Discount Rate	7.23	7.23	7.32	7.32
Salary rise (p.a)	6.00	6.00	6.00	6.00
Rate of return on plan assets (p.a)				
Remaining Working Life	11.15 Years		11.33 Years	
(II) Changes in the present value of obligations				
Present value of obligations at the beginning of the period	901.41	544.34	852.26	514.50
Interest cost	65.98	39.84	60.59	36.58
Current service cost	36.29	24.81	34.78	22.95
Past service cost	-		-	
Benefit paid (if any)	(21.28)	(47.81)	(40.00)	(58.57)
Actuarial (gain)/loss	(20.81)	32.90	-6.23	28.88
Present value of the obligation at the end of the period	961.59	594.08	901.40	544.34
(III) The amount to be recognized in the Balance Sheet:				
Fair value of plan assets at the end of the year	895.83	-	819.63	-
Present value of obligation as at the end of the year	961.59	594.08	901.40	544.34
Net Asset/(Liability) recognized in the Balance sheet	(65.76)	(594.08)	(81.77)	(544.34)

DAVINDER PAL SINGH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN:00760IN
NEW DELHI

(IV)				
Current service cost	36.29	24.81	34.78	22.95
Past service cost				
Net Interest cost	5.99	39.84	4.35	36.58
Actuarial (gain)/ loss		32.90		28.88
Net cost recognized in the Income & Expenditure Statement	**42.28**	**97.55**	**39.13**	**88.41**
(V) Changes in the Fair Value of Planned Assets:				
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the period	819.63	-	791.14	-
Expected Return on Plan Assets	65.23	-	54.51	-
Contributions	32.24	-	-0.03	-
Benefits paid	(21.27)	-	14.01	-
Actuarial gain/(loss) on plan assets	-		-40.00	
Fair Value of Plan Assets at the end of the Period	**895.83**	-	**819.63**	-
(VI) Actuarial Gain/(Loss) to be recognised in Other Comprehensive Income:	26.05	-	4.46	-
	26.05	-	**4.46**	-

Sensitivity analysis:

For the year ended 31st March 2024

Change in	Change in assumptions	As at 31st March 2024 Effect on Gratuity obligation	Effect on Leave Encashment
Discount Rate	Present value of obligation as at the end of the year	961.59	594.08
	impact due to increase of 0.50%	(19.48)	(13.14)
	impact due to decrease of 0.50%	20.23	13.61
Salary Growth Rate	Present value of obligation as at the end of the year	961.59	594.08
	impact due to increase of 0.50%	20.38	13.73
	impact due to decrease of 0.50%	(19.80)	(13.29)

For the year ended 31st March 2023

Change in	Change in assumptions	As at 31st March 2023 Effect on Gratuity obligation	Effect on Leave Encashment
Discount Rate	Present value of obligation as at the end of the year	901.41	544.34
	impact due to increase of 0.50%	(20.51)	(13.34)
	impact due to decrease of 0.50%	21.33	13.81
Salary Growth Rate	Present value of obligation as at the end of the year	901.41	544.34
	impact due to increase of 0.50%	21.50	13.95
	impact due to decrease of 0.50%	(20.85)	(13.50)

Sensitivities due to mortality & withdrawals are not material & hence impact of change not calculated.

Sensitivities as to rate of inflation, rate of increase of pensions in payment, rate of increase of pensions before retirement & life expectancy are not applicable being a lumpsum benefit on retirement.

Maturity Profile of Defined Benefit Obligation

		As at 31st March 2024		As at 31st March 2023	
		Gratuity (Funded)	Leave encashment (Unfunded)	Gratuity (Funded)	Leave encashment (Unfunded)
	Year	Amount	Amount	Amount	Amount
i	0 to 1 year	128.25	81.66	71.91	50.42
ii	1 to 2 year	96.95	64.59	111.87	68.03
iii	2 to 3 year	102.92	60.89	83.78	52.32
iv	3 to 4 year	154.10	108.81	88.19	54.08
v	4 to 5 year	122.14	62.61	135.38	88.56
vi	5 to 6 year	132.44	73.43	104.05	53.75
vii	6 year onwards	224.78	142.09	306.22	177.18

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:00760[illegible] NEW DELHI

17 Financial liabilities

17.1 Loan Liabilities

Particulars	As at 31st March 2024	As at 31st March 2023
Loan from BOB	2,500.00	-
Total	**2,500.00**	**-**

17.2 Others

	Particulars	As at 31st March 2024	As at 31st March 2023
	Grant in Aid towards :		
(ia)	PM-DAKSH Scheme (9483) MOSJ&E	-	-
	Seed Grant	600.00	-
	PM Daksh CNA A/c	2,145.13	509.34
	UGC Grant Scheme	1,319.40	665.22
	DAPSC	-	12,141.86
	VISVAS Scheme (3886) MOSJ&E	-	50.30
	Grant for Skill Training (MOSJ&E)(9496) **(refer note:17.2)**	205.99	200.27
	Grant from Ministry of Textiles	9.67	9.69
(ib)	Interest on grant payable to GOI	58.09	87.97
(ii)	Grant from Other Organisations	29.64	28.80
	Grant from DGT,MSDE Govt	-	-
	BPCL CSR	0.47	0.39
(iii)	Security Deposit Received	4.70	4.71
(iv)	EMD payable	13.63	15.70
(v)	Sundry Creditors	126.58	9,444.75
(vi)	Outstanding Expenses	163.06	110.04
(vii)	Other Payable	88.01	16.90
	Total	**4,764.37**	**23,285.94**

17.3 As advised by CAG, the Grants available are recognized as revenue grants and unspent balance is shown as Current Liabilities. The company has followed the Income Approach for the recognition of grant. The expenditure and receipts against the grants are recognized through Income and Expenditure account. The details of training grant and subsidy at the beginning, received, refunded, released during the year, and the balance as on 31.03.24 are as under :

(₹ in Lakhs)

S.No.	Particulars	Opening Balance as at 01.04.2023	Receipts/Receivable during the year 23-24	Interest Income during the year 23-24	Refund for the year 23-24	Recognized during the year 23-24 (Releases)	Interest refunded Refundable/ to GOI*	Closing Balance as on 31st March 2024
1	PM Daksh CNA A/c*	509.34	3266	31.41	0	1630.21	31.41	2,145.13
2	NFSC Grant(MOSJE-CNA)*	665.22	20855.99	38.93	0	20201.81	38.93	1,319.40
3	DAPSC CNA (AJS & YES Scheme)	12141.86	0	684.85	15286.64	-3144.78	684.85	-
4	VISVAS Scheme (3886) MOSJ&E	50.29	0	1.27	50.29	0	1.27	0.00
5	Seed Grant Scheme	0	600	0.11	0	0	0.11	600.00
6	Skill Training Grant-(9496) MOSJ&I	200.2715	0	7.54	0	-5.72	7.54	205.99
7	Textile Grant	9.67	0	0.56	0	0	0.56	9.67
8	Resource Linkage Program II	0	0	0	0	0	0	-
	(i) RLP-BPCL	0.39	0	0.08	0	0	0	0.47
	(ii) RLP-Others PSUs	28.8	0	0.84	0	0	0	29.64
	Balance as per 31st March 2024	**13,605.84**	**24,721.99**	**765.59**	**15,336.93**	**18,681.52**	**764.67**	**4,310.30**
	Balance as per 31st March 2023	**3,608.67**	**34,592.00**	**170.23**	**2,587.86**	**22,006.93**	**170.23**	**13,605.87**

*** Included refunded amount to GOI during the FY 2023-24**

18 Other current liabilities

Particulars	As at 31st March 2024	As at 31st March 2023
Statutory Dues	91.07	143.99
Total	**91.07**	**143.99**

DAVINDER PAL SINGH & CO. NEW DELHI FRN.

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2024

19 Revenue From Operations (₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended 31st March 2024	For the Year Ended 31st March 2023
Interest on Loan to SCAs/others		
Interest on Term Loan (TL)	5,798.38	5,844.18
Interest on Micro Credit Finance (MCF)	105.73	92.29
Interest on Mahila Kisan Yojana (MKY)	1.65	3.35
Interest on Mahila Samriddhi Yojana (MSY)	113.55	114.73
Interest on Shilpi Samridhi Yojna (SSY)	0.67	0.95
Interest on Education Loan Scheme (ELS)	49.09	47.68
Interest on Vocational Education Training Loan Scheme (VETLS)	3.24	4.77
Interest on Udyam Nidhi Yojna (UNY)	310.93	0.55
Intt. Received on Ajeevika Microfinance Yojna (AMY)	146.50	8.87
Intt. Received on Mahila Adhikarita Yojna (MAY)	41.63	1.42
Interest on Refund (refer note:19.1)	1.11	1.10
Other Operating Revenue		
Interest Subvention VISVAS Scheme management charge(refer note: 19.2)	-	5.89
Admin. & Monitoring Charges booked under PM Daksh Scheme (refer note: 19.3)	16.13	33.11
Admin. & Monitoring Charges booked under National Fellowship for providing Fellowship to Scheduled Caste Students (refer note 19.4)	200.03	64.83
Admin. & Monitoring Charges booked under Amrit Jaldhara Scheme (AJS) & Young Entrepreneur Scheme (YES) (refer note no. 19.5)	76.76	99.12
Total	**6,865.40**	**6,322.84**

19.1 The Board in it's 165th Board meeeting held on 25.08.2023 approved revision in lending policy for SCAs/CAs. i.e. change in intrerest rates, reduction of utlization period and morotarium period. The effect on intrerest income due to change in interest rate is amounting to Rs 41,44,225.

19.2 During the year 2023-24, an Interest on Refund of Rs. 1.11 lakh (Rs.57.11 lakh during the F.Y 2022-23) from SCAs, Rs.Nil lakh (Rs.0.15 lakh during the F.Y 2022-23) from RRBs/PSBs and Rs. NIL (Rs. NIL during the F.Y 2022-23) from NBFC-MFIs was levied on refunded amount of Rs.31.23 lakh (Rs.87.09 lakhs during the F.Y 2022-23). Interest on Refund is levied as per existing Lending Policy as follows:-

(i) In case of SCAs, when disbursement amount is refunded in total.

(ii) In case of Channelizing Agencies:-

(a) Interest on funds not utilized within 120 days (90 days w.e.f. 01.10.2023) period and refunded shall be applicable @4% p.a. over and above the normal rate of interest charged by NSFDC from CA(s) and it shall be applicable from the date of disbursement to date of refund.

(b) NSFDC funds refunded unutilized by the CA(s) even within 120 days(90 days w.e.f. 01.10.2023) shall attract the same interest as indicated above.

(c) The CA(s) shall be exempted from levy of such interest on unutilized funds of the cumulative funds utilization level is 80% or above as the end of preceding financial year.

(iii) In case of NBFC-MFI, the CAs shall be exempted from levy of Interest on Refund, if the cumulative fund utilization level is 80% or above under the particular scheme.

19.3 During the year, the Interest Subvention scheme launched by the Ministry with name Vanchit Ikai Samooh aur Vargon Ki Aarthik Sahayta (VISVAS) was closed at implmentation level and the unspent grant funds with interest credited on the grant funds were returned to the Ministry.

19.4 During the year, the Corporation has implemented Pradhan Mantri Dakshta Aur Kaushalta Sampann Hitgrahi (PM-DAKSH) Yojana, a Central Sector Scheme of the Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India. Under PM-DAKSH Yojana, the Corporation has been implementing NSQF compliant Skill Development Training Programmes for the persons belonging to Scheduled Castes. Therefore, towards implementation of PM-DAKSH Yojana, the Corporation is entitled for Monitoring expenses @ 1% of the Training Cost.

19.5 During the year, the Corporation has implemented the existing scheme of National Fellowship for providing Fellowship to Scheduled Caste Students of Ministry to provide fellowships in the form of Financial assistance to students to pursue higher studies in Indian Universities/Institutions/Colleges recognised by University Grants Commission (i.e. UGC). For this, the Corporation is entitled for 1% of the total fellowship disbursed.

19.6 During the year, the Corporation has implemented the Central Sector Scheme of Development Action Plant of SCs (DAPSCs) launched by the Ministry. The Scheme was closed at the level of implementation and the unspent grant funds with interest credited on grant funds were returned to the Ministry. The Corporation earned the administrative charges on proportionate basis on the funds disbursed.

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2024

20 Other Income

Particulars	For the Year Ended 31st March 2024	For the Year Ended 31st March 2023
a) Interest Income		
Interest on deposits with Banks	-	170.11
Interest on Saving Bank Accounts	666.70	789.83
Interest on advance to employees & others **(Refer note-20.1)**	35.59	36.47
b) Other Non-Operating Income		
Miscellaneous Receipts	1.14	2.42
Rent Received	19.17	22.37
Provision written back	100.45	122.56
Total	**823.05**	**1,143.76**

20.1 Rs 12.68 lakhs during the F.Y. 2023-24 (Rs 15.39 lakhs during the F.Y. 2022-23) for amortisation of deferred expense recognised due to fair valuation of staff loan.

21 Employee Benefits Cost

Particulars	For the Year Ended 31st March 2024	For the Year Ended 31st March 2023
a) Salary, Wages & Benefits : CMD		
Salary & Allowances	52.37	49.68
Medical Reimbursement	0.11	0.03
LTC Exp	-	0.21
Leave Benefit	-	-
Foreign Service Contributions	10.07	9.16
	62.55	**59.07**
b) Salary, Wages & Benefits : Employees		
Salary & Allowances	1,298.13	1,248.64
Leave Benefit	97.55	89.44
LTC Encashment	0.05	1.56
LTC Exp	1.94	5.77
Medical Reimbursement	44.71	51.08
Overtime	1.07	1.92
Professional Membership Fees	0.10	0.05
PRP	205.02	191.21
Foreign Service Contributions	-	2.89
	1,648.57	**1,592.56**
c) Contribution to Provident Fund & Other Funds		
Corpn Cont. to PF/GSLIS	98.15	90.29
Corpn Cont to Pension	9.66	10.25
PF Admin Exp	4.53	4.22
Gratuity	42.29	39.13
Medical (Retiral)	26.96	25.13
Pension (Retiral)	89.86	83.78
	271.45	**252.80**
d) Staff welfare expenses	10.17	12.12
	10.17	**12.12**
e) Employee benefit expense on loans and advances	12.68	15.39
Total	**2,005.42**	**1,931.95**

21.1 Finance Cost

Particulars	For the Year Ended 31st March 2024	For the Year Ended 31st March 2023
Interest on Loan	62.13	-
Total	**62.13**	-

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2024

22 Depreciation & Amortization Costs

Particulars	For the Year Ended 31st March 2024	For the Year Ended 31st March 2023
Depreciation on Tangible Assets **(refer note:3 & 4)**	-	31.78
Depreciation on Right of use assets **(refer note:3)**	-	-
Amortization of Intangible assets **(refer note:5)**	-	0.92
Total	-	**32.70**

23 Incentive to SCA

Particulars	For the Year Ended 31st March 2024	For the Year Ended 31st March 2023
Incentive to SCA for Recovery	-	45.00
Incentive to SCA- NAPE	45.00	45.00
Incentive to SCA-ISOCA	60.00	60.00
	105.00	**150.00**

24 Other Expenses

Particulars	For the Year Ended 31st March 2024	For the Year Ended 31st March 2023
Advertisement Expenses	-	1.47
Bank Charges	0.01	0.01
Business Promotion Expenses	3.62	4.62
Computer and Website Exp	5.44	3.98
Corporation Membership fees	1.89	1.69
Directors/Board Meeting Expenses	1.97	1.92
Electricity Charges	20.44	21.66
Insurance Charges	4.83	4.97
Legal & Professional Expenses/Consultancy	11.20	52.25
Media Audio Visual Publ.Eva/Conf/Seminar	177.76	90.66
Office Building Exp	59.89	54.04
Office Expenses	77.33	73.74
Office Rent	3.53	3.04
Payments to Auditor **(refer note: 24.1)**	2.10	2.10
Postage, Telegram	0.60	1.25
Printing and Stationery	9.37	9.66
Telephone & Telex	6.76	6.51
Training Exp - Staff	2.07	0.39
Training Exp - Directors	0.12	0.03
Conveyance Expenses	4.40	0.92
Travelling Exp - Directors	3.62	2.94
Travelling Exp - Staff	32.07	20.87
Travelling Exp - Consultant	0.63	0.09
Vehicle Expenses	11.17	15.49
Rates & Taxes	7.56	4.80
Parliamentary Committee Exp	13.24	0.76
Newspapers, Books & Periodicals	0.38	0.53
Interest Waiver under (OTS) **(refer note: 24.2)**	-	1.74
Staff Recruitment Exp/Income	4.58	6.70
Advances Written Off	-	0.21
Administrative Expenses against Grants	163.59	72.58
Grant Expenses	18,681.52	-
Less Grant Income	-18,681.52	-
Total	**630.17**	**461.62**

24.1 Auditors Remuneration

For Audit	2.10	2.10
For Audit Previous year	-	-
For taxation matters	-	-
For Company Law matters	-	-
For Management services	-	-
For other services	-	-
For reimbursement of expenses	-	-
Total	**2.10**	**2.10**

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN 007601N NEW DELHI

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2024

22 Depreciation & Amortization Costs

Particulars	For the Year Ended 31st March 2024	For the Year Ended 31st March 2023
Depreciation on Tangible Assets **(refer note:3 & 4)**	34.06	31.78
Depreciation on Right of use assets **(refer note:3)**	-	-
Amortization of Intangible assets **(refer note:5)**	0.61	0.92
Total	**34.67**	**32.70**

23 Incentive to SCA

Particulars	For the Year Ended 31st March 2024	For the Year Ended 31st March 2023
Incentive to SCA for Recovery	-	45.00
Incentive to SCA- NAPE	45.00	45.00
Incentive to SCA-ISOCA	60.00	60.00
	105.00	**150.00**

24 Other Expenses

Particulars	For the Year Ended 31st March 2024	For the Year Ended 31st March 2023
Advertisement Expenses	-	1.47
Bank Charges	0.01	0.01
Business Promotion Expenses	3.62	4.62
Computer and Website Exp	5.44	3.98
Corporation Membership fees	1.89	1.69
Directors/Board Meeting Expenses	1.97	1.92
Electricity Charges	20.44	21.66
Insurance Charges	4.83	4.97
Legal & Professional Expenses/Consultancy	11.20	52.25
Media Audio Visual Publ.Eva/Conf/Seminar	177.76	90.66
Office Building Exp	59.89	54.04
Office Expenses	77.33	73.74
Office Rent	3.53	3.04
Payments to Auditor **(refer note: 24.1)**	2.10	2.10
Postage, Telegram	0.60	1.25
Printing and Stationery	9.37	9.66
Telephone & Telex	6.76	6.51
Training Exp - Staff	2.07	0.39
Training Exp - Directors	0.12	0.03
Conveyance Expenses	4.40	0.92
Travelling Exp - Directors	3.62	2.94
Travelling Exp - Staff	32.07	20.87
Travelling Exp - Consultant	0.63	0.09
Vehicle Expenses	11.17	15.49
Rates & Taxes	7.56	4.80
Parliamentary Committee Exp	13.24	0.76
Newspapers, Books & Periodicals	0.38	0.53
Interest Waiver under (OTS) **(refer note: 24.2)**	-	1.74
Staff Recruitment Exp/Income	4.58	6.70
Advances Written Off	-	0.21
Administrative Expenses against Grants	163.59	72.58
Grant Expenses	18,681.52	-
Less Grant Income	-18,681.52	-
Total	**630.17**	**461.62**

24.1 Auditors Remuneration

Particulars	For the Year Ended 31st March 2024	For the Year Ended 31st March 2023
For Audit	2.10	2.10
For Audit Previous year	-	-
For taxation matters	-	-
For Company Law matters	-	-
For Management services	-	-
For other services	-	-
For reimbursement of expenses	-	-
Total	**2.10**	**2.10**

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2024

25 **Exceptional Items**

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended 31st March 2024	For the Year Ended 31st March 2023
Profit/ (Loss) on sale of assets (Net)	3.27	0.06
Total	3.27	0.06

26 **Components of Other Comprehensive Income (OCI)**
The disaggregation of changes to OCI by each type of reserve in equity is shown below:-

(₹ in Lakhs)

Particulars	FVTOCI For the Year Ended 31st March 2024	FVTOCI For the Year Ended 31st March 2023
Remeasurement of Defined benefit plans		
- Gratuity	26.05	4.46
Total	26.05	4.46

27 **Earnings per share (EPS)**

Particulars	For the Year Ended 31st March 2024	For the Year Ended 31st March 2023
Basic EPS		
From continuing operation	31.08	31.74
Diluted EPS		
From continuing operation	31.39	31.74

27.1 **Basic Earning per Share**
The earnings and weighted average number of equity shares used in calculation of basic earning per share:-

Particulars	For the Year Ended 31st March 2024	For the Year Ended 31st March 2023
Profit attributable to equity holders of the company:		
Continuing operations	4,709.24	4,761.39
Earnings used in calculation of Basic Earning Per Share	4,709.24	4,761.39
Weighted average number of shares for the purpose of basic earnings per share	151.50	150.00

27.2 **Diluted Earning per Share**
The earnings and weighted average number of equity shares used in calculation of diluted earning per share:-

Particulars	For the Year Ended 31st March 2024	For the Year Ended 31st March 2023
Profit attributable to equity holders of the company:		
Continuing operations	4,709.24	4,761.39
Earnings used in calculation of diluted Earning Per Share from continuing operations	**4,709.24**	**4,761.39**

The weighted number of equity shares for the purpose of diluted earning per share reconciles to the weighted average number of equity shares used in calculation of basic earning per share as follows:

Particulars	For the Year Ended 31st March 2024	For the Year Ended 31st March 2023
Weighted average number of shares for the purpose of basic earnings per share	151.50	150.00
Effect of Dilution :	1.49	-
Shares pending allotment	-	-
Weighted average number of shares for the purpose of Diluted earnings per share	**150.01**	**150.00**

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:00760... NEW DELHI

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2024

28 **Capital management**

The company objective to manage its capital in a manner to ensure and safeguard their ability to continue as a going concern so that company can continue to provide maximum returns to share holders and benefit to other stake holders.
Further, company manages its capital structure to make adjustments in light of changes in economic conditions and the requirements of the financial covenants.

No changes were made in the objectives, policies or processes for managing capital during the years ended 31 March 2024.

29 **Fair Value measurements**

(i) The Carrying Value of Financial Instruments by categories are as follow:

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2024			As at 31st March 2023		
	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost
Financial Assets						
(i) Cash and Cash Equivalents	-	-	7,325.24	-	-	31,720.86
(ii) Other Bank balances	-	-	6,617.62	-	-	7,223.88
(iii) Other Financial Assets	-	-	4,020.02	-	-	3,105.26
(iv) Loan to SCA's & CA's	-	-	2,19,263.51	-	-	2,04,499.29
(v) Loan to employees	-	-	320.46	-	-	319.84
Total Financial Assets	**-**	**-**	**2,37,546.85**	**-**	**-**	**2,46,869.13**
Financial Liabilities						
(i) Security Deposits and EMD payable	-	-	18.33			20.41
(ii) Other financial liabilities	-	-	4,746.04			23,265.53
Total Financial Liabilities			**4,764.37**			**23,285.94**

(ii) Fair value of financial assets and liabilities that are measured at fair value:

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2024		As at 31st March 2023	
	Carrying Value	Fair Value	Carrying Value	Fair Value
Financial Assets				
(i) Loan to SCA's and CA's	2,19,263.51	2,19,263.51	2,04,499.29	2,04,499.29
(ii) Staff loans and Advances	320.46	315.62	319.84	318.20
Total Financial Assets	**2,19,583.97**	**2,19,579.13**	**2,04,819.13**	**2,04,817.49**
Financial Liabilities				
(i) Security Deposits and EMD payable	18.33	18.33	20.41	20.41
Total Financial Liabilities	**18.33**	**18.33**	**20.41**	**20.41**

i) The carrying amounts of cash and cash equivalents, other bank balances , EMD, other financial liabilities and loan to SCA's are considered to the same as their fair values, due to short term nature.
ii) The fair value of "Loans to employees" were calculated based on cash flows discounted using current market rate. They are classified as level 3 fair values in fair value hierarchy due to the inclusion of unobservable inputs including counterparty credit risk.

Fair Value Hierarchy

Level 1- Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities
Level 2- Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the assets or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived form prices)
Level 3- Inputs for the assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs)

The following table presents the fair value measurement hierarchy of financial assets and liabilities measured at amortised cost:-

Fair Value hierarchy as on 31-03-2024 (₹ in Lakhs)

Particulars	Date of valuation	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial Assets					
Financial assets at Amortised Cost					
(i) Loan to employees	31st March 2024	-	-	315.62	315.62
Total Financial Assets		**-**	**-**	**315.62**	**315.62**

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2024

Fair Value hierarchy as on 31-03-2023 (₹ in Lakhs)

Particulars	Date of valuation	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial Assets					
Financial assets at Amortised Cost					
(i) Loan to employees	31st March 2023	-	-	318.20	318.20
Total Financial Assets		**-**	**-**	**318.20**	**318.20**

(iii) Financial risk management

The Company's principal financial liabilities comprise grants and other payables. The main purpose of these financial liabilities is to finance the company's operations and to provide guarantees to support its operation. The Company's principal financial assets include Term/Micro finance loans to SCA's/CA's that derive directly from its equity. The Company is expose to market risk, credit risk and liquidity risk. The company's financial risk activities are governed by appropriate policies and procedures and those financial risks are identified, measured and managed in accordance with the companies policies and risk objectives. The board of directors review and agree on policies for managing each of these risk, which are summarised below:-

a) Market Risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instruments will fluctuate because of changes in market prices. Market risk comprises Interest rate risk. Financial instruments affected by market risk includes loan and advances, deposits and other non derivative financial instruments.

b) Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instruments will fluctuate because of change in market interest rate. The company is not exposed to interest rate risk.

c) Credit risk

Credit risk is the risk of financial loss to the Company if a counterparty to a financial instrument fails to meet its contractual obligations, and arises principally from the Company's loans receivables from SCA's & CA's. The company is exposed to credit risk from its financial activities of loans given to SCA's & CA's.

The company assesses and manages credit risk based on company's internal policies. The company considers the probability of default upon initial recognition of assets and whether there has been a significant increase in credit risk on an ongoing basis through out each reporting period. To assess whether there is a significant increase in credit risk the company compares the risk of default occurring on the asset as at the reporting date with the risk of default as at the date of initial recognition. It considers available reasonable and supportive forward looking information. Especially the following indicators are incorporated.

- Significant changes in the value of collateral supporting the obligation or in the quality of third party guarantees.
- Significant changes in the expected performance and behaviours of the borrower (SCA's & CA's), including changes in the payments status of the borrowers (SCA's & CA's) in the group and changes in the operating results of the borrower (SCA's).

In general, it is presumed that the credit risk has significantly increased since initial recognition if the payments are due for more than 3 years.

A default on a financial asset is when the counterparty fails to make payments whenever they fall due.

Financial instruments and cash deposits

Credit risk from balances with banks and financial institutions is managed in accordance with the companies policy. Investment of surplus are made only with approved with counterparty on the basis of the financial quotes received from the counterparty.

d) Liquidity Risk

Ultimate responsibility for liquidity risk management rest with the board of directors the company manages maintaining adequate banking facilities by continuously monitoring forecast and actual cash flows and by matching the maturities of financial liabilities.

30 Provisions

Provision for Expected Credit Losses of Loans and advances for the year ended 31st March, 2024 (₹ in Lakhs)

Particulars		Asset Group	Estimated Gross Carrying Amount of Default	Expected Probability of Default	Expected Credit Losses	Carrying Amount (Net of Impairment Provision)
	Financial Asset for which credit risk has not increased significantly since initial recognition*	Loans	2,19,362.53	0%	-	2,19,362.53
Loss Allowance measured at life-time expected credit losses		Interest on Loans	3,426.44	0%	-	3,426.44
	Financial Asset for which credit risk has	Loans	716.65	100%	716.65	-
		Interest on Loans	918.10	100%	918.10	-
		Advance	1,539.99	100%	1,539.99	-
			2,25,963.71		**3,174.74**	**2,22,788.97**

DAVINDER PAL SINGH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN:007601N
NEW DELHI

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2024

30.1 Provision for Expected Credit Losses of Loans and advances for the year ended 31st March, 2023

(₹ in Lakhs)

Particulars		Asset Group	Estimated Gross Carrying Amount of Default	Expected Probability of Default	Expected Credit Losses	Carrying Amount (Net of Impairment Provision)
Loss Allowance measured at life-time expected credit losses	Financial Asset for which credit risk has not	Loans	2,04,596.51	0%	-	2,04,596.51
		Interest on Loans	2,725.00	0%	-	2,725.00
	Financial Asset for which credit risk has	Loans	716.65	100%	716.65	-
		Interest on Loans	858.57	100%	858.57	-
		Advance	1,539.99	100%	1,539.99	-
			2,10,436.72		**3,115.21**	**2,07,321.51**

30.2 For SCA's where State Government Guarantee/Order/Assurances are available the Allowance for Doubtful loans is made @ 100% in the Books of Account if overdue for more than 3 years old on the date of Balance Sheet and shortfall in State Government Guarantee/Order/Assurances.

Other than SCAs (Where State Government Guarantee is not available)

(a) 100% provision on the amount due for payment but outstanding for the period of 3 years and above.

(b) 40% provision on the amount due for payment but outstanding for the period of 2 years and above but less the 3 years.

(c) 25% provision on the amount due for payment but outstanding for the period of 1 year and above but less the 2 years.

(d) No provision on the amount due for payment but outstanding for the period less than 1 year.

30.3 Provision for Bad and Doubtful Deposits

Provision for bad and doubtful deposits for Rs.1,539.99/- Lakhs (2019-20 Rs.1,539.99/- Lakhs) [being the principal amount Rs.1,485.00/- Lakhs (2019-20 Rs.1,485.00/- Lakhs) and interest receivable & due Rs.54.99/- Lakhs (2019-20 Rs.54.99/- Lakhs)] made in the books of accounts in respect of deposit made with PUNWIRE during the year 2000-01. As the principal amount itself is doubtful for recovery, provision for interest has not been made.

Two court cases by NSFDC against PUNWIRE under Negotiable Instruments Acts, 1881 are pending with the concerned court. The Company (PUNWIRE) was wound-up by an order dated 01.02.2001 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana. Thereafter, an Official Liquidator was appointed by the Court in the matter. As per information gathered from the Official Liquidator, assets of the PUNWIRE are not adequate enough even to settle the Company's liabilities towards its secured creditors. NSFDC, being an unsecured creditor, has no chance of recovery of its money and the money invested by NSFDC with the said Company is doubtful of recovery.

30.4 Reversal of allowance for doubtful loans and interest/ (Allowance for Doubtful Loans and Interest)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2024	As at 31st March 2023
Allowance for Doubtful Loans and	59.53	57.11
Total	**59.53**	**57.11**

31 Key sources of estimation uncertainty

The followings are the key assumptions concerning the future, and the key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period that may have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amount of assets and liabilities with next financial year.

a) Useful lives of property, plant & equipment

As described in **note 2.7** company has estimated the useful life of property, plant & equipment .

The financial impact of the above assessment may impact the depreciation expenses in subsequent financial years.

b) Useful lives of Intangibles Assets

As described in **Note 2.8,** company has estimated the useful life of intangible assets.

The financial impact of the above assessment may impact the amortisation expenses in subsequent financial years.

c) Fair valuation measurement and valuation process

The fair values of financial assets and financial liabilities is measured the valuation techniques including the DCF model. The inputs to these method are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgement is required in arriving fair values. Judgements include considerations of inputs such as liquidity risk, credit risk and volatility. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair value of financial instruments. See Note 29 for further disclosures.

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)

Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2024

d) Defined benefit Obligations

Employee benefit obligations are determined using actuarial valuations. An actuarial valuation involves making various assumptions that may differ from actual developments in the future. These include the determination of the discount rate, future salary increases and mortality rates. Due to the complexities involved in the valuation and its long term nature, a defined benefit obligation is highly sensitive to changes in these assumptions. All assumptions are reviewed at each reporting date.

32 Prior Period Errors

(₹ in Lakhs)

Particulars	Amount
Opening General Reserve as on 01.04.2023	61,269.07
Prior Period Adjustments	-840.68
Restated Opening General Reserve as on 01.04.2023	**60,428.39**
Restated Excess of Income over expenditure for the period from continuing operations for year ended 2021-22	4,761.39
Transfer to Special Reserve during 2021-22	-476.14
Other Comprehensive Income during 2021-22	4.46
Restated Opening General Reserve as on 31.3.2023	64,718.09

Impact of Prior period errors on equity, statement of Income and Expenditure and EPS

Particulars	For Year ended 31st March 2023
Impact on equity (increase/(decrease) in equity)	
Advances to parties	-
Outstanding Expenses	-
Interest Receivable	-
Sundry Creditors	26.97
Banks	(0.02)
Other Financial Liabilities	-
Other Payables	-
Other Financial Assets	(867.63)
Net Impact on Equity	**-840.68**

Particulars	For Year ended 31st March 2023
Impact on statement in Income & Expenditure (increase/(decrease) in profit)	
Other Expenses	-
CSR Expenses	-
Other Income	-
Total Impact	-
Attributable to Equity Holders	-

Impact on basic and diluted earnings per share (EPS) (increase/(decrease) in EPS)*

(₹ in Lakhs)

Particulars	For Year ended 31st March 2023
Earnings per share for continuing operation	
Basic, profit from continuing operations attributable to equity holders	-
Diluted, profit from continuing operations attributable to equity holders	-

***Note:** As per assurance given to CAG, interest income on special reserved fund investment is not routed through profit and loss account. Accordingly previous year figure is also regrouped in current year, impact of the same is not included above, as it is a regrouping not a prior period adjustment.

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2024

33 Related Party Disclosures

33.1 Key Managerial personnel of the company

Name	Position
Sh Rajnish Kumar Jenaw	CMD
Smt Annu Bhogal	Company Secretary
Sh Rajesh Bihari	Chief General Manager (finance)
Sh Durga Prasad Roy	Independent Director
Smt Anjula Singh Mahur	Independent Director

33.2 Transaction with key management personnel:

Nature & volume of transactions with key management personnel during the year:

(₹ in Lakhs)

Particulars	Year ended 31st March 2024	Year ended 31st March 2023
Short Term Benefits	153.27	140.49
Sitting Fees to Independent Director	0.24	0.28
Post Employment Benefits	74.88	73.05
	228.39	**213.82**

Short term benefits includes remuneration paid to KMP's.

Particulars	Year ended 31st March 2024	Year ended 31st March 2023
Loan To related party		
(i) Sh Rajesh Bihari (Chief General Manager-Finance)		
Amount owed by related parties at beginning of the year	3.86	4.66
Loan Given during the year	-	5.00
Interest	0.04	0.57
Repayment during the year	(3.90)	(6.37)
Closing Balance	-	**3.86**
(ii) Mrs. Annu Bhogal(Company Secretary)		
Amount owed by related parties at beginning of the year	4.58	5.97
Interest		
Repayment during the year	(1.28)	(1.39)
Closing Balance	**3.30**	**4.58**
Total amount owed by related parties at end of the year	**3.30**	**8.44**

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2024

33.3 Transactions with the Government Related entities

Apart from transactions reported above, the company has transactions with other Government related entities, which includes but not limited to the following:-

Name of Government: Government of India, through Ministry of Social Justice and Empowerment (100% Capital Contribution)

Certain significant Transactions:-

Party	Nature of Transactions	Year ended 31st March 2024	Year ended 31st March 2023
Ministry of Social Justice and Empowerment	(i) Capital Contributions	1,500.00	-
	(ii) Grant for PM-Daksh(3965)-Skill Training Scheme	3,266.00	-
	(iii) (a) Grant for PM-Daksh CAN A/c	-	890.00
	(b) Grant balance transfer for Non-CNA A/c	-	2,756.56
	(iv) (a) Grant for National Fellowship for providing Fellowship to Scheduled Caste Students Grant(MOSJE)	20,960.40	7,225.00
	(b) Seed Grant	600.00	-
	(v) Grant for DAPSC	-15,286.64	23,698.88
	(vi) Interest on Grant refunded to MOSJ&E for		
	(a) Skill Training Schemes	8.87	652.76
	(b) VISVAS Scheme	0.00	21.17
	(c) Textile Grant	4.51	0.00
	(d) Fellowship Scheme	38.93	0.00
	(e) DAPSC	5.37	0.00
	(vii) Grant received/refunded (alongwith interest) from/to:		
	(a) DGT	0.00	0.00
	(b) VISVAS Interest Subvention Scheme	-50.29	0.00
	(viii) MOSJ&E Contribution in MAVP related programmes	424.3	38.28
NBCFDC	MAVP related Programmes	67.99	16.47
NHFDC	MAVP related Programmes	0.00	0.00
ALIMCO	MAVP related Programmes	0.00	0.00
National Safai Karamcharis Finance and Development	MAVP related Programmes	66.48	23.37
		11,605.92	**35,322.49**

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2024

34 **Disclosure required under Section 22 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006**

(₹ in Lakhs)

Particulars	Year ended 31st March 2024	Year ended 31st March 2023
(i) Principal amount remaining unpaid to any supplier as at the end of the accounting year	7.17	4.67
(ii) Interest due thereon remaining unpaid to any supplier as at the end of the accounting year	-	-
(iii) The amount of interest paid along with the amounts of the payment made beyond the appointed date	-	-
(iv) The amount of interest due and payable for the year	-	-
(v) The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of the accounting year	-	-
(vi) The amount of further interest due and Payable even in the succeeding year, until such date when interest dues as above are actually paid	-	-

Dues to Micro and Small Enterprises have been determined to the extent such parties have been identified on the basis of information collected by the Management. This has been relied upon by the auditors.

35 On account of transaction entered into with national level corporation and MOSJ&E the total amount recoverable after setting off receivable/payable comes to Rs. 291.73 Lakhs (31.03.2023 Rs.58.43 Lakhs) towards events held commonly/on their behalf.

DAVINDER PAL SINGH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN:007601N
NEW DELHI

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2024

36 Corporate Social Responsibility

Activity Wise detail of CSR expenditure is as given below :

(₹ in Lakhs)

CSR Expenditure	Financial Year	
	2023-24	2022-23
(i) Construction / acquisition of any asset	16.07	NIL
(ii) On purposes other than (i) above		
Thematic Activities under Health Care/Nurtrition	65.9	68.93
Other Activities (Education, Ration Kit Distribution, Utensil Distribution)	4.15	13.77
TOTAL	**86.12**	**82.70**

36.1 Disclosures in respect of CSR Expenditure as per Section 135 of the Companies Act, 2013 read with Schedule VII thereof:

(a) Detail of amount required to be spent

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March, 2024	For the year ended 31st March, 2023
(i) EOIOE		
2018-19	-	-
2019-20	-	6,097.91
2020-21	4,782.13	4,782.13
2021-22	4,877.62	4,877.62
2022-23	4,761.39	-
(ii) Total (EOIOE)	**14,421.14**	**15,757.66**
(iii) Less adjustment for sale of assets	**0.06**	1.60
(iv) Net Profit	14,421.08	15,756.06
(v) Average (iv/3)	4,807.03	5,252.02
(vi) 2% of (v)	**96.14**	**105.04**
(vii) Un-Spent amount as at beginning of the year	**88.88**	**63.38**
(vii) Interest earned on Unspent Fund	**3.50**	**3.16**
(viii) Amount Spent during the year	**86.12**	82.70
(ix) Un-Spent amount as at Year End (vi+vii-viii)	**102.40**	**88.88**

36.2 Unspent amount is pertaining to the Ongoing Projects. The detail of ongoing csr projects is as follows:

(₹ in Lakhs)

S.No.	Implementing Agency	Name of the Project	Starting Year	State	Sanctioned Amount	Disbursed Amount
1	Netram Eye Foundation	30 Medical Health Camp in 28 Aspirational districts & 2 Backword districts	2022-23	Pan India	16.47	1.65
2	Shree Jagarati Seva Sansthan, Udaipur	Construction of toilets & Bathrooms at Udaipur Hostel	2022-23	Udaipur, Rajasthan	7.30	3.65
3	HLL Management Academy	20 Sanitary Vending Machines & incinerator	2022-23	Pan India	13.14	3.94
4	Swawlamban	Bottle crushing machine (3 machines in 2 states i.e. Haryana & Delhi)	2022-23	Haryana, Delhi	7.98	0.80
5	Health Camp though Bid (HLFPPT)	Health Camp in 10 Aspirational districts in 02 States	2022-23	Pan India	5.49	1.65

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

6	PMCARES Fund	CSR Contribution to PMCARES Fund.	2022-23	Pan India	33.15	33.15
7	PMCARES Fund	CSR Contribution to PMCARES Fund.	2022-23	Pan India	0.03	0.03
8	Lok Prayash Society	Installation of Borewell & RO Plant in 2 Govt. Schools in rural areas	2022-23	Gorakhpur, Uttar Pradesh	7.65	3.82
9	MMBA	Ration Kit distribution to marginal and vulnerable people of Barmer district, Rajasthan affected by COVID 19 (300 numbers)	2020-21	Barmer, Rajathan	2.25	0.56
	Sub Total amount spent during 2023-24 w.r.t. Privious Year (A)					**49.25**
	B: Disbursement during the year 2023-24 against Fresh sanctions					
S.No.	**Implementing Agency**	**Name of the Project**	**Starting Year**	**State**	**Sanctioned Amount**	**Disbursed Amount**
1	Netram Eye Foundation	Health Camp in Tonk Rajasthan	2023-24	Tonk	0.55	0.38
2	Swawlamban	Bottle crushing machine (2 machines)	2023-24	Uttarakhand & Madhya Prdesh	5.32	5.32
3	NSFDC	Swacchta Pakwhwada (2023-24)	2023-24	Delhi	0.09	0.09
4	Swawlamban	Bottle crushing machine (2 machines)	2023-24	Gorakhpur & Delhi	5.32	5.32
5	NSFDC	Swachhata hi Sewa programme 0.3	2023-24	Delhi	0.22	0.22
6	Swawlamban	Swachhata hi Sewa programme 0.2 (03-31 October)	2023-24	Delhi	0.34	0.34
7	Lok Prayash Society	For purchase of utensils for food distribution to flood affected during Kumbh Mela.	2023-24	Gorakhpur (U.P)	1.59	1.59
8	Rogi Kalyan Samiti	Construction of Community Hall	2023-24	Tikamgarh (M.P)	41.40	12.42
9	HLFPPT	R,O Plant & Solar Panel	2023-24	Hathras (U.P)	7.83	3.87
10	Swawlamban	2 plastic bottle crushing machines in Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Ayodhya	2023-24	Ayodhya (U.P)	5.32	5.32
11	Kendriya Sainik Board	Education grant for the dependents of ESM's upto havildar by Kendriya Sainik Board	2023-24	Delhi	2.00	2.00
	Sub Total amount spent during 2023-24 pertaining to 2023-24 sanction (B)				69.98	36.87
	Gross Total (A+B)					**86.12**

Details of the Unspent amount on the (Ongoing Project) as on 31.03.2023 (₹ in Lakhs)

Opening Balance		Amount required to be spent during the year	Amount spent during the year			Closing Balance
With Company	In separate CSR Account		From Company's Bank Account	From Separate CSR Unspent Account	With Company	In separate CSR Account
44.79	11.80	105.05	71.89	10.81	33.15	55.73

Details of the Unspent amount on the (Ongoing Project) as on 31.03.2024 (₹ in Lakhs)

Opening Balance		Amount required to be spent during the year	Amount spent during the			Closing Balance
With Company	In separate CSR Account		From Company's Bank Account	From Separate CSR Unspent Account	With Company	In separate CSR Account
33.15	55.73	99.64	85.56	0.56	43.73	58.67

36.3 (i) Rs.58.67 lakhs (previous year 55.73 lakhs) remains deposited with IDFC First Bank on account of unspent amount on Ongoing previous Years Project as on 31.03.2024.

(ii) Provision has been made/remains for CSR expenditure amounting to Rs 16.67 lakhs (previous year Rs 21.18 lakhs) at the year ending 31st March, 2024.

(iii) During the year 2023-24, the unspent amount is due to release of amount in instalment or in phase wise manner on the basis of proportionate/required, completion of the project.

(iv) Unspent amount on 31.3 24 with company amounting Rs. 43.20 lakhs has been transferred to Unspend CSR Fund 2023-24 within the time limit (i.e. 30th April 2024). An amount Rs. 0.56 Lakhs transfered to PM Care Fund on 26.06.2024.

(v) Under Section 135(6) of the Companies Act, 2013, the unspent amount of Rs. 11.13 lakh on 24.04.2024 pertaining to more than 3 years i.e. F.Y. 2020-21 has been transferred to PM Care Fund (Specified Fund under schedule VII).

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

37 "Madhya Pradesh State Co-op. Scheduled Castes Finance & Development Corporation has bifurcated their NSFDC's loan portfolio as per Madhya Pradesh Re-organization Act, 2000 which governs transfer of assets and liabilities between corporation/state government on account of bifurcation of the erstwhile State of Madhya Pradesh (MP) into Chattisgarh and Madhya Pradesh (M.P.). The matter of apportionment of loan liability between MPSCFDC & CSASFDC on account of bifurcation of erstwhile MPSCFDC was referred to the Madhya Pradesh Sahakari Adhikaran, Bhopal by the Additional Registrar Cooperative Society as the bifurcation carried out by MPSCFDC was not acceptable by CSASFDC. Judgment of the Tribunal given in favour of MPSCFDC was not accepted by CSASFDC and it filed an appeal against the judgment before Hon'ble High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur. The writ petition was admitted by the Hon'ble High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur. The matter is still sub-judice.

Pending decision by the Court, the loan liability of Rs.210.09 Lakhs along with due interest has been accepted and repaid by CSASFDC. For loan liability of Rs.835.93 Lakhs (previous year Rs. 835.93 Lakhs) towards principal and Rs.1,369.12 Lakhs (previous year Rs.1,280.52 Lakhs) towards interest as on 31.03.2024 not accepted by CSASFDC, the same continues to be shown against MPSCFDC and demand for its repayment is being raised on them."

38 The total dues of loans as on 31.03.2024 is Rs 40,508.32 Lakhs (as at 31.03.2023 Rs 34,481.29 lakhs) including interest of Rs 3,783.63 Lakhs (as at 31.03.2023 Rs.3,215.39 Lakhs).

38.1 **"SCAs/CAs" having dues (including more than 3 years) are as detailed below:**

(₹ in lakhs)

S.No.	Agency	State	Total dues (As on 31.03.2024)	Amount due more than 3 years
1	APSCDC	Andhra Pradesh	13,176.72	-
2	ANIK	Maharastra	79.12	-
3	Bank of Baroda	Gujarat	444.05	-
4	BSCDC	Bihar	1,634.75	1,462.11
5	CSCFDC	Chandigarh	2.81	-
6	CTSCDC	Chattisgarh	2,345.37	1,484.18
7	DSFDC	Delhi	372.36	-
8	GSCDC	Gujarat	5,648.93	516.16
9	J&KSCDC	Jammu & Kashmir	360.53	-
10	JSCDC	Jharkhand	536.12	507.80
11	LIDCOM	Maharashtra	546.28	-
12	MPSCFDC	Madhya Pradesh	2,205.05	1,970.73
13	MSTCB	Manipur	153.45	147.88
14	MPBCDC	Maharashtra	4,929.11	-
15	PADCO	Pudducherry	215.56	0.65
16	PBGB	Pudducherry	168.10	-
17	PSLDFC	Punjab	24.37	-
18	RSCDC	Rajasthan	3,189.34	-
19	SSCBCDC	Sikkim	234.02	9.36
20	TAHDCO	Tamil Nadu	561.34	-
21	TSCDC	Tripura	3,507.02	567.94
22	UPSCDC	Uttar Pradesh	8.20	8.20
23	IOB	Chennai	165.72	-
	Total		**40,508.32**	**6,675.01**

38.2 The disbursed funds of Rs.78,721.72 lakh (as on 31.03.2023 Rs.58,854.88 lakh) are under implementation, for which utilisation certificates are awaited.

S.No.	Agency	State	Pending UC's (₹ in lakhs) 2023-24	2022-23
1	West Bengal	WBSCSTDFC	7,998.38	9,169.30
2	Andhra Pradesh	APSCCFC	5,929.37	5,982.87
3	Maharashtra	MPBCDC	5,611.31	4,704.69
4	Gujarat	GSCDC	3,639.29	3,639.29
5	Rajasthan	RSCDC	8,068.46	3,206.57
6	Tripura	TSCDC	2,131.71	2,639.42
7	Kerala	KSDC	3,321.06	2,492.69
8	Tamil Nadu	TAHDCO	161.11	1,955.89
9	Kerala	KSWDC	2,255.91	1,723.76
10	Jammu & Kashmir	JKSCSTBCDC	1,588.74	1,452.01
11	Uttar Pradesh	BUPGB	1,128.83	1,281.72
12	Delhi	DSFDC	1,247.79	997.72
13	Himachal Pradesh	HPSCSTDC	973.57	812.20

DAVINDER PAL SINGH & CO.
CA
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN:007601N
NEW DELHI

14	Haryana	HSCDC	1,533.54	795.74
15	Maharashtra	LIDCOM	2,734.45	749.01
16	Chhattisgarh	CGSCFDC	676.52	673.52
17	Jharkhand	JSCDC	301.28	301.28
18	Puducherry	PADCO	102.97	230.15
19	Chandigarh	CSCFDC	128.68	128.68
20	Gujarat	GSCMBCDC	50.56	50.56
21	Remaining Channel Partners		29,138.19	15,867.81
	Total		**78,721.72**	**58,854.88**

39 Exemption from Tax under the Income Tax Act, 1961

No Provision for Income Tax/Deferred Tax is required as the income of Corporation is exempt from tax under section 10 (26) (B) of the Income Tax Act, 1961. Further CBDT had issued Circular No.18/2017 dated 29.05.2017 which laid down that in case of Corporation, body, institution or association established for promoting interests of members of Scheduled Castes or Scheduled Tribes or backward classes referred to in Section 10 Clause (26B);
whose income is unconditionally exempt and who are also statutorily not required to file return of income as per section 139 of the Income-tax Act, 1961 there would be no requirement for tax deduction at source, since their income is anyway exempt under the Income-tax under Section 10(26B) of the Income Tax of India Act, 1961.

40 Exemption under Reserve Bank of India Act, 1934

The Reserve Bank of India vide letter No.DNBS.ND.NO.4175MI/10.01.001 /2010-11 dated 29.04.2011 has certified that NSFDC has been exempted by the Bank from the applicability of provisions of Section 45-1A of the Reserve Bank of India Act, 1934 and other regulatory and prudential norms on the basis of Company (NSCFDC) being classified by Government of India as a 'No profit no loss' company engaged in 'community services'. RBI advised to submit a copy of Board Resolution stating that the company (NSCFDC) will not accept deposits from the public. Accordingly, the Resolution has been passed in the 118th Board Meeting held on 30.05.2011 and the Resolution submitted to RBI vide letter No.NSFDC/SECT/193/2010/2704 dated 13.06.2011.

Application of IndAS on material items

41 The Prior Period Items and changes in accounting polices are applied retrospectively on account of materiality only in line with the provisions of Indian Accounting Standards.

42 Segment Reporting

(a) Operating Segments

The Company is engaged in a single segment i.e. the business of indirect financing of income generating project for target groups from where it is earning its income and incurring expenditure. The operating results of the single segment are regularly reviewed and performance is assessed by Chairman cum Managing Director who can be treated as a Chief Operating Decision Maker (CODM). All the company's resources are dedicated to this single segment and all the discrete financial information is available for this segment.

(b) Geographical Information

Since the company's activities/operations are within the country and considering the nature of services it deals in, the risks and returns are the same and as such, there is only one geographical segment.

43 Previous year figures have been regrouped to conform to the current year's presentation and to enhance comparability with the current year's financial statements.

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:017601N NEW DELHI

44 Disclosures pursuant to amendment in Schedule III of the Companies Act 2013:

The MCA vide notification dated 23rd March 2021 has amended Schedule III to the Companies Act. 2013 in respect of certain disclosures which are applicable from 1st April 2021. The Company has incorporated the changes as per the said amendment in the financial statements and below disclosures are made in compliance of the said amendment :

(i) The Company has no transactions with companies struck off under section 248 of the Companies Act, 2013 or Section 560 of Companies Act, 1956 during the period.

(ii) The Company has not traded or invested in Crypto Currency or Virtual Currency during the period.

(iii) The Company do not have any Benami property, where any proceeding has been initiated or pending against the company for holding any Benami property.

(iv) The Company do not have any charges or satisfaction which is yet to be registered with ROC beyond the statutory period,

(v) The Company have not advanced or loaned or invested funds to any other person(s) or entity(ies), including foreign entities (Intermediaries) with the understanding that the Intermediary shall:

(a) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company (Ultimate Beneficiaries) or
(b) provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries

(vi) The Company have not received any fund from any person(s) or entity(ies), including foreign entities (Funding Party) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the Company shall:

(a) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party (Ultimate Beneficiaries) or
(b) provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries,

(vii) The Company does not have any transaction which is not recorded in the books of accounts that has been subsequently surrendered or disclosed as income during the year as part of the on going tax assessments under the Income Tax Act, 1961 (such as, search or survey or any other relevant provisions of the Income Tax Act, 1961).

(viii) The Company has not been declared as willful defaulter by any bank or financial institution or government or any government authority.

(ix) The Company has complied with the number of layers prescribed under the Companies Act, 2013.

(x) Company is not required to submit statement of current assets with the bank and therefore reconciliation of the statement filed by the company with bank and the books of accounts is not applicable.

(xi) The Company does not have any transactions where the company has not used the borrowings from banks and financial institutions for the specific purpose for which it was taken at the balance sheet date

(xii) The Company have not entered into any scheme(s) of arrangements during the financial year.

(xiii) The following accounting ratios are disclosed:

Particulars	Numerator	Denominator	March 31, 2024	March 31, 2023	% change	Reason for change more than 25%
Current ratio	Current Assets	Current Liabilities	14.18	5.29	167.84%	Due to decrease in Sundry Creditor
Debt-equity ratio	Total Debt	Shareholder's Equity	0.01	-	1.09%	NA
Debt service coverage ratio	Earnings for debt service = Net profit after taxes + Non-cash operating expenses	Debt service = Interest & Lease Payments + Principal Repayments		NA		
Return on equity ratio	Net Profits after taxes – Preference Dividend	Average Shareholder's Equity		0.02	-4.02%	NA
Inventory turnover ratio	Cost of goods sold	Average Inventory		NA		
Trade receivables turnover ratio	Net credit sales = Gross credit sales - sales return	Average Trade Receivable		NA		
Trade payable turnover ratio	Net credit purchases = Gross credit purchases - purchase return	Average Trade Payables		NA		
Net capital turnover ratio	Net sales = Total sales - sales return	Working capital = Current assets – Current liabilities	0.06	0.06	5.52%	NA
Net profit ratio	Net Profit	Net sales = Total sales - sales return	0.69	0.75	-8.91%	NA
Return on capital employed	Earnings before interest and taxes	Capital Employed = Tangible Net Worth + Total Debt + Deferred Tax Liability	0.02	0.02	-2.76%	NA
Return on investment*	Interest (Finance Income)	Investment	0.05	0.02	93.99%	Due to increase in investment Income & Decrease in Investment

* ROI is not annualized

45 Approval of financial statement

The financial statements were approved for issue by the Board of Directors on 22.07.2024

As per our Report of even date attached
For M/s. Davinder Pal Singh & Co.
Chartered Accountants
FRN: 007601N

C.A. Davinder Pal Singh
Partner
M. No. 086596

Place : New Delhi
Date : 22-7-2024

For and on behalf of the Board of Directors

(Manjeet Singh Chhatwal)
Deputy General Manager (Finance)

(Rajesh Bihari)
Chief General Manager(Finance)

(Annu Bhogal)
Company Secretary

Director
DIN- 09350971
(MASHAR VELAPURATH)

Chairman-Cum-Managing Director
DIN- 09056584

Addendum-A

DAVINDER PAL SINGH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

B.O. : 524-L Model Town
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana.
Mobile No 83600-54645
Phone No 0161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

H.O: House No.933,
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar, Punjab
Mobile No 9814025756
E- mail:cadavinderpal@gmail.com

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Members of
NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

Report on the Audit of the Ind AS Financial Statements

Qualified Opinion

We have audited the Financial Statements of NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2024, the Statement of Income and Expenditure and the Statement of Changes in Equity for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of the significant accounting policies and otherexplanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the possible effects of the matter described in the **Basis for Qualified Opinion paragraph and Emphasis of Matter paragraph,** the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended("Ind AS") and other accounting principles generally accepted in India, ofthe state of affairs of the Company as at 31st March, 2023, its income and total comprehensive income and its changes in equity for the year ended on that date.

Basis for Qualified Opinion

1. Company is providing financial and other assistance to beneficiaries belonging to scheduled castes through SCAs and CAs. The lending policy entails that utilization certificates have to be provided by SCAs and CAs within 120 days in case of fresh disbursement from the date of disbursement. Further, incase of overall disbursements, utilization certificates have to be obtained from all SCAs and CAs on quarterly basis. However, in many cases utilization certificates were not received post the expiry of specified period because of which:

   As at 31st March 2024, utilization certificates for outstanding loans amounting to ₹ 78,721.72 Lakhs, have not been received by the company **(Refer Note 38.2).**

Branch Offices:
Taran Villa, The Mall, Shimla Pahari, Hoshiarpur, M. No: 9463182642, E-Mail:dpsinghca@yahoo.com
1229, Sector 15-B,Chandigarh, M.No.9855125756, E-mail:dpsinghca@yahoo.com
S-53,Okhla Industrial Estate Phase-2,New Delhi Ph.No.9463182642 E-mail:cadavinderpal@gmail.com

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

DAVINDER PAL SINGH & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

B.O. : 524-L Model Town
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana.
Mobile No 83600-54645
Phone No 0161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

H.O: House No.933,
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar, Punjab
Mobile No 9814025756
E- mail:cadavinderpal@gmail.com

We are unable to quantify the amount of above qualifications due to non-availability of requisite information.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion

Emphasis of Matter

1. It was observed that many SCAs have defaulted in repayments, which have resulted in overdue for more than three years amounting to ₹ 6,675.01 Lakhs including the interest component. **(Refer note no. 38.1)**
2. Attention is drawn to the **Note 11.1** wherein Interest of ₹ 59.53 lakhs in respect of overdue from BSCDC has been booked in terms of Accounting Policy 2.11(i)(a). However there is no impact on excess income over expenditure to the extent due to creation of provision for Bad and doubtful debts of the same amount. Further, during the year, no repayment has been received from BSCDC. Accordingly, the cumulative provision of BSCDC as on 31.03.2024 is amounting to Rs.1,634.75 lakh
3. Attention is drawn to the **Note 6.1(B)(ii)(a)** regarding Manipur State SCs & STs Development Co-operative Bank Ltd. (MSTCB). The Arbitrator passed Award Order in favor of NSFDC and has directed MSTCB to pay, the amount of Rs.1.53 crore together with 9% interest thereon from the date of the filing of statement of claim till the date of actual payment by the Respondent to the claimant (NSFDC). However, the SCA has failed to honor the Award

Branch Offices:
Taran Villa, The Mall, Shimla Pahari, Hoshiarpur, M. No: 9463182642, E-Mail:dpsinghca@yahoo.com
1229, Sector 15-B,Chandigarh, M.No.9855125756, E-mail:dpsinghca@yahoo.com
S-53,Okhla Industrial Estate Phase-2,New Delhi Ph.No.9463182642 E-mail:cadavinderpal@gmail.com

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

DAVINDER PAL SINGH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

B.O. : 524-L Model Town
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana.
Mobile No 83600-54645
Phone No 0161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

H.O: House No.933,
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar, Punjab
Mobile No 9814025756
E- mail:cadavinderpal@gmail.com

within stipulated time. The Corporation has filed an Arbitration Execution Case in the Court of District Judge, Imphal, Manipur. The Corporation has deferred recognition of interest income during the accounting period in accordance with Ind AS 109.

4. Attention is drawn to the **Note 6.1(B)(ii)(b)** regarding Bihar State SCs Co-operative Development Corporation (BSCDC). The Arbitrator has passed Award Order on 07.06.2023 in favor of NSFDC and has directed to BSCDC to settle the claim amount to the extent of Rs. 20.42 crores and has granted seven months' time (i.e.by January,2024) to clear the settlement amount. Failing which the settlement amount is to be paid with 12% interest till the date of repayment. BSCDC has filled the petition against the award and the Corporation has recognized the interest at normal rate and has created the provision for the bad and doubtful for above interest income.

5. The responsibility of the Company to arrange balance confirmations in respect of Loans and advances, creditor etc. balance confirmation has not been received in case of some of the SCAs, PSBs/RRBs, NBFC-MFIs and creditors. The impact of which on the Ind AS Financial Statements is uncertain but material if quantified.

6. Attention is drawn to **Note 17.2**. The company has a closing balance of ₹ 3,545,.63 Lakhs for Government Grants and ₹764.67 lakhs for grants from other PSUs toward unspent Grant Liability which is shown as **'Other financial liabilities'** in the financials.

7. Attention is drawn to **Note 36.3** Unspent amount of CSR on 31.3.2024, the company transferred the Unspent CSR fund 2023-24 amounting to Rs. 4320.00 lakh in separate bank account. However the funds amounting Rs. 0.56 lakhs have been transferred to PM Cares Fund due to short calculation within the time limit (i.e. 30th April 2023)

8. The Lending Policy of NSFDC provides for Liquidity Damages on Defaulted Payments (LDDP) of dues (Principal as well as Interest) beyond the stipulated / agreed dates of repayment @ 2% per annum over and above the normal rate of interest applicable on the dues. LDDP is recognized on realization due to uncertainty of its collectability. It is however, noticed that demand has been issued to SCAs for LDDP regularly.

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

Branch Offices:
Taran Villa, The Mall, Shimla Pahari, Hoshiarpur, M. No: 9463182642, E-Mail:dpsinghca@yahoo.com
1229, Sector 15-B,Chandigarh, M.No.9855125756, E-mail:dpsinghca@yahoo.com
S-53,Okhla Industrial Estate Phase-2,New Delhi Ph.No.9463182642 E-mail:cadavinderpal@gmail.com

DAVINDER PAL SINGH & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

B.O. : 524-L Model Town
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana.
Mobile No 83600-54645
Phone No 0161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

H.O: House No.933,
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar, Punjab
Mobile No 9814025756
E- mail:cadavinderpal@gmail.com

Our Opinion is not qualified/modified in respect of these matters.

Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises Board's Report including Annexure to Board's Report, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact and we have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the accounting Standards specified under section 133 of the Act with rule 7 of the Companies(Accounts) Rules, 2014 and the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern

Branch Offices:
Taran Villa, The Mall, Shimla Pahari, Hoshiarpur, M. No: 9463182642, E-Mail:dpsinghca@yahoo.com
1229, Sector 15-B,Chandigarh, M.No.9855125756, E-mail:dpsinghca@yahoo.com
S-53,Okhla Industrial Estate Phase-2,New Delhi Ph.No.9463182642 E-mail:cadavinderpal@gmail.com

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

DAVINDER PAL SINGH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

B.O. : 524-L Model Town
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana.
Mobile No 83600-54645
Phone No 0161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

H.O: House No.933,
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar, Punjab
Mobile No 9814025756
E- mail:cadavinderpal@gmail.com

basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Ind AS financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Ind AS financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Ind AS financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal financial control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our with reference to financial statements in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

DAVINDER PAL SINGH CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007602 NEW DELHI

Branch Offices:
Taran Villa, The Mall, Shimla Pahari, Hoshiarpur, M. No: 9463182642, E-Mail:dpsinghca@yahoo.com
1229, Sector 15-B,Chandigarh, M.No.9855125756, E-mail:dpsinghca@yahoo.com
S-53,Okhla Industrial Estate Phase-2,New Delhi Ph.No.9463182642 E-mail:cadavinderpal@gmail.com

DAVINDER PAL SINGH & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

B.O. : 524-L Model Town
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana.
Mobile No 83600-54645
Phone No 0161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

H.O: House No.933,
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar, Punjab
Mobile No 9814025756
E- mail:cadavinderpal@gmail.com

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the Ind AS financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS NEW DELHI

Branch Offices:
Taran Villa, The Mall, Shimla Pahari, Hoshiarpur, M. No: 9463182642, E-Mail:dpsinghca@yahoo.com
1229, Sector 15-B,Chandigarh, M.No.9855125756, E-mail:dpsinghca@yahoo.com
S-53,Okhla Industrial Estate Phase-2,New Delhi Ph.No.9463182642 E-mail:cadavinderpal@gmail.com

DAVINDER PAL SINGH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

B.O. : 524-L Model Town
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana.
Mobile No 83600-54645
Phone No 0161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

H.O: House No.933,
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar, Punjab
Mobile No 9814025756
E- mail:cadavinderpal@gmail.com

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013, CARO 2020 ("the Order") is not applicable to the company. Hence, the Annexure on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order, are not given.

2. As required by the Comptroller and Auditor General(C&AG) of India through direction issued u/s 143(5) of the Companies Act, 2013 on the basis of written representations received from the management, we give our report on the matters specified in the **"Annexure A"** attached.

3. As required by section 143(3) of the Companies Act 2013, we report that:

a) Except for the matter described in the Basis for Qualified Opinion and Emphasis of matter paragraphs, we have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

b) Except for the possible effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion and Emphasis of matter paragraphs above, in our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.

c) Except for the possible effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion and Emphasis of matter paragraphs above, the Balance Sheet, the Statement of Income and Expenditure and the Statement of Changes in Equity dealt with by this Report are in agreement with the books of account.;

d) Except for the possible effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion and Emphasis of matter paragraphs above, the aforesaid Ind AS financial statements comply with the Indian Accounting Standards prescribed under Section 133 of the Act, read with rule 7of the Companies (Accounts) Rules,2014 and the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended.

Branch Offices:
Taran Villa, The Mall, Shimla Pahari, Hoshiarpur, M. No: 9463182642, E-Mail:dpsinghca@yahoo.com
1229, Sector 15-B,Chandigarh, M.No.9855125756, E-mail:dpsinghca@yahoo.com
S-53,Okhla Industrial Estate Phase-2,New Delhi Ph.No.9463182642 E-mail:cadavinderpal@gmail.com

DAVINDER PAL SINGH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

B.O. : 524-L Model Town
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana.
Mobile No 83600-54645
Phone No 0161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

H.O: House No.933,
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar, Punjab
Mobile No 9814025756
E- mail:cadavinderpal@gmail.com

e) In term of notification No. G.S.R 463(E) dated June 5th 2015, issued by Ministry of corporate affairs, Government of India; sub section (2) of section 164 of Companies Act 2013 is not applicable to Government Companies.

f) The matter described in the Basis of Qualified opinion paragraph above, in our opinion, does not have any adverse effect on the functioning of the Company.

g) The Qualification and other observations relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith are as stated in the basis for qualified opinion and Emphasis of Matter paragraph.

h) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report **in "Annexure-B".**

i) With the respect to the matter to be included in the Auditor's report in accordance with the requirements of section 197(16) of the Act, as amended, the reporting requirements are not applicable in terms of notification number G.S.R463 (E) dated June 5th 2015, issued by Ministry of Corporate Affairs.

j) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2016, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us: -

i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial positions in the Ind AS financial statements.

ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.

iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and

Branch Offices:
Taran Villa, The Mall, Shimla Pahari, Hoshiarpur, M. No: 9463182642, E-Mail:dpsinghca@yahoo.com
1229, Sector 15-B,Chandigarh, M.No.9855125756, E-mail:dpsinghca@yahoo.com
S-53,Okhla Industrial Estate Phase-2,New Delhi Ph.No.9463182642 E-mail:cadavinderpal@gmail.com

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS

DAVINDER PAL SINGH & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

B.O. : 524-L Model Town
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana.
Mobile No 83600-54645
Phone No 0161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

H.O: House No.933,
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar, Punjab
Mobile No 9814025756
E- mail:cadavinderpal@gmail.com

Protection Fund by the Company.

iv. (a) The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

(b) The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been received by the Company from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like from or on behalf of the Ultimate Beneficiaries; and

(c) Based on such audit procedures as considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (iv)(a) and (iv)(b) contain any material misstatement;

v. The Company has neither declared nor paid dividend during the year;

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

Branch Offices:
Taran Villa, The Mall, Shimla Pahari, Hoshiarpur, M. No: 9463182642, E-Mail:dpsinghca@yahoo.com
1229, Sector 15-B,Chandigarh, M.No.9855125756, E-mail:dpsinghca@yahoo.com
S-53,Okhla Industrial Estate Phase-2,New Delhi Ph.No.9463182642 E-mail:cadavinderpal@gmail.com

DAVINDER PAL SINGH & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

B.O. : 524-L Model Town
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana.
Mobile No 83600-54645
Phone No 0161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

H.O: House No.933,
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar, Punjab
Mobile No 9814025756
E- mail:cadavinderpal@gmail.com

vi. The Company, in respect of financial year 2023-24, has used Tally ERP accounting software for maintaining its books of accounts which has a feature of recording audit trail (edit log) facility; providing standard functionality and logging in all changed data in the system. This functionality and audit trail feature in Tally ERP has been operational throughout the year for all relevant transactions recorded through the application at the Corporation.

For Davinder Pal Singh & Co.
Chartered Accountants
Firm's Registration Number: 007601N

Davinder Pal Singh
(FCA)
M.N.- 086596
UDIN: 24086596BKCESG7147

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

Place: New Delhi
Date: 22-07-2024

Branch Offices:
Taran Villa, The Mall, Shimla Pahari, Hoshiarpur, M. No: 9463182642, E-Mail:dpsinghca@yahoo.com
1229, Sector 15-B,Chandigarh, M.No.9855125756, E-mail:dpsinghca@yahoo.com
S-53,Okhla Industrial Estate Phase-2,New Delhi Ph.No.9463182642 E-mail:cadavinderpal@gmail.com

DAVINDER PAL SINGH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

B.O. : 524-L Model Town
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana.
Mobile No 83600-54645
Phone No 0161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

H.O: House No.933,
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar, Punjab
Mobile No 9814025756
E- mail:cadavinderpal@gmail.com

"ANNEXURE-A"

TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE ON THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

Below are the replies to the directions issued by the Comptroller and Auditors General of India u/s 143(5) of the companies Act, 2013 with respect to the Ind AS financial statements of M/s NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION for the financial year ended on 31st March, 2024

DAVINDER PAL SINGH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN:007601N
NEW DELHI

Branch Offices:
Taran Villa, The Mall, Shimla Pahari, Hoshiarpur, M. No: 9463182642, E-Mail:dpsinghca@yahoo.com
1229, Sector 15-B,Chandigarh, M.No.9855125756, E-mail:dpsinghca@yahoo.com
S-53,Okhla Industrial Estate Phase-2,New Delhi Ph.No.9463182642 E-mail:cadavinderpal@gmail.com

DAVINDER PAL SINGH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

B.O. : 524-L Model Town
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana.
Mobile No 83600-54645
Phone No 0161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

H.O: House No.933,
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar, Punjab
Mobile No 9814025756
E- mail:cadavinderpal@gmail.com

(1). Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through ITsystem? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, maybe stated.	The financial accounting of the Company is done on tally ERP Software. However, the loan accounting of the Company is done on Manual Ledgers. As explained by management, the manual ledgers arereconciled with tally ERP software. As explained to us, the processing of loan transactions outside IT system does not have any adverse effect on the integrity of accounts and the same therefore does nothave any financial implications.
(2). Whether there is any restructuring of an existingloan or cases of waiver/write off of debts /loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact maybe stated. **Whether such cases are properly accounted for?**	During the year under audit, there was no restructuring of an existing loans or waiver/write offof debts/loans/Interest made by a lender to the company due to the company's inability to repay theloans.
(3). Whether funds **(grants/subsidy etc.)** received/receivable for specific schemes from central/ state agencies were properly accounted for/ utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.	Except for the possible effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion and Emphasis of matter paragraphs above, Funds **(grants/subsidy etc.)**received/receivable for specific schemes from central/state agencies have been properly accounted for/utilized.

For Davinder Pal Singh & Co.
Chartered Accountants
Firm's Registration Number: 007601N

Place: New Delhi
Date: 22-07-2024

Davinder Pal Singh
(FCA)
M.N.- 086596
UDIN: 24086596BKCESG7147

Branch Offices:
Taran Villa, The Mall, Shimla Pahari, Hoshiarpur, M. No: 9463182642, E-Mail:dpsinghca@yahoo.com
1229, Sector 15-B,Chandigarh, M.No.9855125756, E-mail:dpsinghca@yahoo.com
S-53,Okhla Industrial Estate Phase-2,New Delhi Ph.No.9463182642 E-mail:cadavinderpal@gmail.com

DAVINDER PAL SINGH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

B.O. : 524-L Model Town
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana.
Mobile No 83600-54645
Phone No 0161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

H.O: House No.933,
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar, Punjab
Mobile No 9814025756
E- mail:cadavinderpal@gmail.com

"ANNEXURE-B"

TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE ON THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION ("the Company") as at March 31, 2023 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy andcompleteness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reportingbased on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicableto an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require thatwe comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financialcontrols system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Branch Offices:
Taran Villa, The Mall, Shimla Pahari, Hoshiarpur, M. No: 9463182642, E-Mail:dpsinghca@yahoo.com
1229, Sector 15-B,Chandigarh, M.No.9855125756, E-mail:dpsinghca@yahoo.com
S-53,Okhla Industrial Estate Phase-2,New Delhi Ph.No.9463182642 E-mail:cadavinderpal@gmail.com

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N

DAVINDER PAL SINGH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

B.O. : 524-L Model Town
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana.
Mobile No 83600-54645
Phone No 0161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

H.O: House No.933,
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar, Punjab
Mobile No 9814025756
E- mail:cadavinderpal@gmail.com

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for ourQualified Audit Opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that:

(1) Pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company;

(2) Provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management anddirectors of the company; and

(3) Provide reasonable assurance regarding prevention and timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the Ind AS financialstatements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls overfinancial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion Company has , in all material respects, except matter stated in clause 1 to 3 below, an adequate Internal financial controls system over financial reporting and such internal financial control over financial reporting were operating effectively as at 31st March 2023, based on the internal control over financial reporting criteria established by the company considering the essential components of Internal control stated in the guidance note on Audit of Internal Financial Controls over financial reporting issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

1. The Internal controls and systems designed by the management to verify the end use of the funds sanctioned and disbursed to SCA's & CA's are not reasonable enough considering the size of the company and the nature of its operations. The management has been asked to update the procedurescommensurate with the size of the company and the nature of its operations. Further, we have been informed by the management that the release of funds to eligible beneficiaries is the sole responsibilities of SCAs. Company must devise some audit system through which it can be ensured that the funds are properly

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

DAVINDER PAL SINGH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

B.O. : 524-L Model Town
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana.
Mobile No 83600-54645
Phone No 0161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

H.O: House No.933,
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar, Punjab
Mobile No 9814025756
E- mail:cadavinderpal@gmail.com

disbursed to the eligible beneficiaries.

2. Company is providing financial and other assistance to beneficiaries belonging to scheduled castesthrough SCAs and CAs. However, utilization Certificates for ₹ 58,854.88/- Lakhs are pending as at 31st March 2023. Internal Control system should be strengthened to obtain utilization Certificates as earliest.

3. Matters referred to in clause 1 of our basis of qualified opinion and clause 2 and Clause 6 of Emphasis of matter paragraph point to lapses in Internal Control over financial reporting system. The company should monitor and strengthen internal control System in respect of such issues.

For Davinder Pal Singh & Co.
Chartered Accountants
Firm's Registration Number: 007601N

Place: New Delhi
Date: 22-07-2024

Davinder Pal Singh
(FCA)
M.N.- 086596
UDIN: 24086596BKCESG7147

Branch Offices:
Taran Villa, The Mall, Shimla Pahari, Hoshiarpur, M. No: 9463182642, E-Mail:dpsinghca@yahoo.com
1229, Sector 15-B,Chandigarh, M.No.9855125756, E-mail:dpsinghca@yahoo.com
S-53,Okhla Industrial Estate Phase-2,New Delhi Ph.No.9463182642 E-mail:cadavinderpal@gmail.com

DAVINDER PAL SINGH & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

B.O. : 524-L Model Town
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana.
Mobile No 83600-54645
Phone No 0161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

H.O: House No.933,
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar, Punjab
Mobile No 9814025756
E- mail:cadavinderpal@gmail.com

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Members of
NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

Report on the Audit of the Ind AS Financial Statements

Qualified Opinion

We have audited the Financial Statements of NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2024, the Statement of Income and Expenditure and the Statement of Changes in Equity for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of the significant accounting policies and otherexplanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the possible effects of the matter described in the **Basis for Qualified Opinion paragraph and Emphasis of Matter paragraph,** the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended("Ind AS") and other accounting principles generally accepted in India, ofthe state of affairs of the Company as at 31st March, 2024, its income and total comprehensive income and its changes in equity for the year ended on that date.

Basis for Qualified Opinion

1. Company is providing financial and other assistance to beneficiaries belonging to scheduled castes through SCAs and CAs. The lending policy entails that utilization certificates have to be provided by SCAs and CAs within 120 days in case of fresh disbursement from the date of disbursement. Further, incase of overall disbursements, utilization certificates have to be obtained from all SCAs and CAs on quarterly basis. However, in many cases utilization certificates were not received post the expiry of specified period because of which:

   As at 31st March 2024, utilization certificates for outstanding loans amounting to ₹ 78,721.72 Lakhs, have not been received by the company **(Refer Note 38.2).**

Branch Offices:
Taran Villa, The Mall, Shimla Pahari, Hoshiarpur, M. No: 9463182642, E-Mail:dpsinghca@yahoo.com
1229, Sector 15-B,Chandigarh, M.No.9855125756, E-mail:dpsinghca@yahoo.com
S-53,Okhla Industrial Estate Phase-2,New Delhi Ph.No.9463182642 E-mail:cadavinderpal@gmail.com

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

DAVINDER PAL SINGH & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

B.O. : 524-L Model Town
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana.
Mobile No 83600-54645
Phone No 0161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

H.O: House No.933,
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar, Punjab
Mobile No 9814025756
E- mail:cadavinderpal@gmail.com

We are unable to quantify the amount of above qualifications due to non-availability of requisite information.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion

Emphasis of Matter

1. It was observed that many SCAs have defaulted in repayments, which have resulted in overdue for more than three years amounting to ₹ 6,675.01 Lakhs including the interest component. **(Refer note no. 38.1)**
2. Attention is drawn to the **Note 11.1** wherein Interest of ₹ 59.53 lakhs in respect of overdue from BSCDC has been booked in terms of Accounting Policy 2.11(i)(a). However there is no impact on excess income over expenditure to the extent due to creation of provision for Bad and doubtful debts of the same amount. Further, during the year, no repayment has been received from BSCDC. Accordingly, the cumulative provision of BSCDC as on 31.03.2024 is amounting to Rs.1,634.75 lakh
3. Attention is drawn to the **Note 6.1(B)(ii)(a)** regarding Manipur State SCs & STs Development Co-operative Bank Ltd. (MSTCB). The Arbitrator passed Award Order in favor of NSFDC and has directed MSTCB to pay, the amount of Rs.1.53 crore together with 9% interest thereon from the date of the filing of statement of claim till the date of actual payment by the Respondent to the claimant (NSFDC). However, the SCA has failed to honor the Award

Branch Offices:
Taran Villa, The Mall, Shimla Pahari, Hoshiarpur, M. No: 9463182642, E-Mail:dpsinghca@yahoo.com
1229, Sector 15-B,Chandigarh, M.No.9855125756, E-mail:dpsinghca@yahoo.com
S-53,Okhla Industrial Estate Phase-2,New Delhi Ph.No.9463182642 E-mail:cadavinderpal@gmail.com

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

DAVINDER PAL SINGH & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

B.O. : 524-L Model Town
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana.
Mobile No 83600-54645
Phone No 0161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

H.O: House No.933,
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar, Punjab
Mobile No 9814025756
E- mail:cadavinderpal@gmail.com

within stipulated time. The Corporation has filed an Arbitration Execution Case in the Court of District Judge, Imphal, Manipur. The Corporation has deferred recognition of interest income during the accounting period in accordance with Ind AS 109.

4. Attention is drawn to the **Note 6.1(B)(ii)(b)** regarding Bihar State SCs Co-operative Development Corporation (BSCDC). The Arbitrator has passed Award Order on 07.06.2023 in favor of NSFDC and has directed to BSCDC to settle the claim amount to the extent of Rs. 20.42 crores and has granted seven months' time (i.e.by January,2024) to clear the settlement amount. Failing which the settlement amount is to be paid with 12% interest till the date of repayment. BSCDC has filled the petition against the award and the Corporation has recognized the interest at normal rate and has created the provision for the bad and doubtful for above interest income.

5. The responsibility of the Company to arrange balance confirmations in respect of Loans and advances, creditor etc. balance confirmation has not been received in case of some of the SCAs, PSBs/RRBs, NBFC-MFIs and creditors. The impact of which on the Ind AS Financial Statements is uncertain but material if quantified.

6. Attention is drawn to **Note 17.2.** The company has a closing balance of ₹ 3,545,.63 Lakhs for Government Grants and ₹764.67 lakhs for grants from other PSUs toward unspent Grant Liability which is shown **as 'Other financial liabilities'** in the financials.

7. Attention is drawn to **Note 36.3** Unspent amount of CSR on 31.3.2024, the company transferred the Unspent CSR fund 2023-24 amounting to Rs. 43.20 lakh in separate bank account. However the funds amounting Rs. 0.56 lakhs have been transferred to PM Cares Fund due to short calculation within the time limit (i.e. 30th April 2023)

8. The Lending Policy of NSFDC provides for Liquidity Damages on Defaulted Payments (LDDP) of dues (Principal as well as Interest) beyond the stipulated / agreed dates of repayment @ 2% per annum over and above the normal rate of interest applicable on the dues. LDDP is recognized on realization due to uncertainty of its collectability. It is however, noticed that demand has been issued to SCAs for LDDP regularly.

Branch Offices:

Taran Villa, The Mall, Shimla Pahari, Hoshiarpur, M. No: 9463182642, E-Mail:dpsinghca@yahoo.com
1229, Sector 15-B,Chandigarh, M.No.9855125756, E-mail:dpsinghca@yahoo.com
S-53,Okhla Industrial Estate Phase-2,New Delhi Ph.No.9463182642 E-mail:cadavinderpal@gmail.com

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

DAVINDER PAL SINGH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

B.O. : 524-L Model Town
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana.
Mobile No 83600-54645
Phone No 0161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

H.O: House No.933,
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar, Punjab
Mobile No 9814025756
E- mail:cadavinderpal@gmail.com

Our Opinion is not qualified/modified in respect of these matters.

Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises Board's Report including Annexure to Board's Report, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact and we have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the accounting Standards specified under section 133 of the Act with rule 7 of the Companies(Accounts) Rules, 2014 and the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's ability to

continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern

Branch Offices:
\# Taran Villa, The Mall, Shimla Pahari, Hoshiarpur, M. No: 9463182642, E-Mail:dpsinghca@yahoo.com
\# 1229, Sector 15-B,Chandigarh, M.No.9855125756, E-mail:dpsinghca@yahoo.com
\# S-53,Okhla Industrial Estate Phase-2,New Delhi Ph.No.9463182642 E-mail:cadavinderpal@gmail.com

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

DAVINDER PAL SINGH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

B.O. : 524-L Model Town
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana.
Mobile No 83600-54645
Phone No 0161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

H.O: House No.933,
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar, Punjab
Mobile No 9814025756
E- mail:cadavinderpal@gmail.com

basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Ind AS financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Ind AS financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Ind AS financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal financial control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our with reference to financial statements in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

Branch Offices:
Taran Villa, The Mall, Shimla Pahari, Hoshiarpur, M. No: 9463182642, E-Mail:dpsinghca@yahoo.com
1229, Sector 15-B,Chandigarh, M.No.9855125756, E-mail:dpsinghca@yahoo.com
S-53,Okhla Industrial Estate Phase-2,New Delhi Ph.No.9463182642 E-mail:cadavinderpal@gmail.com

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

DAVINDER PAL SINGH & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

B.O. : 524-L Model Town
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana.
Mobile No 83600-54645
Phone No 0161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

H.O: House No.933,
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar, Punjab
Mobile No 9814025756
E- mail:cadavinderpal@gmail.com

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report.However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the Ind AS financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Branch Offices:
Taran Villa, The Mall, Shimla Pahari, Hoshiarpur, M. No: 9463182642, E-Mail:dpsinghca@yahoo.com
1229, Sector 15-B,Chandigarh, M.No.9855125756, E-mail:dpsinghca@yahoo.com
S-53,Okhla Industrial Estate Phase-2,New Delhi Ph.No.9463182642 E-mail:cadavinderpal@gmail.com

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

DAVINDER PAL SINGH & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

B.O. : 524-L Model Town
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana.
Mobile No 83600-54645
Phone No 0161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

H.O: House No.933,
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar, Punjab
Mobile No 9814025756
E- mail:cadavinderpal@gmail.com

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013, CARO 2020 ("the Order") is not applicable to the company. Hence, the Annexure on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order, are not given.

2. As required by the Comptroller and Auditor General(C&AG) of India through direction issued u/s 143(5) of the Companies Act, 2013 on the basis of written representations received from the management, we give our report on the matters specified in the "**Annexure A**" attached.

3. As required by section 143(3) of the Companies Act 2013, we report that:

a) Except for the matter described in the Basis for Qualified Opinion and Emphasis of matter paragraphs, we have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

b) Except for the possible effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion and Emphasis of matter paragraphs above, in our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.

c) Except for the possible effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion and Emphasis of matter paragraphs above, the Balance Sheet, the Statement of Income and Expenditure and the Statement of Changes in Equity dealt with by this Report are in agreement with the books of account.;

d) Except for the possible effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion and Emphasis of matter paragraphs above, the aforesaid Ind AS financial statements comply with the Indian
Accounting Standards prescribed under Section 133 of the Act, read with rule 7of the Companies (Accounts) Rules,2014 and the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended.

e) In term of notification No. G.S.R 463(E) dated June 5th 2015, issued by Ministry of corporate

Branch Offices:
Taran Villa, The Mall, Shimla Pahari, Hoshiarpur, M. No: 9463182642, E-Mail:dpsinghca@yahoo.com
1229, Sector 15-B,Chandigarh, M.No.9855125756, E-mail:dpsinghca@yahoo.com
S-53,Okhla Industrial Estate Phase-2,New Delhi Ph.No.9463182642 E-mail:cadavinderpal@gmail.com

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

DAVINDER PAL SINGH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

B.O. : 524-L Model Town
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana.
Mobile No 83600-54645
Phone No 0161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

H.O: House No.933,
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar, Punjab
Mobile No 9814025756
E- mail:cadavinderpal@gmail.com

affairs, Government of India; sub section (2) of section 164 of Companies Act 2013 is not applicable to Government Companies.

f) The matter described in the Basis of Qualified opinion paragraph above, in our opinion, does not have any adverse effect on the functioning of the Company.

g) The Qualification and other observations relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith are as stated in the basis for qualified opinion and Emphasis of Matter paragraph.

h) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report **in "Annexure-B".**

i) With the respect to the matter to be included in the Auditor's report in accordance with the requirements of section 197(16) of the Act, as amended, the reporting requirements are not applicable in terms of notification number G.S.R463 (E) dated June 5th 2015, issued by Ministry of Corporate Affairs.

j) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2016, in our opinion and to the best of our information andaccording to the explanations given to us: -

i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial positions in the Ind ASfinancial statements.

ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.

iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

Branch Offices:
Taran Villa, The Mall, Shimla Pahari, Hoshiarpur, M. No: 9463182642, E-Mail:dpsinghca@yahoo.com
1229, Sector 15-B,Chandigarh, M.No.9855125756, E-mail:dpsinghca@yahoo.com
S-53,Okhla Industrial Estate Phase-2,New Delhi Ph.No.9463182642 E-mail:cadavinderpal@gmail.com

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

DAVINDER PAL SINGH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

B.O. : 524-L Model Town
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana.
Mobile No 83600-54645
Phone No 0161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

H.O: House No.933,
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar, Punjab
Mobile No 9814025756
E- mail:cadavinderpal@gmail.com

iv. (a) The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

(b) The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been received by the Company from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like from or on behalf of the Ultimate Beneficiaries; and

(c) Based on such audit procedures as considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (iv)(a) and (iv)(b) contain any material misstatement;

v. The Company has neither declared nor paid dividend during the year;

vi. The Company, in respect of financial year 2023-24, has used Tally ERP accounting software

Branch Offices:
Taran Villa, The Mall, Shimla Pahari, Hoshiarpur, M. No: 9463182642, E-Mail:dpsinghca@yahoo.com
1229, Sector 15-B,Chandigarh, M.No.9855125756, E-mail:dpsinghca@yahoo.com
S-53,Okhla Industrial Estate Phase-2,New Delhi Ph.No.9463182642 E-mail:cadavinderpal@gmail.com

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

DAVINDER PAL SINGH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

B.O. : 524-L Model Town
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana.
Mobile No 83600-54645
Phone No 0161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

H.O: House No.933,
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar, Punjab
Mobile No 9814025756
E- mail:cadavinderpal@gmail.com

for maintaining its books of accounts which has a feature of recording audit trail (edit log) facility; providing standard functionality and logging in all changed data in the system. This functionality and audit trail feature in Tally ERP has been operational throughout the year for all relevant transactions recorded through the application at the Corporation.

For Davinder Pal Singh & Co.
Chartered Accountants
Firm's Registration Number: 007601N

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

Davinder Pal Singh
(FCA)
M.N.- 086596
UDIN: 24086596BKCETG5940

Place: New Delhi
Date: 20.08.2024

Branch Offices:
Taran Villa, The Mall, Shimla Pahari, Hoshiarpur, M. No: 9463182642, E-Mail:dpsinghca@yahoo.com
1229, Sector 15-B,Chandigarh, M.No.9855125756, E-mail:dpsinghca@yahoo.com
S-53,Okhla Industrial Estate Phase-2,New Delhi Ph.No.9463182642 E-mail:cadavinderpal@gmail.com

DAVINDER PAL SINGH & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

B.O. : 524-L Model Town
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana.
Mobile No 83600-54645
Phone No 0161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

H.O: House No.933,
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar, Punjab
Mobile No 9814025756
E- mail:cadavinderpal@gmail.com

"ANNEXURE-A"

TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE ON THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

Below are the replies to the directions issued by the Comptroller and Auditors General of India u/s 143(5) of the companies Act, 2013 with respect to the Ind AS financial statements of M/s NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION for the financial year ended on 31st March, 2024

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

Branch Offices:
Taran Villa, The Mall, Shimla Pahari, Hoshiarpur, M. No: 9463182642, E-Mail:dpsinghca@yahoo.com
1229, Sector 15-B,Chandigarh, M.No.9855125756, E-mail:dpsinghca@yahoo.com
S-53,Okhla Industrial Estate Phase-2,New Delhi Ph.No.9463182642 E-mail:cadavinderpal@gmail.com

DAVINDER PAL SINGH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

B.O. : 524-L Model Town
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana.
Mobile No 83600-54645
Phone No 0161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

H.O: House No.933,
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar, Punjab
Mobile No 9814025756
E- mail:cadavinderpal@gmail.com

(1). Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through ITsystem? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, ifany, maybe stated.	The financial accounting of the Company is done on tally ERP Software. However, the loan accounting of the Company is done on Manual Ledgers. As explained by management, the manual ledgers arereconciled with tally ERP software. As explained to us, the processing of loan transactions outside IT system does not have any adverse effect on the integrity of accounts and the same therefore does nothave any financial implications.
(2). Whether there is any restructuring of an existingloan or cases of waiver/write off of debts /loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact maybe stated. **Whether such cases are properly accounted for?**	During the year under audit, there was no restructuring of an existing loans or waiver/write offof debts/loans/Interest made by a lender to the company due to the company's inability to repay theloans.
(3). Whether funds **(grants/subsidy etc.)** received/receivable for specific schemes from central/ state agencies were properly accounted for/ utilized as per its term and conditions? List the cases ofdeviation.	Except for the possible effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion and Emphasis of matter paragraphs above, Funds **(grants/subsidy etc.)**received/receivable for specific schemes from central/state agencies have been properly accounted for/utilized.

For Davinder Pal Singh & Co.
Chartered Accountants
Firm's Registration Number 007601N

Place: New Delhi
Date: 20-08-2024

Davinder Pal Singh
(FCA)
M.N.- 086596
UDIN: 24086596BKCETG5940

Branch Offices:
\# Taran Villa, The Mall, Shimla Pahari, Hoshiarpur, M. No: 9463182642, E-Mail:dpsinghca@yahoo.com
\# 1229, Sector 15-B,Chandigarh, M.No.9855125756, E-mail:dpsinghca@yahoo.com
\# S-53,Okhla Industrial Estate Phase-2,New Delhi Ph.No.9463182642 E-mail:cadavinderpal@gmail.com

DAVINDER PAL SINGH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

B.O. : 524-L Model Town
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana.
Mobile No 83600-54645
Phone No 0161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

H.O: House No.933,
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar, Punjab
Mobile No 9814025756
E- mail:cadavinderpal@gmail.com

"ANNEXURE-B"

TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE ON THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION ("the Company") as at March 31, 2024 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy andcompleteness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reportingbased on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicableto an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require thatwe comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financialcontrols system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Branch Offices:
\# Taran Villa, The Mall, Shimla Pahari, Hoshiarpur, M. No: 9463182642, E-Mail:dpsinghca@yahoo.com
\# 1229, Sector 15-B,Chandigarh, M.No.9855125756, E-mail:dpsinghca@yahoo.com
\# S-53,Okhla Industrial Estate Phase-2,New Delhi Ph.No.9463182642 E-mail:cadavinderpal@gmail.com

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

DAVINDER PAL SINGH & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

B.O. : 524-L Model Town
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana.
Mobile No 83600-54645
Phone No 0161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

H.O: House No.933,
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar, Punjab
Mobile No 9814025756
E- mail:cadavinderpal@gmail.com

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for ourQualified Audit Opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that:

(1) Pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company;

(2) Provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management anddirectors of the company; and

(3) Provide reasonable assurance regarding prevention and timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the Ind AS financialstatements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls overfinancial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion Company has , in all material respects, except matter stated in clause 1 to 3 below, an adequate Internal financial controls system over financial reporting and such internal financial control over financial reporting were operating effectively as at 31st March 2024, based on the internal control over financial reporting criteria established by the company considering the essential components of Internal control stated in the guidance note on Audit of Internal Financial Controls over financial reporting issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

1. The Internal controls and systems designed by the management to verify the end use of the funds sanctioned and disbursed to SCA's & CA's are not reasonable enough considering the size of the company and the nature of its operations. The management has been asked to update the procedurescommensurate with the size of the company and the nature of its operations. Further, we have been informed by the management that the release of funds to eligible beneficiaries is the sole responsibilities of SCAs. Company must devise some audit system through which it can be ensured that the funds are properly

Branch Offices:
Taran Villa, The Mall, Shimla Pahari, Hoshiarpur, M. No: 9463182642, E-Mail:dpsinghca@yahoo.com
1229, Sector 15-B,Chandigarh, M.No.9855125756, E-mail:dpsinghca@yahoo.com
S-53,Okhla Industrial Estate Phase-2,New Delhi Ph.No.9463182642 E-mail:cadavinderpal@gmail.com

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

DAVINDER PAL SINGH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

B.O. : 524-L Model Town
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana.
Mobile No 83600-54645
Phone No 0161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

H.O: House No.933,
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar, Punjab
Mobile No 9814025756
E- mail:cadavinderpal@gmail.com

disbursed to the eligible beneficiaries.

2. Company is providing financial and other assistance to beneficiaries belonging to scheduled castesthrough SCAs and CAs. However, utilization Certificates for ₹ 78,721.72 Lakhs are pending as at 31st March 2024. Internal Control system should be strengthened to obtain utilization Certificates as earliest.

3. Matters referred to in clause 1 of our basis of qualified opinion and clause 2 and Clause 6 of Emphasis of matter paragraph point to lapses in Internal Control over financial reporting system. The company should monitor and strengthen internal control System in respect of such issues.

For Davinder Pal Singh & Co.
Chartered Accountants
Firm's Registration Number: 007601N

Place: New Delhi
Date: 20-08-2024

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

Davinder Pal Singh
(FCA)
M.N.- 086596
UDIN: 24086596BKCETG5940

Branch Offices:
Taran Villa, The Mall, Shimla Pahari, Hoshiarpur, M. No: 9463182642, E-Mail:dpsinghca@yahoo.com
1229, Sector 15-B,Chandigarh, M.No.9855125756, E-mail:dpsinghca@yahoo.com
S-53,Okhla Industrial Estate Phase-2,New Delhi Ph.No.9463182642 E-mail:cadavinderpal@gmail.com

ADDENDUM 'B'

MANAGEMENT REPLY TO THE STATUTORY AUDITORS' REPORT ON THE ANNUAL ACCOUNTS 2023-24

Para No.	Audit Para	Management's Reply
1	Company is providing financial and other assistance to beneficiaries belonging to scheduled castes through SCAs and CAs. The lending policy entails that utilization certificates have to be provided by SCAs and CAs within 120 days in case of fresh disbursement from the date of disbursement. Further, in case of overall disbursements, utilization certificates have to be obtained from all SCAs and CAs on quarterly basis. However, in. many cases utilization certificates were not received post the expiry ofspecified period because of which: As at 31st March 2024, utilization certificates for outstanding loans amounting to ₹ 78,721.72 Lakhs, have not been received by the company **(Refer Note 38.2).**	It is evident from the Audit Para of the Statutory Auditors Report itself and our Note 38.2 that as at 31st March, 2024, utilization certificates for Rs.78,721.72 lakh (previous year Rs.58,854.88 lakh) are yet to be submitted by the SCAs/ CAs. Further, NSFDC implements various credit based schemes for the target group through a network of Channelizing Agencies spread across the country. One of the norms for disbursement of funds is minimum of 80% cumulative utilization level of funds. As per Lending Policy of NSFDC, the funds disbursed are to be utilized by SCAs within the prescribed period from the date of disbursement. Utilization of funds under various schemes is a continuous process and sometimes it spills over to next financial year as well. After the expiry of allowed time within the prescribed period, the matter is followed up with concerned SCAs/CAs. The SCA, after receiving the funds from NSFDC, release it to their District Offices. Thereafter, collecting Utilization Certificate from all their District Offices, takes some time. Further, in the channel finance system, utilization of 15-20% of the funds always remains in the pipeline and hence relaxation to this extent is given to the SCAs for considering fresh disbursements. It is to submit that the Corporation has disbursed Rs.71,445.37 lakh during F.Y. 2023-24 and the funds are under implementation of the sanctioned projects/ units. Presently, fund utilization is 88.55% as on 31.03.2024. Therefore, funds under implementation and reporting utilization amounting to Rs.78,721.72 lakh tantamount only to 11.45% only.

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय)
Office of the Director General of Audit (Central Expenditure)
डी जी ए सी आर भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110 002
DGACR Building, Indraprastha Estate, New Delhi -110 002

ADDENDUM-C

No. CW/1-27/NSCFDC/2024-25/327 Date: 20.09.2024

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन,
14वीं मंजिल, कोर 12, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र,
लक्ष्मी नगर, दिल्ली - 110092

विषय: वर्ष 2023-24 के लिए नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नई दिल्ली के वित्तीय खातों पर 'शून्य टिप्पणियां प्रमाणपत्र'।

महोदय,

इस पत्र के साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नई दिल्ली के 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर 'शून्य टिप्पणियां प्रमाणपत्र' भेजी जा रही है। आपसे प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट की 5 प्रतियां भेजने का अनुरोध किया जाता है।

आपसे अनुरोध है की इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीय,

संलग्न: उपरिलिखित।

एकता सिंह

(एकता सिंह)
उप निदेशक (वा.ले.प.)

Ph. : 91-11-23702422
Fax : 91-11-23702271
e-mail : dgace@cag.gov.in
Website: https://cag.gov.in/cen/new-delhi-iii/ten

COMMENTS OF THE COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT ON THE ACCOUNTS OF NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED, SILVASSA FOR THE YEAR ENDING 31ST MARCH 2024.

The preparation of financial statements National Scheduled Castes Finance & Development Corporation Limited, New Delhi for the year ended 31 March 2024 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (the Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their revised Audit Report dated 20.08.2024 which supersedes their earlier report dated 22.07.2024.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of National Scheduled Castes Finance & Development Corporation Limited, New Delhi for the year ended 31 March 2024 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit, nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditor's report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

Place: New Delhi
Date: 20.09.2024

(Rajiv Kumar Pandey)
Director General of Audit
(Central Expenditure), New Delhi

Address of offices

National Scheduled Castes Finance and Development Corporation
(A Government of India Undertaking)
(An ISO 9001 : 2015 Certified Company)

Head Office
14th Floor, Core 1 & SCOPE Minar,
Laxmi Nagar District Centre,
Delhi-110 092
Ph:011-22054394, 22054396 Fax : 011-22054395
Toll Free Number : 1800110396
e-mail : support-nsfdc@nic.in
Website: www.nsfdc.nic.in

Liaison Centre

1	Shri V.R. Salkute, Assistant General Manager, National Scheduled Castes Finance and Development Corporation, 2nd Floor, Podium Block, V.V. Tower, Dr. Ambedkar Veedhi , Bengaluru – 560 001. Phone No. : 080-23465175
2	Shri H.L. Thanga, Deputy Manager, National Scheduled Castes Finance and Development Corporation, New Market Phase-I, 5th Floor, HUDCO Building, 15-N, Nellie Sen Gupta Sarani, Kolkata-700 087 Phone No. : 033-22521395
3	Shri K.G. Nath, Deputy Manager, National Scheduled Castes Finance and Development Corporation, Oshiwara MHADA Complex Building No.5, Flat No.004, Azad Nagar Post Office, Andheri (West), Mumbai-400 053 Phone No. : 022-47493581
4	Shri R.N. Gond, Deputy Manager, National Scheduled Castes Finance and Development Corporation, B-2, 4th Floor, PICUP Bhawan, Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow- 226010 Phone No.0522-4346535

नेशनल शेड्यूलड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन

भारत सरकार का उपक्रम

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

A Government of India Undertaking

(आई एस ओ 9001 :2015 प्रमाणित कम्पनी)

(An ISO 9001:2015 Certified company)

14वीं मंजिल, कोर-1 और 2, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, दिल्ली-110092

14th Floor, Core-1 & 2, SCOPE Minar, Laxmi Nagar, District Centre, Delhi-110092

फ़ोन/Phone: 011-22054392, 22054394, 22054396 फ़ैक्स/Fax: 011-22054395

ईमेल/Email: support-nsfdc@nic.in वेबसाइट/Website: www.nsfdc.nic.in